Kingway Technical Institute

(Affiliated to Bihar School Examination Board, Patna)

D.El.Ed Two Years Syllabus

(Approved by S.C.E.R.T Patna, Bihar)

G.T. Road, Kulharia, Post- Karmnasha, P.S.- Durgawati, Dist- Kaimur, Pin -821105
Mb. No.- 9199601821, 7541855810
Website : kingwayedu.in
E-mail Id- ktikulharia2011@gmail.com

विषय–सूची

विषय					पृष्ठ
• प्रारंभिक विद्यालय के लिए अध्यापक शिक्षा का संदर्भ					01–10
• पाठ्यचर्या की रूपरेखा व द्रष्टव्य					11–12
प्रथम वर्ष			द्वितीय वर्ष		
कोर्स कोड	विषय	पृष्ठ	कोर्स कोड	विषय	पृष्ठ
F-1	शिक्षा के परिप्रेक्ष्य–1		S-1	शिक्षा के परिप्रेक्ष्य–2	13–21
F-2	बाल विकास व मनोविज्ञान–1		S-2	बाल विकास व मनोविज्ञान–2	14–28
F-3	विद्यालय की समझ व कक्षा का प्रबंधन–1		S-3	विद्यालय की समझ व कक्षा का प्रबंधन–2	29–36
F-4	विद्यालय और शिक्षा नीति	37–39	S-4	शिक्षा का साहित्य	40–41
F-5	भाषा और शिक्षा	42–46	S-5	सम्प्रेषण के तरीके	47–49
F-6	अंग्रेजी का शिक्षणशास्त्र–1		S-6	अंग्रेजी का शिक्षणशास्त्र	50–57
F-7	गणित का शिक्षणशास्त्र–1		S-7	गणित का शिक्षणशास्त्र	58–67
F-8	पर्यावरण अध्ययन का शिक्षणशास्त्र	68–74	S-8	विज्ञान / सामाजिक अध्ययन का शिक्षणशास्त्र	75–85
F-9	हिन्दी का शिक्षणशास्त्र–1	86–91	S-9	भाषा का शिक्षणशास्त्र (कोई एक): हिन्दी–2 / संस्कृत / मैथिली / बांगला / उर्दू	92–112
F-SEP	विद्यालय अनुभव कार्यक्रम (इंटर्नशिप)		S-SEP	विद्यालय अनुभव कार्यक्रम (इंटर्नशिप)	113–116
FP-1	शिक्षा में सूचना एवं संचार तकनीकी (आई.सी.टी.)	117–119	SP-1	कला शिक्षा	120–123
FP-2	जीवन कौशल, योग व स्वास्थ्य शिक्षा	123–124	SP-2	कार्य अनुभव	125–126
• डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन (डी.एल.एड.), पाठ्यचर्या–पाठ्यक्रम विकास समिति की सूची					127–129

प्रारंभिक विद्यालय के लिए अध्यापक शिक्षा का संदर्भ

बिहार महज़ एक राजनैतिक इकाई ही नहीं है, बल्कि सदियों से इसकी अपनी एक विशिष्ट सांस्कृतिक और शिक्षायी पहचान भी रही है। तमाम उपेक्षाओं और शैक्षिक गतिरोधों के बावजूद, अपने राज्य में पढ़ने–लिखने को लेकर एक अभूतपूर्व उत्साह मौजूद रहा है। इस राज्य के लिए पढ़ना–पढ़ाना कभी भी सिर्फ़ एक बाज़ारवादी जरूरत नहीं रही, बल्कि पढ़ना एक ऐसा सांस्कृतिक कर्म रहा है जिसके जरिये गाँव के 'दक्षिण टोले' के बच्चों से लेकर प्रांत के मुख्यमंत्री तक 'सामाजिक बदलाव' का सपना रचते हैं। देखा जाये तो बीसवीं सदी के उत्तरवर्ती दशक इस राज्य के लिए विशेष संक्रमण के दौर रहे हैं। एक के बाद एक शैक्षिक संस्थाएँ विभिन्न गतिरोधों और अकादमिक जड़त्व में फंसती गयीं, जिसका असर प्रारंभिक शिक्षा पर भी दिखा। प्रभावतः, 1994 के बाद से प्रारंभिक शिक्षकों के लिए सेवा पूर्व प्रशिक्षण संचालित नहीं हो सका। इस बीच न सिर्फ़ सदी बदली बल्कि 'सीखने–सिखाने' के शिक्षणशास्त्र में भी ख़ासा बदलाव आया।

बिहार विशेष के संदर्भ में बात करें तो कुछ घटनाओं का शिक्षा की प्रक्रिया पर स्पष्ट असर देखने को मिलता है। 1990 के बाद प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लिए कई प्रयास किये गयें, जिनमें 'डी.पी.ई.पी.' और 'सर्व शिक्षा अभियान' जैसे बड़े कार्यक्रम भी शामिल रहे। ज़ाहिर है इससे स्कूली शिक्षा के लिए जागरूकता में खासी बढ़ोतरी होनी थी और हुई भी। इसी बीच सीखने–सिखाने के तौर तरीकों को लेकर जो महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हुए, उनकी छवि हम मुख्यतः तीन दस्तावेज़ों के रूप में देखते हैं– पहला, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एन.सी.ई.आर.टी.), दिल्ली द्वारा तैयार राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रुपरेखा–2005 (एन.सी.एफ.–2005); दूसरा, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद् (एस.सी.ई.आर.टी.), पटना द्वारा तैयार बिहार पाठ्यचर्या की रुपरेखा–2008 (बी.सी. एफ.–2008); और तीसरा, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (एन.सी.टी.ई.), दिल्ली द्वारा तैयार अध्यापक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रुपरेखा–2009 (एन.सी.एफ.टी.ई.–2009)। एक ओर एन.सी.एफ.–2005 ने बच्चों को केन्द्र में रखकर एक ऐसी शिक्षायी प्रक्रिया की बात की जिसमें बच्चे स्वयं ज्ञान का सृजन करें, वहीं दूसरी ओर बी.सी. एफ.–2008 ने बिहार के स्थानीय बोध व ज्ञान को स्कूली शिक्षा की प्रक्रिया में शामिल करने पर बल दिया। एन.सी. एफ.टी.ई.–2009 ने बाल–केन्द्रित व संदर्भजन्य शिक्षा, दोनों पर विशेष बल देते हुए एक नये शिक्षक की रूपरेखा प्रस्तुत की।

जब शिक्षायी प्रक्रियायें अभूतपूर्व उथल–पुथल से गुज़र रही थीं तब बिहार सरकार ने एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए समान विद्यालय प्रणाली आयोग गठित किया। जून 2007 में आयोग ने अपनी रिपोर्ट पेश करते हुए सभी बच्चों के लिए एक जैसी गुणवत्ता वाली समावेशी शिक्षा की बात की। उसके बाद राज्य सरकार ने सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण समावेशी शिक्षा देने की अपनी प्रतिबद्धता कई बार दोहराई।

21वीं सदी की शुरुआत में 'शिक्षा की गुणवत्ता' का सवाल कई स्तर पर उभरा। गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए बड़ी तादाद में प्रशिक्षित व योग्य शिक्षकों की ज़रूरत महसूस की गई। बिहार में प्रारंभिक शिक्षा के लिए अध्यापक शिक्षा एवं शिक्षक–प्रशिक्षण की रूपरेखा का निर्माण उपरोक्त ज़रूरतों को पूरा करने का अनिवार्य कदम है। इस पाठ्यचर्या व पाठ्यक्रम को बनाते समय यह बात हमारे ध्यान में रही कि बिहार में इस समय जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान (डायट) लम्बे समय से उपेक्षित रहने के कारण अति निष्क्रिय रूप में हैं। ऐसी स्थिति महज़ सुधार की नहीं बल्कि नये तरीक़े से सभी कामों को पूरा करने की मांग करती है।

शिक्षक–प्रशिक्षण संस्थानों के साथ–साथ अध्यापक शिक्षा का मसला भी स्वयं में कई तरह से उपेक्षित रहा है। अक्सर अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम को महज एक कागजी खानापूर्ति की तरह देखा गया। इस प्रवृत्ति ने अध्यापक शिक्षा के कार्यक्रम को उस बड़ी प्रक्रिया से काट दिया, जहाँ शिक्षक सामाजिक बदलाव में एक सांस्कृतिक कार्यकर्ता होता है। इस जड़त्व के विरुद्ध प्रस्तुत पाठ्यचर्या की रूपरेखा कई चुनौतियों को समेटती है, मुख्य तौर से शिक्षक की

सामाजिक, सांस्कृतिक और अकादमिक भूमिका में किस तरह के बदलाव अपेक्षित हैं तथा नयी शिक्षायी ज़रूरतों और सामाजिक–आर्थिक बदलाव से मुकाबला करने के लिए कैसे शिक्षक कैडर की ज़रूरत है।

साथ ही, इस पाठ्यचर्या को तैयार करते समय संवैधानिक ज़रूरतों के परिप्रेक्ष्य में नये शिक्षायी बदलावों का विशेष तौर से ध्यान रखा गया है। इस संदर्भ में दो मुख्य बाते निम्नलिखित हैं–

- 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से, 6–14 आयु वर्ग के बच्चों की शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया जाना।
- जून 2007 के समान विद्यालय प्रणाली आयोग की रिपोर्ट का आना और बिहार सरकार की यह घोषणा कि सरकार समान विद्यालय प्रणाली को लागू करने के लिए कटिबद्ध है।

अगर उपरोक्त दोनों बातों को एक साथ देखा जाये तो हम इस नतीजे तक पहुँचते हैं कि बिहार विशेष के संदर्भ में, 6–14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा संवैधानिक अनिवार्यता तो है ही, साथ ही उनको समान गुणवत्ता वाली शिक्षा उपलब्ध कराये जाने का दायित्व भी सरकार पर है। यहाँ हमें इस पहलू पर भी ध्यान देना होगा कि शिक्षा की गुणवत्ता कैसी हो?

1993 में सर्वोच्च न्यायालय ने बच्चों के शिक्षायी अधिकार को उनके जीने के अधिकार के साथ जोड़ कर देखा और के.पी. उन्नीकृष्णन बनाम आन्ध्र राज्य न्यायालय ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद–45 (14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा) को अनुच्छेद–21 (जीवन का अधिकार) के साथ जोड़कर पढ़े जाने की ज़रूरत है। यानी शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो सभी बच्चों की गरिमामय ज़िन्दगी का साधन बनें। अध्यापक शिक्षा बच्चों को ऐसी शिक्षा दिलाने में मददगार हो जिससे कि बच्चों का वर्तमान व भविष्य गरिमामय बन सके।

गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तथा बच्चों के मौलिक अधिकार की इस स्थिति को बिहार विशेष के संदर्भ में ख़ासतौर से समझने की ज़रूरत है। यहाँ की आबादी में ख़ासी तादाद ऐसे वंचित तबक़ों की है जिन्हें वर्तमान शिक्षा और स्कूली प्रक्रिया में कोई दिलचस्पी नहीं है। क्योंकि अतीत से इन्होंने यह सीखा है कि ये शिक्षा उनके बच्चों की ज़िन्दगी में कोई बड़ा फ़र्क नहीं पैदा कर पाती। बच्चों की ज़िन्दगी में एक साकारात्मक बदलाव ला पाने में सक्षम शिक्षा के लिए एक सक्षम शिक्षक की ज़रूरत होगी जो योग्य, कुशल, शिक्षित व प्रतिबद्ध हो। अतः, प्रारंभिक विद्यालयों की शिक्षायी प्रक्रिया को बेहतर और गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए योग्य व प्रतिबद्ध शिक्षक पहली ज़रूरत हैं। इन संदर्भों को ध्यान में रखते हुए यह दिशा मिलती है कि भविष्य के शिक्षक कैसे हों।

बिहार में अध्यापक शिक्षा : एक परिदृश्य

बिहार में पिछले दो दशकों में शिक्षा को लेकर कई परियोजनायें चलाई गईं लेकिन अपेक्षित परिणाम नहीं मिला। इसका एक मुख्य कारण रहा उपयुक्त शिक्षकों की कमी। यह कमी कई स्तरों पर दिखी–

- पहले से पढ़ा रहे शिक्षकों की संख्या का कम होना तथा जो पढ़ा रहे हैं उनमें भी प्रगतिशील व नवाचारी शिक्षायी परिवर्तनों को जानने की रुचि का निरंतर कम होते जाना।
- नये अप्रशिक्षित शिक्षकों की बहाली और उनके (शिक्षकों के) लिए प्रशिक्षण का अपर्याप्त बंदोबस्त होना।
- नये पेशेवर शिक्षक तैयार करने वाली संस्थाओं के बंद (निष्क्रिय) होते जाने से प्रशिक्षित शिक्षकों का अभाव बढ़ता जाना।

बिहार के संदर्भ में देखें तो अध्यापक शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रम को आमतौर पर नियमों (शिक्षकों की वृत्ति, नियुक्ति और वेतनमान के संदर्भ में) का पूरा एक 'अनुष्ठान' मानने की प्रवृत्ति बढ़ी है। नतीजा यह रहा है कि शिक्षक समूह के पेशेवर ताक़त में कमी आयी है और शिक्षक कैडर की क्षमता और गुणवत्ता का काफ़ी ह्रास हुआ है।

शिक्षक की हैसियत को लेकर अनेक नीतिगत बहसें हुईं, साथ ही उसकी जवाबदेही तय करने पर भी सवाल उठाये गये। समान विद्यालय प्रणाली आयोग (बिहार सरकार, 2007) ने भी इस मसले को सामाजिक सांस्कृतिक ताने–बाने के बीच में समझने–समझाने की कोशिश की और कहा कि शिक्षकों के ख़िलाफ की जाने वाली इन आलोचनाओं में से अनेक जायज़ हैं। लेकिन, ये आलोचनाएँ आम तौर पर उन परिस्थितियों के संदर्भ से कटी हुईं हैं जिनमें उन्हें काम करना पड़ता है।

अब एक अगला मुद्दा यह है कि हम इन परिस्थितियों को ही संदर्भ बनाकर अपने अध्यापक शिक्षा एवं शिक्षण–प्रशिक्षण कार्यक्रम की पुनर्रचना क्यों नहीं करते? इनमें कुछ संस्थागत और कुछ प्रक्रियागत दिक्कतें तो हैं ही साथ ही, 'शिक्षक' के प्रति बने सामाजिक बिम्ब भी इसको तय करते हैं। रही सही कसर प्रारंभिक शिक्षा में 'पैरा' शिक्षकों के प्रयोग करते जाने के प्रचलन ने पूरी कर दी। समान विद्यालय प्रणाली आयोग–2007 की रिपोर्ट तथा बिहार पाठ्यचर्या की रूपरेखा–2008 को संदर्भ बनाया जाये तो शिक्षक के संदर्भ में एक ज़बरदस्त बदलाव की ज़रूरत महसूस होती है। इस बदलाव का उद्देश्य "पूर्णकालिक, प्रशिक्षित, पेशेवर शिक्षक कैडर" की स्थापना है। इस तरह के शिक्षक कैडर के लिए उपयुक्त संख्या में अच्छे व साधन सम्पन्न अध्यापक शिक्षा संस्थानों की ज़रूरत होगी। आज जो संस्थायें हैं वे काफ़ी कम हैं, जो हैं उनमें भी संसाधनों (भौतिक संसाधनों व शिक्षक प्रशिक्षक) और नियमितता का घोर अभाव है। साथ ही सक्षम शिक्षकों के निर्माण हेतु योग्य प्रशिक्षुओं के चयन की उपयुक्त प्रक्रिया का भी अभाव है। इन सबके अलावा अध्यापक शिक्षा को एक ऐसी पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम की भी ज़रूरत महसूस होती है जो उपरोक्त ज़रूरतों को पूरा कर सके।

प्रारंभिक विद्यालयों के शिक्षकों के लिए अध्यापक शिक्षा : कुछ महत्त्वपूर्ण नीतिगत विमर्श

बिहार में बेहतर अध्यापक शिक्षा के लिए राष्ट्र एवं राज्य के प्रमुख शिक्षायी दस्तावेजों, जो कि नीतिगत दख़ल रखते हैं, जैसे, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा–2005, समान विद्यालय प्रणाली आयोग–2007, बिहार पाठ्यचर्या की रूपरेखा–2008, अध्यापक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा–2009 (एन.सी.एफ.टी.ई–2009), शिक्षा का मौलिक अधिकार अधिनियम–2009 इत्यादि के ज़रिए अध्यापक शिक्षा के नज़रिये को समझना होगा। वर्तमान बिहार में कई तरह की शिक्षायी प्रक्रियायें चल रही हैं। उनके कई ढाँचे यहाँ मौजूद हैं। समान विद्यालय प्रणाली आयोग–2007 ने स्कूली शिक्षा के इन ढाँचों को मज़बूती देने की बात कही है। आयोग ने समान स्कूल प्रणाली को लागू करने की चुनौतियों का सामना करने हेतु बिहार में नीचे से ऊपर तक समग्र अध्यापन शिक्षण प्रणाली के ढाँचागत और प्रक्रिया के ज़रिए रूपांतरण का एक कार्यक्रम तैयार किया है।

वर्तमान संकुल संसाधन केन्द्रों को संकुल शिक्षक मंचों में रूपांतरित किया जाना चाहिए।

- संकुल शिक्षक मंच अपने निर्दिष्ट क्षेत्र में चलनेवाले तमाम विद्यालयों के शिक्षकों के स्वायत्त पेशेवर मंच के बतौर ही काम करेगा। इस केन्द्र में पूर्व प्रारंभिक से लेकर उच्च माध्यमिक स्तर तक के तमाम विद्यालयों के शिक्षक और प्रधानाध्यापक शामिल रहेंगे। इसमें भागीदार शिक्षकों के बीच से मनोनीत एक पूर्णकालिक शिक्षक समन्वयक होगा।
- ये मंच व्यापक 'शैक्षिक पर्यवेक्षण' संचालित करने की ज़िम्मेवारी निभाएंगे। इससे परम्परागत 'निरीक्षण' का विचार अनावश्यक बन जाएगा। आयोग ने ऐसे पर्यवेक्षण संगठित करने और इससे प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर आगे की कारवाई चलाने हेतु, प्रक्रियाओं की रूपरेखा बनाई है।

(रिपोर्ट– समान विद्यालय प्रणाली आयोग, 2007)

संकुल संसाधन केन्द्र को अगर संकुल शिक्षक मंचों में बदला जाता है तो इसके लिए शिक्षकों की शिक्षा के समय ही संकुल संसाधन केन्द्रों से उनका सघन परिचय होना चाहिए। इसके अवसर प्रायोगिक कार्यों के समय तो निकलेंगे ही साथ ही सैद्धांतिक पर्चों में भी इस तरह के ढाँचों पर चर्चा की जा सकेगी।

यह उम्मीद की जा सकती है कि शिक्षकगण अपने प्रशिक्षण के बाद भी शिक्षायी शोधों से गहन रूप से जुड़े रहेंगे। डायट अपने उत्तीर्ण हो चुके विद्यार्थियों से नियमित सम्पर्क में रहेगा तथा एस.सी.ई.आर.टी. के द्वारा उपलब्ध कराये गये फेलोशिप या अन्य संस्थायी व स्थानीय माध्यमों के ज़रिये अच्छे शोध कार्यों के लिए अपने विद्यार्थियों को प्रेरित करेगा। इस तरह के शोध कार्यों से एक ओर अध्यापकों में शोध–कौशलों की तो बढ़ोतरी होगी ही साथ ही शिक्षा सम्बन्धी विमर्श के विस्तार का अवसर भी मिलेगा। इसके लिए विभिन्न संस्थायें जैसे एस.सी.ई.आर.टी., डायट, विश्वविद्यालयों के शिक्षा विभाग, बिहार शिक्षा परियोजना व अन्य शैक्षिक संस्थायें समान विद्यालय प्रणाली आयोग के सुझाव के ज़रिये शिक्षकों के कार्य में मदद कर सकती हैं।

अध्यापक–शिक्षण एवं शैक्षिक शोध संवर्ग का निर्माण

यह राज्य में अध्यापक शिक्षण एवं शैक्षिक अनुसंधानों में शामिल तमाम संस्थानों एवं ढाँचों हेतु शिक्षक प्रशिक्षकों तथा शैक्षिक शोध–कर्मियों का संवर्ग होगा। इन संस्थानों में अन्य संस्थाओं के अलावा, एस.सी.ई.आर.टी., डायट, पी.टी.इ.सी. प्रखंड शिक्षा केन्द्र और सरकारी बी.एड. महाविद्यालय शामिल होंगे। प्रस्तावित बुनियादी शिक्षा पाठ्यचर्या विकास केन्द्रों के नियुक्त होने वाले समन्वयक भी इस नये संवर्ग के अंग होंगे। इस संवर्ग के संकाय सदस्यों की नियुक्ति बिल्कुल खुली चयन पद्धति से होगी। विद्यालय शिक्षक और बिहार शिक्षा सेवा के अधिकारी इस संवर्ग में चयन हेतु आवेदन कर सकेंगे।

(रिपोर्ट – समान विद्यालय प्रणाली आयोग, 2007)

प्रखण्ड संसाधन केन्द्रों को डायट के शैक्षिक विस्तार के रूप में रखने से प्रारंभिक स्कूली शिक्षा की मुख्य धारा और डायट की गतिविधियों में एक सीधा जुड़ाव बनेगा। डायट से यह अपेक्षा की जाती है कि वह संकुल–संसाधन केन्द्रों की गतिविधियों में अपने प्रशिक्षु शिक्षक/शिक्षिकाओं को सक्रिय तौर पर भाग लेने के लिये प्रेरित करें। यह प्रक्रिया आरंभिक शिक्षा के सार्वभौमिक अनुभवों से न सिर्फ नये शिक्षकों को जोड़ेगा बल्कि यह साझेपन का बोध व नये उत्साह के सृजन का आधार भी बनेगा।

प्रखंड संसाधन केन्द्रों को प्रखंड शिक्षा केन्द्रों में रूपांतरित करना

- प्रखंड संसाधन केन्द्र डायट के शैक्षिक विस्तार के रूप में काम करेंगे न कि उसके अधीन संस्थान के रूप में।
- वे अध्यापक–शिक्षण, सामग्री निर्माण एवं अनुसंधान कार्यों में शामिल होंगे।
- उनके निम्नलिखित कार्य होंगे : सेवारत अध्यापक शिक्षण, शैक्षिक सर्वेक्षण और शोध अध्ययन संचालित करना और प्रखंड के अप्रशिक्षित शिक्षकों के लिए सेवाकालीन अध्यापक शिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना।
- प्रखंड शिक्षा केन्द्र और डायट/एस.सी.ई.आर.टी. के बीच संकाय सदस्यों के आदान–प्रदान कार्यक्रम को संस्थाबद्ध रूप दिया जाएगा।
- हर प्रखंड शिक्षा केन्द्र में 6 संसाधन व्यक्ति होंगे जो प्रखंड के प्राथमिक, मध्य और उच्च माध्यमिक विद्यालयों से दो वर्ष की अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति पर आयेंगे।

(रिपोर्ट – समान विद्यालय प्रणाली आयोग, 2007)

इस पूरे बदलाव में एस.सी.ई.आर.टी. की अहम् भूमिका होगी जिसका परिवर्तित ढाँचा समान विद्यालय प्रणाली की रिपोर्ट में दिया गया है। डायट व अन्य शैक्षिक संस्थाओं का विकास तभी सहज होगा जब एस.सी.ई.आर. टी. मज़बूत होगी। इससे शिक्षा में प्रबन्धन, पर्यवेक्षण और नियमितता तो बढ़ेगी ही, साथ ही डायट को नियमित अकादमिक सहयोग भी मिलेगा। एस.सी.ई.आर.टी. से यह अपेक्षा होगी कि वह डायट के पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम की नियमित अंतराल पर समीक्षा करे व इसे सुचारू रूप से चलाने के लिए उपयुक्त पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराये। पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराने के क्रम में हिन्दी में नई पुस्तकों, शोध–पत्रों, शोध–ग्रन्थों व अन्य रिपोर्ट इत्यादि की आपूर्ति तो करे ही साथ ही अन्य भाषाओं में छपे उच्च स्तरीय लेखों, किताबों, शोध–पत्रों इत्यादि का अनुवाद कराने व उन्हें प्रशिक्षुओं तक पहुँचाने का प्रबन्ध भी करे। एस.सी.ई.आर.टी. डायट के संचालन पर सालाना रिपोर्ट तैयार करें, उसके विभिन्न अकादमिक पक्षों को लेकर शोध करें एवं करवायें व उस पर चर्चा करायें, ताकि डायट की प्रक्रियायें गतिशील बनी रहें। इसके साथ ही एस.सी.ई.आर.टी. डायट के शिक्षक–प्रशिक्षकों के लिए दिशा–निर्देश पुस्तिकाओं को तैयार करे और उनके लिए कार्यशाला व सेमिनार इत्यादि का भी आयोजन करायें।

आज़ादी के बाद से ही स्कुलों में गाँधीवादी शिक्षा को लागू करने की बात होती रही है। हाल ही में इसे समान विद्यालय प्रणाली आयोग–2007 ने भी स्वीकारा है। ज़ाहिर है कि ऐसी स्थिति में शिक्षकों की शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि वे गाँधीवादी शिक्षा को समझ सकें। यानि वे शिक्षा की प्रक्रिया और हाथ से काम करने को एक दूसरे का पूरक मानें। आयोग ने भी माना कि अगले पाँच वर्षों के दौरान राज्य के तमाम प्राथमिक और मध्य विद्यालयों की पाठ्यचर्या को गाँधीवादी शिक्षा शास्त्रीय सिद्धांत के आधार पर रूपांतरित किया जाएगा। इस सिद्धांत का सार है– ज्ञान अर्जन, मूल्यों का निर्माण तथा काम के ज़रिए कौशलों का विकास। अगले दौर में, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तरों की पाठ्यचर्या को इस ढाँचे के अंतर्गत लाया जाएगा। इस संदर्भ में आयोग द्वारा दी गयी निम्नलिखित सिफ़ारिश महत्त्वपूर्ण है–

बुनियादी शिक्षा पाठ्यचर्या विकास केन्द्र :

राज्य भर के 391 बुनियादी विद्यालयों में से 150 विद्यालयों को चुनकर वहाँ बुनियादी शिक्षा पाठ्यचर्या विकास केन्द्र स्थापित किए जाएँगे। सभी 391 बुनियादी विद्यालयों को 'प्रयोगशाला विद्यालय' मानते हुए इन बुनियादी शिक्षा पाठ्यचर्या विकास केन्द्रों की ज़िम्मेदारी होगी –

(क) आरंभ में प्राथमिक स्तर के लिए तथा बाद की अवधि में क्रमशः उच्च प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तरों पर भी संदर्भ विशिष्ट कार्य–केन्द्रित पाठ्यचर्या विकसित करना।

(ख) धीरे–धीरे समूची स्कूल प्रणाली में सेवाकालीन अध्यापक शिक्षण संगठित करना।

(ग) सतत् व गतिशील सुधार के लिए प्रणालीबद्ध फीडबैक मुहैया कराने की दृष्टि से शिक्षकों द्वारा ऐक्शन रिसर्च को बढ़ावा देना।

(रिपोर्ट – समान विद्यालय प्रणाली आयोग, 2007)

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा–2005, समान विद्यालय प्रणाली आयोग–2007 तथा बिहार पाठ्यचर्या की रूपरेखा–2008 को एक साथ पढ़ें तो गाँधीवादी शिक्षाशास्त्र के साथ ही समालोचनात्मक शिक्षणशास्त्र की ज़रूरत महसूस होती है। समालोचनात्मक शिक्षणशास्त्र के साथ जुड़ा 'निर्माणवादी परिप्रेक्ष्य' ख़ासतौर से बहिष्कृत और हाशिये पर खड़े बच्चों के सशक्तीकरण का महत्त्वपूर्ण साधन है। निर्माणवादी दृष्टि में सीखनेवालों को यह आज़ादी होती है कि वे जिन चीज़ों व गतिविधियों से जुड़े हैं; उनके आधार पर विद्यमान विचारों में अपने नये–नये विचारों को जोड़कर सक्रिय रूप से अपने ज्ञान का निर्माण करें। समालोचनात्मक शिक्षणशास्त्र सामाजिक मुद्दों पर बहुविध विचारों की स्वीकृत और अंतःक्रिया के लोकतांत्रिक रूपों के प्रति प्रतिबद्धता को आवश्यक मानता है। ये दोनों शिक्षा शास्त्रीय दृष्टियाँ एक साथ मिलकर वर्तमान स्कूली शिक्षा को समान प्रणाली में रूपांतरित करने का आधार मुहैया कराती हैं।

एक ओर जहाँ पाठ्यचर्या ढाँचा पूरे देश के लिए आधारभूत रूपरेखा तय करता है वहीं राज्य एजेंसियों, जिला व प्रखंड स्तर के अकादमिक निकायों, विद्यालयों और शिक्षकों से यह अपेक्षा होती है कि वे पाठ्यचर्या के क्रियान्वयन में लचीलापन बरतें और विविध ढंग से शिक्षण में ज़्यादा आज़ादी महसूस करें क्योंकि उन्हें पाठ्यचर्या एवं पाठ्यक्रम के आगे पाठ्यपुस्तक और अधिगम सामग्रियों की तरफ जाना पड़ता है। इस दृष्टि को समान स्कूल प्रणाली के अंतर्गत पाठ्यचर्या निर्माण, पाठ्यक्रम रचना, पाठ्यपुस्तकों के लेखन और शिक्षाशास्त्रीय निर्माण में मार्गदर्शक भूमिका अदा करनी चाहिए।

अलग–अलग सांस्कृतिक–सामाजिक पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को इस बात का अवसर मिलना चाहिए कि वे अपने अनुभवों के मध्य ज्ञान का स्वयं सृजन करें। इस प्रक्रिया में शिक्षक एक सहयोगी कार्यकर्ता के रूप में कक्षा में बच्चों के लिए वैसी स्थितियाँ मुहैया कराता है ताकि ज्ञान सृजन की प्रक्रिया सहज हो सके। इस स्थिति में शिक्षक से यह अपेक्षा की जाती है कि उसे लोकतांत्रिक मूल्यों और बच्चों की क्षमता में मुकम्मल विश्वास होगा। इस विश्वास को हासिल करने के लिए जरूरी है कि शिक्षक बच्चों के बारे में एक बहुलतावादी समझ रखता हो। यहाँ अलग–अलग अनुभव जगत और अलग–अलग क्षमताओं से पूर्ण बच्चे एक साथ होते हैं अध्यापक इन अनुभवों को शिक्षायी विषय–वस्तु से जोड़ने का काम करता है।

> बच्चों के संज्ञान में अध्यापकों की भूमिका भी बढ़ सकती है यदि वे ज्ञान निर्माण की उस प्रक्रिया में ज़्यादा सक्रिय रूप से शामिल हो जायें जिसमें बच्चे व्यस्त हैं। सीखने की प्रक्रिया में व्यस्त एक बालक या बालिका अपने ज्ञान का सृजन खुद करता/ती है। बच्चों को ऐसे प्रश्न पूछने की अनुमति देना जिनसे वे स्कूल में सिखाई जाने वाली चीजों का संबंध बाहरी दुनिया से स्थापित कर सकें, उन्हें एक ही तरीके से उत्तर रटने और देने की बजाए अपने शब्दों में जवाब देने और अपने अनुभव बताने के लिए प्रोत्साहित करना– ये सभी बच्चों की समझ विकसित करने में छोटे किन्तु बेहद महत्त्वपूर्ण क़दम है। 'चतुर अनुमान' को एक कारगर शिक्षाशास्त्रीय साधन के रूप में प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। स्कूली शिक्षा में अधिगम का एक बड़ा हिस्सा अब भी व्यक्ति–आधारित है (हालांकि वैयक्तिक नहीं है)। अध्यापकों को 'ज्ञान' हस्तांतरित करने वालों के रूप में देखा जाता है यद्यपि ज्ञान को हम जानकारी मान बैठते हैं। अध्यापकों को उन अनुभवों का आयोजक समझा जाता है जो बच्चों के सीखने में सहायक होते हैं।
>
> (राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा–2005)

यह संभावना कि शिक्षक बच्चों के अनुभव के बीच काम करेगा, इसके लिए शिक्षक में कई तरह की क्षमताएँ होनी चाहिए – ख़ास तौर से उसे बच्चों से संवाद स्थापित करने के लिए उपयुक्त स्तर का भाषा ज्ञान होना चाहिए। इसके लिए ज़रूरी है कि शिक्षकों के पास पर्याप्त–अनुभव और ज्ञान हो, साथ ही उन पर विश्वास भी किया जाये। यह ज़रूरत पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित शिक्षक के ज़रिए ही सही रूप से दी जा सकती हैं। साथ ही, बदलती हुई स्थिति में शिक्षक की भूमिका भी बदली है, जाहिर है कि अध्यापक शिक्षा की प्रकृति में भी बदलाव आयेगा। इन बदलती हुई स्थिति पर बिहार पाठ्यचर्या की रूपरेखा–2008, शिक्षक पर न सिर्फ विश्वास करने की बात कहता है बल्कि उन्हें निर्णय की प्रक्रियाओं में भी शामिल करने की बात कहता है।

शिक्षक–प्रशिक्षकों व प्रशिक्षुओं और स्कुली शिक्षकों को स्कुली स्तर पर वो तमाम चीज़ें करने की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए जिसे कि वे नये अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम को लागू करने के लिए ज़रूरी समझते हैं। अन्ततः यहाँ यह स्पष्टीकरण देना जरूरी है कि यह पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम एक मार्गदर्शिका मात्र है न कि कोई अकादमिक आदेश। शिक्षक–प्रशिक्षक, प्रशिक्षु तथा स्कूल में काम करने वाली अध्यापिकायें व अध्यापक इसे संदर्भ बनाकर स्वतंत्र रूप से शिक्षक–प्रशिक्षण कार्यक्रम चलायें तो यह उपयुक्त और सार्थक होगा।

यदि पाठ्यचर्या को विद्यालय में सीखने–सिखाने की पूरी व्यवस्था के व्यापक अर्थ में लिया जाए, तो जो व्यक्ति इससे सबसे अधिक जुड़ा हुआ है और जो इसे वास्तविक मूर्त आकार देने में सबसे बड़ी भूमिका अदा कर सकता है, वह खुद अध्यापक ही है। पाठ्यचर्या सुधार की कोई योजना उसकी सहमति और सहयोग के बिना सफल नहीं हो सकती। शिक्षा संबंधी सिद्धांतों को शिक्षण के वास्तविक व्यवहार के साथ जोड़ना आवश्यक है। अध्यापक शिक्षण पाठ्यक्रम के निर्माण में कार्यस्थल–अनुभव के लिए पर्याप्त गुंजाइश रहनी चाहिए। इसे मौजूदा स्थिति की अपेक्षा अधिक व्यावहारिक बनाया जाना चाहिए। उन्हें अपने अनुभवों का आदान–प्रदान करने, अपनी शंकाओं को व्यक्त करने और शिक्षण के उत्प्रेरक माहौल में समाधान ढूंढने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। प्रशिक्षण में शिक्षकों की सहभागिता होनी चाहिए जिससे कि व्यावहारिक सत्रों को सैद्धांतिक मुद्दों पर बहसों के साथ जोड़ा जा सके।

(बिहार पाठ्यचर्या की रूपरेखा–2008)

अध्यापक शिक्षा की बुनियादी ज़रूरतें एवं पाठ्यक्रम का आधार

इस पाठ्यचर्या के निर्माण में कुछ बुनियादी बातों का ध्यान रखा गया है जिनमें प्रमुख हैं– गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए बच्चे का संवैधानिक अधिकार, पिछले दो दशकों से बिहार में बनी नयी सामाजिक–सांस्कृतिक व शैक्षिक स्थिति, तथा संवैधानिक बाध्यता (समाजवाद व धर्म निरपेक्षता)। इस संदर्भ में ऐसे शिक्षकों एवं शिक्षिकाओं की ज़रूरत महसूस होती है जिनमें समाज व दुनिया के प्रति समीक्षात्मक समझ हो तथा जो मौजूदा शिक्षायी जड़ता से मुकाबला कर सकें और विकल्प को खोज सकें। इस तरह के शिक्षक की तैयारी की प्रक्रिया कुछ ख़ास तरह के ज्ञान और कौशलों में दक्षता की मांग करती है।

शिक्षा के सम्बन्ध में बुनियादी विचारों एवं दुनिया भर में चल रहे शिक्षायी विमर्शों की जानकारी शिक्षक को उसकी अकादमिक परिस्थितियों को समझने में उसे मदद पहुँचाती हैं। इसीलिए एक शिक्षक की तैयारी के क्रम में उसे बुनियादी दार्शनिक, सामाजिक व शिक्षायी विचारों की जानकारी दी जानी चाहिए। साथ ही उसे दुनिया के विभिन्न हिस्सों में चल रहे शिक्षायी नवाचारों की भी जानकारी होनी चाहिए।

अध्यापक शिक्षा का एक अनिवार्य अंग है, बच्चों को उनके विकास व सीखने की प्रक्रिया के साथ समझना। बच्चों के विभिन्न पहलुओं जैसे मानसिक, सामाजिक, नैतिक व शारीरिक विकास को समझने के क्रम में एक शिक्षक को विभिन्न मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों को भी समझना होगा।

तीसरा हिस्सा है कक्षा व स्कूल में चलने वाली विभिन्न प्रक्रियाओं की समझ। एक शिक्षक स्कूली ढाँचे के विभिन्न आयामों की तो जानकारी रखेगा ही, साथ ही उसे कक्षा की गतिविधियों की विस्तार से समझ भी होनी चाहिए, जैसे कक्षा प्रबन्धन, मूल्यांकन की प्रक्रिया इत्यादि।

अध्यापक शिक्षा का एक अन्य महत्त्वपूर्ण आयाम है 'शिक्षा के साहित्य' से परिचय। ताकि शिक्षक संस्कृति और समाज के परिप्रेक्ष्य में शिक्षा को समझ सके। इसकी जानकारी के लिए जरूरी है कि एक शिक्षक उन साहित्यिक रचनाओं व अनुभवों को जाने जिसे बच्चों के साथ काम करते हुए दर्ज किया गया है। जैसे गिजुभाई का 'दिवास्वप्न', डेविड हसब्रो का 'नील–बाग का अनुभव' या 'बारबियाना स्कूल के बच्चों का अनुभव'।

कई बच्चों को अधिक सहारे और मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है जबकि अन्य बिना किसी सहारे के स्वयं सीख लेते हैं। अतः, समावेशी शिक्षा के आलोक में एक शिक्षक को यह जानकारी होनी चाहिए कि बच्चों में कई प्रकार की भिन्नताएँ होती हैं। समावेशी शिक्षा का तात्पर्य है सभी बच्चों को तरह–तरह की भिन्नताओं के बावजूद उन्हें पठन–पाठन का अवसर एक ही प्रकार के वर्ग के रूप में समान रूप से प्राप्त कराना।

शिक्षक को विभिन्न विषयों और उनके पढ़ाये जाने के तरीकों की स्पश्ट समझ होनी चाहिए। मुख्य रूप से गणित, भाषा, पर्यावरण अध्ययन, विज्ञान तथा समाज विज्ञान विषयों के शिक्षण के तरीके, उनके विषय वस्तु और उसके शिक्षणशास्त्र पर विशेश ध्यान देना होगा। साथ ही, प्रारंभिक विद्यालयों के शिक्षक के लिए यह ज़रूरी है कि वह पढ़ाने में मददगार कुछ बुनियादी कौशलों जैसे नाट्यकला, संगीत, चित्रकला, कम्प्यूटर इत्यादि से परिचित हों ।

दस्तकारी और हाथ से किये जाने वाले अन्य कार्य जैसे लकडी का काम, लोहे का काम, मिट्टी का काम, खेती, बाग़बानी इत्यादि को भी अध्यापक शिक्षा का अभिन्न अंग माना जाना चाहिए। योग, स्वास्थ्य शिक्षा, जीवन कौशल, आपदा प्रबन्धन आदि की समझ होने से एक शिक्षक स्वयं को विद्यालयी गतिविधियों में स्फूर्त व समर्थ रख पायेगा।

यहाँ इस बात का उल्लेख किए जाने की ज़रूरत महसूस होती है कि 'ज्ञान' को उसके व्यापक स्वरूप के साथ स्वीकार किया जाना चाहिए। इसलिए अध्यापक शिक्षा के कार्यक्रम में शिक्षण अभ्यास और विभिन्न प्रकार की गतिविधियों (संगीत, नाटक, खेलकूद इत्यादि) का गहन अनुभव होना चाहिए।

अध्यापक शिक्षा का शिक्षणशास्त्र

इस कार्यक्रम में यह स्पष्ट धारणा है कि अध्यापक शिक्षा के क्रम में प्रशिक्षुओं को सिद्धान्त और व्यवहार दोनों की समझ होनी चाहिए। ताकि वे पढ़े हुए सिद्धांतों व अपने द्वारा किये गये शिक्षण कार्यों और इससे जुड़े अपने अनुभवों पर पुनर्विचार तथा इस संदर्भ में अपने ज्ञान का स्वयं सृजन कर सकें। यह उम्मीद की जाती है कि उनके शिक्षण की प्रक्रिया इस प्रकार होगी ताकि वे शिक्षण कार्य करते हुए ही उस पर एक समीक्षात्मक समझ बना पायें।

यह ज़रूरी है कि प्रशिक्षु जिन सिद्धान्तों को पढ़ रहे हों उन पर खुले तौर से विचार करें और स्कुलों में अभ्यास के दौरान यथा संभव उन सिद्धांतों को आज़मा कर देखें। जैसे वंचना और वर्ग–भेद का सामाजिक सिद्धान्त तो पढ़ा ही जाना चाहिए साथ ही जब प्रशिक्षु स्कुलों में जायें तो शिक्षण–अभ्यास के दौरान इसे समझने की भी कोशिश करें कि ज़मीनी स्तर पर वंचना और वर्गभेद का क्या स्वरूप है। शिक्षक–प्रशिक्षकों को इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि वे जिन सिद्धांतों को पढ़ा रहे हैं, उन पर काम करने और उन्हें महसूस करने के अवसर प्रशिक्षु को कैसे उपलब्ध कराये जाएँ।

मोटे तौर पर इस पाठ्यचर्या के दो भाग दिखते हैं (1) सैद्धान्तिक भाग (2) शिक्षण अभ्यास व कार्य अभ्यास, लेकिन ये दोनों हिस्से एक दूसरे के पूरक हैं। सैद्धान्तिक भाग 'चिंतन' प्रक्रिया से जुड़ा है जबकि शिक्षण अभ्यास व कार्य अनुभव का जुड़ाव 'कार्य' की स्थितियों से हैं। इसके लिए विभिन्न सिद्धांतों को समझाने वाली पाठ्य सामग्रियों का सचेत चुनाव किया जाना चाहिए। इन सामग्रियों को चुनने में लेखन की मौलिकता, सहजता और विषयवस्तु के प्रति उसकी गहनता को सहज बनाया जाना चाहिए। शिक्षण अभ्यास व अन्य कार्य अभ्यासों की रचना इस प्रकार की जानी चाहिए ताकि प्रशिक्षुओं के पास उन पर सचेत ढंग से सोचने का अवसर हो तथा सोचने की इस प्रक्रिया में उपरोक्त पाठ्य सामग्रियों से मदद मिले। अन्ततः अध्यापक शिक्षा का स्वरूप ऐसा होना चाहिए कि प्रशिक्षु स्वयं के अनुभव के ज़रिए विभिन्न सिद्धांतों की उपयोगिता व सीमाओं को अपने भू–सांस्कृतिक संदर्भों में समझ सकें।

डायट की संस्थायी ज़रूरतें

शैक्षिक संस्थाओं के संचालन में मानवीय तथा भौतिक साधनों के सभी पक्ष सम्मिलित होते हैं। अतः शिक्षक–प्रशिक्षण संस्थानों में शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सभी मानवीय तथा भौतिक संसाधनों की सर्वोत्तम उपलब्धता व उपियोगिता सुनिश्चित होनी चाहिए। डायट/प्राथमिक अध्यापक शिक्षा महाविद्यालयों में इस कार्यक्रम को सुचारु ढंग से चलाने के लिए प्रमुख रूप से निम्नलिखित भौतिक सुविधाओं का होना आवश्यक है जिनके आधार पर मानवीय साधनों द्वारा प्रशिक्षण का सफल क्रियांवयन हो सके।

- **व्याख्यान कक्ष** : कम–से–कम चार व्याख्यान कक्ष जिसमें प्रत्येक कक्ष में 50 प्रशिक्षु सुविधापूर्वक अध्ययन कर सकें। आवश्यकतानुसार उपकरण व जनरेटर की व्यवस्था रहेगी।

- **प्रयोगशाला** :

  विज्ञान प्रयोगशाला : एक प्रयोगशाला विज्ञान शिक्षण हेतु अवश्यक होनी चाहिए, जिसमें वर्ग 1 से 8 तक के विज्ञान संबंधी प्रयोगों पर आधारित उपकरण अवश्यक होंगे। प्रयोगशाला में उपकरण एवं आवश्यक सामग्री रहेगी जिसमें 25 प्रशिक्षु प्रयोग कर सकेंगे।

  मनोविज्ञान प्रयोगशाला : अध्यापक प्रशिक्षण में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से आवश्यक प्रयोगों के संचालन हेतु एक प्रयोगशाला रहेगी जिसमें 25 प्रशिक्षु प्रयोग कर सकेंगे। प्रारंभिक शिक्षक स्तर के उपकरण इस प्रयोगशाला में रहेंगे।

  भाषा प्रयोगशाला : इस कार्यक्रम में भाषा शिक्षण को प्रभावी बनाने हेतु भाषा प्रयोगशाला महत्त्वपूर्ण योगदान सुनिश्चित करेगी। भाषा शिक्षण को सुगम और सरल बनाने के लिए आधुनिक पद्धति के अनुसार उपकरण रहेंगे।

- **शैक्षिक तकनीकी उपकरण** : इस डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन के संचालन में शैक्षिक तकनीकी की महत्त्वपूर्ण भूमिका होगी। शिक्षक–प्रशिक्षकों को आधुनिक विधियों से अध्यापन हेतु नई शैलियों पर आधारित सामग्री उपलब्ध कराई जायेगी। आवश्यकतानुसार कम्प्यूटर एवं सूचना एवं संचार के अन्य उपकरण उपलब्ध रहेंगे।

- **कार्यशाला** : कार्य–अनुभव से सम्बद्ध कार्यों के संचालन हेतु एक कार्यशाला प्रत्येक संस्थान में स्थापित की जायेगी जिसमें प्रशिक्षुओं को स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार चयनित कार्य अनुभव का प्रयोगात्मक अनुभव उपलब्ध कराया जायेगा।

- **पुस्तकालय** : प्रत्येक संस्थान में एक आधुनिक पुस्तकालय रहेगा जिसमें सभी विद्यालयी विषयों के साथ शिक्षा से संबंधित अन्य पुस्तकें उपलब्ध रहेगीं, जिनकी न्यूनतम संख्या 4000 (चार हज़ार) होगी।

- **रीडिंग रूम/वाचनालय** : प्रत्येक संस्थान में एक वाचनालय रहेगा, जिसमें शिक्षा जगत से प्रकाशित होनेवाली अधिकांश शोध–पत्रिकाएँ (जर्नल) व समाचार पत्र एवं पत्रिकाएँ भी उपलब्ध रहेंगी।

- **छात्रावास** : इस कार्यक्रम में सभी प्रशिक्षुओं को छात्रावास में रहने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। प्रत्येक छात्रावास में 100 प्रतिभागियों के रहने की व्यवस्था रहेगी। इन प्रशिक्षुओं के लिए उपकरण एवं अन्य सामग्री उपलब्ध रहेगी। छात्रावास में जल सुविधा शौचालय, विद्युत व्यवस्था, भोजनालय एवं कॉमन रूम इत्यादि की सुविधा रहेगी। वर्तमान में अधिकांश संस्थानों में उपरोक्त सुविधाओं का अभाव है। प्राथमिकता के आधार पर उपरोक्त न्यूनतम सुविधाएँ उपलब्ध कराई जायेंगी।

प्रस्तुत पाठ्यचर्या के माध्यम से प्रशिक्षित अध्यापकों से अपेक्षा

देश की मौजूदा संवैधानिक ज़रूरतों और बिहार विशेष के भू–सांस्कृतिक व सामाजिक संदर्भों में ऐसी शिक्षिकाओं व शिक्षकों की ज़रूरत महसूस होती है जिसके लिए पढ़ाना सांस्कृतिक प्रतिबद्धता हो और जिनके लिये शिक्षण आनन्ददायी कार्य हो। अन्य कौशलों की तरह पढ़ाना तभी 'मज़ेदार' लगता है जब शिक्षकों व शिक्षिकाओं को पढ़ाये जाने वाले विषय व पढ़ाने के कौशल तो अच्छी तरह से आते ही हों, साथ ही वह उन बच्चों को भी बेहतर तरीक़े से जानते व समझते हों जिनके लिए वे सीखने का बेहतर महौल बनाते हैं। सीखना–सिखाना एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। अतः एक शिक्षक में लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति लगाव उसे सीखने–सिखाने की प्रक्रिया को रोचक व सहज बनाने में सहायक होता है। बिहार जैसे बहुलतावादी समाज में बेहतर शिक्षा तभी संभव हो सकती है जबकि हम 'समता' व 'बहुलता' की समझ को अपनी शिक्षा प्रक्रिया के केन्द्र में रखें। अतः, ऐसे में इस पाठ्यचर्या के माध्यम से प्रशिक्षित होने वाले शिक्षकों से यह अपेक्षा है कि वे बच्चों के परिवेश की भाषा, भू–सांस्कृतिक व सामाजिक स्थितियों को स्कूली शिक्षा के संदर्भ में समझ और समझा पाने की स्थिति में होंगे। यह 'समझ' स्कूल और बच्चे के परिवेश व सांस्कृतिक स्थितियों में एक जुड़ाव पैदा करेगी, जो आगे चलकर बच्चे के सामाजिक व सांस्कृतिक अनुभवों को स्कूली ज्ञान में शामिल करेगी।

बीसवीं सदी के आख़िरी दशक और इस सदी के शुरुआत में पाठ्यक्रम का बदलाव एक गहरा सामाजिक और राजनैतिक सवाल बनकर उभरा है। जब पाठ्यक्रम में बदलाव 'तेज़ी' से हो रहा हो तो 'शिक्षक' में इस संभावना को खोजा जाना लाज़मी है कि वह नयी अकादमिक स्थितियों से सामंजस्य कर सके और ज़रूरत हो तो उनसे मुक़ाबला भी कर सके। यह शिक्षायी मसला एक पूर्वमान्यता और कई बार एक राजनैतिक सवाल बनकर उभरा कि "बच्चों को क्या पढ़ाया जाये", यह वयस्कों का समाज कैसे तय कर सकता है? यह बहस एक पूर्वाग्रह से संचालित होती है कि शिक्षक पाठ्यक्रम की बातों को गन्तव्य (बच्चों) तक पहुँचाने वाला एक एजेन्ट मात्र है जो कि बच्चों को पाठ्यपुस्तकों में लिखी बातों को रटवायेगा व बच्चे उसे परीक्षा में पुनरोत्पादित करेंगे। शिक्षक की उस भूमिका को तत्काल बदले जाने की ज़रूरत है। अतः, इस पाठ्यचर्या के माध्यम से यह अपेक्षा है कि प्रशिक्षित शिक्षक अपनी नयी भूमिका में बच्चों को उन स्थितियों को आलोचनात्मक तरीके से समझने में मदद करेंगे जिनमें वे रहते हैं। बच्चे विभिन्न माध्यमों (पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, शिक्षक, परिवेश आदि) से दिये जाने वाले 'ज्ञान' को मात्र स्वीकार न करें बल्कि उनपर प्रश्नचिह्न भी लगा सकें। इस प्रकार की आदर्श शैक्षिक स्थिति एक सक्षम शिक्षक ही निर्मित कर सकता है, जिसकी आशा इस पाठ्यचर्या के द्वारा की गई है।

पाठ्यचर्या की

सेवा पूर्व दो वर्षीय डिप्लोमा इन एलिमेन्ट्री एजुकेशन (डी०ए०एड०) पाठ्यचर्या की रूपरेखा निम्न प्रकार से तय की गई है :

प्रथम वर्ष				द्वितीय वर्ष			
कोर्स कोड	विषय	सत्र समाप्ति परीक्षा	आन्तरिक मूल्यांकन	कोर्स कोड	विषय	सत्र समाप्ति परीक्षा	आन्तरिक मूल्यांकन
F-1	शिक्षा के परिप्रेक्ष्य–1	70	30	**S-1**	शिक्षा के परिप्रेक्ष्य–2	70	30
F-2	बाल विकास व मनोविज्ञान–1	70	30	**S-2**	बाल विकास व मनोविज्ञान–2	70	30
F-3	विद्यालय की समझ व कक्षा का प्रबंधन–1	70	30	**S-3**	विद्यालय की समझ व कक्षा का प्रबंधन–2	70	30
F-4	विद्यालय और शिक्षा नीति	70	30	**S-4**	शिक्षा का साहित्य	70	30
F-5	भाषा और शिक्षा	70	30	**S-5**	सम्प्रेषण के तरीके	70	30
F-6	अंग्रेजी का शिक्षणशास्त्र–1	70	30	**S-6**	अंग्रेजी का शिक्षणशास्त्र–2	70	30
F-7	गणित का शिक्षणशास्त्र–1	70	30	**S-7**	गणित का शिक्षणशास्त्र–2	70	30
F-8	पर्यावरण अध्ययन का शिक्षणशास्त्र	70	30	**S-8**	विज्ञान/सामाजिक अध्ययन का शिक्षणशास्त्र	70	30
F-9	हिन्दी का शिक्षणशास्त्र–1	70	30	**S-9**	भाषा का शिक्षणशास्त्र (कोई एक): हिन्दी–2 / संस्कृत / मैथिली / बांगला / उर्दू	70	30
F-SEP	विद्यालय अनुभव कार्यक्रम (इंटर्नशिप)		200	**S- SEP**	विद्यालय अनुभव कार्यक्रम (इंटर्नशिप)		200
FP-1	शिक्षा में सूचना एवं संचार तकनीकी (आई.सी.टी.)		50	**SP-1**	कला शिक्षा		50
FP-2	जीवन कौशल, योग व स्वास्थ्य शिक्षा		50	**SP-2**	कार्य अनुभव		50
		प्रथम वर्ष कुल अंक	**1200**			द्वितीय वर्ष कुल अंक	**1200**
						कुल अंक : 1200+1200= 2400	

द्रष्टव्य

पाठ्यचर्या के अंतर्गत दिये गए पाठ्यक्रम की संरचना को समझना आवश्यक है। इस पाठ्यक्रम में कई विषय–पत्र हैं जिनका प्रथम एवं द्वितीय वर्ष में अध्ययन–अध्यापन अनिवार्य है। इस पाठ्यक्रम में इन विषय–पत्रों की एक विस्तृत रूपरेखा प्रस्तुत की गई है ताकि प्रशिक्षुओं एवं प्रशिक्षकों को इन्हें समझने में आसानी हो।

प्रत्येक विषय–पत्र की शुरूआत इसके 'संदर्भ' से की गई है, जिसमें उस विषय की प्रकृति, पृष्ठभूमि, अंतर्निहित अवधारणाओं एवं शिक्षा में उसकी भूमिका की चर्चा की गई है। साथ ही, पूरे विषय–पत्र के अध्ययन के द्वारा प्रशिक्षुओं से किस प्रकार की समझ की अपेक्षा है, इस पर भी प्रकाश डाला गया है।

संदर्भ के बाद, प्रत्येक विषय–पत्र के उद्देश्यों का उल्लेख है, जिनके आधार पर पत्र के विषय–वस्तु का निर्धारण किया गया है। उद्देश्यों को सरल एवं स्पष्ट रखने का प्रयास किया गया है ताकि व्यवहारिक तौर पर उन उद्देश्यों की पूर्ति एवं मूल्यांकन संभव हो सके।

इसके पश्चात, प्रत्येक विषय–पत्र में इकाइयों की व्याख्या दी गयी है। यह प्रयास किया गया है कि इकाईओं में दी जाने वाली विषयवस्तुओं को यथा संभव विस्तार से दिया जाये ताकि उनके शिक्षण व अधिगम में सुविधा हो।

प्रत्येक इकाई के बाद उसकी आवश्यकता को रेखांकित करने के लिए उसके औचित्य को भी दिया गया है। प्रायः पाठ्यक्रमों में इकाई के अंतर्गत विषयवस्तु तो दे दी जाती है, परन्तु उस विषयवस्तु को किस प्रकार समझा जाये, इसकी दिशा क्या हो, इसका उल्लेख नहीं किया जाता है। इसके कारण शिक्षण में समस्या के साथ ही विषय से भटकाव की भी प्रबल संभावना रहती है। अतः इस पाठ्यक्रम में प्रत्येक इकाई के बाद दी जाने वाली व्याख्या, यह दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है कि उस पूरी इकाई को किस प्रकार से समझा जाये । प्रशिक्षकों एवं प्रशिक्षुओं से अपेक्षा है कि वे इकाई में दी गई विषयवस्तु की सार्थक एवं समग्र समझ बनाने हेतु इकाई की व्याख्या को अवश्य ध्यान में रखें।

इसके उपरान्त विषय–पत्र में प्रस्तावित कार्यों की एक सूची दी गयी है, जिनका सम्बंध उस पत्र के विभिन्न इकाइयों की विषयवस्तु से है। अतः इन प्रस्तावित कार्यों को पृथकता में न कराया जाये, बल्कि इकाइयों में दिये गये विषयवस्तुओं के अध्ययन–अध्यापन के साथ–साथ ही किया जाये। तभी इनकी सार्थकता हो पायेगी तथा अवधारणाओं की व्यावहारिक समझ में उनका सक्रिय प्रयोग हो सकेगा। विभिन्न पत्रों के अंत में जो प्रस्तावित कार्य दिये गये हैं वे अंतिम नहीं हैं बल्कि प्रशिक्षकों की सहायता मात्र के लिए हैं। प्रशिक्षक स्थानीय जरूरत के मुताबिक इस संदर्भ में नये सृजनात्मक कार्यों की रचना स्वयं करे तथा इसे प्रशिक्षुओं को करने के लिए प्रोत्साहित करें।

प्रत्येक विषय–पत्र में पठन–पाठन के लिये उपयोगी संदर्भ पुस्तकें, अभिलेख, पत्रिकाओं आदि के साथ–साथ अन्य स्रोत जैसे वेबसाइटों को भी दिया गया है। जिससे प्रशिक्षकों एवं प्रशिक्षुओं के लिए सीखने के स्रोतों में विविधता के साथ–साथ सूचनाओं को अद्यतन रखने की भी संभावना बनी रहे। लेकिन यह सूची अंतिम नहीं है। संस्थानों को यह प्रयास करते रहना चाहिए कि वे इस सूची को लगातार अद्यतन करते रहें।

शिक्षा के परिप्रेक्ष्य

प्रथम वर्ष

द्वितीय वर्ष

संदर्भ

शिक्षा अपने बुनियादी रूप में समाजीकरण की प्रक्रिया है। शिक्षा अपने क्रियात्मक रूप में सीखने–सिखाने की प्रक्रिया है। आधुनिक समाज में इस प्रक्रिया का व्यवस्थापन या संचालन अनेकों स्तर यथा माता–पिता, परिवार, पड़ोस, समुदाय, मीडिया तथा विद्यालय स्तर पर किया जाता है। इन संस्थाओं में विद्यालय का अपना एक महत्त्वपूर्ण स्थान है, जो न केवल बच्चों और बचपन को अपनी समाजीकरण की संस्थायी प्रक्रिया के द्वारा गढ़ता है बल्कि यह प्राथमिक स्तर के समाजीकरण की संस्थाओं की भूमिकाओं को भी सतत् रूप से प्रभावित करता है। परिणामस्वरूप, यह समाज के सांस्कृतिक एवं बौद्धिक संदर्भों को भी पुनर्निर्मित करता है। सामाजिक दृष्टिकोण से विद्यालय प्रारम्भिक स्तर के संस्थाओं का विस्तार है जो न केवल एक समाज विशेष में बच्चे एवं बचपन को गढ़ने में सक्रिय भूमिका निभाता है बल्कि यह स्वयं भी सामाजिक विमर्शों एवं संदर्भों से नियंत्रित होता है।

अनुभव के स्तर पर विद्यालय सामाजिक–सांस्कृतिक तथा ज्ञानात्मक संदर्भ में अंतःक्रियात्मक स्थान है जिसमें समस्त गतिविधियाँ बच्चे एवं बचपन के इर्द–गिर्द केन्द्रित होती हैं। बच्चे और बचपन से सम्बंधित ये अंतःक्रियायें समय व स्थान के सापेक्ष बहुल अर्थों को प्रतिबिम्बित करती हैं। इस संदर्भ में अलग–अलग पृष्ठभूमियों से आने वाले बच्चों की विविधताओं को जानना तथा सीखने–सिखाने की प्रक्रिया में उन विविधताओं को स्थान देना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त विद्यालय तथा उसकी गतिविधियाँ विद्यालय के बाह्य स्थापित कारकों से भी प्रभावित व संचालित होती हैं। इस संदर्भ में विद्यालय, अभिभावक, समुदाय तथा समाज के मध्य अंतर्सम्बंधों की समीक्षा व समझ एक शिक्षक को अपनी कक्षा में बाल–केन्द्रित व लोकतांत्रिक प्रक्रिया अपनाने में समर्थ बनाता है। प्रस्तुत पत्र "शिक्षा के परिप्रेक्ष्य" में सीखने–सिखाने की प्रक्रिया को प्रभावित करनेवाले अंतः तथा बाह्य सामाजिक–सांस्कृतिक कारकों के संदर्भ में एक आधुनिक व लोकतांत्रिक शिक्षक के निर्माण हेतु समीक्षात्मक चिंतन को प्रसारित किया जायेगा।

शिक्षा की प्रक्रिया को निर्मित करने वाले महत्त्वपूर्ण पक्षों यथा उद्देश्यों, पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकें, शिक्षाशास्त्रीय विधियां, मूल्यांकन, अनुशासन इत्यादि से सम्बंधित विभिन्न वैकल्पिक तथा समानान्तर विचारों व विमर्शों का संदर्भगत विश्लेषण इस पत्र का केन्द्रीय भाव है। सीखने–सिखाने की प्रक्रिया में सम्मिलित प्रत्येक मत, तर्क तथा व्याख्या किसी न किसी ज्ञान मीमांसीय विमर्श से प्रभावित होती हैं। इस संदर्भ में ज्ञान क्या है, सीखना क्या है, कैसे सीखा जाता है, तथा वैध एवं सार्थक ज्ञान क्या है इत्यादि मुद्दें बहुविमर्श को पैदा करते हैं जिसकी समीक्षायी समझ एक शिक्षक में आलोचनात्मक दृष्टिकोण विकसित करने के लिये अत्यंत आवश्यक है। इस प्रकार 'शिक्षा के परिप्रेक्ष्य' पत्र में उपरोक्त चर्चित विषयवस्तुओं को समाहित करने का प्रयास किया गया है जिससे एक शिक्षक की समझ तथा दृष्टिकोण व्यापक बन सके।

उद्देश्य

इस पाठ्यक्रम पर आधारित विषयवस्तु के शिक्षण के उद्देश्य निम्नलिखित हैं :–

- बचपन के बारे में विभिन्न अवधारणाओं की समझ को विकसित करना।
- बचपन के बारे में समझ को आकार देने में ऐतिहासिक, सामाजिक, राजनैतिक तथा सांस्कृतिक कारकों की भूमिकाओं को समझना।
- विद्यालय की भूमिका को समाजीकरण के संदर्भ में विश्लेषित करने की समझ बनाना।
- शिक्षा के विभिन्न अर्थों को ज्ञान मीमांसीय विमर्श की धारा में रखकर समीक्षात्मक चिन्तन विकसित करना।
- ज्ञान के विभिन्न स्रोतों तथा उन स्रोतों का विद्यालय में उपयोग करने के तरीकों के बारे में जानना।
- शिक्षाशास्त्रियों की शैक्षिक रचनाओं के आधार पर उनकी शैक्षिक विचारों से अवगत होना तथा समकालीन परिदृश्य में उन विचारों की सार्थकता की समीक्षा करना।
- शिक्षा के सामाजिक विमर्श को समझना तथा सामाजिक विकास के लिए शिक्षा की भूमिका को समझना।
- आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में विद्यालय शिक्षा के बदलते सरोकार को समझना।
- शिक्षा के संदर्भ में उठे जन–आन्दोलन व सामाजिक मुद्दों की पड़ताल व विश्लेशण करना।
- सामाजिक उद्देश्यों की प्राप्ति में पाठ्यचर्या तथा विद्यालय की भूमिका को समझना।

शिक्षा के परिप्रेक्ष्य–1 (प्रथम वर्ष)

पूर्णांक : 100 (70+30) **F-1** न्यूनतम स्वाध्याय अवधि : 70 घंटी

इकाई–I : बचपन और समाजीकरण

- बच्चे तथा बचपन– सामाजिक–सांस्कृतिक अवधारणा
- समाजीकरण की समझ– अवधारणा, प्रकृति, कारक एवं संदर्भ
- बच्चे, बचपन एवं समाजीकरण– माता–पिता, परिवार, पड़ोस एवं समुदाय की भूमिका

बच्चे तथा बचपन की संकल्पना काल व स्थान के अनुसार सदैव बदलती रही है जिसके संदर्भ में मनोवैज्ञानिक, सामाजिक तथा शैक्षिक विमर्शो की बहुलता है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक परिवार, समुदाय तथा समाज बच्चों तथा बचपन को भिन्न–भिन्न नजरिये से देखता है तथा विभिन्न तरीकों से उनके विकास की व्यवस्था करता है। अपने एक रूप में विद्यालयी शिक्षा, व्यस्कों द्वारा बच्चों तथा बचपन के परिसर में एक साकारात्मक हस्तक्षेप है। इस संदर्भ में बच्चे तथा बचपन से सम्बंधित समस्त मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा शिक्षाशास्त्रीय गतिशीलताओं की शिक्षायी समझ एक बाल केन्द्रित तथा लोकतांत्रिक शिक्षाशास्त्रीय पद्धति या रणनीति के लिये अपरिहार्य है। प्रस्तुत इकाई में बच्चे तथा बचपन की अवधारणा से सम्बंधित विमर्शों, बच्चों का समाजीकरण, इस प्रक्रिया को संचालित करने वाले अन्य संस्थाओं के बीच अंतर्सम्बंध, तथा बच्चे, व्यस्क एवं शिक्षक के गतिशील सम्बंधों की समीक्षायी समझ के आधार पर शिक्षकों की शिक्षाशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य तथा रणनीति के आधारभूमि को निर्मित किया जायेगा।

इकाई–II : विद्यालय तथा समाजीकरण

- शिक्षा, विद्यालय तथा समाज– अन्तर्सम्बन्धों की पड़ताल
- विद्यालय में समाजीकरण की प्रक्रिया– विभिन्न कारकों की भूमिका व प्रभावों की समझ
- शिक्षा, शिक्षण तथा विद्यालय– सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक व राजनीतिक आधार

आधुनिक समाज शिक्षा के प्रक्रिया के माध्यम से व्यक्तियों के समाजीकरण की व्यवस्था करता है। विद्यालय समाजीकरण के इसी एजेण्डे का एक संस्थायीकृत एवं सांगठनिक प्रारूप है। समाज, शिक्षा तथा विद्यालय एक दूसरे के परस्पर अंतःक्रिया करते हुये बच्चे तथा बचपन दोनो को पुनः निर्मित करते है। अतः एक शिक्षक को इनके अंतःक्रियात्मक सम्बंधों की गतिशीलताओं की समझ आवश्यक है। इसके अतिरिक्त विद्यालय एक विशेष व्यवस्था है जिसमें मानव अभिकर्ता–छात्र, शिक्षक, प्रशासन तथा अन्य प्रतिभागी (स्टेकहोल्डर) अपनी सामाजिक–सांस्कृतिक अंतर्दृष्टि तथा दृष्टिकोणों के माध्यम से एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करते हैं। ये एक निश्चित सामाजिक–सांस्कृतिक तथा राजनैतिक अवस्थिति एवं चेतना के साथ अंतःक्रिया करते हैं। विद्यालय के बाहर का सामाजिक, राजनैतिक तथा सांस्कृतिक परिवेश इस अंतःक्रिया को प्रभावित करते हैं। प्रस्तुत इकाई में उक्त गतिशीलताओं के संदर्भ में व्याप्त विमर्शों की समझ प्राप्त की जायेगी। एक लोकतांत्रिक शिक्षक को एक विद्यालय विशेष में शिक्षक होने तथा शिक्षण को सम्पादित करने की सीमाओं की समीक्षायी समझ तथा उनको शिक्षाशास्त्रीय सम्भावनाओं में रूपांतरित करने की अपरिहार्यता एवं विकल्पो का बोध कराया जायेगा।

इकाई–III : शिक्षा के ज्ञानमीमांसीय (Epistemological) विमर्श

- शिक्षा– उद्देश्य, प्रकृति, मूल्य तथा विभिन्न दार्शनिक अवधारणाओं की समझ
- ज्ञान के विभिन्न रूप– प्रत्यय, अनुभव, कौशल तथा सूचना
- ज्ञान प्राप्ति के साधन– बुद्धि, तर्क, समीक्षा, संवाद, चिन्तन, अनुभव, प्रयोग, भाषा तथा परिवेश

सीखने–सिखाने की प्रक्रिया के रूप में विद्यालयी शिक्षा निरन्तर ज्ञानमीमांसीय प्रश्नों से मुखातिब होती रहती है। जैसे– शिक्षा क्या है? यह किस मूल्य विमर्श का प्रतिनिधित्व करती है? तथा ज्ञान क्या है? इसकी प्रकृति क्या है? इसकी प्राप्ति तथा प्रमाणिकता के स्रोत क्या हैं? इत्यादि प्रश्न कक्षायी तथा विद्यालयी विमर्श के महत्त्वपूर्ण मुद्दे हैं। प्रस्तुत इकाई में शिक्षा की विभिन्न अवधारणाओं पर समीक्षायी चर्चा के साथ–साथ शिक्षा के विभिन्न उद्देश्य का अर्थ, प्रकृति, प्रकार, समीक्षायी आधार तथा स्थानीय समुदाय एवं बच्चों के विशेष संदर्भ में शैक्षिक उद्देश्यों के निर्माण के बारे में एक स्पष्ट समझ शिक्षाशास्त्रीय पृष्ठभूमि के रूप में किया जायेगा। प्रत्यय, समझ, समीक्षायी चिंतन, अनुभव कौशल तथा सूचना के अंतर्सम्बंधों के माध्यम से ज्ञान की प्रकृति, उसकी प्राप्ति तथा उसकी प्रामाणिकता के संदर्भ में प्रशिक्षुओं का उन्मुखीकरण किया जायेगा।

इकाई–IV : शिक्षाविदों के मौलिक लेखन की शिक्षाशास्त्रीय समझ

- ज्योतिबा फुले– दो शैक्षिक लेख / वक्तव्य
- महात्मा गाँधी (हिन्द स्वराज)– सामाजिक दर्शन और शिक्षा के संबंध को रेखांकित करते हुए
- रवीन्द्रनाथ टैगोर (शिक्षा)– सीखने में स्वतंत्रता एवं स्वायता की भूमिका को रेखांकित करते हुए
- गिजुभाई बधेका (दिवास्वप्न)– शिक्षा प्रयोग के विचार को रेखांकित करते हुए
- जाकिर हुसैन– दो शैक्षिक लेख

शिक्षाशास्त्र को एक सार्वभौम तथा चिंतनशील गतिविधि के रूप में विद्यालय में स्थापित करने के लिये शिक्षकों में अध्ययनशीलता तथा साकारात्मक चिंतन निर्मित करने के लिये कुछ भारतीय शिक्षाविदों के मूल रचनाओं का समीक्षायी अध्ययन करना अपरिहार्य है। इन रचनाओं के माध्यम से शिक्षा को विभिन्न दृष्टिकोणों से देखने का प्रयास किया गया है। इस इकाई के माध्यम से प्रशिक्षु ज्योतिबा फुले, महात्मा गाँधी, रवीन्द्रनाथ टैगोर, गिजूभाई बधेका तथा जाकिर हुसैन की मूल रचनाओं की समीक्षायी समझ के द्वारा अपने शैक्षिक चिंतन व कार्यों को संदर्भित कर पायेंगे।

- **प्रस्तावित कार्य**
  - अपने मुहल्ले / टोले / गाँव के विभिन्न जातियों या आयुवर्ग के बच्चों तथा माता–पिता के अंतःक्रिया का अध्ययन (अवलोकन, बातचीत, विश्लेषण)।
  - बच्चों तथा बचपन के सम्बंध में पड़ोस, मुहल्ला / गाँव / शहर तथा विद्यालय की मान्यताओं तथा दृष्टिकोण का अध्ययन।
  - प्राथमिक कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के विद्यालय की विभिन्न गतिविधियों में भागीदारी का अवलोकन / अध्ययन।
  - प्राथमिक कक्षा में पढ़नेवाले विद्यार्थियों के विद्यालय के बाहर की गतिविधियों का अध्ययन।
  - कक्षा 1–5 (प्राथमिक कक्षा) तथा कक्षा 6–8 कक्षा में पढ़नेवाले बच्चों के मध्य अंतःक्रिया तथा समूह संस्कृति का अवलोकन।
  - विद्यालय न जानेवाले बच्चों तथा विद्यालय छोड़ने वाले बच्चों का व्यक्तिवृत अध्ययन (केस स्टडी)।
  - विद्यालय तथा समाज के अन्तर्सम्बन्ध के विषय में शिक्षकों तथा समुदाय के सदस्यों के लिए अलग–अलग साक्षात्कार तैयार करना तथा साक्षात्कार पश्चात् उनका अध्ययन कर प्रतिवेदन तैयार करना।
  - किसी दो पाठ्यपुस्तक के एक–एक विषयवस्तु में प्रत्यय, तर्क, अनुभव, कौशल तथा समीक्षा के मुद्दों का आलोचनात्मक अध्ययन।
  - किन्हीं दो पाठ्यपुस्तकों के एक–एक पाठ में अंतर्निहित विचारों या तथ्यों को तर्क, संवाद, अनुभव तथा प्रयोग के माध्यम से सीखने की संभावना का अध्ययन।
  - पुस्तक समीक्षा : महात्मा गाँधी / रवीन्द्रनाथ टैगोर / गिजुभाई बधेका / जाकिर हुसैन के विचारों के अनुसार पाठ–योजना निर्माण तथा प्रस्तुतिकरण।
  - शिक्षा से सम्बन्धित लेख, समचार, कार्टून, साक्षात्कार इत्यादि जो गत दो वर्षों में विभिन्न पत्र–पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए हैं का संकलन एवं समीक्षा।
  - एक पुस्तक का चयन एवं उसका समीक्षात्मक अध्ययन। (पुस्तक के चयन के आधारों को सूचीबद्ध करना)

शिक्षा का परिप्रेक्ष्य–2 (द्वितीय वर्ष)

S-1

पूर्णांक : 100 (70+30)

न्यूनतम स्वाध्याय अवधि : 70 घंटी

इकाई–I : शिक्षा के सामाजिक विमर्श

- विविधता, असमानता तथा वंचना– अवधारणा तथा शैक्षिक संदर्भ
- सत्ता, वर्चस्व तथा प्रतिरोध– अवधारणा, प्रकार, कारकों तथा प्रभावों की समझ
- समानता, समता, समावेशीकरण व सामाजिक न्याय– अवधारणा, आवश्यकता एवं अवरोध

एक संसाधन, अवसर तथा मूल्य के रूप में शिक्षा अपरिहार्य है। इसी आलोक में सबको शिक्षित करने की परिकल्पना वर्त्तमान समय में नीति–निर्माताओं, शिक्षाविदों, शिक्षकों तथा अभिभावकों के लिए एक महत्त्वपूर्ण मसौदा बन गया है। यद्यपि लगभग सभी जाति, क्षेत्र, वर्ग, लिंग तथा धर्म के बच्चे विद्यालयी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं तथापि गुणवत्तापूर्ण विद्यालयी शिक्षा तक उनकी समतामूलक पहुँच तथा उनमें उनकी भागेदारी समस्याग्रस्त है। एक तरफ समाज में व्याप्त असमानता तथा वंचना ने शिक्षा के समान अवसरों को प्रभावित किया है। वहीं दूसरी ओर विद्यालय की अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया में भी असमानता, वंचना तथा वर्चस्व जैसी विभेदीकृत गतिविधियाँ अंतर्निहित हैं। प्रस्तुत इकाई में विविधता, असमानता तथा वंचना की अवधारणा तथा उसको संचालित करने वाली विचारधाराओं यथा सत्ता, वर्चस्व एवं प्रतिरोध की समीक्षायी समझ के माध्यम से शिक्षकों में समाजशास्त्रीय चेतना तथा दृष्टिकोण का निर्माण किया जाएगा। विद्यालय में तथा इसके सापेक्ष व्याप्त विषमता से निपटने के लिए समानता, समता, समावेशीकरण तथा सामाजिक न्याय पर आधारित नीतियों, कार्यक्रमों तथा प्रयासों की विशेष समीक्षा की जाएगी। एक सामाजिक–सांस्कृतिक तथा चिंतनशील शिक्षक के रूप में अपनी भूमिका तथा अस्मिता को निर्मित करने के लिए शिक्षको में उक्त अवधारणाओं एवं विमर्शों की समीक्षायी समझ तथा तद्नुसार परिप्रेक्ष्य निर्माण करना प्रस्तुत इकाई का मुख्य उद्देश्य है।

इकाई–II : शिक्षा के राजनैतिक संदर्भ

- शिक्षा और संवैधानिक प्रावधान– भारतीय संविधान के संदर्भ में
- शिक्षा का सार्वभौमीकरण– अवधारणा, आवश्यकता एवं अवरोध
- शिक्षा का अधिकार– संवैधानिक प्रावधान एवं संबंधित विमर्शों के परिप्रेक्ष्य में

आधुनिक समाज में शिक्षा, विशेषकर विद्यालयी शिक्षा संगठनात्मक व संस्थायी व्यवस्था के रूप में बौद्धिक अंतर्दृष्टि तथा मूल्य शिक्षा के जीवन्त संदर्भों का निर्माण करती है। शिक्षा का सार्वजनीकरण और उसको प्राप्त करने के संवैधानिक, प्रशासनिक आयामों के रूप में प्रस्तुत शिक्षा का अधिकार अधिनियम, बिहार में शिक्षा के संदर्भो का निर्माण करते हैं। ये मूल्य, अन्तर्दृष्टियों तथा इससे संबंधित विधान एवं कार्यक्रम एक विशेष सामाजिक–सांस्कृतिक तथा राजनैतिक चिंतन एवं मूल्यों से अभिप्रेरित हैं। प्रस्तुत इकाई में संवैधानिक अंतर्दृष्टि, मूल्य, प्रावधान, उद्देश्य के आधारभूत सामाजिक, राजनैतिक विमर्शों की समीक्षायी समझ एक लोकतांत्रिक शिक्षक के लिए अपरिहार्य है। इसके अतिरिक्त सामान्यजन एवं समूह की शैक्षिक आकांक्षाओं एवं आवश्यकताओं तथा माँगों को मसौदे के रूप में अपनाकर शिक्षा को समतामूलक और समावेशी तथा गुणात्मक व्यवस्था बनाने वाले जन–आंदोलनों के मसौदों की समीक्षायी समझ, शिक्षकों को लोकमुखी समावेशी शिक्षाशास्त्र के लिए तैयार करने के लिए आवश्यक आधार प्रदान करेगा।

इकाई–III : विद्यालयी शिक्षा के सरोकार

- विद्यालय– सामाजिक परिवर्तन व पुनर्निर्माण के अभिकर्ता के रूप में
- शिक्षा, विद्यालय तथा समुदाय– अपेक्षा, समकालीन बदलाव तथा प्रभाव
- शिक्षा में गुणवत्ता का प्रश्न– विभिन्न मानदंड, चुनौतियां एवं विकल्प

विद्यालयी शिक्षा के इर्द–गिर्द तथा उसके भीतर व्याप्त विफलता, वंचना तथा विषमता की परिस्थितियों के कारण जहाँ विद्यालय के प्रति एक उदासीनता का दृष्टिकोण बनता है, वहीं दूसरी ओर व्यक्ति तथा समाज निर्माण की अंतर्निहित क्षमता के कारण विद्यालय को एक संभावना के रूप में भी देखा जाता है। विद्यालयी शिक्षा के इन भूमिकाओं को दो प्रचलित विचारों के माध्यम से समझा जा सकता है। एक विचार के अनुसार विद्यालय सामाजिक–आर्थिक असमानता तथा राजनीतिक वर्चस्व को पुर्नउत्पादित करने वाली संस्था है। वहीं, दूसरा विचार विद्यालय को सामाजिक परिवर्तन तथा पुनर्निर्मित करने वाला संस्था मानता है। बिहार के विशेष सामाजिक–आर्थिक तथा राजनीतिक पृष्ठिभूमि में विद्यालय की इन चरित्रों को समझना आवश्यक है। इसके लिए ग्रामीण बिहार के आधुनिकीकरण में विद्यालय की भूमिका तथा बिहार के विद्यालय में गुणवत्ता को स्थापित करने में विमर्शों की समीक्षायी समझ के माध्यम से शिक्षकों को बिहार के सामाजिक–सांस्कृतिक, राजनीतिक तथा शैक्षिक पुनर्निर्माण के लिए आवश्यक परिप्रेक्ष्य तथा रणनीति से युक्त किया जाना अपरिहार्य है।

इकाई–IV : पाठ्यचर्या, शिक्षणशास्त्र तथा शिक्षक

- पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक– सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक तथा शैक्षिक उद्देश्य
- शिक्षणशास्त्र की अवधारणा– लोकतांत्रिक, आलोचनात्मक एवं नवाचारी शिक्षणशास्त्र
- शिक्षक– अवधारणा तथा भूमिका

पाठ्यचर्या तथा शिक्षाशास्त्र को वर्त्तमान समय में शिक्षा की तात्विक धूरी के रूप में स्वीकार किया जाता है। विभिन्न विमर्शों के संदर्भ में एक सक्षम, उर्वर एवं उन्मुक्त करने वाली शिक्षाशास्त्र का निर्माण, शिक्षा के संस्थायी चरित्र के समीक्षायी समझ के माध्यम से स्थापित किया जा सकता है। विद्यालय के संस्थायी चरित्र को पुनर्बलित, निर्मित तथा उन्मुक्त करने की प्रक्रिया में पाठ्यचर्या तथा शिक्षकों के शिक्षाशास्त्रीय दृष्टिकोण एवं भावों का महत्त्वपूर्ण स्थान होता है। इतना ही नहीं विद्यालय का संस्थायी चरित्र, पाठ्यचर्या, पाठ्यपुस्तक तथा शिक्षकों की शिक्षाशास्त्रीय दृष्टिकोण एवं व्यावसायिक अस्मिता परस्पर अंतःक्रिया करते हुए विद्यालय में समाजीकरण एवं सीखने–सिखाने की समतामूलक तथा समावेशी संस्कृति का निर्माण करता है। प्रस्तुत इकाई में विद्यालय के संस्थायी चरित्र, पाठ्यचर्या, पाठ्यपुस्तक तथा शिक्षकों के शिक्षाशास्त्रीय एवं व्यावसायिक दृष्टिकोण एवं अस्मिता के अंतःक्रियात्मक संबंधों की समीक्षायी समझ के माध्यम से, शिक्षकों में एक समावेशी शिक्षाशास्त्रीय दृष्टिकोण एवं अभिकरण का निर्माण किया जाएगा।

प्रस्तावित कार्य

- गाँव के विभिन्न पृश्ठभूमि से संबंधित महिलाओं के शैक्षिक आकांक्षाओं या अनुभवों के विषय में बातचीत तथा प्रतिवेदन।
- आपके प्रखण्ड में विशिष्ट शिक्षार्थियों, विशेश वर्ग से संबंधित शिक्षार्थियों तथा बालिका शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में बिहार सरकार, भारत सरकार या अन्य संस्थाओं के द्वारा किये गये कार्यों व योजनाओं की आलोचनात्मक समीक्षा।
- आस–पड़ोस में 'विद्यालय से बाहर' के बच्चों का सर्वेक्षण तथा उनको विद्यालय में लाने के लिए कार्य योजना।
- विद्यालय अनुभव कार्यक्रम के लिए चयनित विद्यालय वाले गाँव / बस्ती / टोले में पिछले 10 सालों में हुए सामाजिक व सांस्कृतिक परिवर्तनों का अध्ययन।
- गाँव के स्थानीय इतिहास का अवलोकन।
- आस–पास के गाँवों में होने वाले मेले एवं त्योहारों के सांस्कृतिक व शैक्षिक महत्त्व की समीक्षा।
- आपके विद्यालय व समुदाय का सम्बंध तथा दोनों स्थानों पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में एक दूसरे की भागीदारी के उपलब्ध अवसरों को चिन्हित करना।
- सर्वशिक्षा के अन्तर्गत चलाये गये अभियानों की जानकारी के लिए नुक्कड़ नाटक तथा रैली का आयोजन।
- आपदा प्रबन्धन, बाढ़, सूखा आदि में छात्र अध्यापकों द्वारा किये गये योगदान हेतु कार्य योजना का निर्माण।
- शिक्षा से संबंधित जन आन्दोलनों को सूचीबद्ध कर उनके सम्बंध में सूचनाओं का एकत्रीकरण।
- शिक्षायी आकांक्षाओं तथा आवश्यकताओं के सम्बंध में समुदाय के व्यक्तियों से बातचीत तथा प्रतिवेदन।
- आदर्श अध्यापक के चयन के आधार व उनकी विशेषताओं को सूचीबद्ध करना।
- पाठ्यपुस्तकों में अंतर्निहित उद्देश्यों को पहचानना तथा उनका आलोचनात्मक समीक्षा।
- सामाजिक मुद्दों पर रैली, संगोश्ठी व प्रदर्शनी का आयोजन।

सन्दर्भ पुस्तक / अभिलेख / वेवसाइट

अनिवार्य अध्ययन हेतु

- एस.सी.ई.आर.टी. (2008). बिहार पाठ्यचर्या की रुपरेखा–2008. पटना : एस.सी.ई.आर.टी.
- एन.सी.ई.आर.टी. (2005). राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रुपरेखा–2005. नई दिल्ली : एन.सी.ई.आर.टी.
- कुमार, कृष्ण (1993). राज, समाज और शिक्षा. नई दिल्ली : राजकमल प्रकाशन.
- सदगोपाल, अनिल (2000). शिक्षा में बदलाव का सवाल : सामाजिक अनुबंधन से नीति तक. दिल्ली : ग्रंथ शिल्पी.
- चाँद किरण (2006). शिक्षा के दार्शनिक परिप्रेक्ष्य, नई दिल्ली : दिल्ली विश्वविद्यालय. हिन्दी माध्यम कार्यान्वयन निर्देशालय.
- Kumar, Krishna (1997). What is worth teaching? Hyderabad: Orient Longman.

ज्ञान विस्तार हेतु

- रजा, मूनिस (1997). शिक्षा और विकास के सामाजिक आयाम. नई दिल्ली : ग्रंथ शिल्पी.
- शुक्ला, एस.सी, व कुमार, कृष्ण (1978). शिक्षा का सामाजशास्त्र परिप्रेक्ष्य. नई दिल्ली : ग्रथ शिल्पी.
- दयाकृष्ण (1997). ज्ञान मीमांसा. जयपुर : राजस्थान हिन्दी ग्रंथ ऐकेडमी.
- वाल्मिकी, ओमप्रकाश (2006, मई–जून). हमारी शिक्षा पद्धति और दलित. शिक्षा विमर्श.
- Illich, Ivan (1973). Deschooling Society. Penguin Books.
- Monstessori, Maria (1995). Secret of Childhood. Hyderabad: Orient Longman.
- Pathak, A. (2006). Modernity, Globalisation and Identity. New Delhi: Aakar Books.
- Pathak, A. (2009). Recalling the Forgotten: Education and Moral Quest. Delhi: Aakar Books.
- Saraswati, T.S. (1999). Culture, Socialisation and Human Development. New Delhi: Sage.
- Stearns, Peter N. (2006). Childhood in World History. New York: Routledge.

बाल विकास व मनोविज्ञान

प्रथम वर्ष

द्वितीय वर्ष

संदर्भ

शिक्षा के बदलते परिदृश्य में शिक्षक की भूमिका काफी व्यापक हो गई है। शिक्षार्थी एक ऐसे शिक्षक की माँग करता है जो सच्चे रूप में एक मित्र व सहायक के नाते में उसके सीखने में शामिल रहे। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 तथा बिहार पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2008 ज्ञान की अवधारणा में व्यापक परिवर्तन की वकालत करते हैं। ज्ञान एक सतत् प्रक्रिया है जो वास्तविक अनुभवों के अवलोकन से उत्पन्न होता है।

मनोविज्ञान एक नवीन किन्तु तीव्र गति से विकसित होने वाला विज्ञान है। मनोविज्ञान के अध्ययन के पश्चात् यह आशा की जाती है कि इससे शिक्षक अपने शिक्षार्थियों के व्यवहारों का विश्लेषण वैज्ञानिक ढंग से तथा अपनी अभिवृत्ति का विकास सही दिशा में कर सकेंगे। हर व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न है और इसी भिन्नता के आधार पर उसका शारीरिक एवं मानसिक विकास निर्भर करता है। शारीरिक विकास, विशेषकर छोटे बच्चों में मानसिक व संज्ञानात्मक विकास में मददगार है। सोचने व तर्क करने की क्षमता, स्वयं व दुनिया को समझने तथा भाषा का प्रयोग करने का सामर्थ्य अकेले व परस्पर मिलकर काम करने और दूसरों से अंतःक्रिया करने से घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है। अतः सेवा पूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रम की विश्वसनीयता एवं वैधता हर एक प्रशिक्षु को बच्चों की पूरी विकासात्मक प्रक्रिया की समझ पर केन्द्रित करने पर जोर देती है।

- शिक्षक इस तथ्य को पूरे मनोयोग के साथ स्वीकारें कि सभी बच्चे स्वभाव से ही सीखने के लिए प्रेरित रहते हैं और उनमें सीखने की क्षमता होती है। अर्थ निकालना, अमूर्त सोच की क्षमता विकसित करना, विवेचना व कार्य, अधिगम की प्रक्रिया के सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण पहलू हैं। बच्चे व्यक्तिगत स्तर पर एवं दूसरों से भी विभिन्न तरीकों से सीखते हैं। वे अनुभव के माध्यम से, स्वयं बनाने से, प्रयोग करने से, पढ़ने, विमर्श करने, पूछने, सुनने, उस पर सोचने व मनन करने से तथा गतिविधि या लेखन के जरिए अभिव्यक्त करने से सीखते हैं, शिक्षक की भूमिका इन अवसरों की तलाश एवं समुचित अवसर के साथ तालमेल बैठाने में होनी चाहिए। विद्यालय के भीतर व बाहर दोनों जगहों पर सीखने की प्रक्रिया चलती है। सीखने की गति के संदर्भ में अवधारणाओं को रटने की बजाए उसे सीख कर आत्मसात करने पर जोर होना चाहिए। वर्तमान पाठ्यक्रम में इसकी पूरी संभावना दिखती है क्योंकि सिद्धांत व प्रयोग अथवा अन्य शैक्षिक कार्यों के माध्यम से पूरी स्कूली शिक्षा को समझने का सक्रिय प्रयास किये जाने के लिए हम सभी संकल्पित हैं। इस नये पाठ्यक्रम के माध्यम से एक ऐसे शिक्षक का निर्माण संभव है जो बच्चों को उनके सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक संदर्भों में समझ सके, खासकर वैसे बच्चे जो समाज के विभिन्न वर्गों व संस्कृति से संबंधित हैं तथा शिक्षक से संवेदनशील व्यवहार की अपेक्षा करते हैं। यह पाठ्यक्रम उनके साथ सौहार्द स्थापित करने में मददगार साबित होगा। यह अपेक्षा है कि हमारे ये सभी प्रशिक्षु–शिक्षक, शिक्षा को अपने व्यक्तिगत अनुभवों की सार्थकता की खोज के रूप में तथा ज्ञान निर्माण को अधिगम की लगातार उभरती प्रक्रिया के रूप में स्वीकार कर बच्चों के साथ जुड़ सकेंगे।

उद्देश्य

इस पाठ्यक्रम पर आधारित विषयवस्तु के शिक्षण के उद्देश्य निम्नलिखित हैं :–

- प्रशिक्षुओं में बच्चों एवं उनके सीखने की प्रक्रिया की विस्तृत समझ बनाना।
- बच्चों में वृद्धि एवं विकास के सिद्धान्त एवं प्रक्रिया की समझ बनाना।
- बच्चों के विकास के विभिन्न स्तर/पक्षों के कारकों की समझ विकसित करना।
- सभी स्तर के बच्चों की प्रकृति एवं आवश्यकता की समझ विकसित करना।
- शिक्षार्थियों की समेकित व्यक्तित्व की आवश्यकता एवं महत्त्व को समझ पाना।
- बच्चों के व्यवहार के अध्ययन के लिए विभिन्न यंत्रों एवं प्रविधियों का उपयोग।
- अधिगम के स्वरुप एवं प्रक्रिया की समझ तथा इसके अनुरुप वर्ग में अभ्यास।
- प्रभावी अधिगम प्रक्रिया हेतु उपयुक्त परिस्थिति उत्पन्न करना।
- परामर्श के कौशल और क्षमताओं का विकास ताकि बच्चों की शैक्षणिक, व्यक्तिगत और सामाजिक स्थितियों का समाधान सम्भव हो।
- विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान व उनकी शैक्षिक आवश्यकताओं की समझ विकसित करना।

बाल विकास व मनोविज्ञान–1 (प्रथम वर्ष)

F-2

पूर्णांक : 100 (70+30) न्यूनतम स्वाध्याय अवधि : 70 घंटी

इकाई–I : बाल विकास : अवधारणा एवं समझ

- बाल विकास – अर्थ, प्रकृति, स्वरूप एवं महत्त्व
- वृद्धि एवं विकास– सिद्धांत, कारक एवं आयाम
- बाल विकास में परिवार, शिक्षक, समुदाय एवं जन–संचार (Mass Media) की भूमिका

बाल विकास एक जटिल प्रक्रिया है जिसके कई चरण होते हैं। साथ ही इस विकास की प्रक्रिया में विभिन्न कारकों जैसे–परिवेश, परिवार, अभिभावक, संस्कृति, माता–पिता, भाई–बहन, इत्यादि की भूमिका का विशेष महत्त्व होता है। अतः बाल विकास की जटिल प्रक्रिया व इसमें सम्मिलित कारकों के विषय में समझ बनाना आवश्यक है। सीखना स्वयं में एक विकास की प्रक्रिया है, जिसको बाल विकास के विभिन्न चरणों से जोड़कर देखा जाता है। एक बच्चे विशेष के संदर्भ में सीखने की प्रक्रिया को किस प्रकार से संचालित करना है, इसके लिये मूल रूप से उस बच्चे के विकास की प्रक्रिया को समझना होगा, तथा विकास की प्रक्रिया को समझने के लिये विभिन्न विधियों के प्रयोग को भी जानना आवश्यक है। इस इकाई में उपरोक्त बिन्दुओं पर एक पृष्ठभूमि प्रस्तुत की जायेगी ताकि प्रशिक्षु आगे के इकाइयों को तारतम्यता में समझ सकें।

इकाई –II : शारीरिक व मनोगतिक विकास (Physical & Psycho-motor Development)

- शारीरिक विकास– परिचय, महत्त्व और सिद्धांत
- मनोगतिक विकास– परिचय, महत्त्व और सिद्धांत
- बाल स्वास्थ्य तथा विकास में आहार, पोषण, खेल, व्यायाम व योग की भूमिका
- शारीरिक एवं मनोगतिक विकास में अभिभावकों तथा शिक्षकों की भूमिका एवं दायित्व

एक स्वस्थ बच्चे में ही स्वस्थ मस्तिष्क व चिंतन का विकास संभव है। स्वस्थ बच्चा ही दी गई शिक्षा का सम्पूर्ण लाभ उठा सकता है। अतः मनोविज्ञान के दृष्टिकोण से बच्चे के शारीरिक विकास को अति महत्त्वपूर्ण माना गया है। इसी संदर्भ में मनोगतिक विकास की समझ प्रशिक्षुओं में होनी चाहिए ताकि वे बच्चों द्वारा की जाने वाली सामान्य क्रियाओं के विषय में सूक्ष्म व मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित कर सकें। शारीरिक व गतिक विकास सिर्फ शरीर से सम्बद्ध नहीं है बल्कि उनका प्रभाव बच्चे से जुड़ी अन्य प्रक्रियाओं पर भी पड़ता है जैसे–सीखना। अतैव, शिक्षक, मातापिता व समुदाय बच्चों के शारीरिक व गतिक विकास में क्या भूमिका निभा सकते हैं इसे भी समझना आवश्यक है। इन सभी विषयों पर इस इकाई में विस्तार से चर्चा की जायेगी।

इकाई–III : सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास (Social and Emotional Development)

- सामाजिक विकास : अर्थ, स्वरूप, प्रभावी कारक एवं महत्त्व
- संवेगात्मक विकास – अर्थ, संवेग के प्रकार, कार्य तथा विकास के चरण
- सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास में परिवार, समवय समूह, समुदाय, शिक्षक एवं विद्यालय की भूमिका

किसी भी समाज की अपनी मान्यतायें, अपेक्षायें व व्यवस्था होती है जो बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित करते हैं। समाजीकरण के प्रमुख कारक जैसे–परिवार, अभिभावक, विद्यालय, इत्यादि की भूमिका को सामाजिक विकास का प्रमुख स्तंभ माना जाता है, जिसके विषय में प्रशिक्षुओं को स्पष्ट समझ होनी चाहिए। सामाजिक–सांस्कृतिक विविधता तथा समस्याओं को कक्षायी विमर्श में किस प्रकार स्थान दें, इसके लिये भी एक शिक्षक को तैयार रहना चाहिए। साथ ही संवेगात्मक विकास के प्रति भी प्रशिक्षुओं में संवेदनशीलता अति महत्त्वपूर्ण है। बच्चों में संवेग किस प्रकार से विकसित होते हैं तथा उन संवेगों से उनके चिन्तन व विश्लेषण पर क्या असर पड़ता है, इसकी समीक्षात्मक समझ प्रशिक्षुओं में होनी चाहिए। संवेगों का प्रयोग एक प्रभावी शिक्षण में किस प्रकार किया जा सकता है, इसे भी समझना महत्त्वपूर्ण है। इस इकाई में सामाजिक व संवेगात्मक विकास के कुछ मूल मुद्दों पर चर्चा की जायेगी।

इकाई–IV : संज्ञानात्मक विकास (Cognitive Development)

- संज्ञानात्मक विकास : अर्थ स्वरूप एवं सिद्धांत (पियाजे और वायगोत्सकी के विशेष संदर्भ में)
- बुद्धि – अर्थ, प्रकार, बहु बुद्धि की समीक्षात्मक ज्ञान, सीखने–सिखाने पर प्रभाव
- सृजनात्मकता– अवधारणा, प्रकार एवं महत्त्व
- बच्चों की संज्ञानात्मक विकास में परिवार, शिक्षक, तथा जन–संचार की भूमिका

मनोवैज्ञानिकों के अनुसार शिक्षकों के लिए अपने विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक विकास को समझना अत्यंत आवश्यक है। संज्ञान (Cognition) के विकास से तात्पर्य है, विद्यार्थियों में किसी संवेदी सूचनाओं को ग्रहण करके उसपर चिंतन करने तथा क्रमिक रूप से उसे इस लायक बना देना ताकि वह विभिन्न परिस्थितियों में उन सूचनाओं का प्रयोग तरह–तरह की समस्याओं के समाधान करने में कर सके। अतः इस प्रकार का विकास एक शिक्षक को यह मौका देता है कि वह अपने विद्यार्थियों में विश्लेषण व समस्या समाधान की क्षमता को विकसित करे तथा अपने शिक्षण में उन्हें जगह दे। बच्चों में चिंतन का विकास किस प्रकार होता है तथा संज्ञान व सीखने के मध्य क्या सम्बंध है, इन सब की सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक समझ प्रशिक्षुओं में होनी चाहिए ताकि वे बच्चे के अधिगम को सही दिशा में संचालित कर सके। इन सभी विषयों पर विशेष चर्चा इस इकाई के माध्यम से की जायेगी।

प्रस्तावित कार्य

- समाचार–पत्र से दस आलेख एकत्र करना जिसमें बाल्यावस्था के दौरान देखभाल से संबंधित मुद्दे समाहित हों।
- विभिन्न सामाजिक–आर्थिक परिस्थितियों जैसे– हाशियाकृत (Marginalised) समूह के बच्चें, झुग्गी–झोपड़ी में रहने वाले बच्चें (Slum & Street Children) तथा खास जरूरतों (Special Needs) वाले बच्चों का केस प्रोफाइल तैयार करना।
- बच्चों की विभिन्न रूचियों को सूचीबद्ध करना तथा रूचियों के विकास का अध्ययन।
- शारीरिक विकास के साथ होनेवाले सामाजिक, सांवेगिक मानसिक एवं बौद्धिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन (5 से 14 वर्ष) एवं चार्ट तैयार कर प्रस्तुतीकरण।
- मध्याह्न भोजन के उपरांत कक्षा में बच्चों के सीखने में रूचि का अवलोकन तथा समूह चर्चा।

बाल विकास व मनोविज्ञान–2 (द्वितीय वर्ष)

पूर्णांक : 100 (70+30) **S-2** न्यूनतम स्वाध्याय अवधि : 70 घंटी

इकाई–I : सीखना : विभिन्न दृष्टिकोण

- सीखना – अवधारणा, प्रकार तथा सिद्धांत (व्यवहारवाद, संज्ञानवाद और निर्मितिवाद दृष्टिकोण)
- सीखने को प्रभावित करने वाले कारक – परिवार, समुदाय, विद्यालय, समवय समूह, जन–संचार आदि की भूमिका
- अभिप्रेरणा– अवधारणा, आंतरिक तथा ब्राह्य अभिप्रेरणा, सीखने की प्रक्रिया में इसका महत्त्व

इस इकाई में सीखने को मनोवैज्ञानिक ढंग से समझने को प्रयास किया गया है। सीखने के विभिन्न संदर्भ होते हैं जो बच्चे से संबंधित विकास के विभिन्न आयामों से संचालित अथवा प्रभावित होते हैं। बच्चे कैसे सीखते हैं? इसका भी कोई एक सार्वभौमिक उत्तर मुश्किल है। अलग–अलग मनोवैज्ञानिक विचारधाराओं में सीखने को लेकर भिन्न सिद्धांत व मान्यतायें विद्यमान है। इनकी स्पष्ट समझ से एक शिक्षक को वह बल मिलता है जिससे वे अपने विद्यार्थियों के सीखने को प्रभावी बना सकते हैं। साथ ही सीखने को प्रभावित करने वाले कारक जैसे परिवार, स्कूल, समुदाय, मीडिया इत्यादि के भूमिका को भी समग्रता में समझना आवश्यक है। विद्यार्थियों के सीखने में अभिप्रेरणा उत्प्रेरक का कार्य करती है तथा कई बार अभिप्रेरणा के कारण ही सीखना आरम्भ होता है। अतः अभिप्रेरणा की भूमिका सीखने में और किन रूपों में प्रबल हो सकती है, इसकी समझ एक शिक्षक को होनी चाहिए। साथ ही अभिप्रेरणा की प्रक्रिया में सम्मिलित होने वाले कारकों के विषय में भी शिक्षक को अवगत रहना चाहिए। इस इकाई के द्वारा इन तमाम कारकों, सिद्धांतों व अवधारणाओं की समीक्षात्मक समझ प्रशिक्षुओं में बनेगी।

इकाई–II : व्यक्तित्व विकास

- व्यक्तित्व : अवधारणा, प्रकार, महत्त्व तथा प्रभावी कारक
- व्यक्तित्व को समझने की विभिन्न विधियाँ – अवलोकन, साक्षात्कार, जाँच–सूची, संचयी अभिलेख, प्रश्नावली, प्रक्षेपी विधियाँ
- व्यक्तित्व विकास – अभिभावक, शिक्षक, परिवेश तथा जन–संचार की भूमिका

एक व्यक्ति का व्यक्तित्व उसके विकास के विभिन्न आयामों तथा सीखने व समझने की क्रिया से सीधे तौर से जुड़ा है। यदि एक बच्चे के व्यक्तित्व को समग्रता में समझना है तो विकास के उन आयामों को समझना होगा। साथ ही उसके सीखने व समझने की प्रक्रिया का अध्ययन करना होगा। शिक्षक के लिये अपने विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास को जानना इसलिये भी आवश्यक है ताकि वह उनपर समुचित ध्यान दे सके तथा आवश्यकतानुसार उनकी सहायता कर सके। व्यक्तित्व एक अमूर्त संकल्पना है अतः इसके विषय में सार्थक सूचना इकट्ठा करना काफी कठिन है। अतः प्रशिक्षुओं को उन विधियों के विषय में जानना व समझना आवश्यक है, जिसके माध्यम से वे किसी विद्यार्थी के व्यक्तित्व विकास की समझ बना सकते हैं। इस इकाई में व्यक्तित्व विकास की संकल्पनाओं एवं कारकों को समझा जायेगा।

इकाई–III : समावेशी शिक्षा

- समावेशी शिक्षा – अवधारणा, स्वरूप तथा आवश्यकता
- विशेष आवश्यकता वाले बच्चे – अवधारणा एवं प्रकार (मानसिक, शारीरिक, सांवेगिक, व्यवहारगत, सीखने आदि से संबंधित निःशक्तता)

- बाल विकास एवं निःशक्तता– प्रभावित करने वाले कारक एवं समाधान
- विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के सीखने में अभिभावक, शिक्षक तथा जन–संचार की भूमिका

आधुनिक समाज में व्यक्तिगत विविधताओं को महत्त्व देते हुऐ ऐसी शिक्षा की संकल्पना की जा रही है जिसमें सबके लिये स्थान एवं अवसर हों। ऐसी शिक्षा जो सभी के विविधताओं का समावेश करे तथा उन विविधताओं के अनुरूप पाठ्यचर्या व शिक्षण में परिवर्तन अथवा संशोधन लाये। विविधतायें कई स्तर पर हो सकती है जैसे सांस्कृतिक, शारीरिक, आर्थिक, बौद्धिक इत्यादि। एक शिक्षक को इन विविधताओं के प्रति संवेदनशील होना चाहिए तथा अपने शिक्षण शास्त्र को इस प्रकार से व्यवस्थित करना चाहिए जिससे वह उन विविधताओं का सीखने–सीखाने की प्रक्रिया में समावेश कर सके और अपने शिक्षण को जीवन्त बना सके। विद्यालय में कई विद्यार्थी ऐसे भी होते हैं जिनकी आवश्यकतायें अति विशेष होती है और एक सामान्य कक्षायी शिक्षण द्वारा उन आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती है। अतः एक शिक्षक को उन विद्यार्थियों के प्रति विशेष ध्यान देना होता है। ऐसे विद्यार्थियों के सीखने को लेकर शिक्षक को विशेष योजना बनानी पड़ती है। इस इकाई में समावेशी शिक्षा की संकल्पना व इससे सम्बंधित घटकों की चर्चा की गई है।

इकाई–IV : मार्गदर्शन एवं परामर्श

- मार्गदर्शन एवं परामर्श – अभिप्राय, प्रकार (व्यक्तिगत, शैक्षिक और पेशेवर मार्गदर्शन)
- मार्गदर्शन एवं परामर्श के विभिन्न चरण तथा रणनीतियाँ
- मार्गदर्शन एवं परामर्श में शिक्षक की भूमिका
- विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के संदर्भ में मार्गदर्शक / परामर्शदाता की भूमिका

मार्गदर्शन व परामर्श इस प्रकार की प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति को किसी अनुभवी एवं विशेषज्ञ द्वारा इस प्रकार की सहायता प्रदान की जाती है कि वह अपनी क्षमताओं व योग्यताओं का समग्र विकास कर सके तथा जीवन की विभिन्न चुनौतियों का समाधान कर सके। सीखने–सीखाने के क्रम में एक विद्यार्थी को भी कई समस्याओं व चुनौतियों का सामना निरन्तर करते रहना पड़ता है। अतः एक शिक्षक में वह समझ अवश्य विकसित होनी चाहिए जिससे वह अपने विद्यार्थियों की समस्याओं के प्रति संवेदनशील हो सके। साथ ही उन समस्याओं व चुनौतियों के समाधान में भी सक्रिय भूमिका निभा सके। इस इकाई के माध्यम से प्रशिक्षु मार्गदर्शन व परामर्श के विभिन्न पहलुओं से अवगत हो पायेंगे।

प्रस्तावित कार्य

- सामान्य व विशिष्ट बालकों / बालिकाओं के व्यवहार का तुलनात्मक प्रतिवेदन तैयार करना।
- ब्लैक / सलाम बॉम्बे / स्लम डॉग मिलिनीयर / तारे जमीन पर आदि में से कोई एक सिनेमा समूह में देखने के पश्चात विभिन्न पृष्ठभूमि के बच्चों की आवश्यकता की पहचान एवं समझ विकसित कर समूह में विचार–विमर्श।
- कक्षा में विभिन्न सृजनात्मक क्षमता वाले बच्चों की पहचान करना तथा उसके आधार पर अभिप्रेरित करने के तरीके पर प्रतिवेदन तैयार करना।
- समस्यात्मक बच्चों की पहचान, कारण, समस्या तथा समाधान।
- अपने विषय से संबंधित विषय पर शिक्षण–अधिगम सामग्री तैयार करना।
- विशेष आवश्यकता वाले बच्चों से संबंधित राष्ट्रीय तथा राज्य के अधिनियमों / प्रावधानों पर चर्चा।

सन्दर्भ पुस्तक / अभिलेख / वेवसाइट

अनिवार्य अध्ययन हेतु

- एस.सी.ई.आर.टी. (2008). बिहार पाठ्यचर्या की रुपरेखा–2008. पटना : एस.सी.ई.आर.टी.
- एन.सी.ई.आर.टी. (2005). राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रुपरेखा–2005. नई दिल्ली : एन.सी.ई.आर.टी.
- मंगल, एस.के. (2008). शिक्षा मनोविज्ञान. नई दिल्ली : हॉल ऑफ इण्डिया प्रा. लि.
- मंगल, एस.के. और मंगल शुभ्रा (2000). बाल अधिगम प्रक्रिया. नई दिल्ली : आर्या बुक डिप्पो
- सिंह, अरूण कुमार (2012). समाज मनोविज्ञान की रूपरेखा. पटना : मोतीलाल बनारसीदास.
- Berk, Laura E. (2007). Child Development. New Delhi: Pearson Education.
- Woolfolk, Anita (2005). Educational Psychology. Delhi: Pearson.
- Ranganathan, N. (2000). The Primary School Child: Development and Education. New Delhi: Orient Longman publication.

ज्ञान विस्तार हेतु

- Craft, Anna (2005). Creativity in Schools: Tensions and dilemmas. London: Routledge.
- Deshprabu. R. (2001). Child Development and Nutrition Management. Jaipur: Book Enclave.
- Jha, M. M. (2008). School without Walls: Inclusive Education for all. New Delhi: Pearson.
- Kapur, Malavika (2007). Learning from Children: What to teach them. New Delhi: Sage.
- Piaget, Jean (2002). Language and Thought of the Child. London: Routledge.
- Sandrock, J. (2008). Educational Psychology. Mc Graw Hill Education.

विद्यालय की समझ व कक्षा प्रबन्धन

प्रथम वर्ष

द्वितीय वर्ष

संदर्भ

विद्यालय समाज की एक व्यवस्थित इकाई है, जो बच्चों के विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अतः विद्यालय का स्वरूप कैसा हो तथा उसमें दी जा रही शिक्षा किस प्रकार की हो, यह अत्यंत ही महत्त्वपूर्ण है। विद्यालय में नामांकन से पूर्व यह दायित्व बच्चे के परिवार व समुदाय का होता है, परन्तु बच्चे के विद्यालय में आने के पश्चात् इस कार्य में विद्यालय तथा विशेषकर शिक्षक की भूमिका अहम हो जाती है। विद्यालय में प्रवेश के साथ ही बच्चों के समक्ष कई तरह की चुनौतियां उत्पन्न होती रहती हैं, जिनका संबंध विद्यालय के वातावरण, शिक्षकों तथा सहपाठियों, किसी से भी हो सकती है। इन चुनौतियों का बच्चे के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए शिक्षा बीच में ही छोड़ने की समस्या (Drop-Out) का मुख्य कारण बहुत हद तक विद्यालय के वातावरण से ही सम्बन्धित है। यदि विद्यालय का वातावरण बच्चों के अनुकूल हो तो इस समस्या को काफी हद तक कम या समाप्त किया जा सकता है।

विद्यालय में शिक्षक को अच्छे प्रबन्धक होने के साथ ही कुशल नेतृत्व प्रदान करने की जिम्मेवारी भी निभानी होती है। शिक्षक को बदलते समय एवं परिवेश के अनुसार स्वयं को बदलना पड़ता है। शिक्षक को प्रबन्धन के विभिन्न घटकों के नियोजन एवं प्रबन्धन का कुशल उपयोग जानना जरूरी है। उसे विभिन्न संसाधनों के उत्तम प्रयोग की समझ होनी भी जरूरी है।

विद्यालय की कार्य प्रणाली समुदाय से प्रभावित होती है इसलिए प्रशिक्षुओं को विद्यालय के संचालन एवं दिशा प्रदान करने में समुदाय की सहभागिता की स्पष्ट समझ होनी चाहिए। कक्षावार प्रबन्धन में बालिकाओं एवं विभिन्न योग्यता व चुनौतियों वाले बच्चों का किस प्रकार कक्षा में समायोजन हो जिससे कि सभी बच्चों को समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त हो सके, इसे विद्यालय व कक्षा प्रबंधन के संदर्भ में समझना अति आवश्यक है।

वर्तमान समय में बच्चों के समाजीकरण एवं सीखने की प्रक्रिया में सूचना एवं संचार तकनीकी का प्रभाव नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। विद्यालय प्रबन्धन में नवाचार के लिये शिक्षक को सूचना एवं संचार तकनीकी के बेहतर उपयोग की समझ होनी चाहिए तथा उसे इसके लिए स्वयं को तैयार करना चाहिए। विद्यालय प्रबन्धन हेतु शिक्षक को विभिन्न शैक्षिक संस्थाओं एवं सरकारी योजनाओं की जानकारी एवं समझ भी जरूरी है। शिक्षक के विभिन्न कार्यो के अन्तर्गत विभिन्न शैक्षिक संस्थाओं एवं सरकारी योजनाओं की भूमिका की जानकारी एवं समझ होनी चाहिए। शिक्षक के विभिन्न कार्यो के अन्तर्गत विभिन्न शैक्षिक संस्थाओं के साथ समन्वय भी एक महत्त्वपूर्ण कार्य है।

विद्यालय प्रबन्धन के अध्ययन से सीखने–सिखाने के वातावरण को तनाव तथा भयमुक्त व आनन्दमयी बनाया जा सकता है। अतः प्रस्तुत पाठ्यक्रम को इस दृष्टि से विकसित किया गया है कि यह शिक्षक को विद्यालय में अच्छा वातावरण व उचित कक्षा प्रबन्धन हेतु तैयार करे।

उद्देश्य

इस पाठ्यक्रम पर आधारित विषयवस्तु के शिक्षण के उद्देश्य निम्नलिखित हैं :–

- शैक्षिक एवं विद्यालय प्रबन्धन की बुनियादी समझ विकसित करना।
- समावेशी कक्षा प्रबन्धन हेतु रणनीति एवं कौशल का विकास करना।
- बच्चों के व्यक्तित्व विकास के लिए सहपाठी, परिवार और समुदाय की भूमिका की समझ को विकसित करना।
- सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया में विद्यालय तथा शिक्षक की भूमिका की समझ को विकसित करना।
- प्रशिक्षुओं में प्रबन्धन एवं नेतृत्व के गुण एवं क्षमता का विकास करना जिससे कि विद्यालय एवं कक्षा का प्रभावशाली ढंग से संचालन कर सके।
- विभिन्न पंजियों एवं अभिलेखों के उपयोग एवं संधारण करने की क्षमता का विकास करना।
- समय प्रबन्धन एवं विभिन्न संसाधनों के महत्त्व व शैक्षिक उपयोग की समझ विकसित करना।
- प्रशिक्षुओं को विद्यार्थियों के विभिन्न समस्याओं तथा उनके समाधान हेतु तैयार करना एवं कक्षा को बाल केन्द्रित करने हेतु दृष्टि विकसित करना।
- विभिन्न शैक्षिक संस्थाओं एवं सरकारी योजनाओं की समीक्षा एवं संस्थाओं के साथ समन्वय स्थापित करने की योग्यता विकसित करना।
- विद्यालय एवं कक्षा प्रबन्धन में नवाचारों एवं सूचना एवं संचार तकनीकी की उपयोगिता की समझ एवं रूचि विकसित करना।
- राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रुपरेखा–2005 व बिहार पाठ्यचर्या की रुपरेखा–2008 के आलोक में विद्यालय एवं कक्षा प्रबंधन की समझ को विकसित करना।

विद्यालय की समझ व कक्षा प्रबंधन–1 (प्रथम वर्ष)

F-3

पूर्णांक : 100 (70+30) न्यूनतम स्वाध्याय अवधि : 70 घंटी

इकाई–I : विद्यालय संगठन की समझ

- विद्यालय संगठन : अवधारणा, संरचना, प्रकार व आवश्यकता
- विद्यालय निर्माण योजना के विभिन्न आयाम :
  - भौतिक संसाधन (भवन, कक्षा, उपस्कर, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, खेल परिसर)
  - मानव संसाधन (प्राचार्य, शिक्षक, अन्य कर्मी)
  - वित्तीय संसाधन (अनुदान, वित्त–व्यवस्था)
  - निर्धारित मानकों की समझ
- विद्यालय–समुदाय सहभागिता :
  - विद्यालय शिक्षा समिति
  - अभिभावक शिक्षक संघ
  - विद्यालय प्रबंध समिति
  - अन्य संस्थाओं के साथ सम्बन्ध (यथा : पंचायती राज की संस्थाएँ)

विद्यालय को केवल एक भवन के रूप में नहीं देखा जा सकता। विद्यालय एक अद्भुत संस्था है जो एक ओर तो पठन–पाठन की प्रक्रिया में संलग्न होती है और वहीं दूसरी ओर समुदाय के साथ दृढ़ संबंधों का पोषण करती है। विद्यालय के अन्तर्गत बहुत से ऐसे घटक है जो विद्यालय को तो प्रभावित करते हीं हैं साथ ही समुदाय पर भी अपना प्रभाव छोड़ते है। समुदाय भी कई विद्यालयी प्रक्रियाओं से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा होता है। इन अन्तःक्रियाओं को समझ एक शिक्षक को निश्चित रूप से होनी चाहिए। इन बातों का ध्यान में रखते हुए पहली इकाई में विद्यालय के निर्माण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले घटकों एवं विद्यालय समुदाय सहभागिता को समझने का प्रयास किया गया है। यहाँ यह भी स्पष्ट करना आवश्यक है कि विद्यालय के विभिन्न घटकों को समग्र एवं एक दूसरे के परिप्रेक्ष्य में समीक्षात्मक रूप से समझा जाना आवश्यक है। भौतिक, मानवीय अथवा वित्तीय संसाधन स्वयं में सम्पूर्ण नही है बल्कि इनके सार्थक एवं समाकलित स्वरूप से हीं विद्यालय का निर्माण होता है। साथ ही साथ प्रत्येक शिक्षक को विद्यालय निर्माण एवं संचालन में समुदाय या समाज की भूमिका को जानना चाहिए। शिक्षक की यह समझ विद्यालयी प्रक्रियाओं में सामुदायिक सहभागिता, इसकी आवश्यकता, औचित्य एवं योगदान को सार्थक रूप से समझने का आधार प्रदान करती है।

इकाई–II : कक्षाकक्ष प्रक्रियाओं की समझ व प्रबंधन

- कक्षाकक्ष– अवधारणा, आवश्यकता, आधारभूत संरचना, पारम्परिक, सृजनात्मक व नवाचारी कक्षा
- कक्षाकक्ष संचालन– कक्षा की व्यवस्था, बालकेन्द्रित व लोकतांत्रिक कक्षा की संकल्पना, पाठ योजना निर्माण, क्रियान्वयन तथा स्वमूल्यांकन
- पाठ्य–सहगामी क्रियायें– महत्त्व, योजना व क्रियान्वयन (गतिविधियाँ, कला, खेल इत्यादि)
- अनुपूरक शिक्षण– आवश्यकता, योजना एवं क्रियान्वयन
- प्रमुख चुनौतियाँ– अनुशासन, बहुकक्षीय शिक्षण, समावेशी शिक्षण, संसाधनों की अनुपलब्धता

बदलते परिवेश में शिक्षक की भूमिका भी बदल रही है। शिक्षकों के लिए न केवल अपने कार्य की नई चुनौतियों को जानने की आवश्यकता है बल्कि उनके लिए स्वयं को सभी चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करना भी जरूरी है। शिक्षण में निष्क्रियता के लिए कोई स्थान नहीं है। विद्यालय हर दिन शिक्षक के नवीन प्रयोगों

एवं आयामों को आधार देता है। शिक्षको का न केवल कक्षा के शैक्षिक प्रक्रियाओं के लिए तैयार होना चाहिए बल्कि विद्यार्थियों को पाठ्य सहगामी क्रियाओं में शामिल करने एवं बेहतर वातावरण निर्माण के लिए भी तत्पर होना आवश्यक है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए इस इकाई में कक्षाकक्ष, कक्षा संचालन एवं पाठ्य सहगामी क्रियाओं के विभिन्न पहलुओं पर सविस्तार चर्चा की जायेगी। साथ ही साथ यह इकाई अनुपूरक शिक्षण एवं उन प्रमुख चुनौतियों के विषय में भी समझ बनाने का प्रयास करती है जो शिक्षकों को वर्तमान परिदृश्य में कक्षा में बेहतर शिक्षण–अधिगम के अवसरों के सृजन के लिए तैयार करे।

इकाई–III : आकलन व मूल्यांकन की समझ

- आकलन व मूल्यांकन– अवधारणा, आवश्यकता व सीमायें
- मूल्यांकन की विधियाँ– रचनात्मक (Formative) व संकलनात्मक (Summative)
  – कसौटी आधारित (Criteria referenced)
  – मानक आधारित (Norm referenced)
- सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन– योजना व कार्यान्वयन
- प्रगति रिपोर्ट का विश्लेषणात्मक अध्ययन–शिक्षा, विद्यार्थी, शिक्षक, विद्यालय व समुदाय के संदर्भ में

शिक्षण अधिगम को प्रक्रिया के संदर्भ में मूल्यांकन को सिर्फ परीक्षा से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। मूल्यांकन की प्रक्रियाओं का सतत् एवं व्यापक होना आवश्यक है। एक शिक्षक के लिए मूल्यांकन व आकलन की समझ जरूरी है। शिक्षक को मूल्यांकन को विभिन्न विधियों को जानने के साथ ही उनके प्रभावी प्रयोग के तरीको को भी जानना चाहिए। मूल्यांकन का सतत् एवं व्यापक होना विद्यार्थियों की क्षमताओं एवं प्रदर्शन की जानकारी शिक्षकों को देता है। यह शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित एवं तैयार करने के लिए योजना बनाने एवं क्रियांवित करने का दृढ़ आधार भी प्रदान करता है।

इकाई–IV : विद्यालयी दस्तावेजों की समझ

- विद्यालयी रिकार्ड– आवश्यकता, संकलन, रख–रखाव व सीमायें
- विभिन्न रिकार्डों का अध्ययन : यथा– नामांकन पंजी, पाठ्यपुस्तक पंजी, मध्याह्न भोजन पंजी, स्थानान्तरण पंजी, उपस्थिति पंजी, परीक्षा पंजी इत्यादि
- शिक्षक डायरी व विद्यार्थी प्रोफाइलः आवश्यकता, महत्त्व व निर्माण

विद्यालय के संचालन में केवल कक्षा–कक्ष में शिक्षण अधिगम सुनिश्चित करना ही पर्याप्त नहीं है। विद्यालय के संचालन में विभिन्न प्रक्रियाओं के अभिलेख तैयार करने, उनके उपयोग एवं संधारण को भूमिका अत्यन्त ही महत्त्वपूर्ण है। विद्यालयी प्रक्रियाओं से संबंध रिकार्ड यथा नामांकन पंजी, उपस्थिति पंजी पाठ्य–पुस्तक वितरण पंजी, मध्याह्न भोजन पंजी, परीक्षा पंजी आदि विद्यालयी प्रक्रियाओं को अधिक प्रभावी एवं व्यस्थित करने का आधार प्रदान करते है। विद्यालयी प्रक्रियाओं के सुगम निष्पादन में शिक्षक की भूमिका महत्त्वपूर्ण है। अतः यह आवश्यक है कि प्रत्येक शिक्षक को इन प्रक्रियाओं से संबंधित रिकार्डो के प्रकार एवं उनकी उपयोग की समझ हो। साथ ही उन्हें रिकार्डों को तैयार करने एवं उनके संधारण की जानकारी भी अवश्य होनी चाहिए।

प्रस्तावित कार्य

- लोकतांत्रिक व समावेशी शिक्षा के लिए विद्यालय निर्माण योजना तैयार करना।
- विद्यालय में मध्याह्न भोजन के प्रबन्धन व वितरण का अध्ययन तथा विश्लेषण।
- विभिन्न प्रकार के अभिलेखों के संधारण हेतु प्रबंधन की योजना तैयार करना।
- शिक्षक—अभिभावक सभा का आयोजन करना।
- कक्षाकक्ष के विभिन्न भागों का अधिगम सामग्री के प्रदर्शन के लिए प्रयोग हेतु प्रबन्धन।
- विद्यालय में आपदा प्रबन्धन से संबंधित जानकारियों को एकत्र करना तथा कार्य—योजना तैयार करना।
- विद्यालय में वार्षिक दिवस का आयोजन।
- पुस्तकालय प्रबंधन—संचालन का अध्ययन।
- पुस्कालय में उपलब्ध पुस्तकों की विषयवार सूची तैयार करना।
- विद्यालय अनुभव कार्यक्रम / इंटर्नशिप के दौरान वभिन्न विद्यालयी पंजियों का विश्लेषण करना।

विद्यालय की समझ व कक्षा प्रबंधन–2 (द्वितीय वर्ष)

S-3

पूर्णांक : 100 (70+30) न्यूनतम स्वाध्याय अवधि : 70 घंटी

इकाई–I : विद्यालय प्रबंधन के आयाम

- विद्यालय प्रबंधन की समझ– आवश्यकता, संरचना व संचालन
- प्रबंधन में भूमिका– शिक्षा, शिक्षक, प्रधानाचार्य, प्रबंधन संस्थायें, समुदाय
- संसाधन प्रबंधन– भौतिक, मानवीय, वित्तीय (विद्यालय बजट का निर्माण)
- समय प्रबंधन– समय–सारणी, वार्षिक कैलेण्डर, शैक्षिक कार्यक्रमों के आयोजन की रूपरेखा आदि
- आपदा प्रबंधन– सुरक्षा शिक्षा की अवधारणा, प्राकृतिक व मानव जनित आपदाओं से सुरक्षा तथा बचाव

विद्यालय प्रबंधन, शिक्षायी विकास श्रृंखला की एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण इकाई है जो कि विद्यालय एवं स्थान–विशेष की प्रत्येक गतिविधि से सम्बद्ध होता है। बेहतर प्रबंधन विद्यार्थियों को विद्यालय आने एवं विभिन्न गतिविधियों में सम्मिलित होने के लिए प्रोत्साहित करता है। इससे न केवल शिक्षण अधिगम को अधिक रूचिकर बनाया जा सकता है ब्लकि छीजन की समस्या (विद्यालय छोड़ने की समस्या) को भी समाप्त किया जा सकता है। अतः यह आवश्यक है कि प्रत्येक शिक्षक को विद्यालय प्रबंधन के विभिन्न आयामों की समझ हो। विद्यालय प्रबंधन में विद्यार्थी, शिक्षक, प्रधानाध्यापक, विद्यालय प्रबंधन समिति तथा शिक्षक अभिभावक संघ सभी की भूमिका होती है। शिक्षक को इस संदर्भ में अपनी भूमिका से परिचित होना अपेक्षित है तथा इसके बेहतर निर्वहन के लिए शिक्षक को सदैव तैयार रहने की आवश्यकता है।

इकाई–II : विद्यालय में नवाचारी परिवर्तन

- शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत विद्यालयी व्यवस्था में परिवर्तन
- समावेशी शिक्षा के अनुरूप विद्यालय संगठन व प्रबंधन
- सूचना व संचार तकनीकी का शिक्षण प्रक्रिया में प्रयोग
- विद्यालय भवन का सृजनात्मक प्रयोग– सीखने सिखाने के माध्यम के रूप में

बदलते समय के साथ विद्यालयों में भी कई परिवर्तन हुए हैं। शिक्षा का अधिकार कानून–2009 सभी विद्यालयों को साधन सम्पन्न बनाने वाले प्रावधानों से सज्जित है। साथ ही यह कानून विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण व समावेशी शिक्षा के लिए नवाचारी परिवर्तनों का मार्ग भी प्रशस्त करता है। साथ ही विद्यालयों ने विद्यार्थियों की जरूरतों तथा सूचना एवं तकनीकी में हुए बदलाव के अनुरूप कई परिवर्तनों को अंगीकृत किया है। आधुनिक समय में विद्यालयों ने पारम्परिक तरीकों के साथ–साथ कई नवाचारी तरीकों को अपनाकर शिक्षण–अधिगम को बेहतर बनाने का प्रयास किया है। आज न केवल विद्यालयों में नई सामग्रियों एवं उपकरणों का प्रयोग अपेक्षित है बल्कि सीखने–सिखाने की प्रक्रिया में विद्यालय भवन के सृजनात्मक प्रयोग को संभावना को जानकर शिक्षक द्वारा इसका उपयोग किया जाना चाहिए। अतः शिक्षक को परिवर्तनों की आवश्यकता एवं उनकी भूमिका को जानना होगा। साथ ही साथ यह भी आवश्यक है कि शिक्षक नवाचारी परिवर्तनों के अनुरूप स्वयं को तैयार करें।

इकाई–III : शिक्षक वृत्तिक विकास (Professional Development) के आयाम

- शिक्षक वृत्तिक विकास– अवधारणा, आवश्यकता, नीतिगत विमर्श व सीमायें
- शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम– आवश्यकता, महत्त्व, प्रकार व स्वरूप
- शिक्षक अस्मिता तथा नेतृत्व गुण का विकास– विद्यालयी व्यवस्था के संदर्भ में
- शिक्षक तनाव प्रबंधन– अवधारणा, तनाव के कारण एवं निदान
- शिक्षक के वृत्तिक विकास में स्वाध्याय, लेखन व सहकर्मियों की भूमिका

शिक्षण की सबसे बड़ी आवश्यकता है शिक्षक का सीखने के लिए तैयार एवं तत्पर रहना। यह सीखना विषयवस्तु अथवा संबंधित सूचनाओं तक सीमित नहीं है। शिक्षकों से यह अपेक्षित है कि वे अपने आस–पास हो रहे परिवर्त्तनों, शिक्षा संबंधी सरकारी नीतियों, तकनीकी विकास आदि को जानने के प्रति सजग रहें। सरकारी / संस्थागत स्तर पर भी शिक्षकों के उन्मुखीकरण हेतु विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन उन्हें नई चीजे सीखने एवं कक्षाकक्ष में उनके प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करता है। इनके अतिरिक्त शिक्षक स्वाध्याय तथा लेखन द्वारा स्वयं व सहकर्मियों की जानकारी अद्यतन करने हेतु प्रयत्नशील रहें। नया सीखने का प्रयास तथा नई सूचनाओं एवं विधियों का शिक्षण हेतु उपयोग, शिक्षकों को न केवल आत्मविश्वास प्रदान करते हैं बल्कि उनके वृतिक विकास में भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते है।

इकाई–IV : महत्त्वपूर्ण शैक्षिक संस्थाएँ, प्रशिक्षण केन्द्र व सरकारी योजनाओं की समीक्षात्मक समझ

- शैक्षिक संस्थाए –राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (NCERT), नई दिल्ली
  –राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद (SCERT) बिहार, पटना
  –केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE), नई दिल्ली
  –राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय (NUEPA), नई दिल्ली
  –राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE), नई दिल्ली
  –यूनिसेफ व अन्य अर्न्तराष्ट्रीय संस्थाएँ
- प्रशिक्षण केन्द्र– जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (DIET)
  –प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय (PTEC)
  –जिला संसाधन केन्द्र (BRC)
  –प्रखण्ड संसाधन केन्द्र (BRC), संकुल संसाधन केन्द्र (CRC)
- शैक्षिक योजनायें– सर्व शिक्षा अभियान (SSA), राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (RMSA)
  –समेकित बाल विकास योजना (ICDS)
  –बिहार शिक्षा परियोजना (BEP)

देश भर में कई ऐसी केन्द्रीय संस्थाएँ हैं जो विद्यालयी शिक्षा को प्रभावित करने वाली नीतियां एवं मार्गदर्शक दस्तावेज तैयार करती है। इनके अतिरिक्त राज्यों में भी शिक्षा संबंधी नीतियों के निर्माण एवं क्रियान्वयन हेतु कई संस्थाएँ कार्यरत हैं। उपरोक्त संस्थाओं की नीतियाँ एवं दिशा निर्देश विद्यालयों के संचालन एवं प्रबंधन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विद्यालय की समस्त प्रक्रियाओं के माध्यम से नीतियों के समावेश में शिक्षक की अहम भूमिका होती है। इन प्रक्रियाओं के लिए शिक्षक समन्वयक एवं अनुपालक की भूमिका निभाते है। अतः उनके लिए इन संस्थाओं के विषय में जानकारी होना आवश्यक है। विद्यालय के विकास हेतु बच्चों को केन्द्र में रखकर सरकारी योजनाएँ बनाई जाती है, जिनका कार्यान्वयन शिक्षक के माध्यम से एवं शिक्षक के द्वारा होता है, इसलिए शिक्षक को इन योजनाओं के संबंध में समझ एवं कार्यान्वयन में तत्परता रखनी चाहिए।

प्रस्तावित कार्य

- प्रबन्धन में शैक्षिक संसाधनों की उपयोगिता का अध्ययन।
- विद्यालयों की समस्याओं की पहचान तथा समाधान के लिए कार्य योजना तैयार करना।
- विभिन्न प्रकार के प्रतियोगिताओं का आयोजन, यथा खेल, कला संबंधित (चित्रांकण, संगीत, नृत्य) एवं साहित्य संबंधित (भाषण, कहानी, कविता, वाद विवाद) आदि।
- बच्चों में साफ–सफाई, बस्ते एवं अन्य सुविधाओं के संदर्भ में प्रबन्धन योजना निर्माण।
- प्रधानाध्यापक, शिक्षा अधिकारी आदि से विद्यालय प्रबन्धन पर साक्षात्कार।
- शिक्षा में सर्व शिक्षा अभियान, यूनीसेफ, गैर सरकारी संस्थाओं (NGOs) की भूमिका का अध्ययन।

सन्दर्भ पुस्तक / अभिलेख / वेबसाइट

अनिवार्य अध्ययन हेतु

- एस.सी.ई.आर.टी. (2008). बिहार पाठ्यचर्या की रुपरेखा–2008. पटना : एस.सी.ई.आर.टी.
- एन.सी.ई.आर.टी. (2005). राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रुपरेखा–2005. नई दिल्ली : एन.सी.ई.आर.टी.
- एन.सी..टी.ई. (2009). अध्यापक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रुपरेखा–2009. नई दिल्ली : एन.सी..टी.ई.
- मंगल, एस.के. एण्ड मंगल, शुक्ला (2002). विद्यालय संस्थान एवं प्रबंधन. नई दिल्ली : आर्या बुक डिपो
- भारत सरकार, (2009). शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009. नई दिल्ली : मानव संसाधन विकास विभाग.
- बिहार सरकार (2007). समान विद्यालय प्रणाली आयोग प्रतिवेदन. पटना : शिक्षा विभाग.
- Aggarwal, J.C. (2002). School Administration. Delhi: Arya Book Depot.
- Singh, Amarjit (Ed.) (2001). Classroom management: A reflective perspective. New Delhi: Kanishka Publishing.

ज्ञान विस्तार हेतु

- Alur, Mithu & Bach. Michael (2010). Journey for inclusive education in the Indian sub-continent. New York: Routledge.
- Choudhury, N.R. (2001), Management in Education. New Delhi: APH Publishing.
- Christie, Frances (2007). Classroom discourse analysis: A functional Perspective. London: Continuum.
- Jha, M.M. (2008). School without walls: Inclusive education for all. New Delhi: Pearson India.
- Mishra, R.C. (2007). School Administration and organisaation. New Delhi:. APH Public Corporation.
- Portner, Hal (2008). Mentoring new teachers. USA: Corwin Press.

Website Link

- www.ncert.nic.in
- www.nuepa.org

❖❖❖

विद्यालय और शिक्षा नीति

प्रथम वर्ष

संदर्भ

इस विषय का उद्देश्य प्रशिक्षुओं को विद्यालय के विभिन्न आयामों का विश्लेषण इस प्रकार करने का अवसर प्रदान करना है जिससे उन्हें देश की प्रमुख शिक्षा नीतियों तथा उनके विकासक्रम का ज्ञान अपनी संस्था के संदर्भ में मिल सके। आमतौर पर शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में 'शिक्षा का इतिहास' एक शुष्क विषय के रूप में पढ़ाया जाता है। इसमें शिक्षा से संबंधित ऐतिहासिक तथ्यों को प्रमुखता से चिन्हित किया जाता है, परन्तु ये तथ्य किसी संदर्भ से नहीं जुड़ पाते और इस कारण देश की शिक्षा नीतियों को लेकर एक विहंगम तथा संवेदित दृष्टि का विकास करने में असमर्थ रहते हैं।

एक अन्य आम प्रवृति देश की शैक्षिक नीतियों को सिर्फ उनकी प्रमुख संस्तुतियों के दर्पण में देखने की है। किसी भी शिक्षा नीति के बनाये जाने की प्रक्रिया, उस समय की आवश्यकताएँ तथा बाध्यताओं को भी जानना महत्त्वपूर्ण है। एक शिक्षा नीति से दूसरी शिक्षा नीति का सफर उपलब्धियों और अधूरे रह गये लक्ष्यों की मिलीजुली कथा कहता है। अतः शिक्षा नीतियों को किस रीति से पढ़ा जाए, यह महत्त्वपूर्ण है। यह पर्चा इस बात का प्रयास करता है कि प्रशिक्षु किसी एक विद्यालय जो उनका अपना विद्यालय भी हो सकता है, को आधार बनाकर शिक्षा नीतियों एवं आयोगों की अनुसंशाओं को लागू किये जाने में निहित चुनौतियों को समझ सके। इसके लिए प्रत्येक प्रशिक्षण संस्थान अपने आस–पास के किसी एक विद्यालय को संदर्भ बनाकर समझने का अभ्यास करायेगा। इसके द्वारा प्रशिक्षुओं का ध्यान किसी विद्यालय के विभिन्न आयामों पर दिलाया जा सकता है। इस आलोक में विद्यालय के कुछ महत्त्वपूर्ण आयामों को इस पर्चे में अलग–अलग इकाइयों के रूप में चिह्नित किया गया है जिनकी रूपरेखा भी साथ में वर्णित है।

उद्देश्य

इस पाठ्यक्रम पर आधारित विषयवस्तु के शिक्षण के उद्देश्य निम्नलिखित हैं :–

- विद्यालय का नाम कैसे विद्यालय के इतिहास को जानने का माध्यम हो सकता है, इसे समझना।
- विद्यालय के भवन निर्माण की विकासात्मक प्रक्रिया के माध्यम से विद्यालय के विकासक्रम के विषय में समझ बनाना।
- विद्यालय से जुड़े तथ्यों के आधार पर देश अथवा राज्य की शिक्षा नीतियों के प्रभावों का विश्लेषण करना।
- दस्तावेजों का अध्ययन कर विभिन्न नीतियों के तहत विशेष प्रकार के विद्यालयों की स्थापना अथवा उनके विकास की पड़ताल करना।
- विद्यालयों में शिक्षक की व्यवस्था से जुड़े ऐतिहासिक तथ्यों को जानना तथा उनके नीतिगत संदर्भों को समझना।
- विद्यालयी पाठ्यक्रम में समय समय पर आए परिवर्तनों एवं इन परिवर्तनों की आवश्कता के ऐतिहासिक आधारों को जानना।
- भारत में परीक्षा व्यवस्था के विकासक्रम एवं इसके आधारों को समझना।

विद्यालय और शिक्षा नीति (प्रथम वर्ष)

पूर्णांक : 100 (70+30) **F-4** न्यूनतम स्वाध्याय अवधि : 70 घंटी

इकाई–I : विद्यालय का नाम

किसी विद्यालय का नाम, उसकी स्थापना से लेकर आज तक में किये गये परिवर्तन स्वयं में शिक्षा नीति के विकासक्रम का संकेत होते हैं। उदाहरण के लिए अगर विद्यालय क नाम 'राजकीय कन्या उत्क्रमित उच्च विद्यालय' है तो इस नाम के प्रत्येक शब्द की मदद से शिक्षा नीति के इतिहास–क्रम को जाना और खोजा जा सकता है। इस कार्य के लिए देश व राज्य–स्तर के प्रमुख दस्तावेजों में उपलब्ध सूचनाएँ इकट्ठी की जानी चाहिए। स्थानीय इतिहास, समुदाय के वरिश्ठ सदस्यों की वाचित स्मृति और विद्यालय में उपलब्ध पुराने दस्तावेजों से मदद ली जा सकती है।

इकाई–II : विद्यालय का भवन

विद्यालय का भवन स्वयं में विद्यालय के विकास की कहानी समेटे रहता है। विद्यालय की भूमि का स्वामित्व, विद्यालय की इमारत का शिल्प विन्यास, कमरों की संख्या, पेयजल की व्यवस्था, शौचालय, खेल का मैदान, प्रार्थना स्थल, बगीचा, भण्डार गृह, चारदीवारी, रसोईघर, आदि ऐसे कई तथ्य है जिनपर गौर किया जाना चाहिए। निर्माण कब हुआ, उसे कब जोंड़ा गया, ऐसे काल–संदर्भ भवन के विकास को शिक्षा–नीति के इतिहास से जोड़ने में मदद कर सकते हैं। उदाहरण के लिये 'आपरेशन ब्लैक बोर्ड' तथा वर्तमान में 'शिक्षा के अधिकार' कानून विद्यालय के भवन से जुड़ी अपेक्षाओं की पड़ताल का अवसर देते हैं। विद्यालय भवन निर्माण में प्रयुक्त वित्तीय योगदान आदि को भी जाना जाना चाहिए।

इकाई–III : विद्यालय में शिक्षक

विद्यालय में आये परिवर्तनों के साथ–साथ शिक्षक के पेशे व अपेक्षित भूमिका में भी कई महत्वपूर्ण बदलाव होते रहे हैं। उदाहरण के तौर पर, शिक्षक की योग्यता, नियुक्ति, प्रशिक्षण व वृत्तिक विकास (सेवापूर्व व सेवाकालीन), पदोन्नति, स्थानांतरण, प्रधान–शिक्षक अथवा प्रधानाचार्य की व्यवस्था, विद्यार्थी–शिक्षक अनुपात, इत्यादि से संबंधित समय–समय पर निर्धारित नियमों, प्रावधानों व अनुशंसाओं ने विद्यालय में शिक्षक की भूमिका को बड़ी गहराई से प्रभावित किया है। अतः इस संदर्भ में शिक्षक के जीवन से संबंधित नीतिगत पहलूओं को भी समझना चाहिए। इस इकाई में शिक्षक संबंधी विभिन्न दस्तावेजों की मदद से विद्यालय में शिक्षक के विभिन्न आयामों को समझा जायेगा। आप समकालीन संदर्भ में शिक्षक संबंधित नीतियों से परिचित हो सकेंगे तथा यह समझ पायेंगे कि इन नीतियों ने विद्यालय में शिक्षकों की भूमिका को कैसे प्रभावित किया है। साथ ही, आप अध्ययन के लिए एक विद्यालय को लेंगे तथा उसके आरम्भ होने से लेकर अभी तक शिक्षक से जुड़ी सूचनाओं संबंधी जो भी दस्तावेज़ उपलब्ध हैं, उनके आधार पर नीतियों के प्रभावों को समझने का प्रयास करेंगे। उदाहरण के तौर पर, आप उस विद्यालय के संदर्भ में संख्या, आयु, विषय, लिंग, इत्यादि के आधार पर शिक्षकों का विश्लेषण करेंगे।

इकाई–IV : पाठ्यक्रम

विद्यालय में पढ़ाए जा रहे विषयों की संख्या, उनके नाम तथा विषयों के बीच के अन्तर्संबंध की छानबीन प्रशिक्षुओं द्वारा की जानी चाहिए। विद्यालय में पढ़ाए जा रहे विषयों का समूहीकरण अथवा विभाजन किस आधार पर किया गया है, इसे नीतियों के आलोक में जानना चाहिए। साथ ही साथ शिक्षण माध्यम के रूप में भाषा के संदर्भ में

भी विद्यालय के इतिहास तथा वर्तमान को शिक्षा नीतियों के आधार पर समझना होगा। अगर विद्यालय में शिक्षण केवल एक भाषा द्वारा किया जा रहा है अथवा द्विभाषा या त्रिभाषा समीकरणों का प्रयोग हो रहा है तो उनके लागू होने में विभिन्न शिक्षा नीतियों के सुझावों व हस्तक्षेपों को उनकी वृहत्तर पृष्ठभूमि में जानना होगा।

इकाई–V : परीक्षा

विद्यालय में परीक्षा कैसे ली जाती है, यह विद्यार्थियों के स्तर के मूल्यांकन के लिए महत्त्वपूर्ण है। परीक्षा संबंधी सुझावों के संदर्भ में प्रमुख शिक्षा नीतियों तथा दस्तावेजों (यथा राष्ट्रीय पाठ्चर्या की रुपरेखा–2005, बिहार पाठ्चर्या की रुपरेखा–2008 और शिक्षा के अधिकार के कानून आदि) के सुझावों को जानकर प्रशिक्षु वर्तमान परीक्षा व्यवस्था के विभिन्न आयामों का अध्ययन करें। उनसे यह अपेक्षा की जानी चाहिए कि वे विद्यालय में परीक्षा के परिणामों का विगत 4–5 वर्षों के आँकड़ों का विश्लेषण करेंगे।

प्रस्तावित कार्य

- विभिन्न माध्यमों द्वारा अपने विद्यालय (जहाँ आप सेवारत हैं) से जुड़े ऐतिहासिक तथ्यों को एकत्र करने के लिये एक विस्तृत योजना का निर्माण करें।
- विद्यालयी शिक्षा से जुड़े विभिन्न दस्तावेजों व रिपोर्टों का संग्रह करें।
- ऊपर उल्लेखित विषयवस्तु के अनुरूप उन दस्तावेजों व रिपोर्टों के विभिन्न भागों को वर्गीकृत करें।
- अपने विद्यालय से भिन्न किसी अन्य विद्यालय का भ्रमण करें तथा उसके इतिहास के बारे में पता लगायें।
- विभिन्न समकालीन शिक्षायी योजनाओं के विषय में विस्तृत जानकारी इकट्ठा करें तथा अपने विद्यालय में उसके प्रभावों का अध्ययन करें।
- अपने विद्यालय एवं अन्यत्र उपलब्ध अपनी रूची के किसी एक विषय के कुछ पुराने प्रश्न–पत्रों (1954 के बाद के) को आधार बनाकर प्रश्न–पत्रों में हुए परिवर्तनों को रेखांकित करते हुए एक प्रतिवेदन तैयार करें।
- समान स्कूल प्रणाली आयोग, बिहार द्वारा बिहार की स्कूली शिक्षा, शिक्षक, प्रशिक्षण, शिक्षा पर होने वाले व्यय संबंधी किसी एक विषय की अनुशंसाओं की समीक्षा करें।

सन्दर्भ पुस्तक / अभिलेख / वेबसाइट

अनिवार्य अध्ययन हेतु

- एस.सी.ई.आर.टी. (2008). बिहार पाठ्यचर्या की रुपरेखा–2008. पटना : एस.सी.ई.आर.टी.
- एन.सी.ई.आर.टी. (2005. राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रुपरेखा–2005. नई दिल्ली : एन.सी.ई.आर.टी.
- एन.सी..टी.ई. (2009). अध्यापक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रुपरेखा–2009. नई दिल्ली : एन.सी..टी.ई.
- नायक, जे.पी. (1976). भारतीय शिक्षा का इतिहास. नई दिल्ली : मैक मिलन कम्पनी.

ज्ञान विस्तार हेतु

- त्रिपाठी, डॉ. ज्ञानदेव मणि एवं कुमार, डॉ. खगेन्द्र (2011). बिहार में शिक्षा के सौ वर्ष. पटना : बिहार विधान परिषद्.
- रैना, विनोद (2009). शिक्षा का अधिकार कानून. शिक्षा विमर्श : नवम्बर–दिसम्बर.
- सदगोपाल, अनिल (2009). शिक्षा का अधिकार कानूनः नव उदारवाद का नया चेहरा. शिक्षा विमर्श, नवम्बर–दिसम्बर.

संदर्भ

शिक्षा के साहित्य से तात्पर्य है ऐसे साहित्य से परिचय जो शिक्षा के विभिन्न आयामों पर विशेष प्रकाश डालता हो। वैसा साहित्य जो शिक्षा से संबंधित तमाम मुद्दों को समझने के लिए एक दृष्टिकोण देता हो तथा जिसे पढ़कर हमारी दृष्टि संवेदित होती है। एक शिक्षक के लिए ऐसा साहित्य कहीं अधिक महत्त्वपूर्ण है। शिक्षा के साहित्य के माध्यम से प्राप्त होने वाली आलोचनात्मक समझ द्वारा एक शिक्षक विभिन्न शैक्षिक विमर्शों को कहीं बेहतर ढंग से समझ सकता है। अलग–अलग कालखंडों में शिक्षा के स्वरूप एवं उसमें हुए परिवर्तनों को जानना और साथ ही उस दौरान समाज के बदलते नजरिये को समग्रता से समझना भी शिक्षकों के लिए अपरिहार्य है। इनकी छवि विभिन्न साहित्यिक रचनाओं में देखी जा सकती है जो अपने समय की शिक्षा व्यवस्था से जुड़े विभिन्न मुद्दों का काव्य, लेखों, कहानियों, व्यंग्य आदि के माध्यम से परिलक्षित करते हैं। ऐसी रचनाएं शिक्षा के स्वरूप में आए प्रमुख बदलावों के विभिन्न पहलुओं को जानने एवं समझने के लिए आज भी प्रासांगिक हैं। ये रचनाएँ आज के शिक्षाशास्त्र की विषयवस्तु के अलग–अलग पहलुओं पर एक विशेष तरह का प्रकाश डालती हैं। इनके द्वारा शिक्षा के दर्शन, समाजशास्त्र एवं मनोविज्ञान की आपसी समझ पर हुए प्रभावों को जांना व समझा जा सकता है। इसे जानने और समझने का प्रयास प्रशिक्षुओं की चिन्तन प्रक्रिया को व्यापक करने में सहायक सिद्ध होगा। यह पर्चा उनके लिए संवेदनाओं के प्रशिक्षण का मार्ग प्रशस्त करेगा।

उद्देश्य एवं शिक्षण

- रचना का काल संदर्भ – रचना के विषयवस्तु/प्रसंग को काल–खण्ड में स्थापित करके समझना। समय के अनुसार शिक्षा के बदलते स्वरूप को समझना। काल–विशेष में शिक्षा से सामाजिक अपेक्षाओं व प्रभावों की समीक्षा करना।
- रचना की मीमांसा – इससे शिक्षा के किस पहलू पर प्रकाश पड़ता है, इसे समझना। उदाहरणतः समवय समूह सम्बंध, शिक्षक की प्रकृति, समाज की शिक्षा के ऊपर दृष्टिकोण, बाल मानस, इत्यादि।
- रचना से अनुभूति – पाठक के रूप में वह आपकी किन अनुभूतियों अथवा स्मृति संदर्भों को जगाती हैं। अर्थात ऐसे प्रसंग जो आपके अनुभवों से मेल खाते हो।
- विवेचना की बहुआयामिता – स्वतंत्र विवेचना का हक। प्रत्येक पाठक अपने अनुसार पढ़े गये रचनाओं का विवेचना करे। किसी भी प्रकार का मानक विवेचना पाठक पर आरोपित न की जाये।

शिक्षा का साहित्य (द्वितीय वर्ष)

S-4

पूर्णांक : 100 (70+30)

न्यूनतम स्वाध्याय अवधि : 70 घंटी

इकाई–I : प्राचीन साहित्य

- कथोपनिषद् से नचिकेता की कहानी
  (नचिकेता के पिता एवं नचिकेता के बीच बातचीत वाला प्रसंग अथवा नचिकेता–यम संवाद)
- महाभारत से एकलव्य की कहानी
  (राजगोपालाचारी/सूर्यकान्त त्रिपाठी 'निराला' लिखित महाभारत से)
- पंचतंत्र की कथाएँ
  (टिटहरी की कहानी)

इकाई–II : बालमानस कहानियाँ

- बस की सैर – वल्लिकानन
- मातृध्वनि – कृष्ण कुमार
- इतवा मुंडा ने लड़ाई जीती – महाश्वेता देवी
- उसका स्कूल – नवीन सागर
- बड़ा अफसर – सुनील कौशिश
- रजाई – अशोक अग्रवाल

इकाई–III : उपन्यास–अंश

- स्वामी और उसके दोस्त – आर. के. नारायण
- आपका बंटी – मन्नू भंडारी
- बड़े भाई साहब – मुंशी प्रेमचन्द
- कागज़ी है पैरहन – इस्मत चुग़तई

इकाई–III : निबंध

- बाल जगत के दहीज पर – सच्चिदानंद हीरानंद वात्सयायन 'अज्ञेय'
- स्त्री की शिक्षा – महादेवी वर्मा

❖❖❖

संदर्भ

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा–2005 के 'मार्गदर्शक सिद्धांत' में से एक है 'ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना।' इस सिद्धांत का अर्थ है कि बच्चे के दैनिक जीवन तथा स्कूली–ज्ञान के बीच सीमाओं को लचीला बनाने कि आवश्यकता है। इसलिए आवश्यक है कि सीखने के संदर्भ में भाषा की भूमिका के बारे में समझ बनाई जाए ताकि किसी भी विषय को समझने के तरीके विकसित किए जा सकें। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एन.सी.टी.ई.) द्वारा 'डिप्लोमा इन एजुकेशन' के लिए निर्मित पाठ्यक्रम में शिक्षा में भाषा के महत्त्व को रेखांकित करते हुए कहा है कि भाषा मात्र संप्रेषण का साधन नहीं है अपितु यह वो साधन भी है जिसके द्वारा अधिकांश ज्ञान का अर्जन होता है। यह वह प्रणाली है जो हमारे इर्द–गिर्द फैली वास्तविकता को आकार देती है और उसे हमारे दिमाग में व्यवस्थित करती है। भाषा के कारण ही मनुष्य अपने मन की बात को दूसरे को बता पाता है। भाषा के कारण ही मनुष्य दूसरे को छूए बिना भी उससे मदद मांग सकता है तथा दूसरे की मदद कर सकता है। भाषा के कारण ही मनुष्य उस स्थिति को हासिल कर पाता है, जिसमें वह वस्तुओं और प्राणियों की अनुपस्थिति में भी उनके बारे में विचार कर सकता है। बच्चे, भाषा से अनेक काम लेते हैं। वे सवाल पूछते हैं, आदेश देते हैं, विश्लेषण करते हैं, कल्पना करते हैं, वस्तुओं और प्राणियों से जुड़ते हैं, विचार करते हैं, आदि इन सभी कामों के लिये बच्चे, भाषा का प्रयोग करते हैं। स्कूल में इन कार्यों के लिए अवसर उपलब्ध कराएँ जाने चाहिए। इस विशय के माध्यम से प्रशिक्षुओं में दो क्षमताओं का विकास होगा। पहली, वे यह समझ पाएँगे की बच्चे भाषा से कौन–कौन से काम लेते हैं, तथा दूसरी, वे बच्चों की भाषाई क्षमता को बढ़ाने के तरीकों का उपयोग करना सीख पाएँगें। बहुभाषिकता प्रत्येक भाषा की विशेषता है। प्रत्येक भाषा अनेक भाषाओं से मिलकर समृद्ध होती हैं, भाषाओं में हो रहे सहज मेल–जोल के प्रति स्वीकृति का नज़रिया रखना, भाषा को बोझिल होने से बचाता है। बच्चों की भाषा में निहित बहुभाषिकता के गुण को कक्षा में शिक्षणशास्त्रीय स्रोत के रूप में उपयोग किया जाना चाहिए। भारत एक बहुभाषिक राष्ट्र है। यहाँ न केवल अनेक भाषाएँ बोली जाती हैं बल्कि अनेक भाषाई परिवार भी मिलते हैं। इस बात को समस्या न मानकर, ताकत मानना चाहिए। हर विषय के शिक्षक को यह समझ होनी चाहिए कि उसके द्वारा पढ़े गए विषय का महत्त्वपूर्ण स्रोत भाषा है। इसकी मदद से वह अपने विषय में ज्ञान का सृजन, भण्डारण, सम्प्रेषण, मूल्यांकन एवं संशोधन करता है। इसी कारण भाषा का स्थान स्कूली शिक्षा के पूरे पाठ्यक्रम में सबसे महत्त्वपूर्ण माना जाता है। शिक्षक बनने की इच्छा रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए जरूरी है कि वह इस तथ्य को समझे और शिक्षक के रूप में इसका उपयोग करे।

उद्देश्य

इस पाठ्यक्रम पर आधारित विषयवस्तु के शिक्षण के उद्देश्य निम्नलिखित हैं :–

- भाषा की प्रकृति के बारे में समझ बनाना।
- प्रत्येक भाषा में निहित बहुभाशिकता को समझना।
- बच्चे भाषा का अर्जन और उपयोग कैसे करते हैं, इस प्रक्रिया को समझना।
- विद्यालय का बच्चों की भाषा पर पड़नेवाले प्रभाव का अध्ययन करना।
- भाषा और समाज के मध्य रिश्तों के बारे में विवेचनात्मक समझ विकसित करना।
- भाषा के सामाजिक, राजनैतिक व सांस्कृतिक संदर्भों को समझना।

भाषा और शिक्षा (प्रथम वर्ष)

F-5

पूर्णांक : 100 (70+30)

न्यूनतम स्वाध्याय अवधि : 70 घंटी

इकाई–I : भाषा की प्रकृति

- भाषा का अर्थ
- भाषा, प्रतीकों की वाचिक व्यवस्था के रूप में,
- भाषा, समझ के माध्यम के रूप में,
- भाषा, संप्रेषण के माध्यम के रूप में
- भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था :
  - –ध्वनि संरचना
  - –शब्द संरचना
  - –वाक्य संरचना
  - –प्रोक्ति (संवाद) संरचना
- भाषा की विशेषताएँ

इस इकाई का उद्देश्य प्रशिक्षुओं को "भाषा क्या है" यह समझने में मदद करना है। भाषा की सबसे प्रचलित परिभाषा यह है कि भाषा संप्रेषण का माध्यम है। परन्तु यह भाषा की बहुत ही सीमित परिकल्पना है। इस इकाई में हम भाषा के विभिन्न पहलूओं के बारे में बातचीत करते हुए यह समझने का प्रयास करेंगे कि भाषा को किन–किन रूपों में समझा जा सकता है? साथ ही साथ व्याकरण के दृष्टिकोण से ध्वनि, वाक्य एवं संवाद के धरातल पर भाषा की संरचना को समझने का भी प्रयास करेंगे। इकाई के अन्त में हम भाषा की विशेषताओं के बारे में समझ बनाएंगे।

इकाई–II : भाषायी विविधता व बहुभाषिता

- भारत का बहुभाषिक परिदृश्य : भारत में भाषाएँ एवं भाषा–परिवार
- बिहार का बहुभाषिक परिदृश्य
- बहुभाषिकता के आयाम : बौद्धिक आयाम, शिक्षणशास्त्रीय आयाम
- भाषाओं के संदर्भ में संवैधानिक प्रावधान
  - – अनुच्छेद 343–351
  - – आठवीं अनुसूची

हमारे देश में कई प्रकार की विविधताएँ हैं। भाषायी विविधता भी उनमें से एक है। पूरे विश्व में लगभग 5000 भाषाएँ हैं उनमें से करीब 1600 से अधिक भाषाएँ भारत में बोली जाती हैं। भारत के संदर्भ में यह कहना गलत नहीं होगा कि यहाँ अधिकांश व्यक्ति कम–से–कम दो भाषाएँ जानते हैं। यह जानते हुए भी कि भारत एक बहुभाषिक देश है स्कूलों में भाषा शिक्षण में ज़ोर किन्हीं एक या दो विशेष भाषाओं (अमूमन हिन्दी व अंग्रेजी) पर ही होता है। बच्चों की भाषाओं, जो कि इतनी विविधता लिये हुए होती है, उनको भाषा व बोली, शुद्ध भाषा, मानकीकृत भाषा जैसे मुद्दों के बीच दबा दिया जाता है। यह इकाई, भाषायी विविधता व बहुभाषिकता को समझने में मदद करेगी। इकाई में बिहार के बहुभाषिक परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए विस्तार से यह चर्चा की जाएगी कि हम इस भाषायी विविधता को स्वयं व बच्चों के भाषा के विकास के लिए एक संसाधन के रूप में उपयोग कैसे कर सकते हैं।

इकाई–III : बच्चे और भाषा

- बच्चों के भाषा सीखने की क्षमता तथा बच्चों के भाषाई ज्ञान को समझना
  –विद्यालय आने से पहले बच्चों की भाषाई पूंजी
- बच्चे भाषा कैसे सीखते हैं ? (स्किनर, चॉमस्की, वायगोत्स्की और पियाजे के विशेष संदर्भ में)
- भाषा अर्जित करने और भाषा सीखने में अंतर

बच्चे अपने परिवेश के साथ सहज अन्तःक्रिया करते हुए भाषा सीख जाते है। यदि हम भाषा सीखने की इस प्रक्रिया पर ध्यान दें तो हमें यह समझने में मदद मिलेगी कि कक्षा में भाषा सीखने की प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए? इस इकाई में बच्चों की भाषा सीखने की क्षमता, भाषा सीखने की प्रक्रिया व उसमें विभिन्न कारकों के योगदान पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। भाषा सीखने की प्रक्रिया के बारे में शिक्षाविदों मुख्यतः पियाजे, वायगोत्सकी, चॉमस्की के दृष्टिकोण से भी आप इस इकाई में परिचित होंगे। आप यह भी समझ पाएंगे कि भाषा कैसे समझ के निर्माण में सहयोग करती है।

इकाई–IV : विद्यालय में भाषा

- भाषा विषय के रूप में तथा भाषा माध्यम के रूप में
- भाषा सीखने–सिखाने के उद्देश्यों की समझ
  – कल्पनाशीलता
  – सृजनशीलता
  – संवेदनशीलता
  – भाषा के आधारभूत कौशलों – सुनना, बोलना, पढ़ना तथा लिखना का विकास
  – शुरुआती पढ़ना–लिखना – अवधारणा एवं महत्त्व
- लिपि का अर्थ
  –क्या किसी भाषा तथा किसी लिपि के मध्य अनिवार्य संबंध है
  –लिपि सीखने को भाषा सीखने के परिप्रेक्ष्य में समझना
- लिपि और भाषा

बच्चा जब विद्यालय आता है तब तक वह अपनी भाषा में परिपक्व हो जाता है। वह अपनी भाषा में व्यक्तियों के साथ संवाद करने की क्षमता रखता है। यह महत्त्वपूर्ण है कि भाषायी रूप से परिपक्व बच्चों के भाषायी उपयोग एवं स्तर के विकास में शिक्षक अपनी भूमिका के बारे में समझ बनाए एवं उसका उपयोग करें। प्रशिक्षु भाषा तथा लिपि के बीच अन्तःसंबंध को बच्चों को भाषा सीखने के अवसर उपलब्ध करवाने के संदर्भ में समझेंगे।

इकाई–V : भाषा का सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनैतिक संदर्भ

- भाषा और बोली : भाषा और बोली में अन्तर करने के विचार को भाषा वैज्ञानिक आधार पर परखना
- भाषा और अस्मिता
- भाषा और सत्ता
- भाषा और लिंग

द्वितीय वर्ष

संदर्भ

भारत न केवल भाषा की दृष्टि से समृद्ध है बल्कि संस्कृति, कला की दृष्टि से भी समृद्ध है। भाषा किसी भी संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। किसी भी भाषा को सीखने का मतलब उस समुदाय, क्षेत्र की संस्कृति एवं परंपराओं को सीखना है। यदि हम चाहते हैं कि हमारी अपनी अनूठी सांस्कृतिक पहचान को उसकी विविधता और समृद्धता सहित बचाए रखना है तो कला को औपचारिक शिक्षा की धारा में शामिल करना होगा। भारत में अनेक प्रकार की कलाएँ – संगीत, नृत्य, नाट्य, हस्तशिल्प, मूर्तिकला आदि अपने चरम रूप में उपस्थित हैं। ये कलाएँ वास्तव में भाषा की ही तरह संप्रेषण की विधाएँ हैं जिनके माध्यम से एक व्यक्ति या जनसमूह अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करता है। फसल काटने, ऋतु परिवर्तन, शादी–ब्याह, जन्म–मृत्यु, पर्वों आदि के मौके पर गाए जाने वाले गीत कहीं–न–कहीं हमारी प्रगाढ़ अनुभूतियों को सृजनात्मक, कलात्मक तरीके से अभिव्यक्त करते हैं। ये कलाएँ सिर्फ मनोरंजन का बहाना नहीं हैं बल्कि कला से जुड़े सैद्धांतिक ज्ञान, तार्किक चिंतन और समाजीकरण को भी समेटे हुए हैं।

विद्यालयी पाठ्यचर्या से इन समस्त कलाओं का समावेश बच्चों में सौंदर्यबोध की प्रवृति को विस्तार देगा। कलाओं से जुड़ी सैद्धांतिक जानकारी प्राप्त करने के अलावा दैनिक जीवन में उनका उपयोग भी कर सकेंगे। शिक्षा और काम का संबंध इस तरीके से पूरा किया जा सकता है। वर्तमान समय में पारंपरिक कलाओं ने इतना विशाल रूप ग्रहण किया है कि आज वे सिर्फ समुदाय की परिधि तक सीमित नहीं हैं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय फलक तक उनकी पहुँच संभव हुई है। गाँव में होने वाली 'नौटंकी' आज 'नृत्य नाटिका' या 'बैले' तक विस्तृत रूप ले चुकी है। लोक गीतों की परंपरा मीडिया, सिनेमा में अपनी विशिष्ट जगह बनाई है। गीत, संगीत, नाटक, दृश्य कला, कला प्रदर्शन आदि का शिक्षण करने से विद्यार्थी देश की विविध कलात्मक परंपराओं से परिचय प्राप्त कर सकेंगे। उच्च स्तरीय कौशलों के विकास के साथ उनमें आत्मबोध, ज्ञानात्मक और सामाजिक विकास भी अपनी पूर्णता को प्राप्त कर सकेंगे। कला के माध्यम से संप्रेषण/अभिव्यक्ति के तौर–तरीक़ों से भी मज़बूत रिश्ता क़ायम होगा। संप्रेषण की इन विभिन्न विधाओं का शिक्षा में ज़ोर सीखने पर हो न कि सिखाने पर। इसमें सहभागिता आधारित गतिविधियों पर बल देना भी ज़रूरी है। प्रयास यह होना चाहिए कि बच्चे कला के माध्यम से अपने आप विकसित करें और उनमें सामाजिक एकजुटता एवं सांस्कृतिक चेतना का विकास संभव हो।

उद्देश्य

इस पाठ्यक्रम पर आधारित विषयवस्तु के शिक्षण के उद्देश्य निम्नलिखित हैं :–

- संप्रेषण की अवधारणा और उसका विभिन्न विधाओं से परिचय कराना।
- भारत की विविध कलाओं, सांस्कृतिक विरासत से परिचय कराना।
- संप्रेषण के तरीकों के अंतर्गत – गीत, संगीत, नाटक, चित्रकला, मूर्ति कला, शिल्प कला, नृत्य आदि के शैक्षिक महत्त्व को समझना।
- विद्यार्थियों में विभिन्न कलाओं के प्रति रूचि उत्पन्न करते हुए उनकी सृजनात्मकता, सौंदर्यबोध का विकास करना।
- प्रक्रिया एवं उत्पाद के संदर्भ में विद्यार्थियों का उचित मूल्यांकन करना।
- विद्यार्थियों के स्तरानुकूल उचित गतिविधियों की पहचान, चयन एवं आयोजन करना।
- विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से समुदाय के साथ संबंध स्थापित करना।

संप्रेषण के तरीके (द्वितीय वर्ष)

S-5

पूर्णांक : 100 (70+30) न्यूनतम स्वाध्याय अवधि : 70 घंटी

इकाई–I : संप्रेषण की विधायें

- संप्रेषण : अवधारणा, स्वरूप एवं महत्त्व
- संप्रेषण की विधायें : भाषा, संकेत, भाव, चुप्पी, रूपक, कविता, शेर, मुहावरे, प्रतीक–चिन्ह, गीत, नाटक, चित्रकला, मूर्तिकला, संगीत, नृत्य आदि।
- संप्रेषण को प्रभाविता करने वाले कारक (भू–सांस्कृतिक एवं सामाजिक संदर्भ)।
- संप्रेषण की विभिन्न विधाओं का शैक्षिक अर्थ।

इकाई–II : संप्रेषण और बच्चे

- बच्चों की आपसी बातचीत, उनके खेल और उनका दैनिक संप्रेषण।
- बच्चों की दुनिया के प्रतीक–चिन्ह, कल्पनाएँ, स्मृतियाँ।
- व्यस्क और बच्चों के संदर्भ में भाषायी प्रयोग की सीमायें; भाषा प्रयोग में पूर्व–धारणायें व पूर्वाग्रह।
- संप्रेषण के घोषित एवं छुपे हुए तरीके।
- शाब्दिक संप्रेषण में हावभाव, मुद्रा व आवाज के उतार–चढाव की भूमिका।

इकाई–III : दृश्य कला एवं प्रदर्शन कला (संप्रेषण के साधन के तौर पर)

- चित्रकला व शिल्प कला : स्वरूप महत्त्व एवं प्रकार।
- रंग : संयोजन का महत्त्व, विभिन्न प्रकार की पेंटिंग, ऑरीगेमी एवं क्लॉज़ बनाना, मिट्टी से मूर्तियाँ, बर्तन, आदि बनाना।
- स्थानीय भारतीय, पाश्चात्य एवं आधुनिक दृश्य कलाएँ/दृश्य कलाकृतियों व प्रदर्शन कलाओं (चित्रकला, नाटक, शिल्पकला, फिल्म, डॉक्यूमेंट्री इत्यादि) एवं उनका स्कूल में उपयोग तथा प्रदर्शन।
- प्रदर्शन कलाओं की अवधारणा, स्वरूप एवं महत्त्व : बच्चों के विशेष सन्दर्भ के साथ।
- नाट्य विधायें, नृत्य, गीत व संगीत के विभिन्न प्रकार और उनकी खासियत।
- प्रदर्शन कला के विभिन्न प्रकार जैसे -- नाटक, एकांकी, नृत्य–नाटक, नुक्कड़–नाटक, गीत–संगीत, नृत्य आदि का बच्चों से संवाद स्थापित करने में सृजनात्मक इस्तेमाल।
- बच्चों के नाटक – विभिन्न नाट्य विधाओं पर आधारित खेल का निर्माण।

इकाई–IV : प्रदर्शन कलाओं का आयोजन

- प्रदर्शन कलाओं का आयोजन – आयोजन से पूर्व के, मध्य के, और उपरांत के क्रियाकलाप, उचित कला सामग्री का चयन, पोशाक, प्रसाधन सामग्री, उपकरण एवं अन्य नाटक से जुड़े विभिन्न क्रियाकलाप।

- नाटक का मंचन : कथा, संवाद, पात्र, रंग संकेत, मंच साज–सज्जा, प्रकाश व्यवस्था आदि का महत्व एवं व्यवस्था, विभिन परिस्थितियों का निर्माण करते हुए अभिनय करना, गतिविधियाँ : एकल एवं सामूहिक, गतिविधियों के दौर बरती जाने वाली सावधानियाँ।
- प्रदर्शन कलाओं की समीक्षा, आलोचना व मूल्यांकन – विभिन्न प्रदर्शन कलाओं का समीक्षात्मक अध्ययन, प्रदर्शन कलाओं का मूल्यांकन करने की प्रतिधियाँ।

प्रस्तावित कार्य

प्रत्येक भाग से न्यूनतम दो गतिविधि / कार्य करना अनिवार्य है।

भाग : **I**

- किसी कक्षा की पाठ्य–पुस्तक के एक पाठ का मंचन करने के लिए आवश्यक तैयारी, सामान की सूची बनाना।
- विभिन्न विषयों को पढ़ाने के लिए दृश्य एवं प्रदर्शन कला उपयोग करते हुए अपनी टिप्पणी देना।
- विभिन्न अवसरों पर गाए जाने वाले अपने क्षेत्र के गीतों का संकलन करना।
- रेडियो नाटक तैयार करना।
- अपने क्षेत्र के विभिन्न लोक गीतों के बारे में जानकारी एकत्र कर रिपार्ट बनाना (लोक गीत क्यों, कब गाया जाता है, आदि) एवं लोक गीतों को प्रस्तुत करना।
- रेडियो व दूरदर्शन के अनुसार पाठ लेखन।

भाग : II

- किसी नुक्कड़ नाटक की रचना करते हुए उसका प्रस्तुतीकरण करना।
- सामूहिक गान का आयोजन करना।
- दृश्य एवं प्रदर्शन कला का संयोजन करते हुए एक प्रस्तुति करना।
- अपने क्षेत्र में होने वाले विभिन्न नृत्यों की पृष्ठभूमि, तरीका, हाव–भाव, अंग–संचालन पर एक लेख तैयार करना।
- कक्षा पाँच तक के विद्यार्थियों के लिए गीत बनाना।
- दो–तीन कहानियों की संगीतमय प्रस्तुति करना।
- दो–तीन कहानियों को नृत्य नाटिका के रूप में प्रस्तुत करना।

भाग : III

- मिट्टी से मूर्ति, पात्र आदि बनाना।
- विभिन्न प्रकरण पर आधारित कोलाज़ बनाना, जैसे – सूर्योदय का दृश्य, जंगल, गाँव आदि।
- ऑरीगेमी कला का शिक्षण सामग्री के रूप में प्रयोग करते हुए एक रिपोर्ट तैयार करना।
- विभिन्न प्रकार के मुखौटों का निर्माण।
- कठपुतली व अंगुली कठपुतली (Fingar Pupet) का निर्माण।

❖❖❖

ENGLISH LANGUAGE TEACHING

First Year

Second Year

Introduction

With the advent of Globalisation, English has gained significance in every important realm – be it communication, trade or commerce. Hence, proficiency in this language has become the need of the hour. This entails that the teachers of English at the elementary level must be proficient in the language to be able in creating a learning-rich environment in the classroom. They have to encourage and enable the learners to master the four basic skills, namely listening, speaking, reading and writing.

Linguistically, English for an average child in India is the second language. However, in the lay man's terms, it is the third language for an average child in Bihar where the first language, usually, is Bhojpuri, Maithili, Bangla, Magahi, Angika or Bajika and Hindi or Urdu the second language. The knowledge of Hindi, Urdu, Bhojpuri, Maithili, Bangla, Magahi, Angika or Bajika can be exploited as a rich resource for the teaching -learning of English. The present curriculum seeks to address these issues related to English language teaching in India, especially Bihar. Where, as the mother tongue interference does pose certain problems with regards to pronunciation and the uses of certain structures hence, attempts have to be made to familiarise the learners with English sounds and structures.

It is very difficult to learn a language unless one has proper exposure to it. It is the degree of exposure that makes the learners comfortable in using a particular language. Language is primarily acquired through listening and the suitable response to what we listen to is made through speaking. That is why at the early stage of learning, the interaction in terms of communication is confined to listening and speaking. The skills of reading and writing follow subsequently when the child begins to receive formal education. So the purpose of this course is to enable the trainees to improve their proficiency in English and equip them with the pedagogical insights essentially needed to transact the content effectively in the classroom. Since the lack of competency in English often undermines the performance of a teacher in the classroom, he/she needs to be proficient in the language. A teacher could be at home to use different communicative strategies to meet his/her goal, if he/she finds himself/herself capable in using the language.

Since teaching of English in Bihar begins from class I itself, it is deemed necessary to lay emphasis on the strategies of teaching required for an ESL (English as Second Language) learner. Hence, unlike the earlier D.Ed. course where teaching of English was introduced as a paper only in the second year (SCERT, June 2008; November, 2011), the syllabus for D.El.Ed. introduces it in both the years of the course. The need to introduce Teaching of English in both the years has been realised owing to the paradigm shift that have taken place over the years. The major challenge for the teachers of English at the elementary level is to help the learners overcome the sense of fear and hesitation and encourage them to enjoy learning English.

Keeping in view the need to strengthen the content pertaining to teaching of English, the importance of textbooks as a learning resource cannot be ignored or overlooked. Significantly, to cater to this objective, the textbooks for the Government school students of Bihar have been developed with the principle of constructivism where learners should be constructing on their own. However, constructing new knowledge remains a big challenge if the teachers find it difficult to facilitate the learning resources in the class.

The present curriculum is an attempt to address these challenges. In fact, the curriculum has been designed for the prospective teachers so that they may transact the content keeping in view the difficulties that the learners face while learning a second language thus using the constructivist approach to teaching English as one of the possible remedies to overcome the same.

This is in keeping with the criteria laid in NCFTE-2009 according to which a teacher education curriculum framework must be in consonance with the curriculum framework for school education. (NCFTE-2009, p.2). Hence, the prospective teachers must have adequate exposure to constructivist approach. They need to be prepared in relation to the needs and demands arising in the school context, to engage with questions of school knowledge, the learner and the learning process. NCFTE-2009 is of the opinion that the prospective teachers must be engaged with the conceptual knowledge they have gained through general education. If we want to prepare teachers to present subject-content in developmentally appropriate ways and with critical perspectives it is essential that several theoretical concepts learnt during general education in school and college be revisited and reconstructed.

Needless to say that the present curriculum takes into consideration the paradigm shift in teaching learning - the shift that has taken place after National Curriculum Framework (NCF) 2005 and Right to Education Act-2009. Thus the objective of our course is also to enable the prospective teacher to participate meaningfully and transact the syllabus and textbooks effectively along with the teaching learning materials. To make our canvas even wider, important issues and/or points from the curricula developed by NCTE, IGNOU and NIOS have been incorporated.

Objectives

The objectives of teaching this subject are:-

- To understand the need and importance of English at present time.
- To utilize multilingualism and mother tongue as a resource for teaching English.
- To know about the different apporaches to teaching of English.
- To understand the paradigm shift in curriculum and its impact on teaching of English.
- To develop acquaintance with various approaches, methods and techniques of language teaching.
- To enable teachers to make the best use of four skills and knowledge of the language for the development of these skills among the learners.
- To develop effective stratigies for lesson planning in English.
- To understand the basic concepts and methods of teaching English as a second language.
- To understand own vocabulary capacity as well as of learners in schools and develop curiosity for its enrichment.
- To develop skills for creative lesson planning and its classroom transaction.
- To understand grammar in cotext as inherent component of language learning process.
- To know about the assessment and evaluation in English teaching.
- To develop skills for utilizing instructionals materials for effective teaching.
- To understand the process of language assessment.

ENGLISH LANGUAGE TEACHING-1 (First year)

Full Marks : 100 (70+30) **F-6** **Minimum Self Study Time : 70 Hrs.**

Unit-I: Need and importance of English Language

- English and the Age of Globalisation
- Status of English in India and Bihar
- The concept of the mother tongue(ML), Second language (SL), Foreign language (FL) and the learning of English;
- Multilingualism: Nature, and its use as a resource for language teaching

Since English has become the most important language in India, its role and functions in the multicultural society especially in Bihar must be taken care of. The effective classroom transaction of English with the help of mother tongue should be taken as strength and the prospective teachers should be well versed with the teaching of English both as a subject and as a medium of instruction. The first unit will discuss these issues.

Unit-II: Approaches to teaching of English

- Motivation: a prerequisite of language learning
- The behaviouristic Approach: Translation and Grammar method, Audio-lingual drills.
- The cognitive perspective on language learning
- Structural approach
- Communicative approach
- Whole language approach
- The constructivist classroom:
  - Role of a Teacher at different levels
  - Classroom organisation at different levels
  - Textbook and other resources for language learning at different levels

There are different approaches to language learning. They all have their own merits and limitations. This unit seeks to make the prospective teachers familiar with the key approaches so that they can decide for themselves which approach would be appropriate in which situation. Also, the prospective teachers must be apprised of the utility and importance of psycholinguistic and socio-linguistic approaches to language learning.

Unit-III: Teaching of English: Changing paradigm in curriculum

- Comparative study of different syllabi of English: Syllabus of English (NCERT), Syllabus of English (SCERT) Bihar, Syllabi of English of other states
- BCF-2008 (SCERT) – with special focus on language teaching
- NCF-2005 (NCERT) – with special focus on language teaching
- NCFTE -2009 – with special focus on preparation of language teachers

The ultimate goal of a teacher is to transact the goals and objectives envisaged in the curriculum framework and curriculum developed at the national or the state level. Teaching is always related to the changing scenario and the demand of the society. This unit is designed to expose prospective teachers to the paradigm shifts in the syllabus of English at elementary level over the years both from the national and state perspectives.

Unit-IV: Development of Language skills

A. Listening and Speaking

- "Listening" Vs "hearing"
- Listening with comprehension
- Organising various listening activities: public announcements, simple instructions, telephonic conversation, classroom discussion, radio/T.V. news, sports commentary etc.
- Components of listening: Intensive & Extensive
- Sound system of language – Articulation of sounds
- Repetition of pronounced written letters and words
- Stress & Intonation
- Types of oral communication
- Creating opportunities for using spoken English within the classroom
- Classroom interaction, recitation, story telling, use of multimedia in language teaching and CALL (Computer Aided language learning)
- Testing listening and speaking skills at different levels

B. Reading

- Reading with ability: Decoding unfamiliar/ unknown words
  Word recognition skills
  Guided reading
- Reading with understanding: Extensive and intensive reading
  Skimming and scanning
  Making inferences, analysis and extrapolation
- Loud reading and silent reading
- Reading different literary genres
- Use of dictionaries, e-dictionaries and web pages
- Testing reading at different levels

C. Writing

- Mechanism of writing – strokes and curves, features of handwriting development, the script of language
- Spelling: stages of development
- Different types of writing tasks:
  Translation, Dictation, Picture stories
  Controlled, guided and free composition
  Writing letters, application, reports, messages, memos, notices and posters
  Writing Paragraph and short essay
- Writing as a process and product
- Testing writing at different levels

Language learning is basically mastering the four skills which include listening, speaking, reading and writing. Unless we listen to a language adequately and speak accordingly there is a very thin chance of becoming effective in oral communication. Similarly, unless we read extensively and take pains to write for different situations and in different styles we shall scarcely develop the skills of reading and writing. This unit, therefore, seeks to provide

prospective teachers ample opportunities to develop language skills and be proficient in using English. Listening and speaking in this unit have been grouped together, as it is very difficult to delink these two activities.

Unit-V: Lesson Planning

- Concept, importance and steps of Lesson planning
- Lesson plan based on constructivist approach for:
  - Picture story
  - Rhymes:
  - four skills
  - integrated grammar

Lesson planning is backbone to teaching learning process. A teacher needs to plan her lesson very meticulously, keeping in mind the level of the learners as well as the objectives of the particular lesson. This unit is an attempt to give the prospective teachers ample opportunity to be familiar with different components of lesson plan and enable them to devise their own in order to succeed in transaction.

Suggestive works

- List out the resources for language learning at different levels
- Make a list of words which have different syllables stressed when used as different parts of speech
- Choose two passages – one for evaluating skimming and scanning skills and another for skill of making inferences – and frame questions accordingly.
- List out the problems that your students had in your class and write in detail the measure you took to overcome these problems
- Develop reading material/activities essentially needed for developing listening and speaking skills.
- Collect at least 100 words of English (or as many as possible) that a child knows before coming to school.
- Make list of words in English where p, r, l, k, d sounds are not pronounced.
- Listen to radio news in English and list some of the important news of the day.
- Watch a TV serial and write a gist of it in your own words.
- Make a glossary of homophones.
- Choose any lesson from the textbook and demonstrate the rationale behind the selection of that lesson in the light of the state curriculum.
- Make a comparative study of the national syllabus and the state syllabus of English.

ENGLISH LANGUAGE TEACHING-2 (Second year)

S-6

Full Marks: 100 (70+30) **Minimum Self Study Time: 70 Hrs.**

Unit-I: Basic Concepts and Methods of Teaching English as a Second language:

- Concept of language, language acquisition, language-learning, contrastive analysis and error analysis
- Principles of Second Language Teaching
- English as Second language (ESL): Proficiency vs. Accuracy
- Factors affecting second language learning: Attitude, Motivation, Anxiety, Aptitude, Personality, Cognitive style, Age of acquisition
- Linguistic Competence and Communicative competence (CC) with reference to LSRW skills.
- Effective teaching of English: problems and solutions.

In India, English is usually taught as a second language; and as such the methodology required for effective teaching learning process needs to be explored. The same method as in the case of Hindi /Urdu or the mother tongues cannot be applied in teaching English; the latter requires a host of methods to be used in accordance with different situations. This unit is an attempt to make the prospective teachers familiar with the principles and practices of different methods applicable to a second language and/or foreign language with special reference to English.

Unit-II: Vocabulary Enrichment

- Words spoken around
  - Words used at home, in school and in the market
  - Words spoken in the surroundings
  - Words used in the text-books
  - Words related to social and cultural contexts
  - Some common prepositions, adjectives and other parts of speech
- Homophones
- Synonyms and Antonyms
- Word formation skills (using gender, number, prefixes and suffixes etc.)
- Formation of new words by changing noun into adjective and so on

Vocabulary is an important component of any language. Here, merely knowing the meanings of the words is not enough. It is important that while introducing new words or lexical items, the teacher should use it in a given context. In the process, students need to be encouraged to engage themselves in curiously exploring the meaning of the words and their usage in real life situations. For building vocabulary, a host of methods and techniques are used. Among them Brainstorming technique is considered to be the most useful one especially for the beginners.

Unit-III: Lesson Planning

- Preparing skill and content based lesson plans:
  - Prose
  - poetry
  - drama
  - integrated grammar
  - vocabulary
  - four skills

A lesson planned in advance always makes the teaching systematic, organised and purposeful. However, there are certain technicalities that need to be taken care of while preparing a lesson plan. Hence the prospective teachers have to be aware of not only the objectives in behavioural terms but also the teaching strategy through which a particular lesson is supposed to be taught. This unit complements the unit on lesson plan in the first year.

Unit-IV: Grammar in context

- Role and importance of grammar in language learning
- Different approaches to grammar:
  - Prescriptive
  - Communicative
  - Constructivist
  - Notation of correctness vs. Notion of Appropriateness
- Defining Functional Grammar or Grammar in context
- Grammar games

Grammar has always received special attention in language learning. It formed the most important component in the traditional approaches. In constructivist approach, grammar does not receive that kind of treatment; it is now viewed as inherent to language learning process. That is to say that instead of prescriptive Grammar the process has shifted to grammar in context and grammar games.

Unit-V: Evaluating and adapting instructional/teaching material

- Need of evaluating material
- How to do evaluation
- Need and process of adapting materials
- Simplifying, recording material in use, textbooks, workbook, supplementary readers etc.

Instructional materials are not the ultimate goals, they are one of the tools to achieve the goals envisaged in the curriculum. A teacher must have the skill to evaluate and adapt the instructional material, keeping in mind the level of the learners she has at her disposal.

Unit-VI: Assessment and Evaluation

- Difference between assessment and evaluation
- Assessment at different levels (from NCF 2005 perspective)
- What to test: skills, lexical items, structure items, poetry, prose and grammar.
- Continuous and comprehensive evaluation (CCE) from the perspective of English language

- Preparing question items in four basic skills

A teacher must have the skill to evaluate and adapt the instructional material, keeping in mind the level of the learners she has at her disposal.

Suggestive works

- Try to find out the common errors made by your students because of their mother-tongue interferences at both syntactic and phonological levels.
- Name the English sounds which are not found or used in your language.
- Make yourself acquainted with the I.P.A symbols of all the forty four sounds in English to help yourself in teaching your students learn the proper pronunciation of each word given in all good dictionaries. Prepare at least three language games for the development of language skills.
- Prepare a picture dictionary for Class I to V children in English
- Develop a short story for children in view of developing certain concepts or skills.
- List out hundred words of English from the newspaper you read. Write down their meanings and use them into sentences of their own.
- Prepare a list of difficult words in English from the textbook with the help of children and arrange them alphabetically.

Suggested Books/Articles/Website

- Flood, James et al (2003). Handbook of Research on teaching the English languages arts. Mahwah: Lawrence Erlbaum Association.
- Kippel, Friederike (1984). Keep Talking: Communicative Fluency Activities for Language Teaching. Cambridge: Cambridge University Press.
- Kochar, Shashi & Ramachandran, J. (2001). Teaching of English. New Delhi: Arya Book Depot.
- Krashen, Stephen D. (1981). Second Language Learning and Second Language Accquisition. Pergamon Press.
- Littlewood, William. (1981). Communicative Language Teaching: An Intorduction. Cambridge University Press.
- Munvy, John (1981). Communicative Syllabus Design: A Sociolinguistic Model for Defining the Content of Purpose-specific Language Programs. Cambridge University Press.
- Nagaraj, Geetha (2008). ELT: Approaches, Methods & Techniques (Revised). Orient BlackSwan.
- NCERT (2006). Position paper: national focus group on teaching of English. New Delhi: NCERT.
- Nunan, David (1989). Understanding Language Classrooms: A Guide for Teacher Initiated Action (Language Teaching Methodology Series). London: Prentice-Hall International.

गणित का शिक्षणशास्त्र

प्रथम वर्ष

द्वितीय वर्ष

संदर्भ

मानव–सभ्यता के आदि काल में 'अधिक' या 'कम' के बोध के साथ गणितीयकरण का आधार बना होगा जो क्रमशः गिनती, संख्या और उन पर की जानेवाली संक्रियाओं से होता हुआ ज्यामितीय, बीजगणितीय तथा अन्य विश्लेषणात्मक अवधारणाओं एवं संरचनाओं के रूप में विकसित हुआ। गणित अपने प्रारम्भिक तथा समस्त रूपों में वस्तु या यथार्थ के मात्रात्मक पहलु को समझने के क्रम में आगे बढ़ा। लगभग सभी सभ्यताओं में एक गणितीय चिन्तन तथा प्रणाली का विकास हुआ जो संभवतः आधुनिक गणितीय चिन्तन तथा प्रयोग का आधार बना। इस तरह गणित सामान्य जन से लेकर दार्शनिकों तथा गणितज्ञों के विचारों एवं क्रियाकलापों का एक अनिवार्य अंग बन चुका है।

गणित क्या है?

क्या संख्याएँ गणित हैं? क्या अंक 0, 1, 2, 3, 4, 5... आदि गणित हैं या संख्याओं पर की जाने वाली संक्रियाएँ गणित हैं या ज्यामितीय या बीजगणितीय विचार या उन पर की जाने वाली संक्रियाएँ या फिर विश्लेषणात्मक गणित ही, गणित है। इसके अतिरिक्त, क्या यह घरेलू महिलाओं या किसान एवं मजदूरों तथा बीच में स्कूल छोड़ने वाले बच्चों द्वारा अपने मजदूरी या व्यवसाय में प्रयुक्त होने वाली गतिविधि तथा कौशल है। क्या दैनिक समस्याओं के हल के लिए गणित अनिवार्य है? प्रश्न यह उठता है कि आखिर गणित है क्या ? क्या संख्याओं तथा अन्य गणितीय विचारों के पीछे की सोच या दैनिक समस्याओं के हल के लिए गणितीय अवधारणाओं एवं तत्वों का प्रयोग ही गणित है?

बच्चो को गणित क्यों सिखाया जाए? प्रत्येक वस्तु या यथार्थ का मात्रात्मक पहलु होता है जिसे समझने की आवश्यकता सभी व्यक्तियों या समूहों को होती है। इसी के संदर्भ में विचारों के संगठन, विषय तथा जनसामान्य की संज्ञानात्मक रणनीति के रूप में गणित का विकास हुआ। किसी व्यक्ति को सक्षमता एवं सफलतापूर्वक अपने जीवन–निर्माण की प्रक्रिया में गणितीय बोध तथा रणनीतियों से लैस होना अपरिहार्य होता है। यद्यपि गणित मानव की एक अंतरंग संज्ञानात्मक विशेषता है तथा जीवन के प्रारम्भ से ही उसमें गणितीय बोध, अंतर्दृष्टि तथा रणनीतियों का विकास होता है। फिर भी उसे एक ऐसे माहौल की आवश्यकता होती है जो उन्हें अपनी गणितीय बोध एवं विचार तथा रणनीतियों को और अधिक विकसित करने में मदद कर सके। गणित एक व्यक्ति को तर्क, सामान्यीकरण एवं अमूर्तीकरण तथा इस प्रकार की गणितीय रणनीतियों को विकसित करने में मदद करता है जिसके द्वारा वह अपने विचारों, अनुभवों तथा जीवन अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण करता है। इन्हीं संदर्भों में बच्चों में गणितीय बोध तथा गणितीय अभिकरण विकसित करने की आवश्यकता होती है। आधुनिक गणितीय विचार एवं ज्ञान की जटिलता एवं सूक्ष्मता के कारण इस कार्य को संपादित करने का उत्तरदायित्व, विद्यालय एवं शिक्षकों पर ही है। विषय–वस्तु के विनिमयन की प्रक्रिया क्या हो तथा कैसे शिक्षकों के द्वारा उसका विनिमयन हो, यह विचारणीय प्रश्न हो जाता है? इस कार्य को करने वाले शिक्षकों को चिन्तनशील, स्वाध्यायी तथा नवाचारी होना होगा। उन्हें नई–नई शिक्षाशास्त्रीय रणनीतियों को सोचना होगा। बच्चों एवं उनके बचपन को भी समझना होगा। विचारणीय प्रश्न यह है कि ऐसे शिक्षकों को कैसे तैयार करें एवं उन्हें किस प्रकार की तैयारियों से लैस करें? हमारा यह चिन्तन एवं रणनीति शिक्षकों के प्रशिक्षण का आधार बनेगी।

बिहार के विशेष सामाजिक–सांस्कृतिक तथा शैक्षिक गतिशीलताओं, गणित के इतिहास तथा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा–2005, समान विद्यालय प्रणाली आयोग–2007, बिहार पाठ्यचर्या की रूपरेखा–2008, अध्यापक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा–2009 (एन.सी.एफ.टी.ई–2009), शिक्षा का मौलिक अधिकार अधिनियम–2009 इत्यादि के माध्यम से गणित शिक्षण के बहुआयामी तथा जीवंत संदर्भो का निर्माण किया

जायेगा। नैसर्गिक रुप में गणित मूलतः एक प्रकिया होती है। जब व्यक्ति या कोई समूह गणितीय अवधारणाओं का उपयोग किसी विचार, स्थिति या वस्तु के साथ अंतःक्रिया के लिए करते हैं तो उसे गणितीयकरण कहते हैं, अर्थात गणितीय प्रत्ययों, संक्रियाओं तथा भाषा के द्वारा किसी विचार या वस्तु के मात्रात्मक पक्ष को संबोधित करना ही गणितीयकरण है। सामान्यतः गणितीयकरण के तीन पक्ष (Domain) है। पहला – विद्यालय में गणितीयकरण, दूसरा सत्य को खोजने का साधन यानी दार्शनिक दृष्टिकोण तथा तीसरा सामान्य जनजीवन जिसके द्वारा दैनिक जीवन की गतिविधियों को बुना जाता है। इन तीनों पक्षों में गणितीयकरण की अपनी सार्थकता है फिर भी विद्यालयी गणित यानी गणित का औपाचारिक स्वरूप सामान्य लोगों के गणितीयकरण से भिन्न तथा सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इस इकाई में गणित की प्रकृति को इसी परिपेक्ष्य में विवेचित किया जायेगा तथा उसका शिक्षा शास्त्रीय निहितार्थ बताया जायेगा। यह भी स्पष्ट किया जायेगा कि एक अनुशासन के रुप में गणित अनिवार्यतः प्रत्यय, प्रक्रिया, संकेत एवं भाषा के अन्तः संबंध की संरचना है तथा परन्तु यह पूर्व निर्धारित न होकर व्यक्ति या समूहों के सक्रिय भागीदारी द्वारा निर्मित है।

उपर्युक्त सोच के साथ वर्तमान पाठ्यचर्या एवं पाठ्यक्रम का विकास किया गया है। पाठ्यक्रम में गणित विषय के क्षेत्र, प्रकृति, महत्त्व, एवं सार्थकता को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है तथा गणित के संबंध में समाज में मौजूद विभिन्न प्रकार के मिथक, भ्रम एवं भय को भी दूर करने का प्रयास किया गया है। इसके अतिरिक्त गणित के सीखने–सिखाने की प्रक्रियाओं एवं उनसे संबंधित विभिन्न रणनीतियों को भी बताने का प्रयास किया गया है। गणित के सीखने–सिखाने की योजना एवं मूल्यांकन की प्रविधि पर चर्चा होगी। इसके अतिरिक्त विषय–वस्तु से संबंधित कुछ कठिन अवधारणाओं को भी यहाँ स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है।

जिन विधियों का सहारा लेकर अभी तक गणित के सीखने–सिखाने का कार्य किया जा रहा है उन्हें शिक्षक–केन्द्रित की संज्ञा देकर उनकी निन्दा की जाती रही है। सोच यह है कि शिक्षण अधिगम सामग्री, वर्ग–व्यवस्था, विनिमयन के तरीकों के केन्द्र में शिक्षक हैं, बच्चे कहीं हाशिये पर चले जाते हैं। अब बाल–केन्द्रित एवं आनंददायी गतिविधियों पर बल दिया जा रहा है। पुस्तकें भी बच्चों को केन्द्र में रखकर तैयार की जा चुकी है तथा उनमें वर्णित गतिविधियाँ भी बच्चों के सीखने के अनुरूप ही हैं। इससे कक्षा में बच्चें आनंद की अनुभूति करते हुए सीखते हैं। इसको ध्यान में रखते हुए हमने यहाँ रचनावाद के सिद्धांत पर आधारित अपनी विषय–वस्तु को प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। हमने अपेक्षा की है कि पाठ्यक्रम के विनिमयन के उपरांत जो शिक्षक तैयार होंगे, वे बच्चों को सही तरीके से समझ पायेंगे तथा वे सीखने के क्रम में बच्चों के पूर्व ज्ञान एवं परिवेश को उचित सम्मान प्रदान करेंगे। उनमें स्वाध्याय की आदत विकसित होगी तथा वे बच्चों में तर्क शक्ति, चिंतन शक्ति एवं ज्ञान सृजन करने में सफल होंगे। ऐसे शिक्षकों द्वारा तैयार किये गये बच्चे अपने दैनिक जीवन की समस्याओं का समाधान स्वयं करने में भी सफल होंगे। शिक्षणशास्त्र के संबंध में रचनावाद की अनेक अवधारणाएँ जिसमें प्रत्येक की कोई न कोई सीमा है। अतः गणित के संदर्भ में रचनावाद पर विचार करने तथा बिहार की विशेष शिक्षायी पृष्ठभूमि के सापेक्ष स्थापित करने की आवश्यकता है।

गणित सीखने–सिखाने के माहौल के निर्माण में यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि गणित के सभी विचारों तथा उनके बीच के तार्किक अन्तर्संबंधों पर बल दिया जाये, जिसके माध्यम से विद्यार्थियों में दृश्यबोध चिन्तन, बोध तथा गणितीय अभिकरण विकसित किया जा सके।

उद्देश्य

इस पाठ्यक्रम पर आधारित विषयवस्तु के शिक्षण के उद्देश्य निम्नलिखित हैं :–

- गणित के चिंतन एवं इतिहास को समझना।
- गणित की प्रकृति व उसमें निहित विचार, मूल्य तथा तर्कों को समझना।
- गणित का अन्य विषयों से संबंधों की संरचना एवं गतिशीलता को समझना।
- गणित के बारे में व्याप्त भय, भ्रम और मिथक को समझना।
- गणितीयकरण की प्रक्रिया को समझना।
- दैनिक जीवन में गणित के उपयोग एवं महत्त्व का ज्ञान कराना।
- गणित के द्वारा जीवन के विभिन्न पहलुओं एवं यथार्थों को समझने तथा समाधान की क्षमता प्रदान करना।
- लोक गणित, स्थानीय गणित तथा अनौपचारिक गणित को समझना तथा शिक्षण संबंधी चिन्तन एवं अभ्यास में शामिल विद्यालयी गणित की प्रकृति तथा गणित के पाठ्यक्रम की आलोचनात्मक समझ बनाना।
- गणित शिक्षण की विधियों का ज्ञान, अभ्यास एवं नवाचार करना।
- संख्या, संख्या प्रणाली व मापन आदि प्रत्ययों का विकास करना।
- विभिन्न गणितीय संक्रियाए व उनके परस्पर संबंधों को समझना।
- शिक्षण अधिगम सामग्री की आवश्यकता और महत्त्व का ज्ञान कराना।
- विभिन्न प्रकार की शिक्षण अधिगम सामग्री के निर्माण का ज्ञान कराना।
- अक्षर संख्या तथा पद की समझ और एक या दो अक्षर संख्या वाले बीजीय व्यंजकों के निर्माण व मौलिक संक्रियाओं का विकास करना।
- भौतिक परिस्थितियों का बीजगणितीय कथन व परिवर्तन का ज्ञान कराना।
- ज्यामितीय शिक्षण में दो या तीन विमाओं वाली आकृति की समझ व निर्माण का ज्ञान कराना।
- विभिन्न आकृतियों के ज्यामितीय निहितार्थों की समझ विकसित करना।
- विभिन्न मापों के कोणों की रचना तथा कोणों व भुजा के आधार पर विभिन्न ज्यामितीय आकृतियों की रचना का ज्ञान कराना।
- व्यवहारिक अंकगणित व आँकड़ों के बारे में ज्ञान देना।
- आँकड़ों का प्रत्यय, एकत्रीकरण व विश्लेशण की प्रकिया को समझना।
- प्रारंभिक सांख्यिकीय प्रविधियों के उपयोग के बारे में ज्ञान देना।
- विद्यालय के परिप्रेक्ष्य में गणित को मनोरंजक व रचनात्मक बनाना।
- गणित में होने वाली त्रुटियों व उनके उपचार के बारे में ज्ञान कराना।

गणित का शिक्षणशास्त्र–1 (प्रथम वर्ष)

F-7

पूर्णांक : 100 (70+30)

न्यूनतम स्वाध्याय अवधि : 70 घंटी

इकाई–I : गणितः एक परिचय

- दैनिक जीवन में गणित : आवश्यकता एवं महत्त्व
- गणित की प्रकृति
- गणित के बारे में भय, भ्रम और मिथक
- गणित के विभिन्न आयामः अवधारणा (प्रत्यय), प्रक्रिया, संकेत एवं भाषा
- गणितीयकरण

उपरोक्त इकाई में गणित के बारे में विद्यार्थियों के विचार, समझ तथा अनुभव के आलोक में 'गणित क्या है?' को स्पष्ट एवं विश्लेषित किया जायेगा। किसी वस्तु या परिस्थिति के मात्रात्मक पहलु के सम्बन्ध में बच्चों के स्थानीय, सामाजिक तथा सांस्कृतिक परिवेश में संख्या बोध, स्थानिक अवधारणा तथा इससे संबंधित गणितीय रणनीतियों के उदाहरण द्वारा गणित की अनिवार्यता तथा आवश्यकता का वर्णन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त बच्चों के स्थानीय परिवेश से अलग का परिवेश यथा राज्य, राष्ट्र तथा वैश्विक स्तर पर मानव जीवन के सभी पहलुओं के विकास में गणित के महत्त्व की चर्चा की जायेगी। गणित के संदर्भ में एक मिथक गणित की प्रकृति को लेकर है। गणित को अमूर्त, सामान्य, विशुद्ध रुप से तार्किक, कठोर प्रविधि वाला तथा सांकेतिक भाषा विन्यास से जुड़ा विषय माना जाता है। गणित के संदर्भ में ये मिथक गणित को पारलौकिक अनिवार्यता, अमूर्त एवं निरपेक्ष तथा शुष्क विषय के रुप में प्रस्तुत करते हैं। फलस्वरुप इसके प्रति विद्यार्थियों में उदासीनता, निष्क्रियता तथा अंततः भय की भावना पैदा हो जाती है। गणित विषय की प्रकृति की समीक्षायी समझ से ही गणित के संबंध में व्याप्त उपरोक्त मिथक, भ्रम तथा भय को समाप्त किया जा सकेगा। विद्यालय या कक्षा में गणित तथा गणितीयकरण की व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियाँ प्रभावों को निर्मित या नियत करती है, उदाहरण के लिए, यह संख्या, संकेतों, संक्रिया एवं संख्यात्मक संरचना के माध्यम से विद्यार्थी को अनुभव करने, उसे बुनने, उसे व्यक्त करने की क्षमता प्रदान करती हैं। यथार्थवाद, तर्कवाद, रचनावाद (Constructivism), सौंदर्यवाद (Aestheticism) इत्यादि गणित की प्रकृति का बहुआयामी विमर्श प्रस्तुत करते हैं। इस इकाई में गणित के प्रकृति के विमर्शों का आलोचनात्मक विश्लेषण गणित शिक्षण के निहितार्थो के संदर्भ में किया जायेगा।

इकाई–II : गणित शिक्षण की विधियाँ एवं रणनीतियाँ

- आगमन एवं निगमन विधियाँ
- संश्लेषण एवं विश्लेषण विधियाँ
- रचनावाद : पियाजे के संदर्भ में

गणितीयकरण तथा गणित सीखने–सिखाने की प्रक्रिया दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच एक बह संप्रेषणात्मक प्रक्रिया है जो गणित की कक्षा में लोकतांत्रिक अन्तः क्रिया की अपेक्षा करती है। इसको ध्यान में रखते हुए इस इकाई में गणित सीखने–सिखाने की कुछ विधियों यथाः निगमन–आगमन, संश्लेषण–विश्लेषण तथा संरचनावाद के बारे में विस्तार से बताया जायेगा तथा बिहार के विशेष शिक्षायी संदर्भ में उनका पुनर्विन्यास (Rearticulation) कैसे हो, स्पष्ट किया जायेगा। साथ ही पियाजे के रचनावाद का आलोचनात्मक विश्लेषण एवं

गणित शिक्षण के लिए उनका निहितार्थ को भी स्पष्ट किया जायेगा। इसके अतिरिक्त बिहार के विशेष सामाजिक–सांस्कृतिक संदर्भ में गणित सीखने–सिखाने की प्रक्रिया में गतिशीलताओं की समझ तथा गणित को लोकतांत्रिक, लोकप्रिय तथा मनोरंजक बनाने संबंधित रणनीतियों के विकास का भी इस इकाई में अध्ययन किया जायेगा।

इकाई–III : संख्याएँ

- संख्या पूर्व तथा संख्या की अवधारणा
- संख्या प्रत्यय एवं विभिन्न संकेतों के माध्यम से संख्याओं की प्रस्तुति
- अंक व संख्या–निर्माण
- गिनती, संख्या व स्थानीय मान
- भिन्न एवं दशमलव भिन्नः प्रत्यय एवं संक्रियाएँ
- गणितीय संक्रियाएँ एवं उनमें अन्तर्संबंध

इस इकाई अन्तर्गत बच्चों के गणितीय बोध को संख्या–पूर्व प्रत्यय तथा प्रक्रिया के माध्यम से समझने का प्रयास किया जायेगा। बच्चों के अनुभवों के आलोक में संख्या की अवधारणा, उनका निरुपण तथा इस पर आधारित विभिन्न संक्रियाओं की अवधारणा, इनके बीच का अन्तर्संबंध तथा इससे संबंधित कौशलों के शिक्षाशास्त्रीय निहितार्थों को समझाया जायेगा। अंक, गिनती, संख्या तथा उसके स्थानीय मान के अन्तर्संबंध की समझ विकसित की जायेगी। साथ ही भिन्न तथा दशमलव की अवधरणा के माध्यम से दो या दो से अधिक संख्याओं के तुलनात्मक तथा संख्यात्मक मूल्य को समझना, आकलन जैसे गैर औपचारिक संक्रिया तथा उसके सत्यापन के द्वारा गणितीयकरण की रणनीति का विकास भी इस इकाई के माध्यम से किया जायेगा।

इकाई–IV : आकृतियाँ एवं पैटर्न

- 2D (द्विविमीय) आकृतियाँ एवं 3D (त्रिविमीय) वस्तुएँः पहचानना तथा उसकी समझ
- बिन्दु, रेखा, किरण, रेखाखंड, एवं कोण का प्रत्यय
- विभिन्न आकृतियों के ज्यामितीय निहितार्थों की समझ
- विभिन्न संख्याओं एवं आकृतियों के संदर्भ में पैटर्न की अवधारणा एवं उनका प्रयोग

इस इकाई के अन्तर्गत बच्चों की स्थानिक एवं सामयिक समझ एवं कौशलों का विकास किया जायेगा। बिन्दु, रेखा, किरण, रेखाखंड एवं कोण का प्रत्यय विकसित किया जायेगा। विभिन्न भौतिक वस्तुओं एवं आकृतियों की विमाओं, परिमिति तथा क्षेत्रफल की विश्लेषणात्मक समझ विकसित की जायेगी। विभिन्न मौलिक ज्यामितीय अवयवों की अवधारणात्मक समझ तथा रचना करने की समझ व कौशल विकसित किया जायेगा। बच्चों में सामान्यीकरण के विकास के लिए विभिन्न संख्याओं एवं आकृतियों के संदर्भ मे पैटर्न की अवधारणा का विकास किया जायेगा।

इकाई–V : मापन एवं आँकड़े

- मापन का अर्थ एवं उसकी आवश्यकता
- अमानक एवं मानक इकाइयाँ
- लम्बाई, भार, धारिता, मुद्रा और समय
- आँकड़ों का प्रत्यय तथा प्रस्तुतिकरण

मापन की अवधारणा तथा अमानक एवं मानक ईकाइयों की सहायता से विभिन्न प्रकार की मापन के तौर–तरीकों को स्पष्ट किया जायेगा। लम्बाई, भार, धारिता, मुद्रा और समय आदि के मापन के शिक्षण की कुशलता विकसित की जायेगी। आँकड़ों का प्रत्यय एवं उसके प्रस्तुतिकरण का तरीका बताया जायेगा।

इकाई–VI : शिक्षण अधिगम योजना और मूल्यांकन

- सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन
- गणित के संदर्भ में अधिगम का आकलन
- इकाई योजना एवं पाठ योजना
- शिक्षण अधिगम गतिविधियाँ तथा सामग्री
- मनोरंजक गणित : गणितीय खेल एवं पहेलियाँ
- आकलन की प्रविधियाँ : अवलोकन, समवय समूह, परियोजना कार्य, औपचारिक बातचीत

इस इकाई के अन्तर्गत सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन की अवधारणा को स्पष्ट किया जायेगा। शिक्षण प्रक्रिया के संबंध में विषय, इकाई, उप–इकाई तथा पाठ की योजना बनाना बताया जायेगा। एक सचेत, सक्रिय तथा लोकतांत्रिक सहयोगी के रुप में शिक्षकों को गणित सीखने के दौरान बच्चों के संज्ञानात्मक विचलन एवं त्रुटि के प्रति सकारात्मक तथा सृजनात्मक दृष्टिकोण अपनाना एवं इनके सापेक्ष शिक्षण रणनीतियों का सतत् पुनर्विन्यास (Rearticulation) करना। मूल्यांकन की अवधारणा तथा इसके संबध में दृष्टिकोण एवं रणनीतियों का विकास। अधिगम का आकलन गणित के संदर्भ में कैसे करें। आकलन की कुछ प्रविधियों पर विशेष रूप से कार्य कराया जायेगा तथा उनके बीच के संबंध की समझ विकसित की जायेगी। सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन की अवधारणा तथा उससे संबंधित रणनीतियों की समझ विकसित की जायेगी। मूल्यांकन आधारित उपचारात्मक तथा निदानात्मक शिक्षण रणनीतियों का विकास एवं उपलब्धि परीक्षण द्वारा शिक्षण नीतियों का परिमार्जन एवं संवृति।

प्रस्तावित कार्य

- गणित से संबंधित दो–दो लेखों व शोध पत्रों का समीक्षात्मक अध्ययन करना।
- विभिन्न प्रत्ययों से संबंधित परिमार्जित शिक्षण अधिगम सामग्री तैयार करना।
- ज्यामितीय आकृतियाँ के चित्रात्मक प्रदर्शन संबंधी चार्ट / कार्ड तैयार करना।
- प्रकृति में विभिन्न वस्तुओं में पायी जाने वाली सममिति को खोजना।
- गणितीय कोना की स्थापना करना।
- अपने परिवेश से विभिन्न गणितीय पहेलियाँ इकठ्ठा करना एवं पहेलियाँ बनाना।
- अपने साथी प्रशिक्षु के कक्षा शिक्षण का विश्लेषणात्मक अवलोकन करना।
- गणित की किसी अवधारणा के विकास के लिए प्रत्यय मैपिंग करना।
- कक्षा 1 से 5 की पाठ्य पुस्तक के किसी अध्याय से संबंधित विषय–वस्तु का विश्लेषण करना।
- विभिन्न प्रकार के क्षमता वाले बच्चों के अधिगम के लिए पाठ–योजना तैयार करना।
- गणित के विभिन्न प्रत्ययों के अधिगम से संबंधित क्रियात्मक अनुसंधान करना।
- सतत् व व्यापक मूल्यांकन के लिए कुछ क्रिया–कलाप तैयार करना।
- दैनिक जीवन में प्रयुक्त होने वाली विभिन्न प्रकार की मापन इकाईयों का अध्ययन तथा उनमें परस्पर संबंध स्थापित करना।

गणित का शिक्षणशास्त्र–2 (द्वितीय वर्ष)

S-7

पूर्णांक : 100 (70+30)

न्यूनतम स्वाध्याय अवधि : 70 घंटी

इकाई–I : संख्यां पद्धति

- पूर्णांक, परिमेय व अपरिमेय संख्याएँ: प्रत्यय, निरूपण एवं संक्रियाएँ
- प्राकृत संख्या से वास्तविक संख्या तक के विकास की समझ
- संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण
- घात एवं घातांक

संख्याओं को मूलतः गणित का आधार माना जाता है। प्रस्तुत इकाई में संख्याओं के विकास की चर्चा की जायेगी। प्राकृत संख्याओं, पूर्ण संख्याओं, पूर्णांकों, परिमेय एवं अपरिमेय संख्याओं तथा वास्तविक संख्याओं की अवधारणा एवं इन पर आधारित संक्रियाओं के माध्यम से बच्चों में संख्या तथा गणितीयकरण की क्षमता का विकास किया जायेगा। प्राकृत संख्या से वास्तविक संख्या के विश्लेषणात्मक विकास की प्रक्रिया को समझा जायेगा। संख्या रेखा की अवधारणा का विकास एवं संख्या रेखा पर संख्याओं का निरूपण करने की समझ का विकास किया जायेगा। घात एवं घातांक से संबधित प्रत्यय को विकसित किया जाएगा।

इकाई–II : बीजगणित शिक्षण

- बीजगणितीय संख्या: आवश्यकता, अवधारणा, निरूपण
- बीजगणितीय संख्या का निर्माण (चर व अचर के संदर्भ में)
- बीजीय व्यंजक: निर्माण एवं संक्रियाएँ
- समीकरण की अवधारणा: निर्माण व हल
- शाब्दिक समस्याओं का रैखिक समीकरण में परिवर्तन
- एक व दो चर वाले बीजगणितीय कथनों का लेखाचित्र निरूपण

बच्चों के गणितीय चिन्तन का स्थूल से सूक्ष्म, मूर्त से अमूर्त तथा सामान्यीकरण की क्षमता के लिए बीजगणित संख्या की अवधारणा, बीजगणितीय संख्या का चर व अचर के रूप में निर्माण, बीजीय व्यंजक, रैखिक समीकरण तथा इन पर आधारित संक्रियाओं की समझ का निर्माण किया जायेगा तथा इसके माध्यम से बीजगणितीयकरण का विकास किया जाएगा। दैनिक जीवन से संबंधित शाब्दिक समस्याओं को रैखिक समीकरण के रूप में लिखना एवं उन्हें हल करने की क्षमता का विकास किया जाएगा तथा एक व दो चर वाले बीजगणितीय कथनों का लेखाचित्र निरूपण कर सकने की क्षमता विकास किया जायेगा।

इकाई–III : ज्यामिति शिक्षण

- त्रिविमीय वस्तुओं का द्विविमीय निरूपण
- त्रिभुज, चतुर्भुज (वर्ग, आयत, समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज) तथा वृत– निर्माण, परिमाप व क्षेत्रफल

बच्चों के स्थानिक बोध एवं क्षमता का विकास। ज्यामितीय अवधारणाओं एवं आकृतियों की पहचान एवं समझ का विकास किया जाएगा। तीन विमाओं वाली अर्थात त्रिविमीय वस्तुओं जैसे घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला

इत्यादि का जाल के द्वारा द्विविमीय निरूपण करने के कौशल को विकसित किया जाएगा। विभिन्न ज्यामितीय आकृतियों यथा : त्रिभुज, चतुर्भुज एवं वृत की रचना एवं उनके ज्यामितीय गुणों को जानना तथा उनका क्षेत्रफल एवं परिमाप के द्वारा ज्यामितीयकरण का विकास। चतुर्भुज के विभिन्न प्रकारों जैसे वर्ग, आयत, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज तथा समलम्ब चतुर्भुज की रचना करना एवं उनके ज्यामितीय गुणों को जानना तथा उनमें आपसी संबंधो की समझ को विकसित किया जाएगा।

इकाई–IV : आँकड़ों का प्रबंधन एवं व्यवहारिक गणित

- अनुपात एवं समानुपातः अवधारणा, आवश्यकता, अनुप्रयोग
- प्रतिशतताः अवधारणा, आवश्यकता, अनुप्रयोग
- आँकड़ें: एकत्रीकरण, वर्गीकरण व निरूपण
- आँकड़ों का प्रस्तुतिकरणः बारम्बारता बंटन सारणी, अवर्गीकृत व वर्गीकृत आँकड़ें, चित्रालेख, दंडालेख, आयतचित्र

दैनिक जीवन के संदर्भ मे अनुपात–समानुपात तथा प्रतिशत की अवधारणा एवं प्रयोग की समझ। सूचना एवं आँकड़े की अवधारणा का विकास। बच्चों के दैनिक जीवन से संबंधित आँकड़ो का एकत्रीकरण, वर्गीकरण, निरुपण। एकत्रित आँकड़ों को विभिन्न प्रकार से व्यवस्थित करना एवं बारम्बारता सारणी के प्रस्तुतिकरण की क्षमता को विकास करना। चित्रालेख, दंडालेख व आयत चित्र इत्यादि द्वारा एकत्रित आँकड़ों को चित्रात्मक रूप के प्रस्तुत करना एवं निष्कर्श निकालने व व्याख्या करने की क्षमता का विकास किया जाएगा।

इकाई–V : गणित शिक्षण के अनिवार्य पक्ष

- सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन की प्रविधियाँ
- शिक्षण अधिगम सामग्री की अवधारणा व आवश्यकता, विद्यालय प्रांगण एवं स्मारक आदि अधिगम सामग्री के रूप में
- शिक्षण–अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाने वाले अन्य स्रोतः गणितीय प्रयोगशाला, गणितीय किट, गणित कोना, प्रोजेक्ट, गतिविधियाँ

सीखने–सीखाने की लोकतांत्रिक शिक्षायी वातावरण को निर्मिति करने के लिए शिक्षकों को सतत रुप से अपनी शिक्षण रणनीतियों का पूर्व–अन्वेशण आवश्यक है। इसके लिए शिक्षकों द्वारा बच्चे कैसे सीखते हैं, उनका संज्ञात्मक विचलन या त्रुटियाँ कैसे घटित होती है तथा उनके स्वःस्फूर्त एवं सार्थक समाधान की रणनिति क्या हो सकती है, इत्यादि के लिए योजना तैयार करना। स्थानीय गणित, लोकगणित तथा मनोरंजनात्मक गणित सभी शिक्षण रणनितियों के निर्माण में सहायक होते हैं। इसके साथ गणित सीखने–सिखाने की अन्तःक्रिया के संचालन में सामग्री आधारित तथा परिस्थिति आधारित गतिविधियों की व्यवस्था के माध्यम से गणितीयकरण की प्रक्रिया का संचालन। वैदिक गणित तथा मानसिक गणित के माध्यम से बच्चों के गणितीय बोध तथा कौशल का विकास। गणितीय किट, प्रोजेक्ट, गणितीय प्रयोगशाला, गणितीय कोना, गणितीय खेल तथा पहेलियों इत्यादि के माध्यम से विद्यालय में गणित के प्रति सकारात्मक परिवेश बनाना। विद्यालय– प्रांगण, भवन, स्मारक एवं पार्कों तथा इनके मॉडल का अधिगम–शिक्षण सामग्री के रुप में प्रयोग करना ।

प्रस्तावित कार्य

- प्राचीन सभ्यता में संख्या विकास एवं संख्या निरुपण के तरीकों का अध्ययन कर रिपोर्ट तैयार करना।
- कक्षा 6 से 8 तक के गणित के किसी प्रकरण पर आधारित प्रश्न–बैंक तैयार करना।
- सतत् व व्यापक मूल्यांकन के लिए कुछ क्रिया–कलाप तैयार करना।
- दैनिक जीवन से जुड़े विभिन्न प्रकार के पैटर्न को ढूंढना एवं नये प्रकार के गणितीय पैटर्न का बनाना।
- दैनिक जीवन से जुड़ी कुछ समस्याओं का चुनाव करना तथा उनका हल रैखिक समीकरण द्वारा करना।
- समस्या समाधान की प्रक्रिया को उचित प्रकार से स्पष्ट करने वाली कुछ कहानियों का विकास करना।
- किसी कक्षा में बच्चों के अधिगम के आकलन हेतु योजना तैयार करना।
- विभिन्न प्रत्ययों से संबंधित परिमार्जित शिक्षण अधिगम सामग्री तैयार करना।
- गणित से संबंधित दो–दो लेखों व शोध पत्रों का समीक्षात्मक अध्ययन करना।
- ज्यामितीय आकृतियाँ के चित्रात्मक प्रदर्शन संबंधी चार्ट / कार्ड तैयार करना।
- पेपर फोल्डिंग की सहायता से विभिन्न ज्यामितीय प्रत्ययों का विकास करने के तरीकों की व्याख्या करना।
- गणितीय कोना की स्थापना करना।
- परिवेश से विभिन्न गणितीय पहेलियाँ इकठ्ठा करना एवं पहेलियाँ बनाना।
- अपने साथी प्रशिक्षु के कक्षा शिक्षण का विश्लेषणात्मक अवलोकन करना।
- जादू–वर्ग का इतिहास जानना व गणित की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में इसका उपयोग करना।
- विभिन्न प्रकार के शाब्दिक प्रश्नों का निर्माण करना।
- किसी अवधारणा के विकास के लिए प्रत्यय मैपिंग करना।
- कक्षा 6 से 8 की पाठ्यपुस्तक के किसी अध्याय से संबंधित विषय–वस्तु का विश्लेषण करना।
- विभिन्न प्रकार के क्षमता वाले बच्चों के अधिगम के लिए पाठ–योजना तैयार करना।
- ऐसी पहेलियों की पहचान करना जिसके हल के लिए बीजगणित की आवश्यकता हो।
- गणित की कोई दो पाठ्य पुस्तकों (अलग–अलग राज्य) की समीक्षा / तुलना करना।
- ऐसे कार्यक्रमों की योजना बनाना जिससे गणित संबंधी भ्रम व भय को दूर किया जा सके।
- गणित के विभिन्न प्रत्ययों के अधिगम से संबंधित क्रियात्मक अनुसंधान करना।

सन्दर्भ पुस्तक / अभिलेख / वेबसाइट

अनिवार्य अध्ययन हेतु

- एस.सी.ई.आर.टी. (2008). बिहार पाठ्यचर्या की रुपरेखा–2008. पटना : एस.सी.ई.आर.टी.
- एन.सी.ई.आर.टी. (2005). राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रुपरेखा–2005. नई दिल्ली : एन.सी.ई.आर.टी.
- इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय. प्राथमिक स्तर पर गणित का अधिगम (डी. एल. एड.), नई दिल्ली
- प्राथमिक स्तर पर गणित का अधिगम (डी. एल. एड.), नोएडा : राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी संस्थान.
- बिहार राज्य की गणित की पाठ्य पुस्तकें कक्षा 1 से कक्षा 8 तक
- गणित शिक्षण का अधिगम, नई दिल्ली : इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय.
- गणित शिक्षण के विभिन्न पक्ष / आयाम, नई दिल्ली : इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय.
- Mishra, L. (2008). Teaching of Mathematics. APH Publication.
- IGNOU. Aspects of Mathematics Teaching (AMT). New Delhi.
- IGNOU. Learning of Mathematics Teaching (LMT). New Delhi.

ज्ञान विस्तार हेतु

- कपूर, जे०एन०, (1988). विद्यालय गणित के लिए संप्रयोग. नई दिल्ली : आर्य बुक डिपो
- कुमार, अनिल (2011). गणित शिक्षण. नई दिल्ली : जे०बी०टी० प्रकाशन.
- सक्सेना, के०के०, (2008). गणित शिक्षण. यूनिवर्सिटी बुक हाउस।
- दीक्षित, आर०एस० एवं बांगा, सी०एल० (2011). गणित शिक्षण. नई दिल्ली : शिप्रा प्रकाशन.
- गणित की गतिविधियां–एकलव्य का प्रकाशन
- Ediger, M. (2011). Teaching Maths in Elementary level. DPH Publication.
- NCERT (2006). Position Paper: National focus group on teaching of mathematics. New Delhi.
- Pound, Linda & Lee Trisha (2010). Teaching of Mathematics creatively. Routledge.
- Russel, John (2010). Teaching of Mathematics. Campus Book International.
- Sambasiva, E.S.R. & Rao D.B. (2011). Methods of Teaching Mathematics. Discovery Publisher.
- Source Book for assessment in mathematics (Class I-V).
- Zubair, P.P. (2012). Teaching of Mathematics. APH Publication.

Website links:

- www.nctm.org
- www.greatmathsteachinggideas.com
- www.basic-mathematics.com
- www.geogebra.org
- www.mathguru.com
- www.curriki.org

❖❖❖

संदर्भ

हमारा परिवेश हमें बहुत कुछ सिखलाता है और अपने जीवन में हम प्रकृति से सीखे सिद्धान्तों व नियमों का बखूबी उपयोग करते हैं। "पर्यावरण अध्ययन" परिवेश को जानने–समझने का उपागम (approach) है। पर्यावरण अध्ययन मूलतः प्रकृति, उसका प्रभाव तथा मानवीय अन्तःक्रिया के फलस्वरूप प्रभावित प्रकृति का अध्ययन है। अतः यह अपेक्षित है कि पर्यावरण शिक्षण की प्रक्रिया के उद्देश्य :–

- विषयवस्तु , घटनाक्रम या तथ्यों के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न करना हो,
- खोजी प्रवृत्ति का विकास करना हो ,
- सृजनशीलता को बढ़ावा देना हो,
- स्वयं करके सीखने, जानने–समझने के कौशल को विकसित करना हो,
- प्रकृति में परिव्याप्त सौन्दर्य का एहसास एवं उसके प्रति सचेष्ट एवं संवेदनशील करना हो, व
- उसके विकृति के खतरे, पर्यावरण प्रदूषण का दुष्प्रभाव एवं पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना हो ।

छोटी उम्र के बच्चों की बात करें तो हम पाते हैं कि उनके और पर्यावरण में अन्तःक्रिया समग्र रूप तथा सम्पूर्ण इकाई के रूप में होती है। इसलिए यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि प्रारम्भ में बच्चे अपने समीपस्थ पर्यावरण की वस्तुओं और घटनाओं पर चर्चा करें, अपनी सोच और समझ को व्यक्त करें। इसलिए इस स्तर पर पाठ्यवस्तु उनके अपने शरीर, परिवार, घर तथा आस–पड़ोस से संबंधित रखा जाना चाहिए।

पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण के दौरान हमें बच्चों के स्थानीय परिस्थिति व वातावरण के साथ–साथ वहाँ उपलब्ध स्थानीय संसाधन का भरपूर इस्तेमाल करना चाहिए। प्रारम्भिक शिक्षा के स्तर पर शिक्षा के लिए पर्यावरण अध्ययन शिक्षण एक चुनौती है, क्योंकि यहाँ प्रकृति को ही प्रयोगशाला मानकर, कई छोटे–छोटे वैज्ञानिक प्रयोग कर उनकी जिज्ञासा और स्वयं करके सीखने, जानने–समझने के कौशल का बढ़ावा किया जा सकता है। ऐसी स्थितियों में शिक्षक, बाल केन्द्रित एवं गतिविधि आधारित तकनीकों का उपयोग कर पर्यावरण शिक्षण को रोचक, अर्थपूर्ण एवं सार्थक कर सकते हैं। पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य बच्चों को प्रश्न गढ़ने व पूछने के मौके उपलब्ध कराना, उनकी जिज्ञासा को बढ़ानेवाले सवाल पूछना तथा उनकी मान्यताओं के औचित्य को समझना होना चाहिए।

आसपास की वे सारी जैव–अजैव वस्तुएँ, परिस्थितियाँ, घटनाएँ, बल और क्रियाएँ जो हमारे जीवन को प्रत्यक्ष या परोक्ष तौर पर प्रभावित करती हैं, पर्यावरण कहलाता है। पर्यावरण अध्ययन एक समावेशी विषय के रूप में स्थापित है, जिसे सामाजिक विज्ञान एवं पर्यावरण विज्ञान के आधार के स्वरूप में समझना आवश्यक है। प्राथमिक स्तर पर इसे तीन संदर्भों में समझा जा सकता है, यथा :

- पर्यावरण के बारे में शिक्षा
- पर्यावरण के माध्यम से शिक्षा
- पर्यावरण के संवर्द्धन व संरक्षण के लिए शिक्षा

प्राथमिक स्तर पर 'समाज' और 'विज्ञान' के समेकित अध्ययन को 'पर्यावरण अध्ययन' कहा गया है। अतः इस स्तर पर 'विज्ञान' और 'समाज विज्ञान' के लिए अलग–अलग पाठ्यक्रम का प्रावधान नहीं किया जाता है। पर्यावरण अध्ययन के माध्यम से बच्चों में सामाजिक जीवन व वैज्ञानिक तथ्यों की बुनियादी समझ को विकसित करने

का एक प्रयास है। प्राथमिक कक्षाओं में इसके अंतर्गत विभिन्न विषयों– विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, गणित व भाषा आदि की अवधारणाओं को, पर्यावरण का उपयोग करते हुए, इनकी आधारभूमि तैयार की जाती है।

पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कुछ बुनियादी बातों पर स्पष्टता आवश्यक है। जैसे बच्चे के पर्यावरण को मात्र भौतिक पहलुओं तक सीमित नहीं रखा जाना चाहिए। पर्यावरण में उससे सम्बन्धित अमूर्त पहलुओं को भी शामिल किया जाए। साथ ही पर्यावरण की समझ में बच्चे की सीखने की असीम क्षमता को भी सराहा जाना चाहिए। अतः पाठ्यपुस्तक से परे बच्चों के पर्यावरण की समझ को भी शिक्षण का अंग बनाया जाना चाहिए।

उद्देश्य

इस पाठ्यक्रम पर आधारित विषयवस्तु के शिक्षण के उद्देश्य निम्नलिखित हैं :–

- पर्यावरण अध्ययन की आवश्यकताओं और उसकी प्रकृति को समझना।
- विभिन्न तथ्यों में निहित अवधारणा एवं उससे संबंधित तथ्यों का विश्लेषण करने का सामर्थ्य।
- अनुभवों के आधार पर अवधारणाओं का विकास व परिष्करण।
- स्थानीय स्तर पर कम लागत वाले शिक्षण सामग्रियों का निर्माण करने एवं उनमें आवश्यकतानुसार नवाचार कर उन्हें उद्देश्यपूर्ण बनाना एवं स्थानीय संसाधनों का सृजनात्मक प्रयोग।
- पर्यावरण अध्ययन एवं विद्यार्थियों के परिवेश के मध्य सम्बन्ध स्थापित करना।
- पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में शिक्षण–विधियों की विविधता एवं प्रचुरता को सराहना।
- मूल्यांकन को पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बहुआयामी रूप में समझना।
- बाल–मन की समझ का पोषण करते हुए उसे व्यापक, तर्कपूर्ण एवं क्रमबद्ध बनाने का प्रयास करना।
- कक्षा–शिक्षण में पर्यावरण संरक्षण हेतु अच्छी आदतों, अभिवृत्तियों, मूल्यों, संवेगों का विकास करते हुए पर्यावरणीय समस्याओं के प्रति जागरूकता विकसित करना।
- पर्यावरण की प्रक्रियाओं और परिवर्तनों की व्याख्या करने और उन पर कक्षा–शिक्षण में संवाद स्थापित करने की योग्यता प्राप्त करना।
- पर्यावरण की दुर्घटनाओं/आपदाओं के प्रति उचित एवं तात्कालिक निर्णय लेने तथा भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक वातावरण के अन्तःसंबंध को समझने की कुशलता विकसित करना।
- व्यक्ति, परिवार, समाज एवं राष्ट्र को व्यापक संदर्भ में समझने की योग्यता विकसित करना।
- प्रकृति, व्यक्ति एवं समष्टि की बनावट एवं उनके बीच के अन्तःसंबंध को जानने समझने के प्रति ललक उत्पन्न करना।
- सामाजिक–सांस्कृतिक संरचना के प्रति संवेदनशीलता, सहिष्णुता एवं समता–सरसता का भाव विकसित करना।
- खोजी एवं करके सीखने की प्रवृत्ति उत्पन्न करना तथा अंधविश्वासों एवं पूर्वाग्रहों से मुक्त करना।
- लैंगिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक मुद्दों के प्रति संवेदनशीलता तथा समालोचनात्मक दृष्टि विकसित करना।

पर्यावरण अध्ययन का शिक्षणशास्त्र (प्रथम वर्ष)

पूर्णांक : 100 (70+30) | **F-8** | न्यूनतम स्वाध्याय अवधि : 70 घंटी

इकाई–I : पर्यावरण अध्ययन की अवधारणा

- प्रकृति एवं क्षेत्र
- उद्देश्य एवं महत्व
- बिहार पाठ्यचर्या की रूपरेखा, 2008 एवं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, 2005 के संदर्भ में पर्यावरण अध्ययन
- पर्यावरण अध्ययन एकीकृत रूप में (एकीकृत उपागम)
- प्राथमिक स्तर के पाठ्यक्रम में पर्यावरण अध्ययन का संयोजन व विस्तार – पर्यावरणीय प्रकरण (थीम) के प्रमुख आधार परिवार, मित्र, जल, भोजन, आवास, यात्रा, वस्तुओं का निर्माण एवं व्यवहार

इस इकाई के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन की आवश्यकता व महत्त्व, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति एवं क्षेत्र तथा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा–2005 एवं बिहार पाठ्यचर्या की रूपरेखा–2008 के आलोक में पर्यावरण अध्ययन की वांछनीयता के प्रति प्रशिक्षुओं में विवेचनात्मक समझ व परख विकसित की जाएगी। प्रशिक्षु पर्यावरण अध्ययन के प्रमुख प्रकरणों (थीम) को समझ सकें, पर्यावरण से जुड़े मुद्दों एवं चुनौतियों से जूझ सकें एवं अपने विद्यार्थियों को भी इसके प्रति संवेदनशील बना सकें, इसकी मानसिक तैयारी के रूप में इस इकाई का उपयोग किया जाएगा। यह इकाई प्रशिक्षुओं में प्रकृति, समाज एवं पर्यावरण पर मानवीय व्यवहार का प्रभाव, उनके बीच का अंतर्संबंध तथा पर्यावरण के संरक्षण एवं संवर्धन के प्रति संवेदनशीलता उत्पन्न करेगी तथा समेकित रूप से पर्यावरण अध्ययन–अध्यापन के महत्त्व से अवगत करायेगी। इस इकाई के अध्ययन से प्रशिक्षुओं में पाठ्यक्रम एवं पाठ्यपुस्तकों से जुड़े मुद्दों को समालोचनात्मक दृष्टि से देख सकने की क्षमता विकसित होगी। पर्यावरण अध्ययन में भाषा, गणित, सामाजिक विज्ञान व पर्यावरण विज्ञान के अवधारणाओं के समावेश को भी स्पष्ट किया जाएगा।

इकाई–II : पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में हमारा एवं बच्चों का परिवेश

- बच्चों के परिवेश सम्बन्धी अनुभव, शिक्षण के आधार के रूप में।
- परिवेश की विविधता की समझ।
- अपने परिवेश से अन्य परिवेशों की तुलना
- परिवेश के पर्यावरण सम्बन्धी सूचनाओं का संग्रह व विश्लेषण

इकाई–1 में किये गये विमर्शों एवं सैद्धान्तिक अवधारणाओं को संदर्भ में स्थापित करने से ही एक व्यापक समझ बन सकती है। अतः इस इकाई के माध्यम से बच्चे के परिवेश को विविध प्रकार से समझने का प्रयास किया जायेगा। प्रशिक्षुओं में एकत्रित सूचनाओं एवं अनुभवों को पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में विश्लेषित करने का कौशल विकसित किया जायेगा। अपने परिवेश की विविधता के साथ–साथ अन्य दूरस्थ परिवेशों से उनकी तुलना कर पाने की क्षमता का विकास भी अपेक्षित है। उदाहरणार्थ– घर, पेड़–पौधे, भोजन इत्यादि में परिवेश के साधन उपलब्धता के आधार पर कई भिन्नताएँ व समानताएँ देखी जा सकती हैं। प्रशिक्षुओं में इसकी समझ बने तथा वे इसे अपने शिक्षण में प्रयोग कर पायें।

इकाई–III: पर्यावरण अध्ययन का शिक्षणशास्त्र (शिक्षण–अधिगम विधियाँ)

पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण उपागम (Teaching Approach) में विविध शिक्षण विधियों का प्रयोग करके इसे रोचक व सार्थक बनाना, इस इकाई का प्रमुख उद्देश्य है। प्रस्तुत इकाई प्रशिक्षुओं को पर्यावरण अध्ययन की विविध–विधियों से परिचित कराती है तथा अपने परिवेश एवं पर्यावरण को समझने का तौर–तरीका बताती है।

- अवलोकन विधि
- खोज/अन्वेषण विधि
- प्रोजेक्ट विधि
- परिभ्रमण एवं सर्वेक्षण विधि
- प्रयोग विधि
- गतिविधि आधारित शिक्षण उपागम
- सामूहिक क्रियाकलाप
- प्रदर्शनी/चर्चा एवं संवाद आधारित विमर्श

इस इकाई के अध्ययन से प्रशिक्षु पर्यावरण अध्ययन से जुड़ी अवधारणाओं को विविध विधियों के माध्यम से समझेंगे। पर्यावरण अध्ययन में किन–किन कौशलों का विकास आवश्यक है, किस प्रकार सूचनाएँ संग्रहित की जाती हैं, कैसे सूचनाओं का उपयोग एवं उनका विश्लेषण किया जाता है, कैसे तथ्यों की व्याख्या की जाती है, किस प्रकार निष्कर्ष निकाले जाते हैं, इसकी समझ विकसित होगी। इस इकाई के अध्ययन–अध्यापन से प्रशिक्षु विभिन्न विधियों का पर्यावरण अध्ययन–शिक्षण में उपयोग करने में सक्षम होंगे। पर्यावरण शिक्षण में आवश्यकतानुसार वैकल्पिक विधियों का उपयोग या एकाधिक विधियों को अपनाने का कौशल भी उनमें विकसित होगा। पाठ्यक्रम एवं पाठ्यपुस्तक से जुड़े मुद्दों पर थीम–संजाल का निर्माण कर सकने एवं किसी पाठ्यवस्तु/विषयवस्तु की अवधारणा–मापन की क्षमता प्रशिक्षुओं में उत्पन्न होगी साथ ही, वे परिवेश से जुड़ी छोटी–छोटी घटनाओं/गतिविधियों के माध्यम से स्वयं एवं अपने विद्यार्थियों के बीच पर्यावरण की समझ विकसित करेंगे।

पर्यावरण अध्ययन में शिक्षण के वैकल्पिक विधियों को प्रशिक्षुओं द्वारा क्रियान्वित किया जायेगा ताकि वे इन विधियों की विशेषताओं एवं सीमाओं को समझ सकें। प्रशिक्षुओं को विद्यार्थी–केन्द्रित शिक्षण विधियों से परिचय एवं इनके अनुप्रयोग को प्रोत्साहित किया जाएगा। शिक्षण सिर्फ कक्षा में ही होती है, इस मान्यता को तोड़ना भी इस इकाई का एक उद्देश्य है। उपर्युक्त शिक्षण–विधियाँ कक्षा–केन्द्रित शिक्षण से परे उठकर व्यापक समझ को सम्बोधित करती है।

इकाई–IV: पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में अध्यापक की भूमिका

- विषयवस्तु का सुनियोजन
- विद्यार्थियों के संदर्भ की समझ
- स्थानीय संसाधनों का शिक्षण में उपयोग
- नवाचारी प्रयोगों/अनुभवों का सृजन
- चिंतनशील शिक्षण (Reflective Teaching)
- अन्य शिक्षकों के संस्मरणों का अध्ययन एवं विश्लेषण

प्रस्तुत इकाई पर्यावरण अध्ययन के विषय–वस्तु को समझने में शिक्षक की भूमिका को इंगित करती है। विषय–वस्तु मात्र देय नहीं होता है बल्कि शिक्षक उस निर्धारित विषय वस्तु को पुर्नसंदर्भित एवं संरचित (recontexualise and reconstruct) करता है, इसकी समझ विकसित की जाएगी। बच्चों के चारों ओर की दुनिया के प्रति जिज्ञासा को पोषण मिले तथा वे सूक्ष्म अवलोकन, वर्गीकरण व स्वयं करने वाली गतिविधियों इत्यादि से मूल ज्ञानात्मक कौशल हासिल कर सकें, इसके लिए शिक्षकों में क्षमता का विकास किया जाएगा।

नवीन प्रयोगों को करने की सृजनात्मकता को भी शिक्षकों में प्रोत्साहित किया जाएगा। एक शिक्षक अपने शिक्षण का आत्म–मंथन कर सके, इसके विकास पर भी बल दिया जाएगा।

इकाई–V : पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में आकलन एवं मूल्यांकन

- छात्र–अनुक्रिया का विश्लेषण
- विद्यार्थियों के कार्यों का बहुआयामी आकलन
- सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के सिद्धांत एवं व्यवस्थित प्रक्रिया
- साक्ष्य–आधारित मूल्यांकन
- अपने अध्यापन कार्य के विश्लेषण एवं सुधार का आधार

'मूल्यांकन' शिक्षण का एक अभिन्न अंग है। इस इकाई के द्वारा मूल्यांकन को विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास से जोड़कर देखा जाएगा। पर्यावरण अध्ययन में एक शिक्षक, मूल्यांकन में किन–किन तरीकों का प्रयोग कर सकता है, इस पर बल दिया जाएगा। मूल्यांकन मात्र विद्यार्थियों के उपलब्धि पर केन्द्रित न रहे बल्कि वह शिक्षकों के लिए अपने शिक्षण को समृद्ध बनाने का एक उपकरण / संसाधन बने / विद्यार्थियों के मूल्यांकन में निरन्तरता किस प्रकार स्थापित की जाए तथा उनके साक्ष्यों को किस प्रकार से संग्रहित एवं विश्लेषित किया जाए, इनकी चर्चा भी इस इकाई में की जाएगी। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का तात्पर्य कक्षा में या कक्षा से बाहर परिवेश में चलनेवाली शिक्षण–अधिगम (सीखने–सिखाने) प्रक्रिया का अटूट हिस्सा के रूप में जोड़ा जाना चाहिए।

सतत मूल्यांकन का तात्पर्य शिक्षक के द्वारा बच्चों का उपयुक्त समय पर मूल्यांकन करना है तथा मूल्यांकन का आधार बच्चों के क्रियाकलापों तथा उनके साक्ष्य के आधार पर किया जाना है। व्यापक मूल्यांकन का तात्पर्य बच्चों के संज्ञानात्मक अर्थात् मानसिक विकास, शारीरिक विकास, नैतिक विकास, सामाजिक विकास तथा सौन्दर्यबोधात्मक विकास का मूल्यांकन करना है। इन सभी विकास द्वारा ही बच्चों का सर्वांगीण विकास है।

प्रस्तावित कार्य

- प्रशिक्षुओं द्वारा प्राथमिक स्तर के पाठ्यपुस्तकों में पर्यावरण अध्ययन से सम्बन्धित विषय वस्तु का आलोचनात्मक विश्लेषण करना।
- पाठ्यचर्या में दी गयी पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्यों की सार्थकता एवं प्रायोगिकता/ व्यवहारपरकता पर परिचर्चा।
- स्थानीय परिवेश से सम्बन्धी किसी ज्वलंत मुद्दे पर सूचनाओं को इकट्ठा करना तथा इसी विषय में अपने विद्यार्थियों के अनुभवों व अवधारणाओं/मान्यताओं को ज्ञात करना। प्राप्त सूचनाओं एवं अनुभवों का पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में विश्लेषण करना।
- अलग–अलग परिवेशों के मूल अंतरों को विद्यार्थियों के परिप्रेक्ष्य में समझने के लिए गतिविधि निर्माण।
- इन इकाइयों के लिए वर्तमान पाठ्यपुस्तक के चुने हुए पाठों का भी प्रयोग उदाहरण के लिए किया जाए।
- इकाई में दिये गये शिक्षण विधियों को प्रशिक्षु अपने शिक्षण में प्रयोग करें।
- साथ ही वे गतिविधियों की सूची बना सकते हैं तथा विभिन्न विषयवस्तुओं शिक्षण के लिये उनके अनुरूप उपयुक्त शिक्षण–विधि की रूपरेखा का निर्माण भी कराया जा सकता है।
- उदाहरण : 'घर' की संकल्पना को पढ़ाने के लिये वे किन–किन शिक्षण विधियों का किस प्रकार से प्रयोग करेंगे। इसकी रूपरेखा बनाएँ।
- इस इकाई के लिए वर्तमान पाठ्यपुस्तक के पाठों से सहयोग लिया जा सकता है।
- प्रशिक्षुओं को पर्यावरण अध्ययन के विषय वस्तु को स्वयं से नियोजित करने की स्वतंत्रता दी जाये तथा उनके द्वारा नियोजित विषय वस्तु के पीछे उनके तार्किक आधारों को पूछा जाये।
- स्थानीय संसाधनों को वे पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कैसे प्रयोग कर सकते है। इस पर लघु प्रोजेक्ट देना।
- समावेशी शिक्षा के अन्तर्गत कक्षा के सबसे पीछे छूट जाने वाले छात्र/छात्राओं को कक्षा–प्रक्रिया में प्रशिक्षु शिक्षक द्वारा सम्मिलित किये जाने का विशेष प्रयास।
- प्रशिक्षुओं द्वारा विद्यार्थियों के गतिविधियों का अवलोकन करना किसी कार्य विशेष के संदर्भ में (जो पर्यावरण अध्ययन से सम्बन्धित हो)। अवलोकन के आधार पर मूल्यांकन के मापदण्डों को निर्धारित करने का अभ्यास करना।
- प्रशिक्षु अपने सहपाठी प्रशिक्षु के शिक्षण का अवलोकन करे तथा अपनी टिप्पणी दे। परिचर्चा के माध्यम से शिक्षण को समृद्ध एवं व्यापक बनाना।
- हर्बेरियम का निर्माण करना।
- पौधे के जड़ तने एवं पत्ती के रूपातंरण का अध्ययन करना।
- अपने स्थानीय क्षेत्र में मिलने वाले भोजन के प्रकार यथा अन्न, सब्जी, फल एवं अन्य प्रकार के भोजन/पोषकों की सूची/चार्ट (जो संतुलित आहार प्रदान करें), का निर्माण करना।

सन्दर्भ पुस्तक / अभिलेख / वेबसाइट

अनिवार्य अध्ययन हेतु

- एस.सी.ई.आर.टी. (2008). कक्षा 1–5 तक आकलन के लिए स्रोत पुस्तिका (पर्यावरण अध्ययन), नई दिल्ली
- एन.सी.ई.आर.टी. (2005). राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रुपरेखा–2005. नई दिल्ली : एन.सी.ई.आर.टी.
- मंगल, एस.के., विज्ञान शिक्षण. दिल्ली : आर्य बुक डिपो.
- बिहार राज्य की विज्ञान की पाठय पुस्तकें कक्षा 1 से कक्षा 8 तक.
- शर्मा, आर.सी., 'मार्डन साइंस टीचिंग' धनपत राय एंड संस, नई दिल्ली.
- सी.बी.एस.ई. (2009). सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन शिक्षक निर्देशिका 2009, नई दिल्ली : केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड.
- दास. आर. सी. (2000). स्कूलों में विज्ञान शिक्षण, नई दिल्ली : स्टरलिंग प्राईवेट लिमिटेड.
- NCERT, Science Education for the first ten years of schooling, guidelines for upper primary and secondary classes.

ज्ञान विस्तार हेतु

- एकलव्य प्रकाशन, कबाड़ से जुगाड, भोपाल.
- पर्यावरण अध्ययन पर सेमिनार की रिपोर्ट – 1995 (संधान) लोक जुम्बिश।
- NCF-2005 Position paper, National Focus Group on Habitat and Learning
- NCERT, Position Paper of Habitat, Science, Social studies, NCERT, New Delhi.
- Rana, S.S. (2006). Teaching of Methods of environmental studies. Cyber Tech Publication.
- IGNOU, Environment Studies (CCE) material Set.

Website

- www.sciencefrsocietybihar.org
- www.ncstc-network.org

❖❖❖

विज्ञान एक बहुआयामी अवधारणा है जिसे एक परिभाषा में नहीं बांधा जा सकता है। विज्ञान एवं विज्ञान की अवधारणाएँ निरन्तर विकासशील हैं। इसमें समय–समय पर नये नियम सार्वभौम सत्य की तरह स्थापित होते रहते हैं तथा पूर्व स्थापित नियमों में भी समय–समय पर बदलाव होता रहता है। विज्ञान किसी नियम या सिद्धांत तक ही सीमित नहीं है वरन् इसके आगे यह प्रक्रिया आधारित, खोजपरक एवं जिज्ञासु दृष्टिकोण है। यह युक्तिपूर्ण, क्रमबद्ध एवं सुसंगत समझ है जो सृजनशीलता एवं रचनात्मकता से प्राप्त होती है। विज्ञान को परिभाषित करते समय प्रायः लोग विज्ञान को खोजों और तकनीकी उपलब्धियों के संग्रहण तक ही सीमित कर देते हैं। विज्ञान की कक्षाओं में भी इसी नजरिए पर जोर होता है और उसमें विज्ञान के सिद्धांतों को रटना ही एक मुख्य काम होता है। हजारों वर्षों में हुई असंख्य खोजों को तथ्यों और आँकड़ों में विज्ञान ने संजोया है। अतः ये तथ्य और आँकड़े तो महत्त्वपूर्ण है पर उससे भी ज्यादा महत्त्वपूर्ण है वह प्रक्रिया समझना जिसकी बदौलत इस ज्ञान को हासिल कर पाना संभव हो पाया। वास्तव में विज्ञान एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम विभिन्न घटनाओं की व्याख्या कर पाते हैं। विज्ञान सोचने का एक तरीका है जिसके माध्यम से प्रकृति या किसी घटना के होने के कारण–प्रभाव संबंध को समझ कर उसकी व्याख्या की जा सकती है। विज्ञान को संज्ञा की बजाय एक क्रिया के रूप में देखना चाहिए। विज्ञान में उत्पाद के रूप में सामने आए सिद्धांत महत्त्वपूर्ण है परन्तु उस सिद्धांत की खोज की प्रक्रिया की समझ के अभाव में वे सिद्धांत अर्थहीन हो जाते हैं। विज्ञान सोचने और सक्रिय होने का तरीका है। एक ऐसा तरीका जिससे सोचने की क्षमता विकसित हो।

पाठ्यक्रम को बनाने के दौरान इस बात का ध्यान रखा गया है कि बच्चों को विभिन्न प्रक्रिया–कौशलों यथा अवलोकन, वर्गीकरण, आँकड़े एकत्रित करना, विश्लेषण करना, निष्कर्ष निकालना आदि के पर्याप्त अवसर मिले। इसके अलावा विभिन्न विधियों, सर्वेक्षण, प्रयोग, चर्चा–परिचर्चा, समूहों में काम करना आदि का भी समावेश किया गया है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए इस खण्ड को सात इकाइयों में बाँटा गया है। इकाई प्रथम एक मौलिक इकाई है जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा–2005 व बिहार पाठ्यचर्या की रूपरेखा–2008 में विज्ञान शिक्षण की समझ व विज्ञान पाठ्यक्रम के ढाँचे को समझने का प्रयास किया गया है। अन्य इकाइयों में पाठ्यक्रम की चयनित थीमों (प्रकरणों) को लेकर शिक्षण–प्रशिक्षुओं की विषय वस्तु एवं शिक्षण प्रक्रिया दोनों की समझ बनाने का प्रयास है। अध्ययन के उपरांत जब प्रशिक्षु शिक्षक की भूमिका में होंगे, तब अपने विषय की अवधारणात्मक समझ उनके लिये सहायक सिद्ध होगी।

विज्ञान शिक्षण के कई उद्देश्यों में से एक उद्देश्य है बच्चों को विज्ञान की प्रकृति के बारे में अवगत करवाना। बालमन की स्वाभाविक जिज्ञासु प्रवृत्ति को विज्ञान शिक्षण द्वारा न केवल संरक्षित किया जाना चाहिए अपितु उनमें खोजी प्रवृत्ति को और विकसित किया जाना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन विषय के अन्तर्गत इस बात पर ज्यादा जोर दिया जाता है कि अपने परिवेश जनित जिज्ञासा व प्रश्नों की जाँच करते हुए बच्चे विभिन्न प्रक्रिया–कौशलों को विकसित कर पाए। साथ ही इन कौशलों की मदद से वे अपने परिवेश को और गहराई से जानने का प्रयास कर सके। उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण से यह अपेक्षा की जाती है कि बच्चों में प्रक्रिया–कौशलों के उत्तरोतर विकास के साथ–साथ अवधारणाओं, सिद्धांतों व वैज्ञानिक व्याख्याओं की समझ विकसित हो। साथ ही वे यह भी अनुभव कर सकें कि इन सब का किस तरह खोज व विकास हुआ। इस प्रक्रिया में उपकरण निर्माण व प्रयोग की बुनियादी व महत्त्वपूर्ण भूमिका का भी उन्हें आभास कराना एक प्रमुख उद्देश्य है।

संक्षेप में कहें तो विज्ञान की प्रकृति व प्रक्रिया पर समझ बनने के बाद ही शिक्षक–प्रशिक्षु एक अच्छी विज्ञान कक्षा के निर्माण की ओर अग्रसर हो पाएंगे। एक अच्छी विज्ञान कक्षा का एक महत्त्वपूर्ण पहलू बच्चों की समझ के आधारों को पहचानना भी है। इन सभी बातों पर गहराई से चर्चा करने से वे यह समझ पाने में सक्षम हो पाएंगे कि एक अच्छी विज्ञान कक्षा के निर्माण में उनकी स्वयं की भूमिका क्या होगी।

उद्देश्य

इस पाठ्यक्रम पर आधारित विषयवस्तु के शिक्षण के उद्देश्य निम्नलिखित हैं :–

- विज्ञान की प्रकृति पर समझ बनाना।
- विज्ञान से हमारे रिश्ते पर समझ बनाना अर्थात् विज्ञान से हमारा जीवन व परिवेश किस तरह से जुड़ा हुआ है इस बात को समझ पाना।
- यह समझना कि विज्ञान सीखने से हमारा क्या मतलब है।
- विज्ञान में ज्ञान और सीख के अन्तर को समझने के योग्य बनना।
- बच्चों की पृष्ठभूमि, प्रकृति व विभिन्न घटनाओं के प्रति नजरिए को समझना।
- हम कक्षाओं की रचना किस प्रकार करें कि सभी बच्चे अच्छी तरह सीख सकें। इसमें सीखने की प्रक्रिया की समझ भी निहित है।
- एक विज्ञान शिक्षक होने के नाते अपनी भूमिका को समझ पाना।
- विज्ञान की शिक्षण–विधियों एवं मूल्यांकन–प्रक्रिया की समझ विकसित करना।
- स्थानीय परिवेश, वहाँ के जैविक–अजैविक संसाधन एवं बाल मन की धारणाओं को, विज्ञान अध्ययन–अध्यापन का स्रोत होने की समझ विकसित करना।

विज्ञान का शिक्षणशास्त्र (द्वितीय वर्ष)

S-8

पूर्णांक : 100 (70+30) न्यूनतम स्वाध्याय अवधि : 70 घंटी

इकाई–I : विज्ञान से हमारा रिश्ता

- विज्ञान एक जाँच पड़ताल : हमारे आसपास प्रकृति में होनेवाली घटनाओं और परिघटनाओं की व्यवस्थित जाँच–पड़ताल करना
- जाँच पड़ताल के आधार पर प्राकृतिक परिघटनाओं को समझने के लिए अवधारणाएँ एवं उनके अंर्तसंबंधों को प्रतिपादित करने वाले सिद्धांत विकसित करना
- सिद्धांतों के आधार पर परिघटनाओं के अनुभवों की व्याख्या करना
- विकसित सिद्धांतों की प्रयोग एवं अवलोकन द्वारा जाँच पड़ताल, पुष्टि एवं सुधार करना
- किसी भी समय उपलब्ध सिद्धांत एवं व्याख्याओं को अंतिम व पूर्ण सत्य नहीं मानना
- विज्ञान की बुनियाद–जिज्ञासा एवं शंका
- जड़ विचारों से मुक्ति एवं प्रगतिशील विचारों की ओर बढ़ना
- विज्ञान के बढ़ते ज्ञान की सहायता से जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में उपयोगी तकनीकी का उत्तरोत्तर विकास जैसे कृषि, चिकित्सा, संचार, उद्योग आदि
- राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा–2005 व बिहार पाठ्यचर्या की रूपरेखा–2008 में विज्ञान शिक्षण की समझ

इस इकाई के माध्यम से विज्ञान की आवश्यकता, उसका महत्त्व, विज्ञान की प्रकृति एवं क्षेत्र के प्रति प्रशिक्षुओं में समझ विकसित की जाएगी। इस इकाई में विज्ञान शिक्षण को लेकर राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा–2005 एवं बिहार पाठ्यचर्या की रूपरेखा–2008 में कही गई बातों को विभिन्न उदाहरणों द्वारा समझाने का प्रयास किया जाएगा। ये उदाहरण पाठ्यपुस्तक में वर्णित विभिन्न अध्यायों से लिये जाएंगे जिससे कि शिक्षक–प्रशिक्षु की विज्ञान पाठ्यक्रम के ढाँचे के साथ–साथ पाठ्यपुस्तक से इसके जुड़ाव की भी समझ बन पाए। इसके साथ ही पाठ्यक्रम में प्रकरण (थीम) आधारित उपागम का महत्त्व समझ पाएंगे। इस उपागम के माध्यम से वे स्वयं व विद्यार्थी विज्ञान का जुड़ाव दैनिक जीवन की घटनाओं व परिघटनाओं के माध्यम से कर पाएंगे। विभिन्न प्रकरणों की समग्रता व उनमें आपसी जुड़ाव पर समझ बनाना भी इस इकाई का एक प्रमुख उद्देश्य होगा।

इकाई–II : विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य

- वस्तुओं, तथ्यों, घटनाओं, नियमों, सिद्धांतों के कार्य–कारण को समझना
- विज्ञान की प्रक्रिया– अवलोकन, संकलन, वर्गीकरण, परिकल्पना, प्रयोग, निष्कर्ष सत्यापन या परीक्षण को समझना
- आसपास की परिघटनाओं को वैज्ञानिक दृष्टि से समझना
- वैज्ञानिक अभिवृत्ति, वैज्ञानिक चिंतन, वैज्ञानिक साक्षरता, सृजनशीलता एवं मन में उठनेवाली जिज्ञासा के भाव के शमन के लिये खोज करना।

- अंधविश्वासों और पूर्वाग्रहों से मुक्त करना और समाजोपयोगी इंसान बनाना
- अधिकतम संभव आयामों या तरीकों से किसी तथ्य / घटना को समझना
- खोज–परक, जिज्ञासापरक एवं युक्तिपूर्ण समाज विकसित कराना
- स्वस्थ समालोचनात्मक सोच एवं खुले दिमाग से सोचने की प्रवृत्ति जगाना
- अपने अनुभवों को समूह के अनुभवों से जोड़ना तथा किसी तथ्य या घटना से संबंधित अवधारणात्मक कौशल का विकास कराना
- विज्ञान को जीवन से जोड़ना और विज्ञान की सर्वव्यापकता को समझना
- बच्चों में वैचारिक स्तर पर लचीलापन, नवाचार एवं रचनात्मकता जैसी प्रमुख अभिवृत्तियों (attitudes) का विकास करना
- शिक्षा के सामान्य उद्देश्यों की प्राप्ति में विज्ञान शिक्षण में अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं की भूमिका को समझना

इकाई–III : शिक्षण विधियाँ व तकनीकी

- इकाई योजना, पाठ्योजना व कार्ययोजना का निर्माण
- प्रयोगात्मक विधि, प्रदर्शन विधि, योजना (प्रोजेक्ट विधि) सर्वेक्षण विधि, समस्या–समाधन विधि
- अवलोकन, प्रदर्शन, गोष्ठी, चर्चा, स्थानीय भ्रमण, भागीदारी अनुभव, नमूना संग्रह
- शिक्षण में शिक्षा में सूचना एवं संचार तकनीकी (आई०सी०टी०) का उपयोग

इकाई–IV: मूल्यांकन एवं आकलन

- विज्ञान शिक्षण में मूल्यांकन एवं आकलन – अवधारणा व उद्देश्य
- सतत् व व्यापक मूल्यांकन के साधन व तकनीक
- उपलब्धि परीक्षण– प्रकार, निर्माण, ब्लू प्रिंट, प्रबंध, विश्लेषण, निष्कर्ष व रिपोर्ट
- परीक्षा में समझ, अनुप्रयोग एवं रचनात्मकता का आकलन
- प्रयोग एवं अवलोकन के बुनियादी महत्त्व के आलोक में बच्चों के प्रयोगात्मक एवं अवलोकन कौशलों का आकलन

इकाई–V: प्राकृतिक परिघटनाएँ व उनका हमारे जीवन पर प्रभाव

- प्राकृतिक परिघटनाएँ
- बिहार के संबंध में प्राकृतिक आपदाएँ
- आपदा–पूर्व, आपदा के दौरान व आपदा के पश्चात् रखी जाने वाली सावधानियाँ
- प्राकृतिक परिघटनाओं के घटित होने के वैज्ञानिक कारणों को समझने का प्रयास

इस इकाई में बिहार के संदर्भ में विभिन्न प्राकृतिक परिघटनाओं / आपदाओं विशेष रूप से बाढ़ व भूकम्प पर कार्य किया जाना है। इसके अंतर्गत आपदा होने से पूर्व या आपदा के दौरान व पश्चात् रखी जाने वाली सावधानियों पर चर्चा–परिचर्चा, प्रोजेक्ट, अखबारों से प्राप्त समाचारों के आधार पर समझने का प्रयास किया जाएगा। इस दौरान

हम हमारी भूमिका को कैसे देखते हैं इस पर भी बातचीत की जाएगी। इन सब पहलूओं तक ही सीमित न रहते हुए इन परिघटनाओं के पीछे के वैज्ञानिक कारणों पर समझ बनाना भी इस इकाई से अपेक्षित है।

इकाई–VI : उपकरणों का निर्माण व उनकी सहायता से प्रयोग करना

(कक्षा 6 से 8 तक की विज्ञान की पाठ्यपुस्तक में दिये गये क्रियाकलाप आधारित)– यथा

- केलिडोस्कोप बनाना
- पिन होल केमरा बनाना
- मोटर बनाना
- चुम्बक बनाना

इस इकाई में कक्षा 6–8 की विज्ञान की पाठ्यपुस्तक में वर्णित अलग–अलग अवधारणाओं के अंतर्गत आए उपकरणों में से कुछ चयनित उपकरण बनाना प्रस्तावित है। इन उपकरणों को बनाना एक रोचक गतिविधि होगी ऐसी अपेक्षा है। साथ ही इन उपकरणों के कार्य करने के पीछे के वैज्ञानिक सिद्धांत पर भी इसी इकाई में चर्चा कर समझ बनाने का प्रयास करने का उद्देश्य है।

प्रस्तावित कार्य

- विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों का प्रशिक्षुओं द्वारा समालोचनात्मक विश्लेषण करना।
- पाठ्यक्रम में दी गयी विज्ञान के उद्देश्यों की सार्थकता एवं व्यवहारपरकता पर परिचर्चा।
- अलग–अलग परिवेशों के मूल अंतरों को विद्यार्थियों के परिप्रेक्ष्य में समझने के लिए गतिविधियों का निर्माण। (वर्तमान पाठ्यपुस्तक के चुने हुए पाठों का प्रयोग करते हुए)।
- विभिन्न गतिविधियों की सूची का निर्माण तथा विभिन्न विषय–वस्तुओं के शिक्षण के लिए उनके अनुरूप उपयुक्त शिक्षण–विधि की रूपरेखा का निर्माण।
- प्रशिक्षुओं द्वारा विज्ञान की विषयवस्तुओं को स्वयं कैसे नियोजित करतें हैं तथा उनके द्वारा नियोजित विषय–वस्तु के पीछे उनके तार्किक आधारों की सूची बनवाना।
- स्थानीय संसाधनों का प्रशिक्षुओं द्वारा विज्ञान के शिक्षण में प्रयोग पर एक रिपोर्ट बनवाना।
- प्रशिक्षुओं द्वारा विद्यार्थियों की गतिविधियों का अवलोकन तथा उस अवलोकन के आधार पर मूल्यांकन के मापदण्डों को निर्धारित करने के तरीके पर चर्चा कराना।
- बच्चों से बातचीत कर पता लगाइए कि उनके मन में विज्ञान से संबंधित क्या जिज्ञासाएँ / सवाल हैं? उनके साथ हुई बातचीत का विश्लेषण पर एक रिपोर्ट तैयार करवाना।

सन्दर्भ पुस्तक / अभिलेख / वेबसाइट

अनिवार्य अध्ययन हेतु

- एन.सी.ई.आर.टी. (2008). कक्षा 1–5 तक आकलन के लिए स्रोत पुस्तिका (पर्यावरण अध्ययन). नई दिल्ली : एन.सी.ई.आर.टी.
- सी.बी.एस.ई. (2009). सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन शिक्षक निर्देशिका. नई दिल्ली : केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड.
- एन.सी.ई.आर.टी. (2005). राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रुपरेखा–2005. नई दिल्ली : एन.सी.ई.आर.टी.
- एन.सी.ई.आर.टी. (1990). भारत में अध्यापक शिक्षा–एक स्रोत पुस्तक, नई दिल्ली : एन.सी.ई.आर.टी.
- दास. आर. सी. (2000). स्कूलों में विज्ञान शिक्षण, नई दिल्ली : स्टरलिंग प्राईवेट लिमिटेड,

ज्ञान विस्तार हेतु

- Arora, G.L. & Yadav S.K. (1998), Self-Learning Material for Teacher Education, Vol. I, II, NCERT, New Delhi.
- NCERT: 2005; National Curriculum Framework-2005. National Council of Educational Research and Training, New Delhi.
- NCERT: 2006; Position Paper: National Focus Group on Examination Reforms National Council of Educational Research and Training, New Delhi.

❖❖❖

सामाजिक अध्ययन का शिक्षण शास्त्र (द्वितीय वर्ष)

S-8

पूर्णांक : 100 (70+30) न्यूनतम स्वाध्याय अवधि : 70 घंटी

इकाई–I : सामाजिक अध्ययन की विषय–वस्तु

- सामाजिक अध्ययन की अवधारणा – प्रकृति एवं क्षेत्र
- सामाजिक अध्ययन के मुख्य घटक – भुगोल, इतिहास, राजनीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र एवं समाजशास्त्र
- सामाजिक अध्ययन स्वतंत्र, एकीकृत व बहुविषयी उपागम के रुप में
- सामाजिक संदर्भ की समझ विकसित करने में सामाजिक अध्ययन की भूमिका

इस इकाई के माध्यम से सामाजिक अध्ययन की आवश्यकता, उसका महत्त्व, सामाजिक अध्ययन की प्रकृति एवं क्षेत्र के प्रति प्रशिक्षुओं में समझ विकसित की जाएगी। इस इकाई में सामाजिक अध्ययन शिक्षण को लेकर राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा–2005 एवं बिहार पाठ्यचर्या की रूपरेखा–2008 में कही गई बातों को विभिन्न उदाहरणों द्वारा समझाने का प्रयास किया जाएगा। ये उदाहरण पाठ्यपुस्तक में वर्णित विभिन्न अध्यायों से लिये जाएंगे जिससे कि शिक्षक–प्रशिक्षु की सामाजिक अध्ययन पाठ्यक्रम के ढाँचे के साथ–साथ पाठ्यपुस्तक से इसके जुड़ाव की भी समझ बन पाए। इसके साथ ही पाठ्यक्रम में प्रकरण (थीम) आधारित उपागम का महत्त्व समझ पाएंगे। इस उपागम के माध्यम से वे स्वयं व विद्यार्थी सामाजिक अध्ययन का जुड़ाव दैनिक जीवन की घटनाओं व परिघटनाओं के माध्यम से कर पाएंगे। विभिन्न प्रकरणों की समग्रता व उनमें आपसी जुड़ाव पर समझ बनाना भी इस इकाई का एक प्रमुख उद्देश्य होगा।

इकाई–II : शिक्षण विधियाँ व तकनीकी

- इकाई योजना, पाठ्योजना व कार्ययोजना का निर्माण
- क्षेत्र विधि, योजना (प्रोजेक्ट विधि) सर्वेक्षण विधि, समस्या–समाधन विधि, कहानी विधि
- अवलोकन, प्रदर्शन, गोष्ठी, चर्चा, स्थानीय भ्रमण, भागीदारी अनुभव, नमूना संग्रह

पाठ्यक्रम के बनाने के दौरान इस बात का ध्यान रखा गया है कि बच्चों को विभिन्न प्रक्रिया–कौशलों यथा अवलोकन, वर्गीकरण, आँकड़े एकत्रित करना, विश्लेषण करना, निष्कर्ष निकालना आदि के पर्याप्त अवसर मिले। इसके अलावा विभिन्न विधियों, सर्वेक्षण, प्रयोग, चर्चा–परिचर्चा, समूहों में काम करना आदि का भी समावेश किया गया है।

इकाई–III : शिक्षण अधिगम सामग्री

- स्थानीय स्त्रोत : – स्थानीय भू–संस्कृतिक संसाधन, मानव – पर्यावरण अन्त संबंध, स्थानीय लोगों की समझ, स्थानीय जीवन पर बाजार के प्रभाव की समझ
- विभिन्न प्रकार की भौगोलिक, सामाजिक व आर्थिक नमूनों का एकत्रीकरण, सूचनाओं का संग्रह एवं उपयोग
- मानवकृत सामग्री – चार्ट, पोस्टर, कार्टून, तस्वीर, दस्तावेज, पत्र–पत्रिका, मॉडल, ग्लोब, मानचित्र।
- विभिन्न संग्रहित वस्तुएँ – खनिज, सिक्के, अनाज इत्यादि

बच्चों को पाठ्यपुस्तक के अलावा सामाजिक अध्ययन से संबंधित महत्त्वपूर्ण एवं रोचक किताबें, अखबारों एवं पत्रिकाओं की कतरनों, फिल्में, टी.वी., इंटरनेट आदि माध्यम उपलब्ध कराने के प्रयास करना। स्थानीय व अन्य उपलब्ध स्रोतों, बच्चों और समुदाय की सहायता से पर्यावरण कॉर्नर, ग्लोब मानचित्र आदि की सक्रिय व्यवस्था स्थापित करना। स्वाध्याय एवं जानकारों से संवाद द्वारा अपने ज्ञान के निरन्तर विकास के लिए प्रयासशील रहना। बिना समझ के रटने की प्रवृत्ति को हतोत्साहित कर समझ के साथ सीखने पर जोर। कक्षा का नियोजन इस प्रकार से करें कि गतिविधि आधारित शिक्षण सक्रियता से हो। मन व दिमाग से बच्चों से सीखने का खुलापन हो। विभिन्न अवसर–चर्चा, प्रश्न पूछना, प्रयोग, आदि के मौके उपलब्ध कराना। अपने ज्ञान और अनुभव के आधार पर सीखने–सीखाने की प्रक्रिया को समृद्ध बनाने के लिये नये–नये मौके ढूँढना। अपनी शिक्षण प्रक्रिया के लिये पर्याप्त पूर्व तैयारी एवं कार्य–योजना के साथ कक्षा में उतरना परन्तु कक्षा में उत्पन्न परिस्थितियों के अनुरूप अपनी कार्यनीति में आवश्यक एवं उपयोगी परिवर्तन की तैयारी भी रखना।

इकाई –IV : सामाजिक अध्ययन के मूल्यांकन

- सामाजिक अध्ययन में मूल्यांकन – अवधारणा व उद्देश्य
- सतत् व व्यापक मूल्यांकन के साधन व तकनीक
- ब्लू प्रिंट व विभिन्न प्रकार की मूल्यांकन सामग्री
- उपलब्धि परीक्षण का निर्माण, प्रबंध, विश्लेषण, निष्कर्ष व रिपोर्ट

मूल्यांकन संबंधी जो समझ विकसित की गई है उसे सामाजिक अध्ययन में भी लागू करते हुए शिक्षा के स्तर में उपयुक्त सुधार एवं विकास करना होगा। परीक्षा के दौरान समझ, अनुप्रयोग एवं रचनात्मकता के मूल्यांकन को प्रमुखता देते हुए रटी–रटाई जानकारी उगलवानेवाले प्रश्नों से परहेज। मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य बच्चों की अवधारणात्मक समझ एवं कौशल की जाँच होना चाहिए। इस हेतु अवधारणा की समझ आधारित, अनुप्रयोग, कौशल एवं अपनी समझ का नयी परिस्थितियों में उपयोग करने की क्षमता जाँचने वाले प्रश्नों का निर्माण एवं उपयोग। सामाजिक अध्ययन में प्रयोग एवं अवलोकन के बुनियादी महत्त्व के आलोक में बच्चों के प्रयोगात्मक एवं अवलोकन कौशलों के मूल्यांकन को पर्याप्त महत्त्व एवं स्थान (वेटेज) दिया जाए।

इकाई–V : अवधारणा विकास

- स्थानीय पारितंत्र, मानव व पारितंत्र, मौसम व जलवायु
- स्थानीय प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण
- प्राकृतिक व मानवकृत आपदाएँ व उनका प्रबंधन
- स्थानीय वनस्पति, कृषि पद्धतियाँ, जल–स्त्रोत प्रबंधन
- यातायात व संचार के विकास, स्थानीय उपज, उत्पादन, विनिमय व व्यापार
- आर्थिक समस्याएँ – निरक्षरता, गरीबी, बेरोजगारी, प्रदूषण के प्रकार – कारण व निवारण

इस इकाई में बिहार के संदर्भ में स्थानीय पारितंत्र, मानव व पारितंत्र, मौसम व जलवायु के परिचय व विशेषताओं के साथ–साथ विभिन्न प्राकृतिक परिघटनाओं/आपदाओं विशेष रू[illegible] बाढ़ व भूकम्प पर कार्य किया जाना है। इसके अंतर्गत आपदा होने से पूर्व या आपदा के दौरान व पश्चात् रखी जाने वाली सावधानियों पर चर्चा–परिचर्चा, प्रोजेक्ट, अखबारों से प्राप्त समाचारों के आधार पर समझने का प्रयास किया जाएगा। इस दौरान हम

हमारी भूमिका को कैसे देखते हैं इस पर भी बातचीत की जाएगी। इन सब पहलूओं तक ही सीमित न रहते हुए इन परिघटनाओं के पीछे के वैज्ञानिक कारणों पर समझ बनाना भी इस इकाई से अपेक्षित है। इसके अतिरक्त शिक्षार्थियों में राज्य के अच्छी समझ बनाने के लिए आर्थिक व सामाजिक व्यवस्थाओं और रूकावटों का अध्ययन कर सकेंगे।

प्रस्तावित कार्य

- सामाजिक अध्ययन की पाठ्यपुस्तकों का प्रशिक्षुओं द्वारा समालोचनात्मक विश्लेषण करना।
- विभिन्न गतिविधियों की सूची का निर्माण तथा विभिन्न विषय–वस्तुओं के शिक्षण के लिए उनके अनुरूप उपयुक्त शिक्षण–विधि की रूपरेखा का निर्माण।
- प्रशिक्षुओं द्वारा सामाजिक अध्ययन की विषयवस्तुओं को स्वयं कैसे नियोजित करतें हैं तथा उनके द्वारा नियोजित विषय–वस्तु के पीछे उनके तार्किक आधारों की सूची बनवाना।
- स्थानीय संसाधनों का प्रशिक्षुओं द्वारा सामाजिक अध्ययन के शिक्षण में प्रयोग पर एक रिपोर्ट बनवाना।
- प्रशिक्षुओं द्वारा विद्यार्थियों की गतिविधियों का अवलोकन तथा उस अवलोकन के आधार पर मूल्यांकन के मापदण्डों को निर्धारित करने के तरीके पर चर्चा कराना।

सन्दर्भ पुस्तक / अभिलेख / वेबसाइट

अनिवार्य अध्ययन हेतु

- एस.सी.ई.आर.टी. (2008). कक्षा 1–5 तक आकलन के लिए स्रोत पुस्तिका (पर्यावरण अध्ययन), नई दिल्ली
- एन.सी.ई.आर.टी. (2005). राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रुपरेखा–2005. नई दिल्ली : एन.सी.ई.आर.टी.
- बिहार राज्य की सामाजिक विज्ञान की पाठय पुस्तकें।
- सी.बी.एस.ई. (2009). सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन शिक्षक निर्देशिका. नई दिल्ली : केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड.
- Kochhar, S. K., Teaching of Social Science, Sterling Publishers Private Limited

ज्ञान विस्तार हेतु

- बिहार पाठ्यचर्या की रुपरेखा–2008 का पर्यावरण अध्ययन एवं सामाजिक विज्ञान का हिस्सा।
- सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन, 2003 प्रारंभिक स्तर के लिए शिक्षक निर्देशिका, रा. शै. अनु. परिषद, नई दिल्ली।
- NCERT, (2005). National Curriculum Framework. New Delhi: NCERT.
- NCERT, (2005). Syllabus for Elementary Classes- Volume I. New Delhi: NCERT.
- NCERT, (2008). Source Book on Assessment for Classes I – V, Environmental Studies, New Delhi: NCERT.

संदर्भ

प्राथमिक शिक्षक की तैयारी को स्कूली पाठ्यक्रम के साथ समन्वय करना समय की माँग है। किन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्राथमिक शालाओं में हिन्दी का शिक्षण किया जाना है उनको केन्द्र में रखकर इस पर्चे की इकाईयों तथा उनकी उप–इकाईयाँ तैयार की गई है। प्रशिक्षु हिन्दी भाषा के संक्षिप्त इतिहास से परिचित होते हुए हिन्दी की उन संरचनागत विशेषताओं के बारे मे समझ बनाएँगे जो विशेषकर पहली से पाँचवी कक्षा के विद्यार्थियों को पढ़ाने में मददगार होंगी। यह पर्चा प्रशिक्षुओं की क्षमताओं को इस दिशा में विकसित करने के अवसर प्रदान करता है।

प्रशिक्षु सुनने, बोलने, पढ़ने, लिखने की कुशलताओं और क्षमताओं के बारे में समझ बनाएँगे। वे इन संकल्पनाओं का अर्थ, विकसित होने कि प्रक्रिया तथा कक्षा में उपयोग करने के तरीकों के बारे में समझ बनाएँगे। शिक्षक होने के लिए यह एक अनिवार्य शर्त है कि वे जिन कुशलताओं और क्षमताओं का विकास विद्यार्थियों में करना चाहते / चाहतीं हैं, वे कुशलताएँ और क्षमताएँ स्वयं उनके व्यक्तित्व का हिस्सा हों। इस संदर्भ में यह पर्चा प्रशिक्षुओं में संबन्धित कुशलताओं और क्षमताओं के विकास को महत्त्वपूर्ण स्थान देता है। प्रशिक्षुओं को ऐसे अवसर उपलब्ध करवाये जायेंगे जिनकी मदद से वे सुनने, बोलने, पढ़ने, लिखने की संकल्पनाओं के बारे में बनी समझ को प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों के लिए उपयुक्त शिक्षण प्रक्रियाओं का सृजन करने में कर सकेंगे।

प्रशिक्षु बच्चों का सतत् एवं समग्र मूल्यांकन करने की प्रक्रिया एवं तरीकों के बारे में समझ बनाएँगे। वे मूल्यांकन के इस उपागम तथा एक–दो बार ली जाने वाली परीक्षा के आधार पर किए जाने वाले मूल्यांकन के बीच शिक्षणशास्त्री अंतर के बारे में समझ बनाएँगे। वे समझ पाएँगे कि मूल्यांकन बच्चों कि गलतियाँ पकड़ने के लिए न करके वैयक्तिक रूप से उनकी मदद करने के लिए किया जाता है। प्रशिक्षु शिक्षण हेतु पाठ–योजना की जरूरत के बारे में समझ बनाएँगे। उनसे यह अपेक्षा है कि रचनात्मक उपागम (Constructivist approach) के अन्तर्गत पाठ–योजना का महत्त्व और सीमाएँ क्या हैं। वे इस बारे में भी समझ बनाएँगे कि यदि कक्षाओं को गतिविधि आधारित बनाना है तो कक्षा की प्रक्रियाओं के कौन–से रूप तथा उनकी क्या चुनौतियाँ हो सकती हैं।

उद्देश्य

इस पाठ्यक्रम पर आधारित विषयवस्तु के शिक्षण के उद्देश्य निम्नलिखित हैं :–

- प्राथमिक स्तर पर हिन्दी–शिक्षण के उद्देश्यों के बारे में समझ बनाना।
- प्राथमिक स्तर पर आवश्यक भाषायी कौशलों के उन पक्षों को समझना जो प्राथमिक स्तर पर आवश्यक हैं।
- हिंदी के संदर्भ में प्रारंभिक साक्षरता (शुरुआती पढ़ना–लिखना) की प्रकिया को समझते हुए उसके विकास के लिए आवश्यक रणनीतियां तय करना।
- बच्चों के भाषायी कौशलों को विकसित करने के सैद्धांतिक पक्षों के बारे में समझ बनाना।
- हिन्दी–भाषा के विभिन्न पहलुओं का मूल्यांकन करने के तरीकों से अवगत होना।
- उद्देश्यपरक पाठ–योजना तथा उपयुक्त कक्षा प्रक्रियाओं के नियोजन तथा संचालन के बारे में समझ विकसित करना।

हिन्दी का शिक्षणशास्त्र–1 (प्रथम वर्ष)

F-9

पूर्णांक : 100 (70+30) न्यूनतम स्वाध्याय अवधि : 70 घंटी

इकाई–I : प्राथमिक स्तर पर हिन्दी–शिक्षण के उद्देश्य

- राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रुपरेखा–2005 और बिहार पाठ्यचर्या की रुपरेखा–2008 के आलोक में कक्षा 1 से 5 के लिए अनुमोदित हिन्दी भाषा के उद्देश्यों को समझना
- विद्यार्थियों को अपने विचारों, अनुभवो को अपनी भाषाओं में संवाद व काम करने की अवसर उपलब्ध करवाना
- कक्षा के बहुभाषिक वातावरण का उपयोग हिन्दी सीखने में करना
- बच्चों की बातचीत करने की आदत का उनके भाशा विकास में उपयोग करने के तरीकों को समझना
- बच्चों को अपनी ही भाषा की मदद से व्याकरण के नियमों को समझने हेतु प्रोत्साहित करना

बच्चे के व्यक्तित्व निर्माण में मातृभाषा का महत्त्वपूर्ण योगदान होता है। वे अपने वातावरण में भाषा सुनते तथा उसका उपयोग करते हैं। भाषा के द्वारा वे सवाल पूछने, सोचने, भाव व्यक्त करने, तुलना करने, राय देने जैसे काम लेते हैं। प्राथमिक स्तर पर हिन्दी–शिक्षण के उद्देश्यों पर विचार करते हुए इस तथ्य का रूझान गंभीरतापूर्वक रखा जाना चाहिए कि उसके उपयोग की भाषा या भाषाएँ उसके हिन्दी सीखने का आधार बनें। उनकी भाषाओं के साथ उनके गहरे भावात्मक तथा प्रयोजनात्मक संबंधों में दरारें पैदा करने से हिन्दी का शिक्षण बोझिल होने के साथ–साथ कम उत्पादक भी होगा।

प्राथमिक स्तर पर हिन्दी भाषा–शिक्षण के उद्देश्यों को बच्चों द्वारा उपयोग में लाई जा रही भाषा, भाषा के द्वारा लिए जाने वाले कामों को केन्द्र में रखकर आगे बढ़ने की जरूरत है। उद्देश्यों को समझने के लिए एन.सी.ई.आर.टी. तथा बिहार राज्य के द्वारा तैयार प्राथमिक कक्षाओं के पाठ्यक्रमों का संदर्भ लेना विशेष तौर पर मददगार होगा।

इकाई–II : भाषाई कौशलों का विकास : सुनना व बोलना

- भाषाई कौशलों की संकल्पना : भाषाई कौशलों के प्रकार, अर्थ एवं उनके आपसी संबंध
- सुनने व बोलने का अर्थ
- सुनने व बोलने को प्रभावित करने वाले कारक :
- प्रशिक्षुओं की मौखिक अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास :
  अपने बारे में बात करना, स्कूल अनुभवों पर बात करना, सुने हुए विचारों को संक्षिप्त व विस्तारित कर पाना, परिचित सम–सामयिक विषयों पर अपने विचार प्रस्तुत करना। धारा प्रवाहित व सटीकता से अभिव्यक्त करना। प्रशिक्षुओं को कहानी, नाटक, रचने तथा प्रस्तुत करने का अवसर देना
- बच्चों को कक्षा में सुनने व बोलने के मौके उपलब्ध करवाना :
  - बालगीत / कविता सुनाना। (कविताओं व बालगीतों के उदाहरण प्राथमिक कक्षाओं की हिन्दी की पाठ्यपुस्तकों से भी लिए जाएँ)
  - चित्रों पर चर्चा करवाना

– कहानी सुनना व उन पर सवालों के माध्यम से चर्चा करवाना
– दिए गए शब्दों से कहानी सुनाना
– नाटक / रोल प्ले करवाना
– अवलोकनों का वर्णन करने के अवसर उपलब्ध करवाना
– अवलोकन करवाना, वर्णन करना तथा अपने द्वारा किये गये वर्णन में सुधार करना

'भाषा व शिक्षा' के पर्चे में हमने पढ़ा था कि बच्चों में भाषा सीखने की सहज व जन्मजात क्षमता होती है और स्कूल आने से पहले वे अच्छा खासा भाषाई ज्ञान अर्जित कर चुके होते हैं। बच्चे जब स्कूल आते हैं तो स्कूल की भूमिका होती है उनके भाषाई ज्ञान का इस्तेमाल करते हुए उनमें पढ़ने, लिखने, अभिव्यक्त करने के कौशलों का विकास किया जाए। इसलिए इस इकाई की शुरूआत में हम भाषाई कौशलों की संकल्पना व उनके आपसी संबंध के बारे में चर्चा करेंगे। सहज तौर पर शायद हम सब यह मानते है कि सुनने, बोलने, पढ़ने, लिखने में कुछ संबंध है। लेकिन सीखने–सिखाने की प्रक्रिया के दौरान इनको अलग–अलग ही देखा जाता है और कक्षा–कक्ष प्रक्रिया में प्रत्यक्ष रूप से यह उजागर भी नहीं होता। यह इकाई शुरूआत में यह समझने का प्रयास करेगी कि क्यों इन कौशलों का स्वाभाविक अंतर्संबंध अनुभव कर पाना अति आवश्यक है। ये कौशल कैसे एक दूसरे को विकसित करने में मदद करते हैं। इसके बाद हम विस्तारपूर्वक सुनने व बोलने के अर्थ व बच्चों में सुनने की क्षमता व बोलने की क्षमता का कौशल विकसित करना क्यों जरूरी है तथा इन कौशलों को विकसित करने हेतु क्या–क्या गतिविधियाँ की जा सकती है इस पर समझ बनाएँगे। बच्चों में अभिव्यक्ति की समझ व कौशल विकसित हो इसके लिए जरूरी है कि प्रशिक्षु की अपनी अभिव्यक्ति क्षमता भी बेहतर हो। अतः इस इकाई का एक हिस्सा प्रशिक्षुओं की अभिव्यक्ति क्षमता बढ़ाने के तरीकों पर केन्द्रित है।

इकाई–III : पढ़ने के कौशल का विकास

- पढ़ने का अर्थ : शुरुआती पढ़ना क्या है, शुरुआती 'पढ़ना' की चरणबद्ध प्रक्रिया को समझना, पढ़ना व वाचन में अंतर
- पढ़ने की प्रक्रिया और विभिन्न सोपानों में अनुमान लगाने, अर्थ समझने, लिपि पहचानने, पढ़कर प्रतिक्रिया देने, पढ़कर सार प्रस्तुत करने का तात्पर्य और महत्व
- पढ़ने के प्रकार : सस्वर, मौन पठन, गहन पठन, विस्तृत पठन, शब्द और अर्थ का अनुमान लगाते हुए पढ़ना, स्किप रीडिंग आदि
- पढ़ना सिखाने के तरीके : वर्ण विधि, शब्द विधि, वाक्य विधि, संदर्भाधारित उपागम
- पढ़ना सीखने–सिखाने की प्रक्रिया में बाल साहित्य की भूमिका

इस इकाई में प्रशिक्षुओं की पढ़ने की क्षमता को बढ़ाया जाएगा। पढ़ना सीखने की समझ विकसित की जाएगी तथा पढ़ना सिखाने के तरीकों का क्रियान्वयन करने की तत्परता पर ध्यान दिया गया है। यह आवश्यक है कि वे पढ़ने की क्षमता का विकास करते हुए पढ़ना सीखने में मदद करने की बारीकियाँ समझें। यह इकाई पढ़ने के बारे में समझ बनाने पर केन्द्रित है। अधिकांश अध्यापकों / अभिभावकों की अपने बच्चों के बारे में यह शिकायत रहती है कि इतना सिखाते हैं फिर भी बच्चे पढ़ नहीं पाते। यह इकाई इसी बुनियादी सवाल कि "बच्चे पढ़ क्यों नहीं पाते?" के विभिन्न पहलूओं को समझने में मदद करती है। पढ़ने का अर्थ, पढ़ने की प्रक्रिया, पढ़ना सिखाने के विभिन्न तरीकों, पढ़ने की प्रक्रिया के दौरान बच्चों व शिक्षकों को आने वाली चुनौतियाँ इत्यादि के बारे में बात करते हुए यह समझाने का प्रयास करती है कि बच्चों को पढ़ना सिखाने हेतु कौन सी उपयुक्त गतिविधियाँ की जा सकती हैं।

इकाई–IV : लिखने के कौशल का विकास

- लेखन का अर्थ : संकल्पना व विकास
- शुरुआती लेखन : संकल्पना और विकास
- लेखन की चरणबद्ध प्रक्रिया – आड़ी–तिरछी रेखाएं, प्रतीकात्मक चित्र, स्व–वर्तनी, पारंपरिक लेखन की ओर
- पढ़ना और लिखना में संबंध
- लेखन की विशेशताएँ: सरल, जटिल, आलंकारिक आदि
- प्राथमिक कक्षाओं में लेखन कौशल के विकास के तरीके : चित्र बनाना, रेखाचित्र से कहानी बनाकर लिखना, अपनी रुचि की चीजों के बारे में लिखना, कहानी को आगे बढ़ाकर लिखना, श्रुतिलेख, लयात्मक शब्द से तुकबंदी करना
- लिखना सिखाने में आने वाली समस्याएँ व उनके समाधान के तरीके : क्या ये वास्तव में समस्याएँ है या बच्चों द्वारा सीखने की प्रक्रिया के स्वाभाविक चरण
- लेखन के विभिन्न प्रकार : पत्र लेखन, कहानी लेखन, निबंध लेखन, विज्ञापन लेखन, फार्म भरना इत्यादि

इस इकाई में प्रशिक्षुओं की लिखने की क्षमता को बढ़ाया जाएगा, लिखना सीखने की समझ विकसित की जाएगी तथा लिखना सीखने में मदद करने वाले तारीकों को क्रियान्वित करने की तत्परता पर भी ध्यान दिया जाएगा। इकाई की शुरूआत में हम लिखने के अर्थ, संकल्पना पर चर्चा करेंगे? लिखना केवल एक प्रकार का माध्यम है जिसमें बोली गई बात को व्यक्त किया जा सकता है? या लिखते वक्त बोलने से कुछ ज्यादा करना पड़ता है? क्यों लिखना सीखना भाषा सीखने का कठिन लक्ष्य माना जाता है। क्या यह वाकई कठिन है अथवा जो तरीके हम लिखना सिखाने हेतु अपनाते हैं वह इसको कठिन बना देते हैं? हम इस पर भी विस्तार से बातचीत करेंगे कि बच्चों के साथ लिखना सिखाने की शुरुआत कैसे की जाए? भाषा लगातार विकसित होती रहती है उसका स्वरूप बदलता रहता है लेकिन लिखित भाषा में परिवर्तन बहुत ही धीरे होता है दूसरा बोलचाल की भाषा में "भाषा" के मानकीकृत रूप के उपयोग पर इतना जोर नहीं होता जितना की लिखित भाषा में। बच्चों द्वारा लिखना सीखने की दृष्टि से इसके महत्त्वपूर्ण निहितार्थ है और इस इकाई में हम इन निहितार्थों के बारे में भी चर्चा करेंगे। अच्छे लेखन की विशेषताएँ व प्राथमिक कक्षाओं में लेखन कौशल विकास के लिए क्या–क्या अनुभव बच्चों को दिये जा सकते हैं इसके बारे में भी बात की जाएगी।

इकाई –V : पाठ योजना और कक्षा प्रक्रियाएँ

- पाठ योजना का अर्थ आवश्यकता और महत्त्व
- पाठ योजना के प्रकार
- रचनात्मक शिक्षण उपागम और पाठ–योजना
- पाठ योजना और रचनात्मक कक्षा प्रक्रियाओं में संबंध

- मूल्यांकन का अर्थ
  - सीखने की प्रक्रिया के रूप में
  - शिक्षार्थी को सीखने में मदद करने के रूप में
  - शिक्षातंत्र को प्रतिपुष्टि देने के रूप में
  - उत्पाद तथा प्रक्रिया के रूप में
  - आकलन व मूल्यांकन में संबंध
  - सीमित या समग्र पक्षों का मूल्यांकन करने के रूप में
  - सीमित समय में या सतत् मूल्यांकन के रूप में
  - प्राथमिक कक्षाओं के संदर्भ में भाशा में प्रवाहशीलता और सटीकता के संबंधों को समझाना

- **भाषा में मूल्यांकन और तरीके**
  - विभिन्न कौशलों का मूल्यांकन
  - मौखिक मूल्यांकन
  - अवलोकन
  - लिखित मूल्यांकन
  - प्रस्तुति
  - अभिनय

इस इकाई में हम यह समझ बनाने का प्रयास करेंगे कि "आकलन", "मूल्यांकन" आखिर है क्या? वर्तमान मूल्यांकन प्रक्रिया हमें यह तो अवगत कराती है कि बच्चे ने हर विषय में कितने अंक प्राप्त किये हैं? लेकिन ये अंकन न तो यह समझने में मदद करते हैं कि बच्चे ने क्या सीखा है? और न ही यह समझने में कि उसने क्या नहीं सीखा और उसे कहाँ–कहाँ मदद की आवश्यकता है? वर्तमान में प्रचलित मूल्यांकन प्रक्रिया की एक और समस्या है कि यह सिर्फ इस बात का मूल्यांकन करती है कि बच्चे की रटने की क्षमता कितनी है? इन सभी को ध्यान में रखते हुए मूल्यांकन को पुनः परिभाषित करने की जरूरत है। यह इकाई आकलन के उद्देश्य क्या होने चाहिए? आकलन किसका व कब, आकलन कैसे कर सकते हैं ? क्या आकलन सीखने–सिखाने की प्रक्रिया का हिस्सा है? इत्यादि मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करते हुए आकलन को पुनः परिभाषित करने में मदद करती है।

प्रस्तावित कार्य

- बड़े आकार के दस ऐसे चित्रों का चुनाव कीजिए जिनका उपयोग पहली इसकी कक्षा के विद्यार्थियों को बातचीत के अवसर उपलब्ध करवाने हेतु किया जा सकता है। प्रत्येक चित्र के साथ उसके चुनाव के कारण देते हुए फाइल तैयार कीजिए।
- किसी एक विद्यार्थी को लगभग 200 शब्दों का एक अपठित गद्यांश देकर उससे पढ़ने को कहें। उसके आधार पर उसके पढ़ने की क्षमता का आकलन करने के लिए आप क्या और कैसे करेंगे? एक रिर्पोट तैयार कीजिए।
- चौथी या पाँचवी के एक विद्यार्थी को एक परिचित विषय तथा एक कम परिचित विषय पर लिखने को कहें। उसके लिखे का विश्लेषण कर यह पता लगाए कि लिखने में कौन–सी बातें मदद करती हैं?

सन्दर्भ पुस्तक / अभिलेख / वेबसाइट

अनिवार्य अध्ययन हेतु

- एकलव्य (2004). खुशी–खुशी कक्षा 1–5. भोपाल : एकलव्य.
- एस.सी.ई.आर.टी. (2008). बिहार पाठ्यचर्या की रुपरेखा–2008. पटना : एस.सी.ई.आर.टी.
- एन.सी.ई.आर.टी. (2004). भारतीय भाषाओं का शिक्षण : आधार पत्र (1.3), नई दिल्ली : एन.सी.ई.आर.टी,
- एन.सी.ई.आर.टी. (2005). राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रुपरेखा–2005. नई दिल्ली : एन.सी.ई.आर.टी.
- धनकर, रोहित (2004). भाषा–शिक्षण–1, शिक्षा और समझ में. पंचकूला : आधार प्रकाशन. पृष्ठ 147–150.
- धनकर, रोहित (2004). भाषा–शिक्षण–2, शिक्षा और समझ में. पंचकूला : आधार प्रकाशन. पृष्ठ 151–154.
- कुमार, कृष्ण (2000). बच्चे की भाषा और अध्यापक – एक निर्देशिका. नई दिल्ली : नेशनल बुक ट्रस्ट, इंडिया,
- केन्द्रीय हिन्दी संस्थान. मानक हिन्दी वर्तनी. दिल्ली.
- बिहार राज्य की कक्षा 1 से 5 की हिन्दी भाशा की पाठ्यपुस्तकें.
- राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (NIOS) द्वारा अपने पाठ्यक्रम – 5 प्रारंभिक कक्षाओं में भाषा सीखना – सिखाना की ईकाई – 1 से इकाई – 10 तक.
- अग्निहोत्री, रमाकांत (1999). बच्चों की भाषा सीखने की क्षमता, शैक्षिक संदर्भ, जुलाई–अगस्त, भोपाल, पृष्ठ 7–13.
- आक्सफोर्ड. हिन्दी शब्दकोश.

ज्ञान विस्तार हेतु

- कुमार, कृष्ण (1993). राज, समाज और बच्चे. राज, समाज और शिक्षा में, नई दिल्ली. : राजकमल प्रकाशन.
- कुमार, कृष्ण (1996). हिन्दी का सपना. विचार का डर में, नई दिल्ली. : राजकमल प्रकाशन.
- द्विवेदी, हजारीप्रसाद (1998). भाषा साहित्य और देश. नई दिल्ली. : भारतीय ज्ञानपीठ.
- ब्रिटन, जेम्स (1970). लैंग्वेज एंड लर्निंग, द पैंगविन प्रेस.
- तिवारी, भोलानाथ और भाटिया, कैलाशचन्द्र (1986). हिन्दी भाषा शिक्षण. नई दिल्ली. : साहित्य सहकार.
- तिवारी, पुरूषोत्तम लाल (1992). हिन्दी शिक्षण. राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी, जयपुर.
- रावत, बीरेन्द्र सिंह (2006). भाषा–शिक्षण का समाजशास्त्र, परिप्रेक्ष्य, न्यूपा, वर्ष–13, अंक–1, अप्रैल, पृष्ठ 51–83.
- नेशनल बुक ट्रस्ट. बाल उपयोगी पुस्तकें. नई दिल्ली.
- अग्रवाल, पुरूषोत्तम (2000). विचार का अनंत, नई दिल्ली. : राजकमल प्रकाशन.

❖❖❖

हिन्दी का शिक्षणशास्त्र–2

संदर्भ **द्वितीय वर्ष**

यह पर्चा उन प्रशिक्षुओं के लिए है जो हिन्दी विशय में अपनी दक्षताओं को बढ़ाना चाहते हैं। इस पर्चे में प्रशिक्षुओं की हिन्दी साहित्य की विभिन्न विधाओं के प्रकार तथा विशेषताओं के विषय में समझ को बेहतर करने के अवसर उपलब्ध करवाएं जाएंगे। ऐसा करना इसलिए जरूरी है ताकि वे साहित्य के माध्यम से शिक्षण करवाने में सहजता का अनुभव करें तथा इन विधाओं का भाषा के शिक्षण में बेहतर उपयोग करने के लिए उनकी विशेषताओं तथा कक्षा–प्रक्रियाओं के बीच शिक्षणशास्त्रीय सम्बन्धों की पहचान व समझ विकसित करना आवश्यक है।

यह सच है कि व्याकरण के द्वारा भाषा नहीं सीखी जाती, विशेषकर प्रथम भाषा। भाषा, उपयोग करने से आती है। किसी भाषा को उपयोग कर सकने के ज़ितने ज्यादा और विविध अवसर मिलेंगे, वह भाषा उतनी ही समृद्ध होगी। लेकिन उस भाषा के व्याकरण को समझकर उसके उपयोग को और भी बेहतर किया जा सकता है। व्याकरण के नियमों को समझने के दो रास्ते हो सकते हैं। एक रास्ता तैयार नियमों को याद कर उपयोग में लाने का हैं तथा दूसरा रास्ता, बोली जा रही भाषा में प्रयुक्त होने वाले शब्दों और वाक्यों का विश्लेषण कर नियमों को खोजने का है। दूसरा रास्ता विद्यार्थियों को सृजनशील बनने की तरफ ले जाता है। जबकि पहला रास्ता नियमों का उपयोग भर करने की तरफ़ ले जाता है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा–2005 को ध्यान में रखते हुए इस पर्चे में व्याकरण सीखने–सिखाने के लिए दूसरे रास्ते को प्रस्तावित किया जा रहा है। यह रास्ता व्याकरण के संदर्भानुसार शिक्षण पर टिका हुआ है। इस पर्चे के प्रशिक्षुओं के लिए यह आवश्यक है कि वे स्कूली पाठ्यचर्या में संविधान तथा त्रि–भाषा सूत्र के परिप्रेक्ष्य में हिन्दी की स्थिति की समीक्षा करने की समझ विकसित कर सकें।

शिक्षा के क्षेत्र में मूल्यांकन की अवधारणा बहुत महत्त्वपूर्ण है। इसका उपयोग बच्चों को भयभीत करने के लिए भी किया जा सकता है। परंतु इसका मुख्य उद्देश्य पढ़ने–पढ़ाने की स्थितियों में सुधार कर सीखने में बच्चों की मदद करना है। इस पर्चे के द्वारा प्रशिक्षुओं को सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन की अवधारणा के बारे में समझ बनाने के अवसर उपलब्ध होंगे।

उद्देश्य

इस पाठ्यक्रम पर आधारित विषयवस्तु के शिक्षण के उद्देश्य निम्नलिखित हैं :–

- हिन्दी शिक्षण के विभिन्न उपागमों एवं सहायक सामग्रियों के विषय में जानना।
- साहित्यिक पक्षों की समझ विकसित करके अपने शिक्षण को संवर्द्धित करना।
- स्वयं की भाषाई क्षमताओं को विकसित करना।
- हिन्दी शिक्षण के परिप्रेक्ष्य में पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम व पाठ्यपुस्तकों में अंतर्संबंधो को समझना।
- हिन्दी भाषा के विभिन्न पहलुओं का मूल्यांकन करने के तरीकों के बारे में जानना।
- कक्षा प्रक्रियाओं के संदर्भ में हिन्दी भाषा के मूल्यांकन के विविध आयामों की समझ बनाना।

हिन्दी का शिक्षणशास्त्र–2 (द्वितीय वर्ष)

S-9

पूर्णांक : 100 (70+30) न्यूनतम स्वाध्याय अवधि : 70 घंटी

इकाई –I : शिक्षण उपागम व सहायक सामग्री

- शिक्षण के विभिन्न उपागम, विधियाँ तथा रणनीतियाँ
  - व्यवहारवादी उपागम
  - रचनात्मक उपागम
  - आलोचनात्मक उपागम
- शिक्षण सहायक–सामग्री
  - सामग्री के उपयोग को उद्देश्यों और विधियों की तारतम्यता में समझना
  - सामग्री को उपलब्धता के सिद्धांत पर समझना
  - सामग्री को उपयोगिता के सिद्धांत पर समझना
  - भाषा के शिक्षण में स्वयं भाषा के विभिन्न उपयोगों तथा रूपों को सामग्री के रूप में उपयोग करना

उद्देश्यो की समझ के लिए बिहार राज्य सहित विभिंन्न राज्यों तथा एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा अनुमोदित हिन्दी के पाठ्यक्रम मददगार होंगे। इन दस्तावेजों में हिन्दी शिक्षण के दिए गए उद्देश्यों को समझना तथा उनकी समीक्षा करने के लिए प्रशिक्षु की समझ को विकसित करने में सहायक होगा।

शिक्षण की रणनीतियों को शिक्षण–उपागमों के संदर्भ में समझने से शिक्षकों की स्वायत्तता बढ़ेगी। रणनीतियाँ, उपागमों के परिप्रेक्ष्य में उपयुक्त या अनुपयुक्त होती हैं। इसीलिए शिक्षण–रणनीतियों को शिक्षण–उपागमों के संदर्भ में समझा जाना चाहिए। सहायक सामग्री को उद्देश्य तथा उपागम की तारतम्यता में समझना जरूरी हैं। कौन से उद्देश्यों के लिए कौन सी सामग्री उपयुक्त होगी। यह प्रश्न दोनों के बीच रचनात्मक संबंध को स्थापित करता है।

प्रत्येक उपागम की अपनी–अपनी विधियाँ हैं। उनमें कुछ साझा भी है। जैसे – व्यवहारवादी उपागम की एक विधि है व्याख्यान पद्धति। इसमें बाहरी सूचनाओं को महत्त्वपूर्ण माना जाता है। रचनात्मक उपागम की एक विधि है विद्यार्थी को शारीरिक एवं मानसिक तौर पर गतिशील होने के अवसर उपलब्ध करवाती है। आलोचनात्मक उपागम की एक विधि है संवाद। इसमें विद्यार्थी के अनुभवों को राजनीति, अर्थ, धर्म, संस्कृति जैसी व्यापक संरचनाओं के साथ एकाकार करके नई विचार तथा नई दुनिया रचने की दिशा में प्रेरित किया जाता है।

इकाई –II : साहित्य और साहित्य के द्वारा शिक्षण

- साहित्य की विधाओं का परिचय
  - पाठ्यपुस्तकों में शामिल सभी विधाएँ
  - शब्द शक्ति एवं अन्य साहित्यिक तत्वों को समझना तथा शिक्षण में उनका उपयोग करना
- भाषा के विकास में साहित्य का उपयोग
  - कहानियों आदि का उपयोग कर विद्यार्थियों की भाषायी–कुशलताओं का विकास करना
  - साहित्य का उपयोग कल्पना करने, समझने, चिन्तन करने, व्यक्त करने हेतु स्थितियाँ रचने के लिए करना
  - साहित्यिक रचनाओं के उपयोग से व्याकरणिक तत्वों का संदर्भगत शिक्षण करना
  - साहित्य की मदद से हिन्दी की बहुभाषिक विशेषताओं की समझ बनाना

इस इकाई में प्रशिक्षु विभिन्न साहित्यिक विधाओं तथा भाषा के शिक्षण में उनके उपयोग की समझ बनाएंगे। वे हिन्दी के पाठ्यक्रम में दी गई विधाओं और पाठों को आधार बनाकर साहित्य के बारे में समझ बनाएंगे। वे साहित्य की समझ का उपयोग विद्यार्थियों की भाषाई क्षमताओं को विकसित करने हेतु करेंगे। जैसे हमने 'भाषा और शिक्षा' के पर्चे में पढ़ा की भाषा के सामान्य उद्देश्यों में एक है 'कल्पनाशीलता' का विकास करना। तो कहानी / कविता / नाटक आदि की विशेषताओं को समझकर 'कल्पनाशीलता' विकसित करने में उनका उपयोग करने की रणनीतियाँ बनाना और उनका उपयोग करना। साथ ही प्रशिक्षु व्याकरण पढ़ाने के संदर्भगत तरीकों व विश्लेषणात्मक तरीकों का उपयोग करने में साहित्य का उपयोग कर सकेंगे।

इकाई –III : प्रशिक्षुओं की भाषाई क्षमताओं का विकास

- प्रशिक्षु स्पष्टता और प्रवाहशीलता से पढ़ सकें
- वे लिखे तथा बोले को समझ सकें
- वे दो–तीन मिनट की विभिन्न विषयों पर की जा रही चर्चा को सुनकर, समझा सकें
- वे उद्धरण चिह्नों तथा विभिन्न कारक चिह्नों से युक्त कुछ जटिल बातों को पढ़कर समझ सकें
- वे किसी दी गई स्थिति का संक्षिप्त विवरण तैयार कर सकें
- वे विभिन्न परिचित विषयों पर सहपाठियों का साक्षात्कार ले सकें और उसका लिखित रूप प्रस्तुत कर सकें
- वे भाषाई क्षमताओं का मूल्यांकन करने के तरीके विकसित कर सकें

इस इकाई के जरिए भावी शिक्षकों को भाषाई क्षमताओं को विकसित करने के अवसर उपलब्ध करवाएं जाएंगे। वे कुछ लम्बे संवादों को सुनकर लिख सकें। पढ़कर संक्षिप्त व विस्तृत कर सकें। परिचित तथा कम परिचित विषयों पर मौखिक व लिखित तौर पर विचार व्यक्त कर सकें। इस प्रकार की गतिविधियाँ शिक्षक अपने प्रशिक्षुओं के साथ करें ताकि प्रशिक्षु स्कूल में बच्चों के लायक गतिविधियाँ अपनी कक्षा में कर सकें।

इकाई –IV : पाठ्यचर्या और हिन्दी–भाषा

- प्रारंभिक कक्षाओं की हिन्दी की पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तकों में अन्तसंबंधों को समझना।
- स्कूली पाठ्यचर्या में हिन्दी का स्थान
- बच्चों के साहित्य का अर्थ तथा प्रारंभिक स्कूली शिक्षा में इसके औचित्य को समझना
- बच्चों के साहित्य का पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकों तथा कक्षा प्रक्रियाओं में स्थान देने के तरीकों तथा रूपों के बारे में समझ बनाना

इस इकाई का उद्देश्य पाठ्यचर्या में हिन्दी–भाषा की वर्तमान स्थिति तथा उसके कारणों को समझना है। इसमें हिन्दी की पाठ्यचर्या, हिन्दी के पाठ्यक्रम, हिन्दी की पाठ्यपुस्तकों में अर्न्तसंबंधों की चर्चा की जाएगी।इस इकाई में हिन्दी में उपलब्ध, केवल हिन्दी में लिखा गया नहीं, बच्चों से संबंधित साहित्य को पाठ्यचर्या में स्थान दिए जाने के औचित्य तथा तरीकों पर भी चर्चा की जाएगी।

इकाई –V : हिन्दी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास

- हिन्दी साहित्य के इतिहास से संक्षिप्त परिचय
- पाठ्यपुस्तकों में अलग–अलग समय की रचनाओं का अध्ययन कर प्रयोग तथा शब्द चयन के आधार पर हिन्दी की बहुभाषिक विशेषताओं को समझना

भाषा के शिक्षण में यह जानना और समझना मददगार होता है कि उसके विकसित होने की प्रक्रिया कैसी है और कैसी थी। हिन्दी का शिक्षण इसका अपवाद नहीं है। इसलिए आवश्यक है कि प्रशिक्षुओं को हिन्दी के इतिहास से संक्षिप्त रूप से परिचित होने का अवसर दिया जाए। हिन्दी एकांकी रूप से विकसित न होकर अनेक भाषाओं के सहयोग से आगे बढ़ रही है। प्रशिक्षु हिन्दी के इतिहास को समझते हुए हिन्दी की बहुभाषिकता के बारे में भी समझ बनाएंगे। वे समझ बनाएंगे कि अमीर खुसरो, प्रेमचंद, कबीर, तुलसीदास, जयशंकर प्रसाद और अनगिनत साहित्यकारों की हिन्दी, हिन्दी के बहुभाषिक होने का प्रमाण है।

इकाई –VI : कक्षा प्रक्रियाएँ तथा मूल्यांकन

- क्या, कैसे और किसे पढ़ाना है
- विद्यार्थी की मौखिक अभिव्यक्ति का मूल्यांकन करने के पैमाने और तरीके
- विद्यार्थी की लिखित अभिव्यक्ति का मूल्यांकन करने के पैमाने और तरीके
- विद्यार्थी की पढ़ने की क्षमता का मूल्यांकन करने के पैमाने और तरीके
- विद्यार्थी की कल्पनाशीलता, चिंतन, क्षमता, वर्णन करने की क्षमता आदि का मूल्यांकन करने के पैमाने और तरीके
- मूल्यांकन की वैधता और विश्वसनीयता

पहले वर्ष में आपने मूल्यांकन के उन तत्वों के बारे में समझ बनाई जो प्राथमिक शालाओं के लिए उपयोगी थी। इस ईकाई में यह समझा जाएगा कि कक्षा 6–8 के विद्यार्थियों की भाषाई क्षमताओं के विकास को समझने के लिए किन तत्वों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। हम ऐसे मानक बनाने में सफल हो सकें जो कक्षा 6–8 के विद्यार्थियों की भाषाई क्षमताओं का मूल्यांकन करने और उनकी क्षमताओं को समझने में मददगार हो। यह आवश्यक है कि रचनात्मक दृष्टि के आलोक में सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन की बात करते हुए, मूल्यांकन को कक्षा–प्रक्रियाओं का अभिन्न और अनिवार्य तत्व समझा जाए।

प्रस्तावित कार्य

- बिहार राज्य में हिन्दी की प्रारंभिक कक्षाओं के वर्तमान पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तकों की निम्नलिखित दृष्टियों से समीक्षा कीजिये :
  - दोनों में अंतःसंबंध
  - संवैधानिक मूल्य
  - बाल मनोविज्ञान
- हिन्दी में प्रकाशित (मूल या अनुदित) किसी अन्य विषय (मीडिया, राजनीति, समाज, सामाजिक लिंग–भेद, विज्ञान, भाषा आदि) की पुस्तक की समीक्षा कीजिए।
- छठी से आठवीं कक्षा की किसी एक कक्षा के लिए एक–एक सहायक सामग्री का निर्माण कीजिए जिनका उपयोग उस कक्षा के विद्याथियों में मौखिक अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास इस प्रकार

- करने में मदद करे कि विद्यार्थी छोटे तथा बड़े समूह में किसी बात की वैचारिक स्पष्टता तथा प्रवाहशीलता के साथ रख सकें।
- विद्यार्थियों की पढ़ने की क्षमता या लिखने की क्षमता का मूल्यांकन करने के लिए एक रणनीति तथा मूल्यांकन के पैमाने बनाइए। उनका किसी एक कक्षा के विद्यार्थियों पर उस रणनीति तथा पैमानों को लागू करके एक रिपोर्ट बनाइए।

सन्दर्भ पुस्तक/अभिलेख/वबसाइट

अनिवार्य अध्ययन हेतु

- एस.सी.ई.आर.टी. (2008). बिहार पाठ्यचर्या की रुपरेखा–2008. पटना : एस.सी.ई.आर.टी.
- एस.सी.ई.आर.टी. (2009). भारतीय भाषाओं का शिक्षण : आधार पत्र (1.3) नई दिल्ली.
- एन.सी.ई.आर.टी. (2005). राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रुपरेखा–2005. नई दिल्ली : एन.सी.ई.आर.टी.
- त्रिपाठी, विश्वनाथ (2010). हिन्दी साहित्य का सरल इतिहास. ओरियंट लोंगमेन.
- बिहार राज्य की कक्षा 6 से 8 की हिन्दी भाशा की पाठ्यपुस्तकें.
- तिवारी, भोलानाथ और भाटिया, कैलाशचन्द (1986). हिंदी भाषा शिक्षण. दिल्ली : साहित्य सहकार.
- तिवारी, पुरुषोत्तम लाल (1992). हिंदी शिक्षण. जयपुर : राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी.
- तिवारी, डॉ. नित्यानंद (1998). साहित्य का स्वरूप. नई दिल्ली : एन.सी.ई.आर.टी.
- सी.बी.एस.ई., द्वारा संतत् एवं व्यापक मूल्यांकन पर तैयार की गयी शिक्षक संदर्शिका.
- आक्सफोर्ड. मानक हिन्दी कोश.
- गुप्ता. मनोरमा (1991). भाषा–शिक्षण : सिद्धांत और प्रविधि. आगरा : केन्द्रीय हिंदी संस्थान.

ज्ञान विस्तार हेतु

- कुमार, कृष्ण (1996). हिन्दी का सपना. विचार का डर में. नई दिल्ली : राजकमल प्रकाशन.
- द्विवेदी, महावीर प्रसाद (1993). भाषा और व्याकरण. हिन्दी की अनस्थिरताः एक ऐतिहासिक बहस में. वाणी प्रकाशन.
- द्विवेदी, हजारी प्रसाद (1998). भाषा साहित्य और देश. नई दिल्ली : भारतीय ज्ञानपीठ.
- मिश्र, गोविंदनारायण (1993) आत्माराम की 'टें–टें'. हिन्दी की अनस्थिरताः एंक ऐतिहासिक बहस में. वाणी प्रकाशन.
- तिवारी, डॉ. भोलानाथ (2008). अर्थ–सरंचना हिन्दी भाषा की संरचना में. नई दिल्ली : वाणी प्रकाशन. पृ. 216–238.
- वापजेयी, आचार्य किशोरीदास (2006). हिन्दी शब्द मीमांसा. नई दिल्ली : मेत्रैय पब्लिकेशन.
- चोपड़ा, रविकान्त एवं प्रकाश, आनन्द (सं.) (1998). मातृभाषा हिंदी शिक्षण. नई दिल्ली : एन.सी.ई.आर.टी.
- गुरू, कामता प्रसाद (2010). हिन्दी व्याकरण. इलाहाबाद. : लोकभारती प्रकाशन.

❖❖❖

संस्कृत का शिक्षणशास्त्र

द्वितीय वर्ष

संदर्भ

संस्कृत विश्व की प्राचीनतम भाषा है, यह सर्व विदित है। संस्कृत भाषा 2796 भाषाओं की जननी है। संस्कृत के प्राचीन ग्रन्थों में विज्ञान, चिकित्सा, योग, ज्योतिष, वास्तु, गणित आदि विविध विषयक सामग्री भरे पड़े हैं। संस्कृत भाषा की वैज्ञानिकता भी कम्प्यूटर प्रमाणित कर चुका है।

संस्कृत साहित्य के संरक्षण एवं संवद्धन में बिहार प्रदेश का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ज्ञातव्य है कि गौतम, कपिल, चाणक्य, उदयन, वाचस्पति, मंडल आदि अनगिनत मनीषियों के योगदान की भूमि बिहार ही रहा है।

डी.एल.एड. प्रशिक्षण पाठ्यचर्या के द्वितीय वर्ष में "संस्कृत" का शिक्षण बिहार पाठ्यचर्या की रूपरेखा–2008 के आलोक में आंचलिक भाषा के साथ संस्कृत का सम्बन्ध स्थापित करते हुए संस्कृत साहित्य के प्रति जिज्ञासा, रूचि उत्पन्न करते हुए (बहुभाषिता के साथ), संस्कृत श्लोकों का शुद्ध उच्चारण, संस्कृत शब्दों का शुद्ध–शुद्ध वाचन एवं अर्थ ग्रहण कर मर्म को समझना है।

उद्देश्य

इस पाठ्यक्रम पर आधारित विषयवस्तु के शिक्षण के उद्देश्य निम्नलिखित हैं :–

- संस्कृत भाषा की प्रकृति एवं विशेषताओं से परिचित हो सकेंगे।
- संस्कृत के संरचनागत तत्वों–ध्वनि, शब्द, धातु, वाक्य अर्थ से परिचय प्राप्त करेंगे।
- भाषिक विविधता, बहुभाषिता में संस्कृत की भूमिका का समझ सकेंगे।
- संस्कृत के श्लोकों को शुद्ध–शुद्ध उच्चारण के साथ छन्दबद्ध गायन कर सकेंगे एवं गद्यों का वाचन अर्थबोध के साथ कर सकेंगे।
- संस्कृत के शिक्षण में समुचित साधन, सामग्री एवं प्रविधियो का प्रयोग कर सकेंगे। संस्कृत के सन्दर्भ में आकलन, मूल्यांकन एवं प्रश्न निर्माण कला की विशेषताओं से परिचित हो सकेंगे।

संस्कृत का शिक्षणशास्त्र (द्वितीय वर्ष)

S-9

पूर्णांक : 100 (70+30) न्यूनतम स्वाध्याय अवधि : 70 घंटी

इकाई–I संस्कृत की प्रकृति एवं विशेषताएं

- संस्कृत की प्रकृति एवं विशेषताएं
- संस्कृत भाषा की संचनागत विशेषताएं
- कक्षा शिक्षण में संस्कृत के आंचलिक भाषा के साथ संबंध की व्याख्या
- संस्कृत शिक्षण का उद्देश्य

इकाई–II संस्कृत भाषा–शिक्षण कौशल

- श्रवण कौशल एवं इसके विकास की विधियाँ
- पठन कौशल एवं पठन कौशल के विकास की विधियाँ समस्याएँ एवं निदान
- लेखन कौशल की विभिन्न विधियाँ
- वाचन कौशल (मौखिक अभिव्यक्ति)

इकाई–I II संस्कृत साहित्य एवं व्याकरण शिक्षण

- श्लोक (पद्य) शिक्षण
- गद्य शिक्षण (निबंध, नाटक आदि)
- व्याकरण शिक्षण की विविध विधियाँ एवं नवाचार
- प्रश्न पत्र निर्माण कला

इकाई–V संस्कृत भाषा का मूल्यांकन

- संकल्पना एवं अवधारणा
- विभिन्न विधाओं का मूल्यांकन
- प्रश्न पत्र निर्माण कला

प्रस्तावित कार्य

- अपने क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषाओं का सर्वेक्षण करके उसे संस्कृत भाषा के साथ सम्बन्ध स्थापित करना।
- अपनी मातृभाषा के किन्ही 20 शब्दों की सूची तैयार कर इनका संस्कृत के साथ सम्बन्ध स्थापित करना।
- पाठ्यक्रम से किन्हीं एक संस्कृत शब्दों का संकलन कर उन्हें अपनी आंचलिक भाषा के साथ सम्बन्ध स्थापित करना।
- अपने विद्यालय के आसपास के प्रसिद्ध संस्कृतज्ञों का साक्षात्कार।
- आस–पास के संस्कृत के मनीषियों के सम्बन्ध में जानकारी संकलन।
- कक्षा 4 से 5 एवं 6 से 8 की संस्कृत पाठ्यपुस्तकों की समीक्षा।
- अन्य स्थानीय आवश्यकतानुसार कार्य।

❖❖❖

संदर्भ

भाषा संवादक माध्यम अछि। भाषाक माध्यमें क्षेत्रीय संस्कृति, सुख–दुख, ज्ञान–विज्ञान आदिक अभिव्यक्ति भ पवैत अछि। कहबाक अभिप्राय ई जे विश्वक समस्त कार्य–व्यापारक सम्प्रेषणक मूलभूत साधन भाषा थिक। मैथिली भाषा ओ साहित्यक इतिहास अनेक भाषासँ प्राचीन अछि। वाचिक रूपमे मैथिलीक प्रयोग कहियासँ प्रारम्भ भेल से कहब कठिन अछि। बिहारक दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सहरसा, पूर्णिया, किसनगंज आदिमे तँऽ मैथिलीभाषा अछिए, पड़ोसी देश नेपालक दोसर भाषा सेहो मैथिली अछि। भारतीय भाषा परिवारमे मैथिलीक महत्त्वपूर्ण स्थान अछि। पूर्वांचल भारतक पहिल साहित्यिक कृतिक रूपमे वर्णरत्नाकर समादृत अछि। विद्यापतिक गीत भारतेटा मे नहि, सम्पूर्ण विश्वक साहित्य संसारमे मान्य अछि। सम्पूर्ण शिक्षामे मातृभाषाक महत्त्व सर्वोपरि अछि। प्राथमिक स्तर पर छात्रक सम्पूर्ण शिक्षा मातृभाषाक शिक्षा अछि। अस्तु छात्रक सर्वांगीण विकास हेतु मातृभाषा शिक्षण पर ध्यान देब आवश्यक अछि। देखल गेल अछि जे जाहि शिक्षार्थीकें मातृभाषाक नीक ज्ञान रहैत छनि ओ आनो–आन भाषा सुगमतासँ सीखि लैत छथि, संगहि ज्ञान–भंडारमे वृद्धिक संगहिं सिखबाक प्रक्रिया सेहो तीव्र भऽ जाइत अछि। बिहारक मिथिलाचल क्षेत्रक प्रारम्भिक विद्यालयमे मातृभाषाक रूपमे मैथिलीभाषाक शिक्षणक स्थिति अत्यन्त चिन्ताजनक अछि। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रुपरेखा–2005 में स्थानीय भाषा अथवा घरेलू भाषाकें सिखबाक प्रक्रियामे महत्तम योगदान स्वीकार कएल गेल अछि। एहन शिक्षार्थीकँ विद्यालयक संग अपनत्वओ आत्मीयताक बोध करएबामे मातृभाषाक महत्त्वपूर्ण योगदान होइत छैक। बिहार पाठ्यचर्या की रुपरेखा–2008 मे प्राथमिक स्तर पर शिक्षाक माध्यम–भाषाक रूपमे महत्त्व दैत संविधानक धारा 350 क के अन्तर्गत एकर प्रावधानक चर्चा अछि। प्रारम्भिक कक्षाक शैक्षिक प्रयाण शिक्षार्थीक जीवनक ओहन आधारभूत सोपान थिक जाहि पर ओकर सम्पूर्ण व्यक्तित्व ओ भविष्य अवलम्बित रहैत अछि। एहि अन्तरालमे प्राप्त ज्ञान, अनुभव, जीवनक प्रति संवेदनशीलता ओ सौन्दर्यबोध ओकर भविष्यक असीम सम्भावनासँ सम्बद्ध रहैत अछि। एहि कारणें शिक्षणक दृष्टिसँ एहि अवधिक उपयोग अत्यन्त सतर्कतापूर्वक करबाक प्रयोजन अछि। वर्तमान संरचनावाद/सर्जनवादक दृष्टिकोणसँ विद्यार्थी–शिक्षकसँ ई अपेक्षा कएल जाइत अछि जे ओ एहि प्रशिक्षणक अभ्यास क्रममे ओ बादमे विद्यालयमे शिक्षार्थीकें मैथिली बजबाक, लिखबाक ओ पढ़बाक लेल विभिन्न प्रकारक एहन गतिविधिक आयोजन करथि जे शिक्षार्थीक व्यक्तिगत, पारिवारिक ओ सामाजिक अनुभवसँ सम्बद्ध हो। विभिन्न प्रकारक पाबनि तिहार, हाट–बाजार, मेला–ठेला आदि विषय पर परिचर्चा, निबंध–लेखन आदिक आयोजन कऽ सकैत छथि। एहि सम्बन्धमे 'भाषा ओ शिक्षा' नामक पत्रमे अधिक स्पष्टतासँ बुझाओल गेल अछि।

उद्देश्य

इस पाठ्यक्रम पर आधारित विषयवस्तु के शिक्षण के उद्देश्य निम्नलिखित हैं :–

- मैथिली शिक्षणक उद्देश्य (मातृभाषाक रूपमे ओ अन्य विषयक अध्यापनमे माध्यम भाषाक रूपमे) सँ परिचित भऽ सकताह।
- मैथिलीक संरचनागत विशिष्टतासँ अवगत भऽ सकताह।
- भाषाई कौशलक विकाससँ परिचित भऽ कक्षा शिक्षणमे एकर दक्षतापूर्ण प्रयोग कऽ सकताह।
- मैथिलीक पाठ्यपुस्तकमे देल गेल विविध विधाक अध्यापन "निर्माणवाद" क आलोकमे कऽ सकताह।
- मैथिलीक शिक्षण हेतु समुचित साधन–सामग्री ओ प्रविधिक उपयोग कऽ सकताह।
- मैथिलीक शिक्षणमे यथोचित आकलन, मूल्यांकन एवं ज्ञान निर्माणक कला ओ विशेषतासँ परिचित भऽ सकताह।

मातृभाषा मैथिली का शिक्षणशास्त्र (द्वितीय वर्ष)

पूर्णांक : 100 (70+30) **S-9** न्यूनतम स्वाध्याय अवधि : 70 घंटी

इकाई–I : मैथिली शिक्षणक उद्देश्य

- 'मातृभाषा' रूपमे प्राथमिक ओ उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षणक उद्देश्य
- अन्य विषयक अध्यापनमे मैथिलीक उपयोग / माध्यम भाषाक रूपमे मैथिली शिक्षण
- मैथिलीक ऐतिहासिक ओ सामाजिक परिप्रेक्ष्य
- मैथिलीक संरचना : ध्वनि, शब्द, वाक्य

प्रशिक्षु कें शिक्षण–प्रशिक्षणक क्रममे, जाहि विषयक शिक्षण करऽ जा रहल छथि, ओकर उद्देश्य बूझब परमावश्यक थिक।

बिहार पाठ्यचर्या की रूपरेखा-2008 आलोकमें प्रारम्भिक स्तर पर माध्यम भाषाक रूपमे 'मैथिली शिक्षण क उद्देश्य' नामक इकाईक अध्ययन प्रासंगिक अछि।

'मैथिली ऐतिहासिक ओ सामाजिक परिप्रेक्ष्य' क अध्ययनसँ प्रशिक्षु 'विभिन्न कालखण्ड ओ विभिन्न सामाजिक परिस्थिति' सें अवगत भऽ सकताह।

इकाई–II : भाषाई कौशलक विकास : सुनब ओ बाजब

- भाषाई कौशलक संकल्पना
- सुनब ओ बाजबक अर्थ
- शिक्षार्थी–शिक्षकक मौखिक अभिव्यक्तिक क्षमताक विकास
- कक्षामे सुनब–बजबाक अवसर उपलब्ध कराएब

प्रशिक्षु कें भाषा अध्यापन हेतु 'भाषाक मूल चारि कौशलसें' अवगत होयव नितान्त जरूरी अछि।

इकाई–III : पढ़बाक कौशलक विकास

- पढ़बाक अर्थ ओ एकर विभिन्न सोपान
- पढ़बाक प्रकार : सस्वर, मौन
- पढ़ब सिखबाक विधि
- पढ़बाक समस्या ओ समाधान

'पढ़बाक कौशल' प्रशिक्षु कें एहि लेल बूझब आवश्यक जाहिसे प्रशिक्षु अपन छात्रकें पढ़बाक ओ लिखबाक शिक्षा नीक जकाँऽ सकथि।

इकाई–IV : लिखबाक कौशलक विकास

- लिखबाक अर्थ : संकल्पना ओ विकास
- लिखबाक शुरुआत
- लेखन कौशलक विकासक तरीका
- लेखनक प्रकार

'लिखबाक कौशल' प्रशिक्षु कें एहि लेल बूझब आवश्यक जाहिसे प्रशिक्षु अपन छात्रकें पढ़बाक ओ लिखबाक शिक्षा नीक जकाँऽ सकथि।

इकाई –V : शिक्षण सहायक सामग्री

- मैथिली शिक्षणक सहायक सामग्री
- मुद्रित ओ चित्र सामग्री
- मल्टीमीडिया : ऑडियो–वीडियो
- प्रौद्योगिकीक उपयोग

'शिक्षण सहायक सामग्री क जानकारी' प्रशिक्षु लेल एहि अनिवार्य अछि जाहिसँ प्रशिक्षु पढ़एबाक समय उपयुक्त 'शिक्षण सहायक सामग्री' क चयन कऽ उपयोग कऽ सकताह।

इकाई –VI : पाठयोजना ओ मूल्यांकन

- मैथिली शिक्षण हेतु पाठ–योजना निर्माण
- सतत् ओ व्यापक मूल्यांकन की ओ कोना
- पाठ्यपुस्तक आधारित मूल्यांकन
- प्रश्नपत्र निर्माण

पाठ–योजना ओ मूल्यांकनः कक्षा शिक्षणक योजना बनएबा काल ओ कक्षा अध्यापन सें पूर्व 'पाठ–योजना' बनायव सीखब तथा सतत् ओ समग्र मूल्यांकन कोना करी, ई बूझब विद्यार्थी शिक्षक लेल आवश्यक अछि।

प्रस्तावित कार्य

- अपन आस–पासक मैथिली साहित्यकारक विषयमे तथ्य संकलन करब।
- मैथिलीक बुझौअलिक संकलन करब।
- मैथिली कहाबतक संकलन करब।
- मैथिली लोक कथाक / गाथाक / गीतक संकलन करब।
- मैथिलीक 50 टा देशज शब्दक संकलन पाठ्यपुस्तकसँ करब तथा ओकर तुलना संस्कृत / हिन्दीसँ करब।
- मैथिलीक पाठ्यपुस्तकक कथाकें नाटकमे रूपान्तरण करब।
- पाठ्यपुस्तकक कथाकें कविता / गीतमे रूपान्तरण करब।
- अन्य क्षेत्रीय आवश्यकता / संसाधनक आधार पर अन्य शीर्षक चयनकऽ लिखब।

संदर्भ ग्रन्थ

- श्रीश, दुर्गानाथ झा (1991), मैथिली साहित्यक इतिहास, दरभंगा : भारती पुस्तक केन्द्र.
- झा, दिनेश कुमार, (1989), मैथिली साहित्यक आलोचनात्मक इतिहास, पटना : मैथिली अकादमी.
- झा, शक्ति घर (1986), मैथिलीक स्वरूप विधान, पटना : मैथिली अकादमी.
- बासुकीनाथ झा (2006), मैथिली साहित्यक रूपरेखा, पटना : चेतना समिति.
- गोविन्द झा (2008), मैथिली भाषा का विकास, बिहार : हिन्दी ग्रन्थ अकादमी.

ভূমিকা

জ্ঞান আহরণের প্রধান মাধ্যম হিসেবে ভাষার ভূমিকা অনস্বীকার্য। শুধু জ্ঞান আহরণের জন্যই নয়, মনের ভাবকে ব্যক্ত করার জন্য ও ভাষার প্রয়োজন রয়েছে। দীর্ঘকাল ধরে প্রাথমিক স্তরে বিদ্যালয় শিক্ষার অন্যতম বাহন ছিল বাংলা ভাষা। এই ভাষা নিজের বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য নিয়ে প্রাথমিক স্তরে বিদ্যালয়ে পঠন-পাঠন কার্যকে আরো সুন্দর ও সুষ্ঠু করে তুলেছে। বাংলা ভাষার বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্যকে দৃঢ়ভাবে গ্রহণ করে পরবর্তী পর্যায়ে ভাষা শিক্ষার সেই জ্ঞানকে আরো সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

বাংলা ভাষা শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হোল — ভিন্ন, ভিন্ন পরিবেশে ও পরিস্থিতিতে নিজের মতামতকে দৃঢ়তার সঙ্গে ব্যক্ত করার ক্ষমতা অর্জন করা ? অর্থাৎ আত্ম প্রকাশ করার ক্ষমতা অর্জন করা ।

বাংলা ভাষার মাধ্যমে বাংলা সংস্কৃতি ও কৃষ্টি রক্ষা পাবে। যুগ যুগ ধরে মানুষ নিজের অভিজ্ঞতার কথা, জ্ঞানার্জনের কথা মাতৃভাষার মাধ্যমেই উত্তর সূরিদের মধ্যে সঞ্চালিত করেছে। সেই সঙ্গে বিভিন্ন কিংবদন্তী, প্রবচন বাক্য, প্রবাদ বাক্য ও নানা ধর্মগ্রন্থ মাতৃভাষায় লিখিত হয়েছে। শিক্ষার্থীর মধ্যে শিক্ষক যদি বাংলা ভাষা শেখাতে পারে তবে শিশু তার ঐতিহ্য সম্বন্ধে জানতে পারবে এবং সেই ঐতিহ্যধারার যোগ্য বাহক রূপে নিজেকে উপস্থাপিত করতে সক্ষম হবে। শিক্ষকের উদ্দেশ্য হবে শিশুর মধ্যে নিজের ভাষা ও সাংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জাগানো ও জাতীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ করা।

বাংলা ভাষা শেখার পর শিশুকে সাহিত্যের বিভিন্ন ধারার সঙ্গে পরিচিত করা ও তার রস গ্রহণের ক্ষমতাকে বর্ধিত করা। বাংলাভাষা শিক্ষকের লক্ষ্য হবে — তিনি যেন ভাষার স্বরূপ ও ভাষা শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্পর্কে সম্যক রূপে অব্যহিত হয়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে সেই ভাষা জ্ঞানের উন্মেষ ঘটান। বিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভের জন্য যে

উদ্দেশ্য

- ভাষার গঠন বিন্যাস (ধ্বনি, শব্দ, বাক্য, অর্থ) সম্যক রূপে অবহিত হওয়া।
- বাংলা ভাষা শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্পর্কে পরিচয় লাভ করা
- বাংলা ভাষা সাহিত্যের বিভিন্ন ধারার সঙ্গে পরিচিত হয়ে শিক্ষা প্রদান করা।
- বাংলা ভাষায় শিক্ষার্থীদের দক্ষতার মূল্যায়ন করা।
- আত্মনির্ভরশীল হয়ে পাঠ গ্রহণের জন্য শিক্ষার্থীদের অনুপ্রাণিত করা।
- ভাষা শিক্ষার জন্য পাঠ্য বহিভূর্ত (ছড়া, রূপকথা, নীতিকথা, ছোট ছোট গল্প বলা, ছোট ছোট ঘটনা বা পরিস্থিতির অবতারণা করে শিশুদের মধ্যে) বিষয়ের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে প্রয়োগ করা ।
- বাংলাভাষা পাঠ্যপুস্তকের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে তার মূল্যয়াণ করা।

ই

বাংলা শিক্ষণ (দ্বিতীয় বর্ষ)

S-9

পূর্ণাক ঃ ১০০ (৭০+৩০) স্ব অধ্যয়নের জন্য সময় ঃ ৭০ ঘনন্ড্বাটা

একক — ১ ঃ প্রাথমিক স্তরে বাংলা ভাষা শেখার উদ্দেশ্য

- মানুষের ভাব বিনিময়ের প্রধান মাধ্যম ভাষা, শুধু ভাব বিনিময় নয় বিশ্বের যাবতীয় জ্ঞান আমরা ভাষার মাধ্যেইে শিখি।
- ভাষা শিশুর জন্মজাত প্রবৃত্তি। প্রথমে সে শোনে, তারপর ধীরে ধীরে বলার চেষ্টা করে ও বলে।
- যে ভাষায় সে কথা বলে, সেই ভাষাকে জানা ও শেখা।
- সে যখন বিদ্যালয় আসা শুরু করে, তখন সে মোটামুটি কথা বলতে পারে। তাকে বিদ্যালয়ের ভাষার সঙ্গে, বর্হিজগতের ভাষার সঙ্গে নিজের ভাষাকে মিলিয়ে নিতে হয়। এখানেই শিক্ষিকের ভূমিকা সহানুভূতির সঙ্গে শিশুর ভাষা বুঝে জটিলতাকে সহজ করে তাকে সঠিকভাবে বুঝিয়ে দেওয়া।
- শিক্ষক-বিদ্যার্থীকে শিশুর মুখের ভাষা বুঝতে হবে ও শুনতে হবে।
- এই ভাষার মাধ্যমেই সে বিশ্বদর্শন করবে।
- বাংলা ভাষার শিক্ষা — মাতৃভাষা এবং দ্বিতীয় বা অন্যভাষা রূপে।
- বিভিন্ন স্তরে বাংলা ভাষা শিক্ষার উদ্দেশ্য ।

একক — ২ ঃ বাংলা ভাষার গঠন প্রণালী — অর্থ এবং গুরুত্ব

- ধ্বনি (স্বর ও ব্যঞ্জন) অনুপ্রাস, অনুস্বার, আনুনাসিক ।
- শব্দ গঠন (রূঢ়, যৌগিক, যৌগরূঢ়, তৎসম, তদ্ভব ,উপসর্গ, প্রত্যয়, সন্ধি, সমাস) ব্যকরণগত অংশটি শিশুকে একটু বড় হলে অর্থাৎ ৪ শ্রেণী থেকে শেখানো হবে।
- বাক্য গঠন পদ্ধতি (অর্থ এবং রচনাভিত্তিক) প্রত্যেকটি শব্দের অর্থ জানা ও শব্দগুলির পরস্পরের সঙ্গে সম্বন্ধ।

একক — ৩ ঃ শ্রুতি পদ্ধতি (শ্রবণ ও বলা)

- শ্রুতি পদ্ধতির উদ্দেশ্য।
- শ্রুতি দক্ষতাকে বিকশিত করার জন্য বিভিন্ন মাধ্যমের সাহায্য গ্রহণ (টেপ রেকর্ডার, দূরদর্শন, সি.ডি. , আবৃত্তি, কথোপকথন ইত্যাদি)।
- সংবাদ বিধি (কোন খবর শুনে তার বর্ণনা করা)।

একক — ৪ ঃ মৌখিক অভিব্যক্তি

- মৌখিক অভিব্যক্তির দ্বারা ভাষায় দক্ষতা বাড়বে।
- মৌখিক অভিব্যক্তির বিকাশ সাধন।
- সুবক্তার বৈশিষ্ট্য।
- মৌখিক অভিব্যক্তিকে বিকশিত করার জন্য উপায় অবলম্বন।
- মৌখিক অভিব্যক্তির সাধারণ সমস্যা ও তার সমাধান।

একক — ৫ ঃ পঠন-পাঠন পদ্ধতি

- পঠন-পাঠন পদ্ধতির উদ্দেশ্য।
- পঠন-পাঠন পদ্ধতির প্রকার ভেদ (সশব্দ পাঠ ও নীরব পাঠ)।
- পঠন পাঠন পদ্ধতির ধাপ (অবলোকন, অর্থগ্রহণ ও প্রয়োগ)।
- পঠন পাঠনের তৎপরতা ঃ পরিকল্পনা ও বিকাশের প্রণালী।
- অক্ষর জ্ঞানের নিয়ম — বর্ণবিধি, শব্দবিধি, বাক্যবিধি।
- পঠন-পাঠন শিক্ষন পদ্ধতির বিকাশের উপায় ও নিয়মাবলী।
- পঠন-পাঠনের সমস্যার সমাধান।

একক — ৬ ঃ বাংলা ভাষা শিক্ষার কৌশল

- বাংলা ভাষার উদ্ভব — কীভাবে কোথা থেকে এসেছে। গল্পবলার ভঙ্গিতে শিক্ষক-বিদ্যার্থীকে জানানো।
- বাংলা ভাষার প্রকৃতি (গঠন ও বৈশিষ্ট্য)।
- বাংলা ভাষার রচনাগত বৈশিষ্ট্য।
- বাংলা ভাষার শ্রেণী সেখানোর সময় আঞ্চলিক ভাষার সঙ্গে সম্বন্ধ ও তুলনা।

একক — ৭ ঃ লিখন পদ্ধতি

- লিখন পদ্ধতির উদ্দেশ্য।
- লিখন পদ্ধতির নানা নিয়ম।
- লিখন তৎপরতা ঃ পরিকল্পনা এবং বিকাশ।
- লিখন পদ্ধতির সমস্যার সমাধান।

একক — ৮ ঃ সাহিত্য শিক্ষা ও ব্যকরণ শিক্ষা

- সাহিত্য ধারার সাধারণ পরিচয় ঃ কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ, নাটক, একাংক, যাত্রা, রেখাচিত্র, রিপোর্টাজ বা প্রতিবেদন ইত্যাদি।
- নানা ধরণের সাহিত্য ধারার শিক্ষা ঃ নিয়মাবলী ও মাধ্যম।
- ব্যাকরণ শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা এবং নিয়মাবলী।

- নানা ধরণের কুশলতার মূল্যায়ণ ঃ পরিকল্পনা ও প্রণালী।
- সাহিত্যের বিভিন্ন ধারার মূল্যায়ণ ঃ পরিকল্পনা ও প্রণালী।
- বাংলা ভাষায় প্রশ্নপত্র নির্মাণ।
- শিক্ষার্থীর শিক্ষার মূল্যায়ণ ও তার ফল প্রকাশ।

প্রস্তাবিত কার্য

- পাঠ্য-পুস্তক ভিত্তিক শব্দতালিকা গঠন — অভিধান রূপে। শব্দগুলির অর্থ জানা, বাক্য বানানো প্রভৃতি।
- তালিকার মধ্যে বিপরীত শব্দ, সমোচ্চারিত শব্দ, ধ্বন্যাত্মক শব্দ, বাগ্‌ধারা, প্রবাদ ও প্রবোচন - এগুলির অর্থজানা ও প্রয়োগ।
- অনুস্বার ও আনুনাসিক শব্দ সংকলন এবং চার্ট ও কার্ড তৈরি করা।
- বিভিন্ন ছবি দেখিয়ে শিশুদের বর্ণনা করতে দেওয়া।
- শিশুদের জন্য প্রকাশিত পত্রিকা পাট করানো ও সমীক্ষা করা।
- শিশুদের পত্রিকা ও শিশু সাহিত্যের তালিকা গঠন।
- বাংলা ভাষার কোন শিশু পাঠ্য থেকে পাঠ চয়ন করে তার ভাব-সৌন্দর্য, জীবন দর্শন, সৃজনাত্মক প্রশ্ন গুলি বেছে নিয়ে সেই ধরণের দশটি করে প্রশ্ন গঠন করা।
- সচিত্র শব্দ কোষ গঠন করা।
- বৌদ্ধিক মান নির্ধারণের জন্য তর্ক-বিতর্ক, প্রশ্নোত্তর, ক্যুইজ ইত্যাদির আয়োজন।
- বিভিন্ন শ্রেণির শিক্ষণ সম্পর্কিত পাঁচটি পরিকল্পনা গঠন করা।।
- ভাষাগত সমস্যার সমাধানের জন্য বিভিন্ন পদ্ধতির প্রয়োগ করা।

প্রস্তাবিতপাঠ ঃ

- প্রথম শ্রেণি থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত বাংলা পাঠ্য-পুস্তক অধ্যয়ন
- ঠাকুর রবীন্দ্র নাথ, শিক্ষা
- ড০ রায় নন্দ দুলাল, ২০০৪, বিহারে বাংলা সাহিত্যে, পাটনা, বিহার বাংলা একাডেমি
- বন্দোপাধ্যায় অসিত কুমার, ২০১২, বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, কলকাতা, মর্ডান বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড
- সেন সকুমার, ভাষার ইতিবৃত্ত, কলকাতা, আনন্দপাবলিশার্স
- শাখারু নির্মলেন্দু ও সরকার জীবন কুমার, রক্তে ভাষা মাতৃভাষা
- বাংলা বানান অভিধান, কলকাতা, পশিচম বাংলা একাডেমি
- ড০ সাহা বাসুদেব, নতুন বানান অভিধান
- ডঃ সাহা বাসুদেব ঃ নতুন বানান অভিধান

S-9 (پہلا سال)

تدریس اردو

کل میزان: ۱۰۰ — **چہ چہ: ۷۰ گھنٹہ**

پرائمری مدرسین کی تیاری کو اسکولی درسیات کے ساتھ جوڑنا وقت کی ناگزیر ضرورت ہے۔ جن وجوہات کی ترسیل کی بنا پر پرائمری اسکولوں میں اردو زبان کا درس کیا جاتا ہے ان سبھی باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس پرچے کے ابواب اور انکے ذیلی نکات طے کئے گئے ہیں۔

مدرس طلبا اردو زبان کی مختصر تاریخ سے آشنا ہوتے ہوئے اردو زبان کی خوبیوں اور اسکی ساخت سے بھی آشنا ہونگے جو پہلی سے پانچویں درجات کے تدریس میں معاون ہونگی۔ یہ پرچہ مدرس طلباء کی صلاحیتوں کو اس طرف راغب کرانے کے حالات بھی مہیا کراتا ہے۔

مدرس طلبا اردو زبان میں سننے، بولنے، پڑھنے اور لکھنے کی بنیادی صلاحیتوں اور اہلیتوں سے آشنا ہونگے اور ان مہارتوں کے مطالب، ان کے فروغ کے مرحلوں اور درجات میں ان کے استعمال کے طریقوں سے بھی آشنا ہونگے۔

مدرس ہونے کے لئے یہ لازمی ہے کہ آپ جن مہارتوں اور خصوصیات کو طلبا میں دیکھنا چاہتے ہیں وہ بھی خوبیاں اور خصوصیات آپ کی شخصیت میں بھی نمایاں ہوں۔ اس لحاظ سے یہ پرچہ طلبا مدرسین میں ان مہارتوں اور خصوصیات کے فروغ دینے میں بھی اہم ہے۔

مدرس طلباء کو ایسے مواقع حاصل کرائے جائیں گے جن کی مدد سے وہ سننے، بولنے، پڑھنے، لکھنے، کی مہارتوں کا استعمال پرائمری درجات میں کرنا اور ساتھ ہی ان مہارتوں کا استعمال بچوں کے لئے مناسب تدریسی کارگزاریوں کی تخلیق کرنے میں بھی کرسکیں گے۔

مدرس طلبا بچوں کی مسلسل اور جامع تشخیص (Continuous and Comprehensive Evaluation) کرنے کی ترکیب اور طریقہ کار سے آشنا ہونگے اور ساتھ ہی تجزیہ کے اصول سے بھی واقف ہونگے۔ موجودہ امتحانات اور سی سی ای میں تفریق کرسکیں گے، وہ یہ بھی سمجھ پائیں گے کہ ہم تجزیہ اس لئے نہیں کرتے کہ بچوں کی غلطیاں نکالیں بلکہ ہم تجزیہ اس لئے کرتے ہیں کہ فرداً فرداً ان کی مدد کرسکیں۔

مدرس طلبا تدریس کے لئے منصوبہ سبق کی اہمیت سے آشنا ہونگے اور ساتھ ہی تخلیقی تدریسی نظام میں منصوبہ سبق کی

اہمیت اور ضرورت سے بھی آشنا ہونگے اس کے علاوہ درجات میں سرگرمی اور دیگر کارکردگی کے لئے درجات کے نظم اور انکی دشواریوں سے بھی آشنا ہونگے۔

باب اول: پرائمری سطح پر اردو تدریس کے مقاصد:

''بچوں کے شخصیت کی تعمیر میں مادری زبان کی خصوصی اہمیت ہے۔'' بچے اپنے ماحول میں جس زبان کا استعمال کرتے ہیں چاہے سننے بولنے میں یا سوچنے سمجھنے میں، سوال پوچھنے یا تفریق کرنے میں۔ لہذا پرائمری سطح پر اردو تدریس کے مقاصد پر غور کرتے ہوئے اس بات کا خیال ضرور رکھنا چاہئے کہ دوسری زبانیں بھی اس کے اردو سیکھنے میں معاون ہوں۔ یعنی مقامی زبانوں کے ساتھ ان کے گہرے تعلقات میں تفریق کر کے ہم اردو تدریس کو زیادہ موثر نہیں بنا سکتے۔ بلکہ ہمیں بچوں کے ذریعہ استعمال میں لائی جا رہی زبان کو مرکز میں رکھ کر ہی آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔

اپنے مقاصد کی ترسیل کے لئے این۔سی۔ای۔آر۔ٹی اور صوبہ بہار کے زیر اہتمام تیار کردہ تدریسی نصاب سے استفادہ کرنا ہوگا۔

- ☆ بچے اپنے خیالات اور تجربوں کو کام میں لائیں اس کے زیادہ سے زیادہ مواقع پیدا کرنا۔
- ☆ درجات میں مخلوط زبان کا استعمال کرنا۔
- ☆ بچوں کی باتوں کو توجہ سے سننا اور ان سے ہی انکی باتوں پر سوال پوچھ کر مزید تفصیل کرنے یا وضاحت کرنے کے لئے آمادہ کرنا۔
- ☆ آپسی بات چیت کے مواقع حاصل کرانا۔
- ☆ لکھنا سیکھنے کے قبل کی تیاری کا ماحول بنانا۔
- ☆ سنی ہوئی کہانی کو اپنی زبان میں سنانے کے لئے آمادہ کرنا۔
- ☆ کتابوں کی طرف راغب کرنا۔
- ☆ بچوں کو اپنی زبان کی مدد سے ہی قواعد کے اصولوں کو مثال کے طور پر لانے کے لئے آمادہ کرنا۔

باب دوئم: زبان کی مہارتوں کا فروغ:

بچوں میں زبان سیکھنے کی فطری قوت ہوتی ہے اسکول آنے سے قبل ہی بچے اچھا خاصہ زبان سیکھ چکے ہوتے ہیں۔ یہ بچے جب اسکول آتے ہیں تو اسکول کی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ان کے علم کا استعمال کرتے ہوئے ان میں پڑھنے، لکھنے اور اظہار کرنے کی مہارتوں کا فروغ کیا جائے۔ اس لئے اس باب کی شروعات میں ہم زبان کے مہارتوں کے فروغ کے عمل اور انکے آپسی رشتوں کے بارے میں چرچہ کریں گے۔ عام طور پر شاید ہم سب یہ تسلیم کرتے ہیں کہ سننے بولنے پڑھنے لکھنے میں

کچھ نہ کچھ آپسی تعلق ہے۔ لیکن سیکھنے سکھانے کی ترکیب کے دوران ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ان مہارتوں کا باہمی اختلاف محسوس کرنا نہایت ضروری ہے اور ساتھ ہی یہ بھی ضروری ہے کہ یہ مہارتیں کس طرح ایک دوسرے کو متاثر کرتی ہیں اور ایک دوسرے کو فروغ میں معاونت کرتی ہیں۔

اس کے بعد ہم تفصیلی طور پر سننے اور بولنے کے معنی اور بچوں میں سننے کی صلاحیت و بولنے کی قوت کی مہارتوں کا فروغ کیوں ضروری ہے اور ان مہارتوں کے فروغ کے لئے کون کون سی سرگرمیاں کی جا سکتی ہیں اس پر سمجھ بنائیں گے۔ بچوں میں قوت اظہار کی مہارت کے لئے یہ ضروری ہے کہ مدرس طلباء کی اپنی قوت اظہار بھی بہتر ہو۔ اسی لئے اس باب کا ایک حصہ طلبا کی قوت نطق کے فروغ کے نئے نئے طریقوں پر مرکوز ہے۔

☆ زبان کی مہارتوں کی سمجھ۔

☆ زبان کی مہارتوں کے وجوہات و معنی اور ان کا آپسی تال میل۔

☆ سننے اور بولنے کا مطلب۔

☆ سننے و بولنے کو متاثر کرنے والے وجوہات۔

مدرس طلبا کی زبانی قوت اظہار کا فروغ:

اپنے بارے میں بات کرنا۔ اسکول کے تجربوں پر بات کرنا، سنے ہوئے خیالوں کو مختصر اور تفصیلی طور پر کہہ پانا۔ مشاہدہ والے حالات پر روانی سے اظہار خیال کرنا۔ مدرس طلباء کو کہانی، ڈرامہ لکھنے اور سنانے کے مواقع مہیا کرانا، بچوں کو درجہ میں سننے و بولنے کے مواقع حاصل کرانا، مدرس طلباء بات کرنے اور گپ کرنے میں فرق کرنے کی سمجھ بنائیں گے، مدرس طلبا سننے میں مدد کرنے والی باتوں کے بارے میں سمجھ بنائیں گے۔

☆ گیت (بچوں کے) / نظم سنانا (بچوں کے گیت و نظموں کی مثالیں پرائمری درجات کی اردو کی درسی کتب سے بھی لئے جائیں گے۔)

☆ تصاویر پر گفتگو کرانا۔

☆ ڈرامہ اور رول پلے کرانا۔

☆ مشاہدوں اور تذکرہ کے لئے مواقع مہیا کرانا۔

☆ مشاہدہ کروانا: تذکرہ کرنا

باب سوئم: پڑھنے کی مہارت کا فروغ:

اس باب میں مدرس طلباء کے پڑھنے کی صلاحیت کا فروغ کیا جائے گا۔ پڑھنا سیکھنے کی سمجھ کو فروغ دیا جائے گا اور پڑھنا سکھانے کے طریقوں/ لائحہ عمل تیار کرنے پر زور دیا جائے گا۔ یہ ضروری ہے کہ طلباء پڑھنے کی صلاحیت کا فروغ کرتے ہوئے پڑھنا سیکھنے میں معاون ہونے والی باریکیاں سیکھیں۔

یہ باب پڑھنے کے بارے میں سمجھ بنانے پر مرکوز ہے۔ زیادہ تر اساتذہ/ والدین کی اپنے بچوں کے بارے میں یہ شکایت رہتی ہے کہ اتنا سکھاتے ہیں پھر بھی بچے پڑھ نہیں پاتے۔ یہ باب اسی بنیادی سوال کہ بچے کیوں نہیں پڑھ پاتے؟ کے مختلف جہتوں/ پہلوؤں کو سمجھنے میں مددگار ہے۔ اس میں پڑھنے کا مطلب، پڑھنے کا عمل، پڑھنا سکھانے کے مختلف طریقوں، بچوں کو پڑھاتے وقت اساتذہ کو آنے والی دشواریوں وغیرہ کے بارے میں بات کرتے ہوئے یہ سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ بچوں کو پڑھنا سکھانے کے لئے کیا مناسب ہے اور کس پس منظر میں کون سی سرگرمیاں کی جاسکتی ہیں۔

- ☆ مدرس طلباء آسان مضمون کو صحیح تلفظ کے ساتھ روانی سے پڑھ سکیں گے۔
- ☆ مدرس طلباء اردو اخباروں کے مضمون مرکوز خبروں کا مطلب سمجھ سکیں گے۔
- ☆ مدرس طلباء آسان کہانی، مضمون، ڈرامہ وغیرہ کو پڑھ کر اس میں دی گئی اطلاعات کو مناسب ضابطے میں سنا سکتے ہیں۔
- ☆ مدرس طلباء آسان مضمون کو سرسری نظر سے پڑھتے ہوئے اس کے خاص باتوں کو سمجھ سکتے ہیں۔

مندرجہ بالا کے لئے طلباء مدرسین اپنے مدرسین کے ساتھ مختلف سرگرمیاں کریں گے۔

پڑھنے کا مطلب:-

پڑھنے کی روانی وصحیح تلفظ کے ساتھ اس کا فروغ، پڑھنے اور رموز خوانی (Decoding) میں فرق۔

پڑھنے کے عمل کے مختلف پہلو:-

رسم الخط پہچاننا، مطلب سمجھنا، اندازہ لگانا، پڑھ کر ردعمل دینا، پڑھ کر اختصار کرنا۔

پڑھنے کے مختلف طریقے:

بلند خوانی، خاموش خوانی، لفظ اور معنی کا اندازہ لگاتے ہوئے پڑھنا۔

پڑھنا سکھانے کے طریقے:

حرفی طریقہ کار، لفظی طریقہ کار، جملے کا طریقہ کار، موضوعاتی طریقہ کار

باب چہارم: لکھنے کی مہارت کا فروغ:

اس باب میں مدرس طلباء کے لکھنے کی صلاحیت کو بڑھایا جائے گا۔ لکھنا سیکھنے کی سمجھ بڑھائی جائے گی اور لکھنا سیکھنے میں مددگار نے والی باریکیوں کو بروئے کار لانے کی عملی کاوشوں پر بھی غور کیا جائے گا۔

باب کی شروعات میں ہم لکھنے کا مطلب اور سمجھ پر تبادلہ خیال کریں گے۔ لکھنا صرف ایک طرح کا ذریعہ و وسیلہ ہے جس میں بولی گئی بات کو ظاہر کیا جا سکتا ہے؟ لکھنا مشکل کام مانا جاتا ہے۔ کیا یہ واقعی مشکل ہے یا جو طریقے ہم لکھنا سکھانے کے لئے اپناتے ہیں وہ اس کو اور مشکل بنا دیتے ہیں؟ ہم اس پر بھی طویل گفتگو کریں گے کہ بچوں کے ساتھ لکھنا سکھانے کی شروعات کیسے کی جائے۔ زبان لگاتار فروغ پاتی رہتی ہے۔ اس کی مشکلات ہمیشہ بدلتی رہتی ہے لیکن تحریری زبان میں تبدیلی بہت ہی دھیرے دھیرے ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ تقریری زبان میں زبان کے معیار پر اتنا زور نہیں ہوتا جتنا کہ تحریری زبان میں۔ بچوں کے ذریعہ لکھنا سیکھنے کے عمل کے مخصوص رد عمل ہیں اور اس باب میں ہم ان رد عمل پر بھی گفتگو کریں گے۔ اچھی تحریر کی خوبیوں اور پرائمری درجات میں تحریری مہارتوں کے فروغ کے لئے کیا کیا مشق بچوں کو کرائے جا سکتے ہیں اس کے بارے میں بھی گفتگو کی جائے گی۔

مدرس طلباء مختلف موضوع پر ذاتی خط لکھ سکیں گے جس میں خبروں، جزئیات اور خیالات کی ترسیل ہو۔ ساتھ ہی معلموں/مدرسین، دوستوں، خاندانوں کے افراد اور پسندیدہ تاریخی کردار وغیرہ کے بارے میں اطلاعاتی مضمون لکھ سکیں گے۔

☆ دیئے گئے چند آسان حالات و واقعات پر مختصر کہانی یا رپورتاژ لکھ سکیں گے۔

☆ کوئی آسان کہانی یا مضمون پڑھ کر اس کا اختصار کر سکیں گے۔

☆ مندرجہ بالا صلاحیتوں کے فروغ کے لئے اساتذہ طلباء مدرسین کو مواقع فراہم کرائیں گے۔

☆ لکھنے کا مطلب لکھنے کی خوبی اور اس کے اقسام کا فروغ۔

☆ لکھنے کی شروعات قلم کو قابو میں کرنے کی مشق۔

☆ لکھنے سے قبل انگلیوں جیسے خط کھینچنا۔

☆ خوش نما خاکے بنانا جیسے (خط مستقیم، خط منحنی، خط مثلث نما، خط مربع نما، خط دائرہ نما)

☆ انگشت پر قابو ہو جانے کے بعد حرفوں، لفظوں اور جملوں کے لکھنے کی باترتیب مشق۔

☆ پرائمری درجات میں لکھنے کی مہارتوں کے فروغ کے طریقہ: تصویر بنانا، تصویر سے کہانی بنا کر لکھنا، اپنی پسند کی چیزوں کے بارے میں لکھنا، کہانیوں کو آگے بڑھا کر لکھنا، سن کر لکھنا، تک والے مقفہ الفاظ لکھنا۔

☆ لکھنا سکھانے میں آنے والی مشکلات، مشکلات سے کیسے نبٹیں؟ کیا یہ واقعی مشکلیں ہیں یا بچوں کے ذریعہ سیکھنے میں آنے والے فطری مرحلے ہیں؟

☆ لکھنے کے مختلف جہت: خطوط نویسی، کہانی لکھنا، مضمون لکھنا، اشتہارات لکھنا، فارم بھرنا، درخواست لکھنا وغیرہ۔

باب پنجم: منصوبہ سبق اور درجاتی عمل

☆ منصوبہ کا مطلب، ضرورت اور اہمیت

☆ منصوبہ سبق کے طریقے

☆ منصوبہ سبق اور تخلیقی درجاتی عمل میں رشتہ

باب ششم: اردو زبان میں تشخیصی عمل/ اندازۂ قدر:

اس باب میں ہم یہ سمجھ بنانے کی کوشش کریں گے کہ "اندازۂ قدر" آخر ہے کیا؟ موجودہ امتحان و آزمائش کے عمل سے ہمیں یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ کس بچے نے ہر مضمون میں کتنے نمبر حاصل کئے ہیں۔ لیکن نمبرات کی یہ تعین نہ تو یہ سمجھنے میں مددگار ہوتی ہے کہ بچے نے کیا سیکھا اور نہ ہی یہ سمجھنے میں کہ اس نے کیا نہیں سیکھا اور اسے کہاں کہاں مدد کی ضرورت ہے۔ ایک اور بڑی دشواری موجودہ طریقہ آزمائش میں یہ ہے کہ وہ صرف اس بات کا محاسبہ کرتی ہے کہ بچے کی رٹنے کی صلاحیت کتنی ہے اور یہی وجہ ہے کہ بچوں میں اس کی وجہ سے بیجا اور غلط طرح کے تقابل کے خیال پیدا ہو جاتے ہیں۔

ان سبھی کو ذہن میں رکھتے ہوئے تشخیصی عمل کو پھر سے نئے رجحانات کے مطابق واضح کرنے کی ضرورت ہے۔ اس باب میں اندازۂ قدر کے مقاصد کیا ہونے چاہئے۔ آزمائش کس کی، کب اور کیسے کر سکتے ہیں۔ کیا اندازۂ قدر اور آزمائش و پیمائش ایک ہی ہے؟ کیا آزمائش سیکھنے سکھانے کے عمل کا حصہ ہے؟ ان مدعوں پر تفصیلی بحث کرتے ہوئے تشخیصی عمل کو پھر سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔

اندازۂ قدر کا مطلب:

اندازۂ قدر کے تحت طلباء کی شخصیت کے وقوفی پہلوؤں کے ساتھ ساتھ اس کے احساسی، کیفیتی اور عملی نشو و نما کی بھی جانچ کی جاتی ہے۔ یعنی اس میں طلباء کے رویے، شوق، تفکرات، تصورات اور عادتوں میں تبدیلی وغیرہ کا بھی اندازہ لگانا مقصود ہوتا ہے۔ اس کا انحصار صرف مواد مضمون کی جانچ یا کسی مخصوص مہارت یا لیاقت کی جانچ پر نہیں ہوتا۔ اس اعتبار سے اندازۂ قدر کا تصور زیادہ جامع اور بسیط ہے۔ اس کے بالمقابل امتحان کا تصور بہت محدود اور تعلیمی و نفسیاتی اعتبار سے بہت ناقص بھی ہے۔ اندازۂ قدر اگر مسلسل اور طلباء کی شخصیت کے تمام پہلوؤں کو مدنظر رکھ کر کیا جائے تو اسے ہی مسلسل اور جامع تشخیص (Continuous and Comprehensive Evaluation) کا نام دیا جاتا ہے جسے اختصار میں سی سی ای کہتے ہیں۔ سی سی ای سے اس بات کا اندازہ لگتا ہے کہ طلباء کا کون سا پہلو کمزور ہے اور کس سمت میں انہیں باز رسانی و اصلاح کی ضرورت ہے۔ سی سی ای سے اساتذہ کو بھی مضامین کی تنظیم نو اور طریقہ تدریس میں حسب ضرورت اصلاح کرنے میں مدد ملتی ہے۔

اندازۂ قدر کے مقاصد:

- ☆ طلباء کو سیکھنے، میں معاون کے طور پر۔
- ☆ تعلیمی نظام کو استحکام دینے کے طور پر۔
- ☆ تخلیقی عمل کے طور پر۔
- ☆ محدود خوبیوں کو مضبوطی دینے کے طور پر۔
- ☆ محدود اوقات میں یا لگاتار تجزیہ کے طور پر۔
- ☆ پرائمری درجات میں ترتیب اور مناسبت کے رشتوں کو سمجھنے اور سمجھانے کے طور پر۔

زبان میں اندازۂ قدر کے طریقے:

- ☆ زبانی آزمائش
- ☆ تحریری آزمائش
- ☆ عملی آزمائش
- ☆ مشاہدہ
- ☆ پیش کش
- ☆ اداکاری

پیش کردہ کام:

- ☆ تصویر: بڑی اور خوب جلی دس ایسی تصاویر کا انتخاب کیجیے جن کا استعمال درجہ اوّل کے طلباء کو بات چیت کے مواقع حاصل کرانے کے لئے کیا جا سکے۔ ہر ایک تصویر کے ساتھ اس کے انتخاب کی وجہ بتاتے ہوئے فائل تیار کیجئے۔
- ☆ اپنے ہم سبق کو تقریباً دو سو الفاظ کا کوئی ایک نیا اقتباس دے کر اس کو پڑھنے کے لئے کہیں۔ اس اقتباس کے مناسبت سے اس کے پڑھنے کی صلاحیت کا اندازہ کرنے کے لئے آپ کیا اور کیسے کریں گے؟ ایک رپورٹ تیار کیجئے۔
- ☆ چوتھی یا پانچویں کے ایک طالب علم کو ایک معلوم مضمون اور ایک نا معلوم مضمون پر لکھنے کو کہیں۔ اس کے ذریعہ لکھے ہوئے مضمون کا تجزیہ کر کے یہ بتائیے کہ لکھنے کا انحصار کن کن باتوں پر ہے۔

☆☆☆

विद्यालय अनुभव कार्यक्रम

(School Experience Programme)

गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा के केन्द्र में एक सजग, सक्रिय और प्रतिबद्ध शिक्षक का होना आवश्यक है। साथ ही यह भी जरूरी है कि वह शिक्षक स्कूली गतिविधि के विभिन्न आयामों को न सिर्फ समीक्षात्मक ढंग से समझे बल्कि वह कुशलतापूर्वक इससे जुड़ी गतिविधियों को अंजाम भी दे सकें। पिछले दो–तीन दशकों में सिद्धांत और व्यवहार का अर्थपूर्ण संबंध स्थापित कर उन्हें एक दूसरे की कसौटी पर कसने की प्रक्रियायें लगातार बढ़ी हैं। कहने को प्रत्येक शिक्षक–प्रशिक्षण कार्यक्रम में 'शिक्षण–अभ्यास' उसका एक अनिवार्य हिस्सा होता है, पर ऐसा कम ही हो पाता है कि शिक्षायी चिंतन को सक्रिय रूप से शिक्षण अभ्यास का हिस्सा बनाया जाये। नतीजतन शिक्षक–प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सिद्धांतों को जपने की प्रवृत्ति तो बढ़ती ही है साथ ही शिक्षण अभ्यास एक हस्तक्षेपकारी अनुभव होने की बजाय महज एक अकादमिक कवायद बनकर रह जाती है। शिक्षण अभ्यास को शिक्षा के सिद्धांतों, शिक्षण–शास्त्र व शिक्षायी चिंतन से अलग करके नहीं देखा जा सकता है। कोशिश यह है कि शिक्षण–अभ्यास के अनुभव शिक्षायी विमर्श को समझने का आधार बनें तथा शिक्षायी विमर्श, शिक्षण–अभ्यास को और समीक्षात्मक बनाने में मददगार बने। विद्यालय अनुभव कार्यक्रम से तात्पर्य है विद्यालय में होने वाले कार्यों व गतिविधियों का समग्र अनुभव। इसका मूल उद्देश्य प्रशिक्षुओं में शिक्षण अभ्यास के साथ–साथ विद्यालय से जुड़े अन्य गतिविधियों की समझ भी विकसित करना है। साथ ही, इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रशिक्षु अपने शिक्षण व विद्यालय में अपनी भूमिका के प्रति एक आलोचनात्मक व मननशील दृष्टिकोण भी विकसित कर पाएँगे।

इस कार्यक्रम के मूलतः चार अवयव हैं:–

- शिक्षण अभ्यास
- एक्शन रिसर्च
- विद्यालय आधारित गतिविधि
- विद्यालय उन्नयन योजना

विद्यालय अनुभव कार्यक्रम के मूल्यांकन की रूपरेखा

विद्यालय अनुभव कार्यक्रम	विद्यालय अनुभव कार्यक्रम के आकलनकर्ता		अंक
शिक्षण अभ्यास	प्रक्षिण संस्थान के संकाय सदस्य/विाय–विोज्ञ/ प्राक्षिक द्वारा लिखित पाठ योजना की गुणवत्ता का मूल्यांकन		20
	प्रक्षिण संस्थान के संकाय सदस्य द्वारा कक्षा शिक्षण का अवलोकन, समीक्षा एवं मूल्यांकन	संकाय सदस्य (रेगुलर)द्वारा	60
		संकाय सदस्य (रोटेनल)द्वारा	20
	विद्यालय प्रधानाचार्य/विाय–क्षिक द्वारा कक्षा शिक्षण का अवलोकन, समीक्षा एवं मूल्यांकन		20
एक्शन रिसर्च	विद्यालय में जानेवाले संकाय सदस्य (रेगुलर)द्वारा आकलन		30
विद्यालय आधारित गतिविधि	विद्यालय में जानेवाले संकाय सदस्य (रेगुलर)द्वारा आकलन		25
विद्यालय उन्नयन योजना	विद्यालय में जानेवाले संकाय सदस्य (रेगुलर)द्वारा आकलन		25
		कुल अंक (प्रति वर्ष)	200

विद्यालय अनुभव कार्यक्रम प्रथम वर्ा (F-SEP) तथा द्वितीय वर्ा (S-SEP)	200+200 कुल योग	400

शिक्षण अभ्यास

शिक्षण अभ्यास के क्रम में आलोचनात्मक शिक्षणशास्त्र को समझना और उसे अभ्यास क्रम का हिस्सा बनाना इस पाठ्यचर्या का प्रमुख उद्देश्य है। यहाँ ज़रूरत होती है कि हम शिक्षण अभ्यास के क्रम में अपनी जिम्मेदारी (अकादमिक, शैक्षिक व सामाजिक) को शिक्षा के वृहत्तर परिणाम व लोकतांत्रिक समाज के संदर्भ में समझें। कक्षा के भीतर की प्रक्रिया कोई पृथक घटना नहीं है, बल्कि इसका गहरा जुड़ाव विभिन्न सामाजिक व ऐतिहासिक प्रक्रियाओं से होता है। शिक्षक अपने सार्थक कर्म के माध्यम से असमान सामाजिक व्यवस्थाओं के विरुद्ध हस्तक्षेप करता है। उसकी यह भूमिका एक सांस्कृतिक कर्मी की तरह होती है। शिक्षण–अभ्यास में इस बात का विशेष ध्यान रखा जायेगा कि प्रशिक्षु–शिक्षक न सिर्फ शिक्षा के तकनीकी पक्ष को समझ पायें बल्कि वे अपनी हस्तक्षेपकारी भूमिका को भी साकार रूप दे सकें। कोशिश यह होनी चाहिए कि वे अनुभवों के जरिये रूढ़ीवादी समाजिक–सांस्कृतिक मान्यताओं को तार्किक ढंग से चुनौती दे सकें। इस क्रम में वे न सिर्फ पाठ–योजना बनायें बल्कि वहाँ पढ़ाये जाने वाले विषयों पर एक आलोचनात्मक समझ भी विकसित करने की कोशिश करें। विद्यालय से लौटने के बाद वे सचेत और सक्रिय तौर से वहाँ के विभिन्न क्रिया–कलापों को अपनी डायरी में दर्ज करें।

शिक्षण अभ्यास से संबंधित प्रमुख सूचनायें निम्नलिखित हैं–

अवधि :

- प्रति वर्ष चालीस (40) कार्य दिवस (प्रथम वर्ष / द्वितीय वर्ष)
- लगभग दस (10) सप्ताह
- प्रति सप्ताह पाँच (05) दिन (सोमवार–शुक्रवार)
- शनिवार को प्रशिक्षु पाठ योजना निर्माण व परामर्श के लिये संस्थान जायेंगे

पाठ योजना :

- प्रति वर्ष न्यूनतम अस्सी (80) पाठ योजनाओं का निर्माण व शिक्षण
- प्रति विषय न्यूनतम पाँच (05) पाठ योजनाओं की संकाय सदस्य / विषय–विशेषज्ञ / प्रशिक्षक द्वारा समीक्षा व सुझाव
- विषयवार पाठ योजनाओं का संख्या निम्नलिखित है–

वि‍ाय	पाठ योजनाओं की न्यूनतम संख्या	
	प्रथम व‍ा (F-SEP)	द्वितीय व‍ा (S-SEP)
गणित का ‍िक्षण	20	20
अंग्रेजी का ‍िक्षण	20	20
हिन्दी का ‍िक्षण	20	–
प्रर्यावरण अध्ययन का ‍िक्षण	20	–
विज्ञान / सामाजिक अध्ययन का शिक्षण	–	20
हिन्दी / उर्दू / संस्त / बांगला / मैथिली भा‍ाा का ‍िक्षण	–	20
पाठ योजनाओं की कुल न्यूनतम संख्या	**80**	**80**

एक पाठ योजना से तात्पर्य एक अध्याय अथवा इकाई नहीं है। बल्कि, एक पाठ योजना से तात्पर्य है एक कालांश के लिये शिक्षण की रूपरेखा। एक ही अध्याय अथवा इकाई में इसके कई शीर्षकों व अवधारणाओं को लेकर कई पाठ–योजनायें बनायी जा सकती हैं। पाठ–योजना का निर्माण कैसे किया जाये, इसकी चर्चा प्रशिक्षण संस्थान में किया जायेगा।

प्रशिक्षुओं द्वारा बनाये गये पाठ योजनाओं की समीक्षा व सुझाव प्रशिक्षण संस्थान के संकाय सदस्य/विषय–विशेषज्ञ/ प्रशिक्षक द्वारा की जायेगी। प्रत्येक विषय के लिए बनाये गये पाठ योजनाओं में से न्यूनतम पाँच (05) पर संकाय सदस्य/विषय–विशेषज्ञ/प्रशिक्षक से चर्चा एवं सुझाव लेना अनिवार्य है। लिखित पाठ योजनाओं का मूल्यांकन भी संकाय सदस्य/विषय–विशेषज्ञ/प्रशिक्षक द्वारा किया जायेगा (विद्यालय अनुभव कार्यक्रम की अंक–तालिका देखें)।

कक्षागत शिक्षण :

शिक्षण अभ्यास के दौरान प्रतिदिन अधिकतम दो पाठ–योजनाओं का शिक्षण मान्य होगा।

पाठ–योजनाओं के शिक्षण के दौरान प्रशिक्षुओं का मूल्यांकन भी अति आवश्यक है। मूल्यांकन के अंतर्गत प्रति विषय न्यूनतम पाँच (05) कक्षाओं का पर्यवेक्षण अनिवार्य है।

यह स्पष्ट कर दें कि विद्यालय में जानेवाले संकाय सदस्यों (रेगुलर व रोटेशनल, दोनों) का मुख्य कार्य प्रशिक्षु–शिक्षकों को सलाह देना व उनसे विभिन्न विषयों पर संवाद करने का होगा।

संकाय सदस्य का 'रेगुलर' अथवा 'रोटेशनल' होने का तात्पर्य विद्यालय विशेष के संदर्भ में है। वैसे संकाय सदस्य, जिन्हें किसी विद्यालय में प्रशिक्षुओं के शिक्षण–अभ्यास के अवलोकन के लिये नियमित रूप से जाना है, वे विद्यालय विशेष के संदर्भ में संकाय सदस्य (रेगुलर) कहलायेंगे। वैसे संकाय सदस्य, जो स्वयं को आवंटित विद्यालय से भिन्न किसी अन्य विद्यालय में प्रशिक्षुओं के शिक्षण–अभ्यास के लिये समय अंतराल पर जायेंगे, वे उस विद्यालय के संदर्भ में संकाय सदस्य (रोटेशनल) कहलायेंगे। इस प्रकार एक ही संकाय सदस्य अपने विद्यालय के लिये 'रेगुलर' तथा किसी अन्य विद्यालय के लिये 'रोटेशनल' हो सकता है।

स्वमूल्यांकन :

प्रशिक्षुओं द्वारा अपने शिक्षण का स्वमूल्यांकन भी अति आवश्यक है। इसके बिना शिक्षण–अभ्यास की पूरी प्रक्रिया अधूरी है। प्रशिक्षु अपना स्वमूल्यांकन मूलतः दो माध्यमों से करेंगे :

- **प्रशिक्षु डायरी** – पूरे शिक्षण अभ्यास के दौरान प्राप्त चुनौतियों व अनुभवों को प्रशिक्षुगण दिनवार अपनी डायरी में लिखेंगे तथा अपने प्रशिक्षण संस्थान के संकाय सदस्य/प्रशिक्षक के साथ चर्चा करेंगे। इसके माध्यम से चिंतन–मनन द्वारा वे स्वयं के शिक्षण की समीक्षा तथा संवर्द्धन कर पायेंगे। पूरे शिक्षण अभ्यास के दौरान प्रशिक्षुओं को अलोचनात्मक चर्चा हेतु अपनी डायरी के साथ संकाय सदस्य/प्रशिक्षक से कम से कम तीन बार मिलना अनिवार्य है।
- **विद्यार्थियों का मूल्यांकन** – प्रशिक्षुओं द्वारा अपने शिक्षण का स्वमूल्यांकन विद्यार्थियों के सीखने के आधार पर भी करना अति महत्त्वपूर्ण है। अतः शिक्षण अभ्यास के अंतिम सप्ताह में वे अपने विद्यार्थियों का मूल्यांकन करें तथा उसकी रिपोर्ट भी तैयार करें। मूल्यांकन का स्वरूप कैसा हो, इसके ऊपर प्रशिक्षण संस्थान में कार्यशालाओं द्वारा विस्तृत चर्चा की जायेगी।

अपने शिक्षण के दौरान प्रशिक्षुओं को कई समस्याओं व चुनौतियों का अनुभव होना संभावित है। साथ ही उनके मन में शिक्षा से सम्बंधित कई जिज्ञासायें भी होंगी। एक कुशल अध्यापक से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपनी शिक्षण समस्याओं, चुनौतियों व जिज्ञासाओं का समाधान वैज्ञानिक विधि (Scientific method) के माध्यम से करें। अतः प्रशिक्षुओं को शिक्षण के साथ–साथ शोध–कार्य करना भी महत्त्वपूर्ण है, ताकि उनमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित हो सके। इसी उद्देश्य के संदर्भ में विद्यालय अनुभव कार्यक्रम में प्रशिक्षुओं के लिए एक्शन रिसर्च को भी रखा गया है।

एक्शन रिसर्च का विषय – प्रत्येक प्रशिक्षु अपने विद्यालय, शिक्षण, विद्यार्थियों अथवा अन्य गतिविधियों से सम्बंधित कोई एक समस्या या जिज्ञासा को चुनेंगें व उसपर एक्शन रिसर्च करेंगे।

कालावधि : विद्यालय अनुभव कार्यक्रम के दौरान प्रशिक्षु एक्शन रिसर्च को करेंगे। विद्यालय अनुभव कार्यक्रम के अंत में उन्हें अपने एक्शन रिसर्च की रिपोर्ट तैयार करके संकाय सदस्य के पास जमा करना होगा।

एक्शन रिसर्च का मूल्यांकन : प्रशिक्षु द्वारा किये गये एक्शन रिसर्च का मूल्यांकन विद्यालय अनुभव कार्यक्रम के दौरान प्रशिक्षु के शिक्षण–अभ्यास का अवलोकन करनेवाले संकाय सदस्य (रेगुलर) द्वारा की जायेगी। यह अपेक्षा की जाती है कि संकाय सदस्य शोध के सिद्धांतों के आधार पर रिपोर्ट का मूल्यांकन करेंगें।

विद्यालय आधारित गतिविधियाँ

शिक्षण के अलावा विद्यालय के अन्य गतिविधियों में भी अध्यापक की संलग्नता अति महत्त्वपूर्ण हैं क्योंकि वे गतिविधियाँ भी विद्यालय में सीखने–सीखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग हैं। अतः प्रशिक्षुओं से अपेक्षा है कि वे विद्यालय से सम्बंधित विभिन्न गतिविधियों के आयोजन, संचालन व क्रियान्वयन में सक्रिय सहभागिता निभायेंगे। ये गतिविधियाँ कई तरह की हो सकती हैं, उदाहरणतः

- विद्यालय में प्रतिदिन की गतिविधियाँ (प्रातः सभा, खेल, समय–सारणी निर्माण, इत्यादि)
- सांस्कृतिक कार्यक्रम / समारोह / बाल सभा / वार्शिकोत्सव
- डी०एल०एड० पाठ्क्रम के विभिन्न विषय पत्रों में दिये गये विद्यालय से सम्बंधित प्रस्तावित कार्य

कालावधि : पूरे विद्यालय अनुभव कार्यक्रम के दौरान किए जाने वाले विद्यालयी गतिविधियों में प्रशिक्षुओं को भाग लेना है। विद्यालय अनुभव कार्यक्रम के अंत में प्रशिक्षुगण अपने विद्यालय में किये गये गतिविधियों की संक्षिप्त रिपोर्ट बनाएँगे।

मूल्यांकन : विद्यालय के विभिन्न गतिविधियों में प्रशिक्षुओं की सक्रिय भूमिका का मूल्यांकन शिक्षण–अभ्यास का अवलोकन करनेवाले संकाय सदस्य (रेगुलर) द्वारा की जायेगी।

विद्यालय उन्नयन योजना निर्माण

विद्यालय अनुभव कार्यक्रम के दौरान प्रशिक्षुओं का विद्यालय विशेष के संदर्भ में कई अनुभव रहे होंगे। साथ ही इन अनुभवों के आधार पर उन्हें तमाम आँकड़े प्राप्त हुये होंगे। प्रशिक्षु उन आँकड़ों का विश्लेषण करके विद्यालय के लिए एक उन्नयन योजना का निर्माण करें जिसमें विद्यालय के विकास के लिए सुधारात्मक सुझाव दिये जायें। योजना की रूपरेखा में विद्यालय के विभिन्न आयामों का आलोचनात्मक अध्ययन को भी शामिल करें।

कालावधि : पूरे विद्यालय अनुभव कार्यक्रम के दौरान प्राप्त अनुभवों के द्वारा आँकड़े इकट्ठे किये जायें।

मूल्यांकन : विद्यालय उन्नयन योजना के रिपोर्ट का मूल्यांकन संकाय सदस्य (रे_ र) द्वारा द्वारा किया जायेगा।

❖❖❖

शिक्षा में सूचना व संचार तकनीकी (आई.सी.टी.)

पूर्णांक : 50

FP-1

प्रथम वर्ष

संदर्भ

वर्तमान समय में सूचना एवं संचार तकनीकी हमारे सामाजिक अंतःक्रिया का एक आवश्यक अंग बन चुकी है। शिक्षा में तकनीकी का इस्तेमाल कोई नई बात नहीं है। संचार प्रौद्योगिकी के विभिन्न अन्वेषणों के द्वारा शिक्षा व्यवस्था में क्रान्तिकारी बदलाव लाये जा रहे हैं। आज अनेक प्रकार के सूचना व संचार तकनीक समर्थित शिक्षा व अध्यापन विधियों का प्रयोग शिक्षार्थियों के व्यक्तिगत अनुभव, अभ्यास और ज्ञान को सवंर्द्धित करने के लिये किया जा रहा है। इन तकनीकों के कारण शिक्षा में हो रहे नवाचार के साथ–साथ सूदूर क्षेत्रों तक शिक्षा का प्रसार भी हो रहा है। सूचना व संचार तकनीक के विभिन्न माध्यमों द्वारा सूचनाओं के संग्रहण, संचयन, सुगम उपयोग तथा तेजी से आदान–प्रदान की सुविधा है। शिक्षा के क्षेत्र में नई संचार तकनीकों के उपयोग ने शिक्षक की भूमिका, शिक्षण में सूचना एवं संचार तकनीकी (आई.सी.टी.) का सही समावेशन बच्चों में प्रभावकारी अधिगम को उत्साहित एवं उत्प्रेरित कर सकता है। साथ ही साथ, तकनीकी के प्रयोग ने शिक्षक के अन्य कार्यों जैसे मूल्यांकन, संसाधन सेवा आदि को सरल एवं प्रभावकारी बनाया जा सकता है। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा के लिए भी सूचना व संचार तकनीक का विशेष महत्त्व है। एक अध्यापक इस तकनीक के कुशल प्रयोग द्वारा अपने कार्यों को व्यवस्थित तथा अपने शिक्षण को प्रभावी बना सकता है। आई.सी.टी. तकनीकी का शिक्षण अधिगम कार्यों में उपयोग के लिये यह आवश्यक है कि शिक्षकों में इसके प्रयोग से शिक्षण कौशल की क्षमता विकसित की जाये। इस पाठ्यक्रम के विषयवस्तु के माध्यम से प्रशिक्षु नवीन आई.सी.टी. संसाधनों को शैक्षिक प्रक्रियाओं का अभिन्न भाग मानते हुये उनसे अवगत हो पायेंगे।

उद्देश्य

इस पाठ्यक्रम पर आधारित विषयवस्तु के शिक्षण के उद्देश्य निम्नलिखित हैं :–

- आई.सी.टी. की अवधारणा तथा शिक्षा में इसकी उपयोगिता से अवगत कराना।
- आई.सी.टी. के विभिन्न उपागमों को शिक्षण प्रक्रिया में प्रयोग करने का कौशल विकसित करना।
- शिक्षण अधिगम की गुणवतापूर्ण बनाने के लिये इन तकनीकों के महत्व को समझना।
- आई.सी.टी. के विभिन्न उपागमों जैसे इंटरनेट, वर्ड प्रोसेसर, प्रेजेंटेशन (पीपीटी), आदि को शिक्षण प्रक्रिया में प्रभावीरूप से प्रयोग करना।
- आई.सी.टी. के विभिन्न तरीकों को एक साथ समन्वित करके प्रयोग करने के कौशल को विकसित करना।
- ओपेन लर्निंग सिस्टम के प्रयोग एवं उपयोगिता से अवगत होना।
- प्रशिक्षुओं में आई.सी.टी. के विभिन्न उपकरणों जैसे – टी०वी०, कम्प्यूटर, प्रोजेक्टर, रिकार्डर इत्यादि के प्रयोग व रख–रखाव का कौशल विकसित करना।

शिक्षा में सूचना व संचार तकनीकी (आई.सी.टी.)

FP-1

इकाई–I : शिक्षण के लिए आई.सी.टी. का परिचय

- आई.सी.टी. की अवधारणा
- आई.सी.टी. के विभिन्न तकनीक
- शिक्षण अधिगम में आई.सी.टी. की उपयोगिता

इकाई–II : शिक्षण अधिगम में कम्प्यूटर का उपयोग

- कंप्यूटर तथा इसके इस्तेमाल के विषय में महत्त्वपूर्ण विवरण
- कंप्यूटर के विभिन्न प्रकार एवं अनिवार्य घटक
- कंप्यूटर में स्मृति और भंडारण व्यवस्था
- ऑपरेटिंग सिस्टम

इकाई–III : शिक्षण अधिगम के लिए ऑफिस ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर

- ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम व इसके लिए उपलब्ध विभिन्न सॉफ्टवेयर
- वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर व इसके प्रमुख कार्य
- स्प्रेडशीट व इसके प्रमुख कार्य
- प्रस्तुति (प्रेजेंटेशन) सॉफ्टवेयर व इसके प्रमुख कार्य
- शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में प्रस्तुति (प्रेजेंटेशन) सॉफ्टवेयर का उपयोग

इकाई–IV : शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में इंटरनेट

- इंटरनेट से कनेक्शन की प्रक्रिया
- इंटरनेट ब्राउज़र व इसके प्रमुख कार्य
- ई–मेल तथा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के संदर्भ में इसका इस्तेमाल
- इंटरनेट पर खोज (सर्च) इंजन तथा शिक्षा के संदर्भ में इसका इस्तेमाल

इकाई–V : शिक्षण–अधिगम में ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम का अनुप्रयोग

- शिक्षण अधिगम में वर्ड–प्रोसेसर सॉफ्टवेयर की भूमिका
- शिक्षण अधिगम में प्रस्तुति सॉफ्टवेयर की उपयोगिता
- शिक्षण अधिगम के लिए स्प्रेड–शीट की उपयोगिता
- ऑफिस ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर की मदद से डिजिटल सामग्री या डाटा को तैयार करना
- सार्वभौमिक उपयोग हेतू हिंदी भाषा में कम्प्यूटर का संचालन व प्रयोग

इकाई–VI : शिक्षण–अधिगम में इंटरनेट का उपयोग

- प्राकृतिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भाषा, आदि विभिन्न विषयों के लिए इंटरनेट संसाधन
- गूगल डॉक्स और अन्य ऑनलाइन ऑफिस सॉफ्टवेयर के उपयोग व लाभ
- क्लाउड आधारित भंडारण (स्टोरेज) जैसे बॉक्स एवं ड्रॉपबॉक्स के लाभ
- आई.सी.टी. के उपयोग में सुरक्षा का ध्यान : इंटरनेट पर सर्फिंग और सोशल नेटवर्किंग साइट्स
- ओपेन लर्निंग सिस्टम व ऑनलाइन लर्निंग के नए उभरते रूझान

इकाई–VII : शिक्षण–अधिगम प्रक्रिया में अन्य आई.सी.टी. तकनीकी का प्रयोग

- शिक्षण–अधिगम में रेडियो, टेलीविजन का उपयोग
- हैण्ड हेल्ड उपकरण (जैसे एंड्रायड आधारित उपकरण) का उपयोग
- वीडियो और ऑडियो सिस्टम का उपयोग
- शिक्षण–अधिगम के लिए प्रोजेक्टर का उपयोग
- कुछ शिक्षा उपयोगी हार्डवेयर और सॉफ्वेयर संसाधन

प्रस्तावित कार्य

- शिक्षण में प्रयुक्त आई.सी.टी. के उपकरणों जैसे – रेडियो, टी०वी०, कम्प्यूटर, प्रोजेक्टर, इत्यादि का अध्ययन (परिचय, प्रयोग की विधि, विशेशता, शिक्षण में उपयोगिता)
- आई.सी.टी. के किन्हीं पाँच उपागमों (इंटरनेट, पावरप्वाइंट, ऑडियो–विजुअल रिकॉर्डिन्ग, डॉक्युमेंट्री शो, ईमेल, फिल्म, रेडियो–ज्ञानवाणी, दूरदर्शन–ज्ञानदर्शन व अन्य शैक्षणिक कार्यक्रम, आदि) के प्रयोग के कौशल को सीखना।
- किसी वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का प्रयोग कर 'शिक्षण अधिगम के लिए आई.सी.टी. कौशल कोर्स में अपने अनुभवों के आधार पर एक रिपार्ट तैयार करें।
- आई.सी.टी. का प्रयोग करते हुये शिक्षण अभ्यास के दौरान न्यूनतम पाँच पाठ–योजनाओं का निर्माण तथा कक्षा–कक्ष में शिक्षण।
- आई.सी.टी. से संबंधित अपने कौशलों को निम्न साफ्टवेयर के आधार पर एक पाँच पैमाने बिन्दु स्कॅल (बहुत अच्छा, संतोशजनक, औसत, अच्छा, असंतोशजनक) पर रेट करें :–

  वर्ड प्रोसेसर (वर्ड), स्प्रेडशीट (एक्सेल) प्रेजेंटेशन (पीपीटी) तथा इंटरनेट ब्राउजिंग

कला शिक्षा

पूर्णांक : 50

SP-1

द्वितीय वर्ष

संदर्भ

कला सौंदर्य का बोध और अभिव्यक्ति है। यह मनुष्य के विचारों और भावों को प्रकट करने की भाषा है। इसका उद्देश्य है जीवन में सौंदर्य का बोध करना। यह कोई पृथक ज्ञान नही है बल्कि हमारे दैनिक जीवन का ही हिस्सा है, जिसका प्रयोग हम किसी न किसी रूप में करते रहते हैं। कला के माध्यम से हम एक दूसरे के भावों एवं अनुभवों को सराहते हैं। व्यक्तिगत् रूचि, मनोभाव, प्राथमिक दृष्टिकोण व अभिरूचि आदि इसी के रूप हैं, जिनके माध्यम से हम किसी चीज को समझते हैं। आज के सामाजिक परिदृश्य में कला शिक्षा की विशेष स्थिति है। विद्यालयों में नियमित पाठ्यक्रम के साथ कला को जोड़कर देखने की आवश्यकता प्रतीत हो रही है क्योंकि इसे अब पाठ्यचर्या के अभिन्न अंग के रूप में स्वीकारा जाने लगा है। एक शिक्षक के लिये कला का विशेष महत्त्व है क्योंकि इसके माध्यम से वह अपने शिक्षण को विविध प्रकार से रोचक बना सकता है। साथ ही उसके पास अभिव्यक्ति का एक और माध्यम जुड़ जाता है जिसका प्रयोग वह विद्यालय के विभिन्न कार्यों में कर सकता है। कला के प्रति संवेदशील शिक्षक अपनी कक्षा में भी इसे महत्त्व देंगे तथा अपने विद्यार्थियों के अंदर छुपे सृजनात्मकता को भी पहचान पायेंगे। कला के विभिन्न रूपों में संगीत, चित्रकला, नाट्य, गीत, लेखन, आदि प्रमुख हैं। इस पाठ्यक्रम में दिये गये विषयवस्तु के माध्यम से प्रशिक्षु सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक पक्षों के प्रति अपनी समझ बनायेंगे। यहाँ, प्रशिक्षुओं द्वारा विभिन्न कला–कौशलों को कर के सीखने पर विशेष बल दिया जायेगा। साथ ही यह प्रयास भी होगा कि वे अपनी कला को अपने शिक्षण के साथ जोड़कर देख पायें।

उद्देश्य

इस पाठ्यक्रम पर आधारित विषयवस्तु के शिक्षण के उद्देश्य निम्नलिखित हैं :–

- प्रशिक्षुओं को कला शिक्षा की अवधारणा एवं उपयोगिता से अवगत कराना।
- कला शिक्षा के सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक पक्षों के माध्यम से प्रशिक्षुओं में कला के कौशल का विकास करना।
- स्थान विशेश के संदर्भ में प्रारंभिक स्तर पर कला शिक्षा के महत्त्व को समझना।
- क्षेत्रीय कलाओं एवं शिल्प का ज्ञान एवं शिक्षा में इसकी सार्थकता को समझना।
- कला शिक्षा की योजना एवं संगठन के विभिन्न अवयवों से अवगत होना।
- कला अनुभवों के अवसरों को विकसित कर पाने की क्षमता का विकास करना।
- कला शिक्षा के सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक पक्षों के माध्यम से प्रशिक्षुओं में कला के कौशल का विकास करना।
- प्रदर्शन कला के विभिन्न तत्त्वों से अवगत होना।
- कला में मूल्यांकन के विभिन्न उपागमों एवं तकनीकों को जानना एवं उनका प्रभावी प्रयोग करना।

कला शिक्षा

SP-1

इकाई–I : कला की समझ और कला शिक्षा (सिद्धांत)

- कला शिक्षा : अवधारणा, प्रकृति एवं क्षेत्र
- प्रारंभिक स्तर पर कला शिक्षा का महत्त्व (स्थान विशेश के संदर्भ में)
  - दृश्य कला का महत्त्व एवं इसकी उपयोगिता
  - प्रदर्शन कला का महत्त्व एवं इसकी उपयोगिता
  - बाल कला की समझ
- क्षेत्रीय कलाओं एवं शिल्प का ज्ञान एवं शिक्षा में इसकी सार्थकता
  - क्षेत्रीय कला एवं शिल्प
  - प्रारंभिक शिक्षा से कला एवं शिल्प का संबंध
- दृश्य कला एवं प्रदर्शन कला के क्षेत्र से समकालीन कलाओं, कलाकारों एवं कारीगरों का ज्ञान

इकाई–II : दृश्य कलाएं एवं शिल्प (प्रायोगिक)

- दृश्य कला एवं शिल्प की विभिन्न वस्तुओं का प्रयोग

  पेंसिल, पेस्टल रंग, पोस्टर रंग, कलम और स्याही, रंगोली बनाने का सामान, मिट्टी मिश्रित सामग्री, शिल्प का सामान (स्थानीय परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए)
- दृश्य कला एवं शिल्प की विभिन्न विधियों की खोज एवं उनका प्रयोग

  चित्रांकन एवं पेंटिंग (मिथिला), ब्लॉक पेंटिंग, कोलॉज बनाना, मुखौटा और कठपुतली बनाना मिट्टी से आकृतियाँ बनाना (क्ले मॉडलिंग), कागज से शिल्प

  आस–पास के संदर्भ की क्षेत्रीय लोक कलाओं (दृश्य व शिल्प) का परिचयात्मक ज्ञान
- किए गए प्रायोगिक कार्य का फोल्डर बनाना

  फोल्डर का अर्थ और महत्त्व, फोल्डर कैसे बनाएं, फोल्डर के उपयोग

इकाई–III : कला शिक्षा की योजना एवं व्यवस्था

- प्रारंभिक कक्षाओं के लिए कला–अनुभवों का आयोजन
  - कला–अनुभव क्या है ? कला–अनुभव का आयोजन कैसे करें ?
  - विद्यालय समय–सारणी में कला शिक्षा का स्थान
- कला–अनुभव के लिए सामग्री एवं स्थान की व्यवस्था : दृश्य कला एवं प्रदर्शन कला के लिए
- कला–अनुभव की व्यवस्था एवं इसे सुगम बनान की प्रक्रिया

इकाई–IV : प्रदर्शन कला (प्रायोगिक)

- प्रदर्शन कला के विभिन्न तत्त्व
  - संगीत : गायन, वाद्य
  - नृत्य : लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य, सृजनात्मक
  - रंगमंच : लोक रंगमंच, आधुनिक रंगमंच, कठपुतली कला
- कला के विभिन्न रूपों का महत्त्व
- प्रदर्शन कला : योजना, तैयारी, प्रस्तुतीकरण

इकाई–V : कला शिक्षा में मूल्यांकन

- कला शिक्षा में मूल्यांकन : महत्त्व एवं प्रक्रिया
  कला–अनुभव के मूल्यांकन के लिए क्या याद रखें ?
  मूल्यांकन का संप्रेशण कैसे करें ?
- कला में मूल्यांकन के विभिन्न उपागमों एवं तकनीकों की समझ :
  अवलोकन (ऑवजर्वेशन)सूची, परियोजना, पोर्टफोलियो, चेक लिस्ट, रेटिंग स्केल घटना वृत्तांत (एनॅकडॉटल रेकार्ड), प्रदर्शन (डिस्प्ले / प्रेजेंटेशन) आदि ।
- कला में मूल्यांकन के संकेतक : अर्थ, दृश्य कला एवं प्रदर्शन कला के संदर्भ में
- पोर्टफोलियो बनाना (प्रायोगिक) : महत्त्व, रख–रखाव, मूल्यांकन के लिए पोर्टफोलियो का उपयोग

प्रस्तावित कार्य

- किसी एक कला केन्द्र के विशय में जानकारी प्राप्त करना तथा शिक्षा के संदर्भ में उसका विश्लेषण।
- किसी कला–अनुभव को विभिन्न विषयों से जोड़कर प्रयोग करना।
- सीखे गए कला कौशलों का प्रयोग करके पाठ योजनाओं का निर्माण करना।
- अपने विद्यार्थियों के कलात्मक रूचियों का अध्ययन करना तथा उनके प्रोत्साहन के लिए योजना तैयार करना।
- विभिन्न कलाओं के अनुभवों का विद्यालय में सृजन करना तथा विद्यार्थियों की उन कलाओं में रूचि का अध्ययन करना।
- प्रदर्शन कला का शिक्षण में विविध प्रकार से प्रयोग करना।
- सीखे गए कला कौशलों का प्रयोग करके पाठ योजनाओं का निर्माण करना।
- अपने विद्यार्थियों के कलात्मक रूचियों मूल्यांकन करना तथा उनके प्रोत्साहन के लिए योजना तैयार करना।

❖❖❖

जीवन कौशल, योग व स्वास्थ्य शिक्षा

पूर्णांक : 50

FP-2

प्रथम वर्ष

संदर्भ

व्यक्ति के सामाजिक, मानसिक व शारीरिक विकास के संदर्भ में जीवन कौशल, योग व स्वास्थ्य शिक्षा के महत्त्व को देखा जा सकता है। बदलते समय व परिवेश के अनुसार हमारे जीवनशैली में भी कई बदलाव अपेक्षित हैं। इन बदलावों के संदर्भ में जीवन कौशल, योग व स्वास्थ्य शिक्षा की अवधारणा को समझना व आत्मसात करना आवश्यक है। जीवन कौशल का प्रयोग हम अपने दैनिक जीवन में निरन्तर करते रहते हैं। इन कौशलों के माध्यम से हम सामाजिक अंतःक्रिया के साथ–साथ दैनिक जीवन में आने वाली विभिन्न चुनौतियों व समस्याओं का सफल समाधान कर पाते हैं। प्रशिक्षुओं में जीवन कौशल का विकास उनके अध्यापन चुनौतियों के संदर्भ में आवश्यक है। इसके साथ ही योग व स्वास्थ्य शिक्षा का भी प्रशिक्षुओं के संदर्भ में विशेष महत्त्व है। योग भारतीय संस्कृति की अमूल्य निधि है। यह व्यायाम मात्र नहीं है बल्कि इससे मानसिक स्वास्थ्य व एकाग्र चिंतन का संवर्द्धन भी होता है। स्वास्थ्य शिक्षा के माध्यम से स्वास्थ्य सम्बंधी ज्ञान को व्यक्तिगत एवं सामाजिक स्तर पर व्यवहारिक रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। यह एक व्यावहारिक शिक्षा है, जो न सिर्फ स्वास्थ्यवर्धक तरीकों का ज्ञान करता है बल्कि उन आदतों के निर्माण के लिए अनुकूल परिस्थितियों के निर्माण में भी महत्पूर्ण भूमिका निभाता है। एक स्वस्थ मनुष्य ही अपनी जिम्मेवारियों का कुशलतापूर्वक निर्वाह कर सकता है। अध्ययन व अध्यापन के लिए भी शिक्षार्थियों व अध्यापकों का स्वस्थ्य होना आवश्यक है। स्वास्थ्य शिक्षा के माध्यम से प्रशिक्षुओं को स्वास्थ्य के प्रति संवेदशील बनाया जाएगा।

उद्देश्य

- जीवन कौशल के विभिन्न आयामों से प्रशिक्षुओं को अवगत कराना।
- शिक्षण के संदर्भ में जीवन कौशल के व्यवहारिक पक्षों को समझना।
- प्रशिक्षुओं में योग के नियमित अभ्यास को विकसित करना।
- प्रशिक्षुओं में स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता लाना।
- स्वास्थ्य के विभिन्न पहलुओं (पोषण, रोग, उपचार इत्यादि) के विषय में प्रशिक्षुओं को अवगत कराना।

❖ जीवन कौशल

- अवधारणा, महत्त्व एवं आवश्यकता
- जीवन कौशलों की पहचान व उनके प्रकार
- जीवन कौशलों का दैनिक जीवन में प्रयोग
- शिक्षण–प्रशिक्षण के दौरान जीवन कौशलों का विकास
- जीवन कौशलों का सीखने–सीखाने की प्रक्रिया में उपयोगिता

❖ योग शिक्षा

- अवधारणा, महत्त्व एवं आवश्यकता
- योग आसनों की विशेषताओं का अध्ययन
- योग का दैनिक जीवन मे प्रयोग
- विद्यालय में योग शिक्षा का प्रसार

❖ **स्वास्थ्य शिक्षा**

- बच्चों की स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकतायें
- बच्चों के स्वास्थ्य का सीखने पर प्रभाव
- विद्यालय में पोषण– मध्याह्न भोजन
- विद्यालय परिवेश एवं स्वास्थ्य
- प्राथमिक उपचार के उपकरण एवं उपयोग
- कुपोषण की समझ तथा इसके उन्मूलन के उपाय
- खेलकूद और शारीरिक स्वास्थ्य में संबंध

प्रस्तावित कार्य

- जीवन कौशल की अवधारणा व इसके अवयवों का अध्ययन।
- अपने शिक्षण के अंदर प्रयुक्त विभिन्न जीवन कौशलों को चिन्हित करना व उनके विकास की संभावना के लिये सुझाव एकत्रित करना।
- किन्ही पाँच योग आसनों के विशेषताओं का अध्ययन व दैनिक प्रयोग।
- अपने संस्थान में स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का विश्लेषणात्मक अध्ययन।
- निकटवर्ती स्वास्थ्य केन्द्र में उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाओं का अध्ययन।
- विद्यालय में योग व स्वास्थ्य शिक्षा से संबंधित कार्यशालाओं का अध्ययन।

❖❖❖

कार्य अनुभव

SP-2

पूर्णांक : 50

द्वितीय वर्ष

संदर्भ

कार्य अनुभव में प्रशिक्षुओं से अपेक्षित है कि वे अपनी रूचि अनुरूप उपलब्ध विषयों (जैसे– कृषि एवं बागवानी, मृदा–कार्य, काष्ठ–कार्य, खिलौने बनाना, छायांकन, बिजली के काम या अन्य जो विषय संस्थान में उपलब्ध हों) में से एक को चुनकर उसके विभिन्न आयामों को जानने एवं समझने का प्रयास करेगें। विषय की समझ एवं अर्जित कौशल प्रशिक्षुओं को भविष्य में शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने में सहायता करेगा। साथ हीं साथ यह उनमें श्रम आधारित कार्यों के प्रति सम्मान भी जगायेगा।

उद्देश्य

- श्रम एवं कौशल का सम्मान।
- पाठ्यक्रम में शामिल तथा संस्थान द्वारा उपलब्ध कराये गए कार्य अभ्यास में से किसी एक में निपुणता हासिल करना।
- सीखे गए कौशल का यथा संभव शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान उपयोग।
- सीखे गए कौशल का दैनिक जीवन में उपयोग।

❖ <u>कृषि एवं बागवानी</u> (Farming & Gardening):

कृषि एवं बागवानी आज भी बिहार की एक बड़ी आबादी की जीविका का साधन है परंतु किसी भी व्यवसाय से जुड़े लोग इनके संबंध में जानकर इनमें संलग्न हो सकते हैं।

प्रशिक्षु इसके द्वारा –

- अपने आस पास के प्राकृतिक वातावरण को समृद्ध कर सकते हैं।
- उगाए गए फसलों का प्रयोग शिक्षण अधिगम सामग्री के रूप में कर सकते हैं।
- स्थानीय फसलों एवं उनके प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
- स्थानीय फसलों के उगाये जाने के संबंध में आवश्यक जानकारी का संग्रह कर सकते हैं।
- उपयुक्त फसल का चुनाव कर उसे उगा सकते हैं।

❖ <u>छायांकन</u> (Photography):

इसका संबंध सिर्फ स्थिर छायाचित्र से नहीं है अपितु इसमें विडियोग्राफी को भी शामिल किया गया है। स्थिर चित्र न केवल बहुत कम खर्च एवं आसान रख रखाव वाले शिक्षण अधिगम सामग्री के निर्माण में सहायक है बल्कि इसका उपयोग विद्यालय अनुभव कार्यक्रम के दौरान विभिन्न सूचनाओं को एकत्र करने एवं रिपार्ट तैयार करने में किया जा सकता है।

प्रशिक्षु इसके द्वारा –

- विडियोग्राफी द्वारा तैयार की गई लघु चित्रों एवं वृतचित्रों का प्रयोग प्रशिक्षु शिक्षा अधिगम सामग्री के रूप तथा परियोजना निर्माण आदि के लिये कर सकते हैं।
- विभिन्न विषयों से संबंधित चित्रों का प्रयोग कर अपने शिक्षण को विद्यार्थियों के लिए अधिक रूचिकर [illegible] सकते हैं।

❖ **बिजली के काम** (Electrical Work):

प्रशिक्षु इसके द्वारा –

- घर / विद्यालय में होने वाले सामान्य वायरिंग की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
- घरेलू उपकरणों, विद्यालय में प्रयोग में लाये जाने वाले बिजली के उपकरणों आदि को मामूली खराबियों को ठीक कर पाने का कौशल सीख सकते हैं।
- विधुत से होने वाली दुर्घटनाओं के कारणों की जानकारी एवं बचाव के लिए अपेक्षित तैयारियों की समझ विकसित कर पायेंगे।

❖ **मृदा–कार्य** (Clay Work) :

मिट्टी के बर्तन, खिलौना आदि न केवल ग्रामीण अपितु शहरी जीवन से भी गहरे जुड़े हैं। इनके पारम्परिक उपयोग के अतिरिक्त नई संभावनाओं ने मृदा कार्य को नया जीवन दिया है। प्रशिक्षु मृदा कार्य में कुशलता प्राप्त कर अपने शिक्षण में भी इसका उपयोग कई प्रकार से कर सकते हैं।

प्रशिक्षु इसके द्वारा :

- मिट्टी के खिलौने, मॉडल आदि बना कर उनका उपयोग शिक्षण हेतु कर सकते हैं।
- विद्यार्थियों में इस प्रकार के कौशल के प्रति सम्मान एवं इन्हें सीखने के उत्साह को पोषित कर सकते हैं।
- मिट्टी के बर्तन, खिलौने, विषयों के पाठ्यक्रम से संबंधित मॉडल आदि बना पायेंगे।

❖❖❖

डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन (डी.एल.एड.) पाठ्यचर्या–पाठ्यक्रम विकास समिति

दिशाबोध

- श्री हसन वारिस, निदेशक, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद्, पटना।
- श्री ए. के. पाण्डेया, निदेशक, शोध एवं प्रशिक्षण निदेशालय, शिक्षा विभाग, बिहार।
- डॉ. सैयद अब्दुल मोईन, विभागाध्यक्ष, अध्यापक शिक्षा विभाग, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद्, पटना।
- डॉ. श्वेता शांडिल्य, शिक्षा विशेषज्ञ, यूनिसेफ, पटना।
- डॉ. ज्ञानदेव मणि त्रिपाठी, प्राचार्य, मैत्रेय कॉलेज ऑफ एजूकेशन एण्ड मैनेजमेन्ट, हाजीपुर(वैशाली)।

विषय विशेषज्ञ

- प्रो. अवधेश कुमार मिश्रा, निदेशक, भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर।
- डॉ. जयशी एस. मोदी, प्राचार्या, पटना वीमेन्स ट्रेनिंग कॉलेज, पटना विश्वविद्यालय, पटना।
- डॉ. ललित कुमार, शिक्षा विभाग, पटना विश्वविद्यालय, पटना।
- डॉ. वासे जफर, शिक्षा विभाग, पटना विश्वविद्यालय, पटना।
- प्रो. संध्या सिंह, प्रोफेसर, भाषा विभाग, एन.सी.ई.आर.टी., नई दिल्ली।
- श्री कमल महेन्द्रु, विद्या भवन शिक्षा संदर्भ केन्द्र, उदयपुर, राजस्थान।
- प्रो. पी. एन. मुखर्जी, पूर्व विभागाध्यक्ष, बांग्ला विभाग, बी.एन. कॉलेज, पटना विश्वविद्यालय, पटना।
- श्री जे.वी.एस.आर. प्रसाद, पूर्व प्राचार्य, डायट, राँची।
- डॉ. ज्ञानदेव मणि त्रिपाठी, प्राचार्य, एम.सी.ई.एम., हाजीपुर।
- डॉ. श्वेता शांडिल्य, शिक्षा विशेषज्ञ, यूनिसेफ, पटना।
- डॉ. उषा शर्मा, एसो. प्रोफेसर, एन.सी.ई.आर.टी., नई दिल्ली।
- डॉ. अनिल कुमार, सीनियर लेक्चरर, डायट (एस.सी.ई.आर.टी.), दिल्ली।
- डॉ. कीर्ति कपूर, डी.एल.ओ.,एन.सी.ई.आर.टी., नई दिल्ली।
- श्री बिरेन्द्र सिंह रावत, केन्द्रीय शिक्षा संस्थान, शिक्षा विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली।
- श्री अजय कुमार चौबे, अवर सचिव, एन.सी.टी.ई., नई दिल्ली।
- डॉ. सतनाम सिंह, सीनियर लेक्चरर, डायट (एस.सी.ई.आर.टी.), दिल्ली।
- डॉ. एम.एम. राय, सीनियर लेक्चरर, एस.सी.ई.आर.टी., नई दिल्ली।
- डॉ. अरशद इकराम अहमद, एसो. प्रोफेसर, शिक्षा विभाग, जे.एम.आई., नई दिल्ली।
- डॉ. अतुल कुमार शुक्ला, सहायक प्राध्यापक, जे.एन.पी.जी. कॉलेज, बांदा, यू.पी.।
- डॉ. प्रवीण कुमार तिवारी, सहायक प्राध्यापक, स्कूल ऑफ एजुकेशन, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।
- डॉ. सत्यवीर सिंह, प्राचार्य, एस.एन.आई कॉलेज, पिलाना बागपत।
- श्री चन्दन श्रीवास्तव, केन्द्रीय शिक्षा संस्थान, शिक्षा विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली।
- श्री हर्षवर्द्धन कुमार, केन्द्रीय शिक्षा संस्थान, शिक्षा विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली।
- श्री संजय शर्मा, केन्द्रीय शिक्षा संस्थान, शिक्षा विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली।
- श्री पंकज कुमार, शिक्षा संकाय, काशी हिन्दु विश्वविद्यालय, वाराणसी।

- श्री किशोर दरक, शिवाजी नगर, पूणे (महाराष्ट्र)।
- श्री संजय कुमार, प्रथम, पटना।
- श्री सूर्य कुमार झा, प्राचार्य, जी.टी.टी.सी., छपरा।
- डॉ. राकेश कुमार, प्राचार्य, डायट, भागलपुर।
- डॉ. रत्ना घोष, प्राचार्या, डायट, गया।
- डॉ. रश्मि प्रभा, प्राचार्या, सी.टी.ई., तुर्की, मुजफ्फरपुर।
- डॉ. सुभाष चन्द्र झा, प्राचार्य, डायट,किलाघाट, दरभंगा।
- श्रीमती आभा रानी, प्राचार्या, डायट, बिक्रम, पटना।
- श्रीमती तुलिका प्रसाद, व्याख्याता, सी.टी.ई., छपरा।
- श्री उमाकान्त ओझा, प्राचार्य, पी.टी.ई.सी. घोघरडीहा।
- श्री कृष्ण कान्त ठाकुर, बी.ई.पी.सी., पटना।
- डॉ. सुबोध कुमार झा, विभागाध्यक्ष, अंग्रेजी विभाग, एस. एन. सिन्हा कॉलेज, जहानाबाद।
- श्री प्रभाष रंजन, सहायक प्राध्यापक, पटना वीमेन्स कॉलेज (शिक्षा विभाग), पटना।
- डॉ. राजेश वर्मा, सहायक प्राध्यापक, नालान्दा खुला विश्वविद्यालय, पटना।
- श्रीमती मुक्ता मणि, सहायक प्राध्यापिका, शिक्षा विभाग, डी.डी.ई., एन.एन.एम.यू., दरभंगा।
- डॉ. सारिका, प्राध्यापिका, पटना विश्वविद्यालय, पटना।
- श्री प्रियांक कुमार शिवम, व्याख्याता, एच.एन.एस.आई.टी.ई., सासाराम, रोहतास।
- श्री कात्यायन कुमार त्रिपाठी, प्राथमिक विद्यालय, चौटीहाल स्लम, गुलजारबाग, पटना।
- श्री शशिकांत शर्मा, शिक्षक, मध्य विद्यालय, भेल डुमरा भोजपुर।
- श्री जीतेन्द्र कुमार, शिक्षक, मध्य विद्यालय, महमदा, परैया, गया।
- श्री मनोज कुमार झा, सहायक शिक्षक, रा. आदर्श विपिन मध्य विद्यालय, बेतिया।
- श्री गोविन्द प्रसाद, सहायक शिक्षक, कन्या मध्य विद्यालय, चनपटिया, पश्चिमी चंपारण।
- श्री विकास कुमार, उतक्रमित मध्य विद्यालय, बसबुटिया, चन्द्रमंडी, जमुई।
- श्री मनोज कुमार त्रिपाठी, मिडिल स्कूल, फरना, बरहरा, भोजपुर।
- श्रीमती शुभ लक्ष्मी लहिड़ी, रवीन्द्र बालिका विद्यालय, राजेन्द्र नगर, पटना।
- श्री अर्शद रजा, प्राथमिक विद्यालय पचासा, रहुई, नालंदा।
- डॉ रचना त्रिवेदी, शिक्षिका, नॉट्रेडेम एकेडमी, कुर्जी, पटना।
- श्री प्रसून, विद्या भवन सोसायटी, उदयपुर, राजस्थान।
- सुश्री रजनी द्विवेदी, विद्या भवन सोसायटी, उदयपुर, राजस्थान।
- सुश्री यशोधरा कनेरिया, विद्या भवन सोसायटी, उदयपुर, राजस्थान।
- श्री पुष्पराज सिंह राणावत, विद्या भवन सोसायटी, उदयपुर, राजस्थान।
- आदेश कुमार सिंह, विद्या भवन सोसायटी, पटना।
- कुमार अमलेन्दु, विद्या भवन सोसायटी, पटना।
- ...ा चन्द्र... भवन सोसायटी, पटना।
- ...भवन सोसायटी, पटना।
- ...विभागाध्यक्ष, अध्यापक शिक्षा विभाग, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद, पटना।

- डॉ. स्नेहाशीष दास, व्याख्याता, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद्, पटना।
- डॉ. रीता राय, व्याख्याता, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद्, पटना।
- डॉ. बीर कुमारी कुजूर, व्याख्याता, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद्, पटना।
- डॉ. अर्चना, व्याख्याता, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद्, पटना।
- श्री तेजनारायण प्रसाद, व्याख्याता, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद्, पटना।
- श्री इम्तियाज आलम, व्याख्याता, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद्, पटना।
- डॉ. अर्चना वर्मा, शोध पदाधिकारी, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद्, पटना।

पाठ्यचर्या–पाठ्यक्रम प्रारूप का संपादन एवं संशोधन

- डॉ. सैयद अब्दुल मोईन, विभागाध्यक्ष, अध्यापक शिक्षा विभाग, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद्, पटना।
- डॉ. श्वेता शांडिल्य, शिक्षा विशेषज्ञ, यूनिसेफ, 8, पाटलिपुत्र, पटना।
- डॉ. ज्ञानदेव मणि त्रिपाठी, अकादमिक संयोजक (पाठ्यचर्या–पाठ्यक्रम विकास), प्राचार्य, एम.सी.ई.एम., हाजीपुर।
- डॉ. स्नेहाशीष दास, व्याख्याता, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद्, पटना।
- श्री चन्दन श्रीवास्तव, केन्द्रीय शिक्षा संस्थान, शिक्षा विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली।
- श्री हर्षवर्द्धन कुमार, केन्द्रीय शिक्षा संस्थान, शिक्षा विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली।

पाठ्यचर्या–पाठ्यक्रम की समीक्षा

- डॉ. सतीश कुमार यादव
  प्रोफेसर व विभागाध्यक्ष, अध्यापक शिक्षा विभाग, एन.सी.ई.आर.टी., नई दिल्ली।

पाठ्यचर्या–पाठ्यक्रम समन्वयक

- डॉ. स्नेहाशीष दास, व्याख्याता, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद्, पटना।